खण्ड-361, अंक-10
गुरूवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(17 मार्च, 1983 ई0)

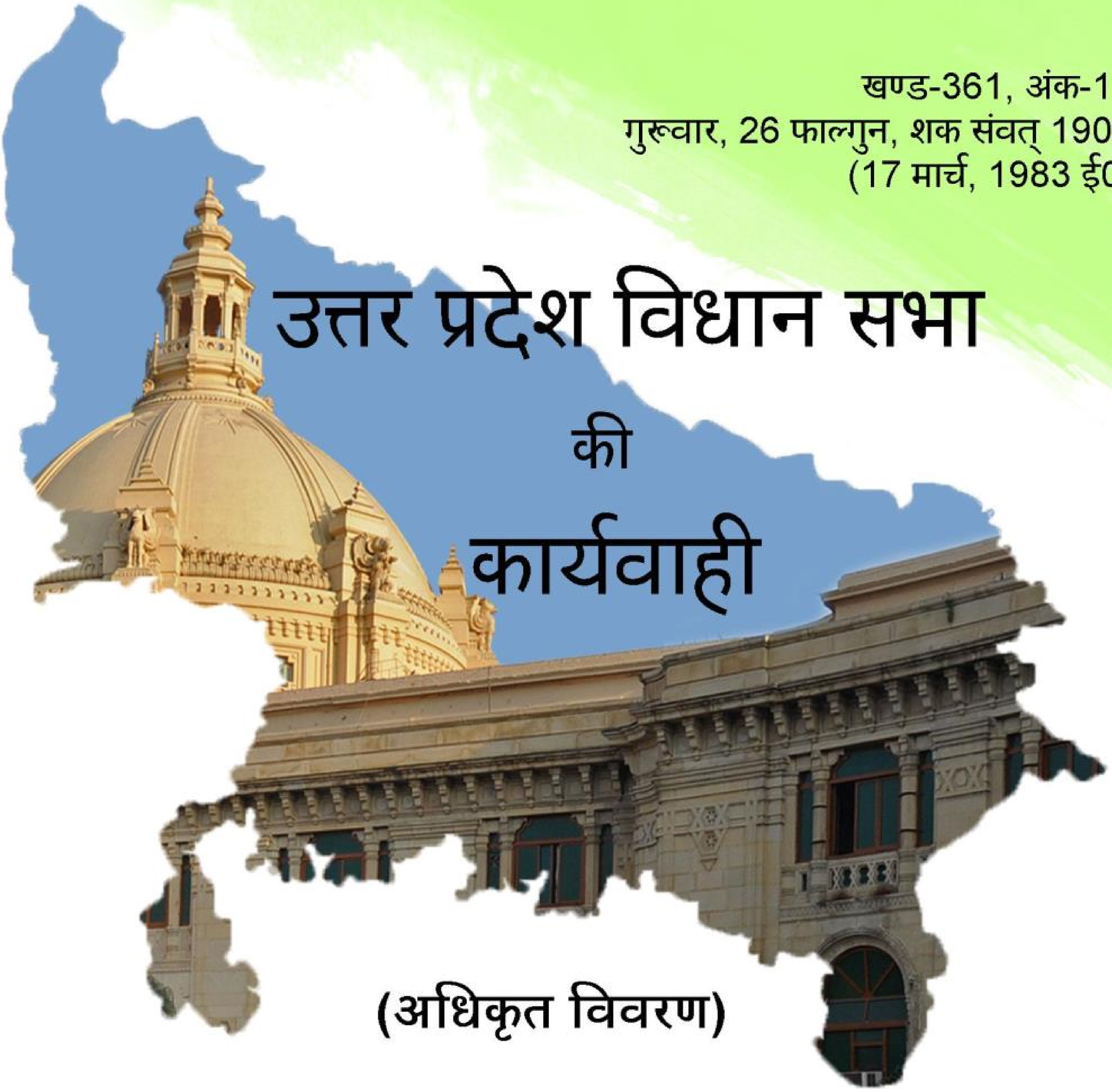

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1523
प्रश्नोत्तर	...	1527
पूर्वी उत्तर प्रदेश में राशन की दूकानों पर सड़ा गेहूँ बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1585
टी० वी० डिमान्सट्रेशन एवं ट्रेनिंग सेन्टर आगरा के निदेशक की कुव्यवस्था के कारण 40 प्रतिशत कर्मचारियों के क्षय रोग से पीड़ित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1586
बिहार की कुख्यात "जंगल पार्टी" की पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही भयंकर गतिविधियों एवं सुरक्षात्मक उपायों की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1586
लखनऊ नगर के हुसैनाबाद ट्रस्ट के सचिव द्वारा भवन में बने छोटे कमरों में रहने वाले गरीब लोगों को बाहर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1587
ग्राम सिसवार कलां (बलिया) में अधिकारियों की लापरवाही के कारण भयानक जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1587
नियम 301 की सूचना को स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	....	1588
कतिपय माइकोफोन न खोले जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	....	1589
विधान सभा परिसर में कांग्रेस (आई) की मीटिंग में शासकीय अधिकारियों को बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	...	1589
भाषणों के बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	....	1599
अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था प्रश्न	....	1600
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन एवं बैधीकरण) अध्यादेष, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	...	1601
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 एवं तत्संबंधित शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	....	1601

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 (विधान परिषद से वापसी की सूचना) 1601

उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम की 3000 बसों के खराब हो जाने से यात्रियों के समक्ष उत्पन्न समस्या के संबंध में वक्तव्य ... 1602

वक्तव्यों के स्पष्टीकरण में अधिक समय लेने के संबंध में आपत्ति 1608

फैजाबाद शहर में तरंग सिनेमा के सामने दो सशस्त्र गुटों के बीच गोली चलने के संबंध में वक्तव्य 1608

बाराबंकी जिले के सरस्वती जयंती हायर सेकेण्ड्री विद्यालय के सी० टी० ग्रेड के अध्यापक श्री शेर बहादुर सिंह की आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो जाने के संबंध में वक्तव्य ... 1612

शिक्षा मंत्री द्वारा पढ़े गये वक्तव्य में कतिपय शब्दों के अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में लिखे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 1614

विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा कानपुर फैक्ट्री एरिया, फजलगंज में बसी हरिजन बस्ती को हटवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य 1615

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ 1615

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 42 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 67—सहायता और पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत) 1619

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ ... 1656

जिला सहायक निबंधक श्री सी० एन० सिंह सोमबंशी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 1656

उत्तर प्रदेश में वितरण प्रणाली में त्रुटि के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दाम एवं उससे उत्पन्न जन असंतोष के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ... 1660

नत्थियाँ ... 1682

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—340

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमान, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खाँ नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)

ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)

राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 17 मार्च, 1983 ई०

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

साधन सहकारी समिति लि० दुबौली (खुटहा) के सचिव के विरुद्ध शिकायत पत्र की जांच

***1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के साधन सहकारी समिति दुबौली (खुटहा) के सचिव के विरुद्ध गबन व लूट करके 2 डीजल जीप, ट्रक, मोटर साइकिल, 10 एकड़ खेत दो मंजिला मकान लगभग 2 लाख का मकान आदि अपने परिवार के नाम खरीदने से सम्बन्धित जनता व प्रश्नकर्त्ता की कितनी शिकायतें शासन एवं स्थानीय अधिकारियों को माह जनवरी 82 से माह अगस्त, 82 तक प्राप्त हुई हैं ? इससे सम्बन्धित जाँच व कार्यवाही की गई ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक) –

साधन सहकारी समिति लि० दुबौली (खुटहा) के सचिव के विरुद्ध एक ही शिकायती पत्र विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच कराई जा रही है। अन्तरिम जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त सचिव अभिलेखों के साथ समिति से अनुपस्थित हैं, जिससे पूर्ण जाँच की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। सचिव को अभिलेख के साथ जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अभिलेख प्रस्तुत करने की नोटिस दी गयी है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न की गम्भीरता को देखने का कष्ट करें और उस सचिव के भागने के पीछे क्या मंशा है यह भी स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि सन्दर्भित जाँच अधिकारी द्वारा अब तक उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के अन्तर्गत सस्पेंशन आदि जो कार्यवाही होती है उसको न करने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, उस सचिव के विरुद्ध जांच करने के लिए ए०डी०, सी०ओ० की नियुक्ति कर दी गयी है। ए०डी०सी०ओ० दो बार सचिव के पास गये लेकिन वह नहीं मिला। अब नोटिस दी गयी है कि एक सप्ताह के अन्दर कागज जमा कर दें वर्ना उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इस संदर्भ में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 भी देख लें ठीक यही बात उसमें भी है। 1 नवम्बर, 82 से यह शिकायतें चल रही हैं। और अब तक कोई कार्यवाही नहीं है तथा इसके पूर्व से भी शिकायतें चल रही हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि जो तिथि निर्धारित की गयी है यदि उसके अन्दर कागज नहीं आते हैं तो उस भ्रष्ट सचिव को निलम्बित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा उनके कहने पर उसका स्थानान्तरण किया गया, स्थानान्तरण के बाद उसने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया। इस वजह से वह कार्यवाही रुक गयी है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर एक सप्ताह के अन्दर कागज नहीं दिये गये तो उसे मुअत्तिल कर दिया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि उस सचिव ने बंदूक की नोंक पर महाराजगंज के बैंक मैनेजर को अपने घर बुलाकर फोर्स करके चैक पर दस्तखत करवाये तो इतना जाल-साज है इसकी भी वह जांच करवायेंगे ? दूसरा जो उसने अनधिकृत रूप से लाखों रु० की प्रापर्टी अर्जित कर ली है उसके सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही मन्त्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

मैंने पहले ही कहा कि इसके ऊपर जाँच चल रही है।

[बृहस्पतिवार, 17 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर एवं झाँसी मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर छात्रों को भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

***1—श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एवं झाँसी मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर छात्रों को अन्य स्नातकोत्तर छात्रों की भांति भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त पत्र दिनाँक 5 मार्च, 1982 पर अन्तिम कार्यवाही किस स्थिति में है ? क्या मन्त्री जी कथित भत्ता देने की घोषणा करके शासन द्वारा बरती जा रही असमानता को दूर कर सैकड़ों स्नातकोत्तर छात्रों को राहत देंगे ?

जन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरिसिंह)—

प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों के उन स्नातकोत्तर छात्रों को जिनकी नियुक्ति रेजिडेंट्स आदि के पदों पर नहीं की जा सकी थी और जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी, उन्हें 1 जनवरी, 1982 या उसके बाद की तिथि से, जिस दिनांक को छात्र ने स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लिया हो, रु० 7,200, प्रतिवर्ष की दर से एकमुश्त एक्सग्रेशिया भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 1982 को पारित किये जा चुके हैं।

शासन को प्राप्त पत्र दिनांक 5 मार्च, 1982 में अब कोई कार्यवाही बाकी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी संदर्भित 5 मार्च, 82 का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री हरी सिंह—

मान्यवर, यह सदन के पटल पर रखवाना चाहते हैं या यहां पर तफसील चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में वितरण बतादें पटल पर रखने की आवश्कता नहीं।

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, इस प्रकार के छात्रों को एक्सग्रेशिया धनराशि का एकमुश्त भुगतान सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को उन समस्त स्नातकोत्तर छात्रों की एक सूची बनाकर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० को भेजनी होगी, जिन्हें एक्स-ग्रेशिया धनराशि का भुगतान किया जाना हो। सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्य छात्रों की सूची के साथ साथ निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को यह भी बतलायेंगे कि अमुक छात्रों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में किस तिथि से कुल कितने रुपये की धनराशि भुगतान की जानी है। प्रधानाचार्यों से इस प्रकार की सूचना उपलब्ध होने पर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० द्वारा सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्यों को उतनी धनराशि अवमुक्त की जायेगी जितनी धनराशि का उन्हें अपने कालेज के छात्रों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान करना हो।

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विवेकानुसार उपर्युक्त एकमुश्त धनराशि का भुगतान वर्ष में अधिकतम चारबार किश्तों तक में किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री मेरे प्रश्न के विवरण को देखते हुये इस बात को सुनिश्चत करेंगे कि गोरखपुर झांसी मेडिकल कालेजों में भी, जो आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं उनका कार्यान्वियन हुआ है या नहीं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, उनका (आदेशों का) पालन हो रहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि झांसी मेडिकल कालेज में पी० जी० के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था है ? मान्यवर, वहाँ समस्या है कि 1981-82 के पी० जी०छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जा रही है, लेकिन 1982-83 में पी० जी० में जो एडमीशन हुये हैं उनके लिये छात्रवृत्ति का बजट में प्राविधान नहीं किया गया है, इसलिये इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है। जो 81-82 के पी० जी छात्रों की छात्रवृत्ति बकाया थी वह उनको दी गयी है। इसलिये जो मा० सदस्य ने प्रश्न किया था और लिखित पत्र दिया गया वह 1982-83 के छात्रों से सम्बन्धित था जिसकी लिखापढ़ी कर रहे हैं, इसलिये मूल प्रश्न जो है उसके अनुसार क्या सभी छात्रों को छात्रवृत्ति तुरन्त दिलाने की व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, सभी को छात्रवृत्ति देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। लेकिन एक्स-ग्रेशिया जो दिया गया है उसको देखा जाता है और जिसको एक्स-ग्रेशिया दिया जाता है उसको वजीफा नहीं मिलता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

स्वास्थ्य विभाग के नियमों के तहत पी० जी० के छात्रों को यह छात्रवृत्ति देने का नियम है। तो मेरी जानकारी को ध्यान में रखते हुये 1982-83 में जिन पी० जी० छात्रों को छात्रवृत्ति रहीं मिल नही है उनको छात्रवृति तुरन्त दिलाने की व्यवस्था क्या मंत्री जी करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में ही निवेदन किया है कि उन स्नातकोत्तर छात्रों को जिनकी नियुक्ति रेजिडेंट्स आदि के पदों पर नहीं की जा सकी थी और जिन्हें कोई छात्र-वृत्ति नहीं मिल रही थी उन्हें एक्सग्रेसिया देते हैं या वजीफा देते हैं, दोनों में से एक चीज जरूर मिलेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि पी० जी के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति मिले। तो ऐसा कौन सा नियम है और कौन सी योग्यता के माप दण्ड के आधार पर पी० जी० के छात्रों में किसी को छात्रवृत्ति देते हैं और किसी को एक्सग्रेशिया देते हैं ?

दूसरी मेरी जानकारी है कि वित्त में 50 हजार रुपये झांसी मेडिकल कालेज के लिये छात्रवृति के लिये निर्धारित किया है जबकि डेढ लाख रुपये की आवश्यकता है और इसमें एक लाख रु० का प्राविधान नहीं किया है इसलिये छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है जबकि उ० प्र० के सभी मेडिकल कालेजों में सभी को समान छात्रवृत्ति दी जा रही है, केवल गोरखपुर और झांसी में प्रावधान न होने से छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। इसलिये क्या इसमें अधिक धनराशि का प्राविधान करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

इस पर विचार करेंगे।

***श्रीमती गौरी देवी—**

[9 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री प्रमोद कुमार लोमस को पुनः पूर्ति निरीक्षक आपूर्ति कार्यालय, मुरादाबाद में लिये जाने का आधार

***3—श्री रियासत हुसैन—**

क्या खाद्य मन्त्री को विदित है कि प्रमोद कुमार लोमस, पूर्ति निरीक्षक आपूर्ति कार्यालय, मुरादाबाद जो खाद्य विभाग से त्यागपत्र देकर दिनांक 2-5-80 को असिस्टेंस मैनेजर इंडस्ट्रीज के पद पर हल्द्वानी में कार्यरत हो गये थे, कि सेवाएं खाद्य विभाग से

दि० 1-5-80 को समाप्त कर दी गयीं, परन्तु 2-3 दिन के बाद पुनः खाद्य कार्यालय, मुरादबाद में वापस आ गये और उनको नौकरी पर वापस ले लिया गया तथा उनकी सेवाओं को भी कन्टीन्यूशन में कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो किस आधार पर किया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह) —

श्री प्रमोद कुमार लोमस ने सहायक प्रबन्धक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये दिनांक 1-5-80 को पूर्ति निरीक्षक के पद से कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने अपने आदेश दिनांक 3-5-80 द्वारा बिना किसी शर्त के उनकी सेवायें दिनांक 1-5-80 से समाप्त किये जाने की स्वीकृत प्रदान कर दी ।

श्री लोमस ने दिनांक 5-5-80 को सहायक प्रबन्धक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान सूचना दी परन्तु जिला उद्योग केन्द्र योजना अस्थाई होने का ज्ञान होने पर उन्होंने जिलाधिकारी को प्रस्तुत अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 8-5-80 में इस बात का उल्लेख करते हुए कि वे जिला उद्योग केन्द्र जाने के इच्छुक नहीं हैं, अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 1-5-80 को वापिस लेने तथा उसके आधार पर पूर्ति निरीक्षक के पद से अपने सेवा समाप्ति के आदेश को विखण्डित करने का अनुरोध किया । जिलाधिकारी जो कि पूर्ति निरीक्षक पद के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, ने अपने विवेकानुसार इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जिसके आधार पर श्री लोमस ने दिनांक 8-5-80 को पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान आख्या प्रस्तुत की । पूर्ति निरीक्षक के पद से सेवा समाप्ति एवं उस पर पुनः वापस लिये जाने की अवधि (दिनांक 2-5-80 से 8-5-80) को अवकाश स्वीकृत करके विनियमित कर दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन —

मान्यवर पूरे प्रदेश की सर्विस में इस तरह की मिसाल मिलेगी नहीं जैसा मंत्री जी ने कहा है । यह देखते हुए कि 1-5-80 को उन्होने इस्तीफा दिया अनकंडीशनल चूँकि उनको दूसरे विभाग में सर्विस मिल गई थी और तीन तारीख को जिलाधिकारी ने उसका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया । जब उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया तो उसने 5 तारीख को दूसरे विभाग-इंडस्ट्री में ज्वायन कर लिया और तीन दिन तक वहाँ ज्वायन किये रहा और 8 तारीख को फिर दरख्वास्त दी कि अपने फूड डिपार्टमेंट में मुझको फिर वापस सर्विस में ले लिया जाए और आपके विभाग के अधिकारियों की सिफारिश पर उसे सर्विस में फिर दुबारा ले लिया गया और यह ही नहीं लिया ही नही गया बल्कि 3 दिन का जो गैप है, उसको खत्म करके उसे सर्विस में कान्टीयुनेशन भी दे दिया गया और उस 3 दिन को आपने छुट्टी मान लिया, तो क्या मंत्री जी मुझे कोई सर्विस रूल, या अन्य किसी अधिनियम का हवाला देंगे कि जिसके आधार पर यह सारा काम हुआ है ?

श्री वासुदेव सिंह—

शासनादेश संख्या 16-2/68, नियुक्ति (ख), दिनांक 23-1-70 के प्रस्तर 6 तथा शासनादेश संख्या 4379/2-कर्मिक-661-1957, दिनांक 19-11-59 के प्रस्तर संख्या 17, 18, 19 व 20 के अनुसार अस्थायी कर्मचारी भी किसी दूसरे विभाग में यथाविधि जाते हैं, तो उनकी पैतृक विभाग से सेवा मुक्त किये जाने का प्राविधान है और उसमें यह भी प्राविधान है कि यदि सेवा मुक्त कर्मचारी बाद में अपने पैतृक विभाग में वापस आना चाहे तो उस पर विचार किया जा सकता है । उपरोक्त शासनादेश दिनांक 19-11-59 के

प्रस्तर 19 के अनुसार संबंधित अस्थायी कर्मचारी का अपने पैतृक विभाग में लियन (Lien) बना रहता है और जब वह दुबारा अपने पैतृक विभाग में आता है तो स्वतः ही पूर्व वरिष्ठता उसे प्राप्त हो जाती है। अतः अनुपस्थिति अवधि की सेवा समाप्त नहीं माना जाता है उसको विनियमित किया गया उसको छुट्टी देकर।

श्री रियासत हुसैन—

उसमें आखिरी लाईन यह है कि जो अनुपस्थिति का पीरियड है, उसको नहीं माना जाएगा, तो फिर किस आधार पर 3 दिन की अनुपस्थिति को तीन दिन के डिस्कान्टयुनेशन पीरियड को आपने विनियमित कर दिया गया है ? रिएप्वाएनमेंट तो आप कर सकते थे, लेकिन एक्शन पीरिएड इसको सेवा मुक्ति के बाद नहीं माना जाएगा, जो आपने किया है ?

श्री वासदेव सिंह—

मान्यवर, श्री लोमस को सेवा निरन्तरता का जो आधार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान किया गया था, उन्हें 1-5-80 को, उनके द्वारा दिये गये त्यागपत्र के बाद वापस जो लिया गया था, वह मानवता का दृष्टिकोण अपनाते हुए, उन्हें वापस लिया गया था, और जो उन्हें सेवा निरन्तरता का लाभ दिया गया था, उस पर मान्यवर, कार्मिक विभाग द्वारा संस्तुति की गयी थी। मान्यवर, आप जानते हैं, माननीय सदस्य अगर इस्तीफा आपको दे दें और उसके बाद भी माननीय रियासत हुसैन साहब कहें कि वापस कर दीजिए, तो आप उसको वापस कर देंगे।

श्री रियासत हुसैन -

मान्यवर, ऐक्सेप्टेंस के बाद वापस नहीं होता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मानवता के आधार पर वापस लिया गया, अब यही आधार बचने के लिए माननीय मंत्री जी के पास रह गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी ज्वाइंट रिस्पोन्सिबिलिटी की हैसियत से, मंत्रि मण्डल में वह वरिष्ठ मंत्री हैं, वह इस बात का आश्वासन/घोषणा करेंगे कि इस तरह के जितने केसेज होंगे, उनको सबको मानवता के आधार पर इस तरीके का प्रिविलेज आप उन सब कर्मचारियों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर अपवादता की दृष्टि से अगर कहीं कुछ किया गया, तो उसको सर्वव्यापी कैसे बनाया जा सकता है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आज मानवता की नई व्यवस्था सामने आई, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मानवता का मानक क्या है ? जब कि नियम यह है कि एक बार कोई व्यक्ति अगर त्यागपत्र दे देता है, या लिखकर दे देता है, तो वह त्यागपत्र माना जायगा और फिर त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद पुनः सेवा में लेने के लिए कहता है, तो उसको सेवा में लेने का कौन सा नियम है और एक सप्लाई इन्सपेक्टर को पुनः सेवा में वापस लेने का आधार जो माननीय मंत्री जी ने बताया है वह मानवता का आधार जो है, उसका मानक क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मानवता का मानक मानवीय है और दूसरा यह है कि मान्यवर, आप

जानते हैं कि बहुत से माननीय सदस्य यहाँ के सदस्य हैं और लोक सभा के भी सदस्य हैं, किसी के साथ रियायत की जाती है, माननीय रियासत साहब ने जो सवाल किया, जब मैं अध्यक्ष था, तो मुझे मालूम है कि किसी का त्यागपत्र देना और स्वीकार होना यह अन्तिम नहीं है, मान लीजिए उसने किसी दबाव में किया है, मान लीजिए कि किसी लालच में किया है फिर उसको तीन दिन के अन्दर में बुद्धि आ गयी, तो उसको सेवा से मुक्त करने का कोई आधार नहीं होता है, उसको रखना चाहिए ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, एक बार तो माननीय मंत्री जी ने विधान सभा और लोक सभा की सदस्यता का विवरण दिया, मान्यवर यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं । मान्यवर, ऐसा तो कम से कम वर्तमान विधान सभा में कोई नहीं है, जो यहां का भी सदस्य है, और वहां का भी सदस्य हो । (2) मान्यवर, त्यागपत्र के बारे में माननीय मंत्री जी ने एक नई व्याख्या और दे दी कि प्रलोभन से, दबाव से त्यागपत्र दिया गया हो, वह मान्यवर, सप्लाई इन्सपेक्टर था, उसके ऊपर क्या दबाव आ सकता है, मान्यवर, वह तो प्रलोभनवश वहाँ पर गया था और वहां पर उसको प्रलोभन नहीं दिखाई दिया, तो फिर वह वापस आ गया । मान्यवर, यह सरकारी प्रतिष्ठान है या यह सब्जी मंडी है, यह मान्यवर बताने की कृपा करें ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत भाष्य करके ही प्रश्न किया । प्रश्न साफ यह है कि एक कोई कर्मचारी विभाग से संस्तुति कराकर दूसरे विभाग में जाता है और वहाँ जाने पर उसे पता लगता है कि वह गलत जगह पर आ गया है और लौटना चाहता है तो सारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाय, उचित नहीं है । हम सारी चीजों को विनियमित करते हैं, विधान सभा करती है, लोक सभा करती है, राज्य सभा करती है और विधान परिषद् करती है । विनियमितीकरण अगर न हो तो बहुत सारे काम गड़बड़ हों । इसलिये विनियमित कर दिया गया है । माननीय आधार पर विनियमितीकरण किया गया । तनख्वाह दे दी, गयी है ।

मुन्ना लाल धर्मशाला रोड, मोहल्ला चार बाग, लखनऊ में स्थायी सब्जी की दुकानें लगाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

***4—श्री मौखा लाल**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्ना लाल धर्मशाला रोड, मोहल्ला चारबाग, शहर लखनऊ में सब्जी की दुकानें सड़क के किनारे लगती हैं जिसका ठेका नगर महापालिका ने उठा दिया है ? यदि हाँ, तो मण्डी का स्थायी स्थान निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

जी हाँ ।

उक्त स्थल पर कोई ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है जहां स्थाई तौर पर सब्जी मंडी लगाई जा सके ।

आगरा जल निगम के अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं कार्य प्रमाणित कर्मचारियों के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायती पत्र

***5—श्री विजय सिंह राना (अनुपस्थित)—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जल निगम के अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं कार्य प्रमाणित कर्मचारियों के उत्पीड़न सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 9-11-81 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि जल निगम, आगरा के सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें वर्षों काम करने के उपरान्त भी आज तक स्थायी नहीं किया गया ? इन्हें स्थायी कब तक किया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अभिलेखों के आधार पर उपलब्ध नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

जी हाँ ।

आगरा में स्थित जल निगम के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 69 स्वीकृत पदों में से 45 पद स्थाई किये जा चुके हैं तथा उनके विरुद्ध कर्मचारियों को स्थाई भी किया जा चुका है । शेष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थाईकरण नियमानुसार उस समय किया जावेगा जब अथवा जैसे स्थाई पद स्वीकृत रिक्त हो जायेंगे । आगरा स्थित विभिन्न कार्यालयों के अधीन वर्ष 82 के अंत में 206 कार्य प्रभारित कर्मचारी कार्यरत थे । कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई हैं, और इस प्रकार उनका स्थाईकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

मेडिकल कालेज, झाँसी में आन्तरिक अशान्ति होने के सम्बन्ध में पत्र

***6—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि० 27 सितम्बर, 1982 जिसमें मेडिकल कालेज, झांसी में आन्तरिक अशान्ति होने के सम्बन्ध में लिखा गया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह—

जी हाँ ।

अशान्ति का कारण जानने तथा स्थित को सामान्य बनाने के उद्देश्य से संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को झाँसी भेजा गया था । जिला प्रशासन से भी इसमें सहयोग प्राप्त किया गया । अब स्थिति सामान्य हो गई है । अतः अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

माननीय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि स्थिति सामान्य हो गयी है । तो जो कर्मचारी मुअत्तल किये गये हैं क्या उनको बहाल कर दिया गया है, अगर नहीं किया गया तो क्या उनको बहाल करने की कार्यवाही पर शासन विचार करेगा ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, घटना चक्र में जो कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं उनको बहाल करने का कोई विचार शासन के सामने नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैंने 17 सितम्बर, 82 को अपना पत्र दिया था। तो उसमें क्या मुख्य मुख्य बिन्दु थे ? आपने जो जांच कराई तो जो कर्मचारी दोषी पाये गये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? और यदि आप सारी चीजों से संतुष्ट हैं और स्थिति सामान्य है तो क्या कारण है कि जो 2 कर्मचारियों को सस्पेण्ड किया गया है उनको बहाल नहीं किया गया ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, आप तो परिचित होंगे कि वहां पर बड़ा संगीन मामला हो गया था। उसमें पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्यारी के बाद में बहाल करना या काम लेना उचित नहीं है। लिहाजा व सस्पेंड चल रहे हैं। जब तक पुलिस की कार्यवाही पूरी न हो जाय तब तक बहाल करने का कोई विचार नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कार्यवाही दोनों पक्षों के विरुद्ध हो रही है, कर्मचारियों और डाक्टरों, दोनों पर कार्यवाही हो रही है और मामला अदालत में हैं ? तो आपने एक पक्ष के लोगों को सस्पेंड कर दिया है और दूसरे पक्ष के लोगों को सस्पेंड न करने का क्या कारण है और यदि दूसरे पक्ष के लोगों को सस्पेंड नहीं किया है तो फिर एक पक्ष को सस्पेंड करने का क्या औचित्य है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया यह सारा मसला बड़ा गम्भीर हो गया था। वह सारा का सारा मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पुलिस के सामने पहुंच गया, उस पर उचित कार्यवाही हो रही है। हमें उस सर अलग से कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

*7—श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री गया प्रसाद कनौजिया फार्मेसिस्ट, प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगंज एवं श्री कमल किशोर कनौजिया, फार्मेसिस्ट महिला चिकित्सालय, भगवन्त नगर, हरदोई का कथित रोका गया तबादला

*8—श्यामलाल वाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि श्री गया प्रसाद कनौजिया, फार्मेसिस्ट, प्रा.स्वा. केन्द्र, माधोगंज (हरदोई) एवं श्री कमल किशोर कनौजिया, फार्मेसिस्ट, महिला चिकित्सालय भगवन्त नगर (मल्लावां) हरदोई का तबादला शासन से सात बार किया गया ? क्या यह

भी सत्य है कि सातों बार तबादला रोका गया ? क्या मन्त्री जी उपरोक्त दोनों लोगों की बर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ।

श्री हरि सिंह—

जी नहीं ।

इस समय श्री गया प्रसाद कनौजिया जनपद रामपुर में दिनांक 30-8-82 से हैं । तथा श्री कमल किशोर कनौजिया जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 9-7-82 से फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत हैं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर के सन्दर्भ में, प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर माननीय मन्त्री जी की तरफ से आया है "जी नहीं" । मैंने उनसे पूछा था क्या इन लोगों का सात बार तबादला किया गया ? उन्होंने कहा, "जी नहीं" । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि फिर इन लोगों का कितने बार तबादला हुआ और कितने बार उसे आपने रोका और रुकवाने वाले लोग कौन थे और आखिरी बार आपने तबादला कब किया ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा तबादला सात बार तो नहीं हुआ । लेकिन, दो बार उनका तबादला शासन से हुआ और शासन स्तर से उनको कैंसिल कर दिया गया, अब वे वहां चले गये हैं । दूसरी बात जो पूछी गयी, उसे मैं सदन में कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं और किस प्रकार से ट्रांसफर रुकवाये जाते हैं, उसकी चर्चा करना उचित नहीं समझता हूँ । दूसरे, 19-5-81 और 15-5-81 से 10-12 दिन पहले इनके ट्रांसफर आदेश हुए थे ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

11-12 दिन पहले···

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री हरि सिंह—

मैंने तिथि बतायी ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

मान्यवर, मुझे उत्तर समझ में नही आया, इन्होंने बताया की दो बार आदेश हुए लेकिन वह कैंसिल हो गये । मान्यवर, मैंने इनसे पूछा कि आखिरी बार आपने तबादला और उसके कितने दिन बाद उन्होंने ज्वाइन किया ? और दूसरे, क्या उस आदेश में यह अंकित भी था कि इनको अपने जनपद से दूर भेजा जायगा, इस चीज का वे स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री हरि सिंह—

जैसा कि मैंने कहा कि 9-7–82 और 30-8-82 के लगभग 10-15 दिन पहले इसके ट्रांसफर के आदेश हुए थे और 30-8-82 एवं 9-7-82 को इन्होंने अपने-अपने स्थानों पर ज्वाइन कर लिया था।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि क्या कभी हाल में शासन को हरदोई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भूतपूर्व विधायक श्री लालन शर्मा की तरफ से इन कम्पाउण्डरों के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री हरि सिंह—

फिलहाल, पिछले 2-4 महीने से ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन दो फार्मेसिस्टों का जिक्र यहां किया गया है, उनके खिलाफ जनता के बीच से कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? दूसरे, क्या यह सही है कि इन फार्मेसिस्टों का स्थानान्तरण रुकवाने में भूतपूर्व विधायक और वर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री लालनशर्मा का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके मन में बात रही नहीं, दिलचस्पी थी। वे माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रश्न किया, उनकी भी शिफारिश थी कि इनका ट्रांसफर रोक दिया जाय।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब प्रथम बार इन फार्मेसिस्टों का तबादला हुआ था, तो उसके बाबत किस आदमी ने शिकायत की थी, इन पर क्या आरोप लगाये गये थे ? दूसरे, क्या उन आरोपों की जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

माननीय सांसद, श्री मुन्नी लाल और अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के पत्र प्राप्त हुए थे। जो आरोप थे, वह कुछ यह थे कि इनके काम में लापरवाही है, राजनीति की बात भी कहीं गयी थी, तीसरे कुछ इनके गांव के झगड़े के बाबत बात थी, जिसमें कुछ जमीन का चक्कर था, कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यह कुछ तीन मोटी-मोटी बातें थीं। जहां तक जांच का सवाल है, जांच, तत्कालीन सी० एम० ओ० जो थे, उनसे करवायी गयी थी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जनता के बीच से इन फार्मेसिस्टों के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुए थी ? दूसरे, क्या इनका स्थानांतरण

रुकवाने के सम्बन्ध में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री लालन शर्मा की तरफ से कोई पेशकश थी या नहीं ?

श्री हरि सिंह—

लालन शर्मा या किसी विधायक ने फिलहाल ट्रांसफर होने के बाद न रोकने की बात कहीं है न लिखकर दिया है। जनता से शिकायत मिली है वह मेरे पास मौजूद है।

टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया अधिनियमों में एक हरिजन तथा एक महिला को नामजद करने की व्यवस्था

***9—श्री रघुवीर सिंह यादव—**

क्या सरकार टाउन एरिया व नोटियाल एरिया आदि के चुनाव होने के बाद उनमें एक हरिजन एक अल्प संख्यक एक महिला व एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को नामजद करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया अधिनियमों में हरिजन वर्ग के अनुसूचित जाति की सीट के आरक्षण की व्यवस्था है। यदि चुने हुये प्रतिनिधियों में से कोई महिला अभ्यर्थी न हो तो एक महिला का नामजद करने की व्यवस्था अधिनियमों में हैं। एक अल्प संख्यक एवं एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को नामजद करने की अधिनियमों में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मुजफ्फर नगर में अवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना

***10—श्री हुकम सिंह—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर में वर्ष 1976 में आवास विकास योजना लागू करके भूमि का अधिग्रहण किया गया था परन्तु अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मुजफ्फरनगर में आवास एवं विकास परिषद द्वारा वर्ष 1976 में कोई आवास योजना लागू करके भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था बल्कि मुजफ्फरनगर में आवास एवं विकास परिषद द्वारा वर्ष 1975 में रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 मुजफ्फरनगर आवास योजना प्रस्तावित की गयी थी जिसका धारा 38 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय गजट में प्रथम प्रकाशन दिनांक 1-3-75 को हुआ था। भूमि पर अभी तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। कब्जा प्राप्त होते ही प्रस्तावित योजना की भूमि का विकास कर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्षजी, 1-3-75 के गजट में यह योजना प्रकाशित हुई। मैं मन्त्री जी

से जानना चाहता हूँ कि धारा 29 के अन्तर्गत कोई नोटिस इस योजना के बारे में जारी की गयी ? यदि नहीं की गयी तो, क्यों नहीं की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया प्रकाशन 1-3-75 को पहली बार हुआ । 21-2-78 को शासन ने निर्देश दिया कि ग्राम सुगरू मुजफ्फरनगर के निवासियों की भूमि अर्जन से तत्काल मुक्त कर दें तथा वैकल्पिक प्रस्ताव भेजें । उस समय मालवीय जी तत्कालीन मन्त्री थे उन्होंने रोक दिया । इसमें इस तरह से रुकावटें आती रहीं । अब कैम्पिग ग्राउन्ड के लिए देखभाल की गई है अभी आखिरी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए हैं ।

श्री हुकम सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई आश्वासन देंगे कि 6 महीने के अन्दर या एक साल के भीतर इस योजना को क्रियान्वित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष -

विचार करेंगे ।

श्री हुकम सिंह—

नहीं मान्यवर, मन्त्री लोग आश्वासन देते हैं ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने पूर्ण स्थिति बताई । इस स्थिति के उपरान्त परिषद अपना निर्णय लेगा और उसके बाद कार्यवाही होगी ।

श्री हुकम सिंह -

अभी जो धारा 7 की कार्यवाही की है इसके बारे में बता दें कि जमीन वही है या उसका लोकेशन बदल दिया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जो प्रकाशन हुआ वह उसी के बारे में किया है । 78 में रुकावट आयी तो यह विचार किया जा रहा है कि कैम्पिग ग्राउन्ड की तरफ से बनाई जाय । लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल -

मान्यवर, आवास विकास का तरीका है सेक्शन 4 में इन्टेंशन टू टेक की नोटिस होती है उसके बाद सेक्शन 7 में नोटीफिकेशन करते हैं और सेक्शन 17 में कब्जा लेते हैं । आप देखें, सेक्शन 7 के नोटिफिकेशन के बाद सेक्शन 17 की कार्यवाही में 6-7 वर्ष लग जाते हैं । इस बीच काश्तकार अपनी जमीन जोत भी नहीं पाता है और न उसको मुआवजा मिल पाता है । तो मैं मन्त्री जी से स्पष्ट नीति जानना चाहता हूँ कि कोई नीति घोषित करेंगे कि सेक्शन 7 के नोटीफिकेशन के बाद 17 की कार्यवाही कितने समय में पूरी कर देंगे ? और कितने समय में काश्तकार को मुआवजा देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, इसमें कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं हो सकता इसलिए कि पता नहीं आगे क्या समस्या खड़ी हो जाय। जिस तरह के हालात पैदा होते हैं, जैसे अभी कहा जा रहा था कि मानवता का भी आधार होता है और कानूनी भी होता है, तो इन सब चीजों को देखना पड़ता है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि वहाँ बीच में कोई आवासीय कालोनी है, हरिजन बसे हैं, तो उनको उजाड़ा कैसे जा सकता है। यह मुनासिब है इन सब चीजों को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर, जो अड़चने हैं, उनको दूर करना चाहिए।

श्री हुकम सिंह—

जैसा मंत्री जी ने बताया, धारा 7 के अन्तर्गत नोटीफिकेशन करते हैं समस्त सर्वेक्षण के बाद। तो उससे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हरिजनों की आबादी है या नहीं। होता क्या है, नोटीफिकेशन के बाद भी आप के अधिकारी तमाम कृषकों से सौदे करना शुरू कर देते हैं और भारी-भारी रकम लेकर परेशान करते हैं। तो जब नोटीफिकेशन हो जाता है तो 3-4 महीने के अन्दर कम से कम किसानों को मुआवजा भी दे दें और कब्जा ले लें ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सिद्धान्त: मैं इस बात से सहमत हूँ। 7 के बाद 17 का कब्जा शीघ्रताशीघ्र होना चाहिए और आपने जो आपत्ति उठाई है, वह ठीक है, उसमें शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री धर्म वीर सिंह—

जैसे मन्त्री जी ने कहा कि सिद्धान्त: सहमत हैं कि कब्जा होना चाहिए, तो देखा गया है कि जमीन तो किसान से ले ली गई उसके बाद 6-6, 7-7 साल तक जमीन पड़ती रहती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब सारी समस्यायें जो बतायीं, उनको दूर करने के बाद ही कब्जा लिया जाये और अगर बाद में दूर करना चाहें तो जो बीच का समय है, क्या उसका भी मुआवजा देने पर विचार करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

17 में जब कब्जा हो जायेगा तो शीघ्रताशीघ्र करना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो गलत बात है।

***11—श्री गोपीनाथ वर्मा—**

[दिनांक 3-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 24 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण सहायक संघ की मांगें तथा कृत कार्यवाही

***12—श्री मोहन सिंह—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० परिवार कल्याण स्वास्थ्य संघ ने 18 अक्तूबर, 1982 से अपनी 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आन्दोलन प्रारम्भ किया और 5 नवम्बर, 1982 से आमरण अनशन पर भी बैठे ? यदि हाँ, तो यह 6 सूत्रीय मांगें क्या हैं और उनके सन्दर्भ में शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हरि सिंह—

जी हां। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक संघ की छः मांगें इस प्रकार हैं:—

1—33 प्रतिशत स्थायीकरण के शासनादेश के बावजूद स्वास्थ्य सहायकों को अब तक स्थायी न किया जाना।

2—कनिष्ठ वेतनमान के स्वास्थ्य सहायकों को उसी वेतनमान के अन्य कर्मचारियों की भांति पर्यवेक्षक न घोषित किया जाना। इस सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बावजूद कार्यकर्ता का कार्य लेना।

3—नवसृजित सी० एच० ओ० के पदों को शत-प्रतिशत स्वास्थ्य सहायकों से भरा जाना।

4—वरिष्ठता सूची का अन्तिम प्रकाशन एवं उसके अनुसार 1969 के बाद प्रसार शिक्षक के पद पर की गयी अनियमित पदोन्नतियों को निरस्त करके नियमित किया जाना।

5—शासनादेशों के अनुसार स्नातक योग्यता के स्वास्थ्य सहायकों को, जो निम्न वेतनमान में हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि से उच्च वेतनमान (रु० 300-500) प्रदान करना एवं 25 प्रतिशत गैरस्नातक का कोटा पूर्ण करना। जिसमें स्नातक के 1754 एवं प्रोन्नति के 25 प्रतिशत के अनुसार 892 स्वास्थ्य सहायक उच्च वेतनमान के पात्र हैं।

6—सेवा नियमावली का प्रकाशन एवं संघ को मान्यता देना।

उक्त सभी मांगों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री मोहन सिंह—

यह सरकार स्वतः अपनी प्रणाली से किसी कर्मचारी वर्ग की मांगों को पूरा तो करती नहीं, अब लगता है शान्तिपूर्ण आन्दोलनों की भाषा भी इस सरकार की समक्ष में नहीं आती। आन्दोलन शुरू किया 18 तारीख से, ज्ञापन दे दिया गया उससे बहुत पहले। आमरण अनशन इसी आधार पर खत्म हुआ कि 6 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए सरकार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी। मार्च भी बीत गया। कुछ ऐसी मांगें हैं जिनमें एक पैसे का खर्च नहीं है। जैसे संगठन को मान्यता देने सम्बन्धी बात है। मान्यवर, इसमें कौन सी आपत्ति सरकार को हो सकती है जिसमें विचार करने में इतना समय लग रहा है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो परीक्षण हो रहा है कब तक पूरा हो जायेगा? अब तक परीक्षण के उपरान्त आपका विभाग छः मांगों में से कितनी मांगों पर अपनी सहमति और असहमति प्रकट कर चुका है?

श्री हरी सिंह—

परीक्षण को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जायेगा। आज इस वक्त यह कह पाना संभव नहीं है कि कितनी मांगों पर डिसीजन लिया गया। पूरे के पूरे प्रश्न का हक कायदे से परीक्षण करा रहे हैं। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि मांगों को सरकार मानने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार और पार्टी अपने कर्मचारियों का जितना कल्याण कर सकती है वह अपनी सीमा में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करती है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इन मांगों के परीक्षण के लिये आपने विभिन्न अधिकारियों की टीम बनाई होगी जो प्रतिनिधियों से बातचीत करते होंगे। संगठन को मान्यता है नहीं। अव्यवस्था पैदा होगी कि किससे बात करें किससे न करें। कृपया बताने का कष्ट करें कि कौन-कौन से अधिकारियों की टीम है ? क्या इनके संगठन को मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, अन्तिम सवाल का जवाब हम पहले दिये दे रहे हैं। संघ को मान्यता देने के सम्बन्ध में बड़ी तेजी से विचार हो रहा है। हमें कर्मचारियों के साथ हमदर्दी है। उत्तर प्रदेश सेवा संघ मान्यता नियमावली, 79 के अनुसार कार्य हो रहा है। मामला कार्मिक विभाग को चला गया है। जांच हो गयी है। दूसरा सवाल है कि कितने आदमियों की टीम है इस परीक्षण में। आप जानते हैं कि इसमें विभिन्न शाखाओं से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनसे बात कर रहे हैं। तीसरी चीज कि हाईकोर्ट में रिट है। उसका इन्तजार करना होगा कि हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है। इन सारी बातों को देखना होगा। हम इसे जल्दी से जल्दी हल करना चाहते हैं।

आगरा जनपद की नगरपालिका फतेहपुर सीकरी अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अनशनकारियों की मांगें

*13 — **श्री बदन सिंह—**

क्या नगर विकास मंत्री बतायें कृपया करेंगे कि आगरा जनपद की नगरपालिका फतेहपुर सीकरी पर उसके अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध स्थानीय जनता द्वारा दिनांक 10 जून, 1982 को अनशन व प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो अनशनकारियों की क्या-क्या मांगें थीं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

अनशनकारियों की मांगें संलग्नक में दर्शायी गई हैं।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर।)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, संलग्नक में जो मांगें अनशनकारियों की हैं उनमें से कौन-कौन सी मांगें पूरी कर दी गयी हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

10 मांगें मांग पत्र में हैं। पहली नगरपालिका में पाइप लाइन की खरीद में किये गये घोटाले की जाँच करायी जाय। दूसरी...

श्री अध्यक्ष—

विवरण नहीं पूँछ रहे हैं कौन-कौन सी स्वीकार कर ली हैं बता दें।

श्री राम सिंह खन्ना—

10 मांगें हैं। 10 में से क्या-क्या किसमें कार्यवाही की गयी। यह जवाब दे रहा हूँ। आप कहें, तो दसों को बता दूँ। किसी विशेष का पूँछ लें तो उसका जवाब दे दूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, संलग्नक में जो मांगें हैं उनमें कौन-कौन सी पूरी कर दी गयीं।

श्री मोहन सिंह—

दसों मान लीं क्या ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सभी को बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

कई बार सवाल किया गया। स्पष्ट सवाल किया गया। जो आपके द्वारा संलग्नक में मांगें दर्शायी गयीं हैं उनमें कौन-कौन- सी मांगें पूरी कर दी गयी हैं।

श्री राम सिंह खन्ना—

जी, वही तो बता रहा हूँ। एक-एक करके हर एक का बता रहा हूँ। आपने मांग की थी कि भ्रष्ट अधिकारी को मुअत्तल कर दिया जाय। मैंने उसे स्थानान्तरित कर दिया है।

श्री मोहन सिंह—

मुअत्तल की मांग की तो स्थानान्तरित कर दिया। टर्मिनेशन की मांग की जाये तो मुअत्तल करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नहीं उसे स्थानान्तरित ही किया गया है। मेरे मुँह से निकल गया। मांग यही थी कि स्थानान्तरण कर दिया जाय। स्थानान्तरण कर दिया गया। मान्यवर, मैंने यह देखा था कि जांच चल रही है और उसके बाद में क्या ऐक्शन लिया जायेगा। यह मैं सोच रहा था। वैसे मांग यही थी कि स्थानान्तरण कर दिया जाय, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। नगरपालिका में ट्रैक्टर के मशीनीकरण की बात कही गई है, जैसे पुराने ट्रैक्टर हैं उनकी मरम्मत की बात कही गई है। जो बातें इनमें मुनासिब थीं उनको देखने के बाद वे चीजें खराब नहीं पायी गई। पाइप लाइन की खरीद में घोटाले की माँग की गई थी उसकी जाँच चल रही है। नगर की पेयजल समस्या को सुचारू रूप से बनाये रखने की बात कही गई है वह की जा रही है। विद्युत स्तम्भों पर बल्ब, ट्यूब लाइटों को लगाने की मांग थी वह भी कर रहे हैं। शहर में नालों एवं जगह-जगह पर एकत्रित गंदगी की सफाई की बात है उसे हम कर्मचारियों के जरिये से उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस प्रकार आपकी जो मांगें थीं सभी पूरी कर दी गई हैं।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि 10 मांगें हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज 10 महीने हो गये हैं फतेहपुर सीकरी में ये 10 मागें पूरी नहीं की गई हैं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि स्थानान्तरण कर दिया गया। तो माननीय मंत्रीजी बतायें कि उसके स्थानान्तरण करने के बाद आपने निष्पक्ष जांच किस अधिकारी से कराई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, हमने निदेशक, स्थानीयनिकाय द्वारा जाँच कराई है और जाँच अभी जारी है और जाँच के पूरे हो जाने के बाद ही उस पर विचार किया जायेगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, यह जाँच नहीं कराई गई है और इस विषय में वहाँ की जनता के प्रतिनिधियों को सूचित नहीं किया गया। मान्यवर, दूसरा मुख्य सवाल यह है कि फतेहपुर सीकरी में मुख्य समस्या पेयजल की है और यह एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर पेयजल की समस्या के कारण पर्यटकों को भी एक रुपए गिलास पानी मिलता है। उस पेयजल की समस्या के निदान हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, जहाँ तक पेयजल की समस्या का संबंध है। उसके लिये योजना बनाकर उसे पूरा किया जायेगा। लेकिन जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको पूर्णरूप से इस्तेमाल करने के लिये हिदायत दे दी गई हैं और उनसे पूरा काम हो रहा है।

श्री राम आसरे लाल, सहायक अभियन्ता, विश्व ग्रामीण, बैंक परियोजना, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

***14—श्रीमती कमला साहनी—**

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखित शिकायती पत्र दि० 2-9-82 जो राम आसरे लाल, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण बैंक परियोजना, बस्ती द्वारा साधन सहकारी समिति जखोलिया के भवन निर्माण मे 12 प्रतिशत कमीशन प्राप्त कर गलत ढंग से भवन बनवाए जाने के सम्बन्ध में, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं।

प्रश्नकर्त्ता का एक अन्य शिकायती पर दिनाँक 22-8-82 प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच कराई गई। जाँच में कमीशन प्राप्त करने का आरोप सही नहीं पाया गया।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, जहाँ तक मेरी जानकारी है माननीय मंत्री जी को अधिकारियों द्वारा अँधेरे में रखा गया है। कोई जाँच कराई ही नहीं गई है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने

कहा था जाँच करने के दौरान माननीय विधायक को भी साथ में ले लिया जायेगा। लेकिन न ही विधायक को सूचित किया गया और न शिकायतकर्ता श्री हबीबुल से ही बयान लिये गये और न वहाँ के सचिव से ही पूछा गया और न ही सुपरवाइजर से पूछा गया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि यह जाँच किस तरह से हो गई और किस दिन यह जाँच की गई है ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, इसकी जाँच अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराई गई है।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि किस दिन यह जाँच कराई गई और किससे इसके बारे में पूछा गया ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रीमती साहनी जी बिना आज्ञा के आप नहीं बोल सकती हैं। अब आप अपना प्रश्न कहिये।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर मेरा प्रश्न यह था कि किस दिन यह जाँच की गई और जाँच करते समय किस-किस से पूछा गया और शिकायत कर्त्ता श्री हबीबुल से बयान लिया गया अथवा नहीं ? मान्यवर, न ही शिकायतकर्ता से पूछा गया और न विधायक को ही साथ में लिया गया। तो यह जाँच किस प्रकार हो गई ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, यह जाँच दिनाँक 4-2-1983 को अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराई गई है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न किया गया है एक सहायक अभियन्ता का। जाँच अधिशासी अभियन्ता द्वारा करा दी गई। लेकिन माननीय सदस्या ने दो-तीन लोगों के नाम और कहे हैं। उसकी जाँच के सम्बन्ध में आपका उत्तर नहीं आया है। माननीय विधायका जी, आप अपना प्रश्न दुबारा कहें।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मेरा कहना था कि जाँच के समय उस व्यक्ति से भी पूछा जाता है जो शिकायतकर्ता होता है और उससे भी पूछा जाता है, और जो वहाँ काम करते हैं। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ जाँच करते समय किसका बयान लिया गया और किससे पूछा गया और किस विधायक को साथ लिया गया, और किसने यह जाँच की ?

श्री बच्चा पाठक—

जांच अधिशासी अभियन्ता से करायी गयी, लेकिन जो मा० सदस्या चाहती हैं, मैं जानकारी कर लूंगा कि उनको बुलाया गया या नहीं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। यह मेरे जनपद का मामला है। मेरी यह निश्चित जानकारी है कि बस्ती जनपद के अन्दर यह हुआ है। आप बताने की कृपा करेंगे कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर किस तारीख को गया ? मौके पर गया या नहीं और किन-किन लोगों का बयान हुआ ?

श्री बच्चा पाठक—

मैंने पहले ही कहा कि 4-2-83 को जाँच की गयी, अन्य लोग आये या नहीं, इसकी जानकारी करा लूंगा।

श्री अकबाल हुसैन—

जब मा० विधायक ने शिकायत की और आपने आदेश भी दिया कि जाँच के समय विधायिका से भी जानकारी करें, मा० विधायिका ने कहा कि उनसे कोई जानकारी नहीं की गयी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मा० विधायिका से न पूछताछ करने की क्या वजह है और क्या इस मामले की पी०ए०सी० के आडिट सैल द्वारा जाँच करायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

यह जांच जो है जैसा मैंने कहा वहां के प्रशासन की शिकायत हुई, मा० विधायिका ने संस्तुति की, जांच की गयी। अधिशासी अभिन्यन्ता ने जांच की। जैसा मैंने कहा और जानकारी करके बता दूंगा।

जनपद चमोली में तदर्थ रूप से कार्यरत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के सचिवों को हटाए जाने की सूचना

***15—श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को महामन्त्री, साधन समिति सचिव परिषद्, उ०प्र० द्वारा जनपद चमोली में तदर्थ रूप से कार्यरत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के 17 सचिवों को हटाए जाने की सूचना दी गयी थी ? यदि हाँ, तो सरकार उनकी सेवाओं के बारे में क्या कर रही है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ।

तदर्थ आधार पर नियुक्ति 17 सचिवों में से एक जिसका चयन एवं अनुमोदन किया जा चुका था, को छोड़कर शेष की सेवायें समाप्त करके उनके स्थान पर नियमित रूप से चयनित एवं अनुमोदित सचिवों की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या मा० मन्त्री जी बतायेंगे कि जब यह सचिव थे, कितने वर्षों से सेवा में थे और उनको क्या साक्षात्कार में बुलाया गया और साक्षात्कार में कोई वरीयता दी गयी ? यदि नहीं दी गयी, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

यह सचिव काम कर रहे थे। साक्षात्कार में इनको बुलाया गया लेकिन जो साक्षात्कार के नियम हैं उसके अन्दर यह नहीं पाये गये।

डा० बृज किशोर मिश्र—

मैं जानना चाहता हूँ कि जो सचिव पुराने समय से कार्यरत थे और वह काम कर रहे थे और फिर नये तरीके से जो सचिव रखे गये थे तो यह जानना चाहता हूँ कि जो नये सचिव रखे गये हैं उनकी क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें क्वालिफिकेशन का प्रश्न कहां आ गया ?

डा० बृज किशोर मिश्र—

निश्चित जानकारी है पुराने सचिवों के अलावा नये लोग भी आए थें, और उनका चयन नहीं हुआ है, इसके लिए क्या कोई, क्राईटेरिया फिक्स किया गया है और उन की क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गयी थी ?

श्री बच्चा पाठक—

इसके लिए एक कमेटी बनायी गयी थी, उसी की संस्तुति के आधार पर नियुक्ति की गयी है, क्वालिफिकेशन्स में, सेवा योजन कार्यालय से नाम मंगाये गये थे, इण्टरमीडिएट परीक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण होना आवश्यक था तथा आयु 23 वर्ष से 30 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति, जन जाति एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आदि के लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गयी है।

प्रदेश में नगर महापालिकाओं नगरपालिकाओं एवं टाउन एरियाओं के चुनाव

***16—श्री सरदार सिंह—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं एवं टाउन एरियाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

1981 की जनगणना के आंकड़ों के अधार पर स्थानीय निकायों के कक्षों के परिसीमन तथा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कराने के उपरान्त इन निकायों के सामान्य निर्वाचन कराने के बारे में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायगा।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, नगरपालिका, महापालिका एवं टाउन एरियाज में चुनाव होने बाकी हैं, बहुत दिनों से उन पर प्रशासनिक बैठे हैं, जिससे वह नरक महापालिकाएं बनी हुई हैं, कृपया बतायें कि अब मतदाता सूचियों एवं क्षेत्र का परसीमन के कार्य को कब तक पूरा करायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसको जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किये जायेंगे। कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी क्योंकि 81 की जनगणना का परीसीमन करवाना बहुत अनिवार्य है और जिन जगहों पर नयी नगरपालिकाएँ, महापालिकएं तथा टाउन एरियाज हैं, उनके परिसीमन के कार्य में देर लग सकती है तो यह विचार चल रहा है कि ऐसी जगहों की छोड़कर बाकी स्थानों के चुनाव करा दिये जाएं ताकि उनमें देर न हो।

श्री अशोक बाजपेयी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक इन टाउन ऐरियाज, नगरपालिकाओं एवं नगरमहापालिकाओं के चुनाव नहीं होंगे तब तक इनके कार्य सुचारू रूप से चलें इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था वहाँ लागू करेंगे या नहीं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस प्रश्न पर कई बार पहले भी विचार किया जा चुका है, परन्तु अब चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराये जा रहे हैं, इसलिये इस व्यवस्था पर अब विचार करना ड्राप कर दिया है।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, नगरपालिकाएं, महापालिकाएं एवं टाउन एरियाज के प्रशासक जनता की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तो क्या स्थानीय विधायकों की एक कमेटी चाहे वह सत्ता पक्ष के ही लोग हों, बतायेंगे ताकि जनता की शिकायतें सुनी जा सकें।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, अब शासन में यह विचार हो रहा है कि चुनाव शीघ्र से शीघ्र करा दिये जाएं, जैसा कि मैंने अभी कहा, इसलिए बीच में किसी अन्य व्यवस्था को करना उचित न होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय मन्त्री जी ने एक स्पष्ट उत्तर दिया है कि चुनाव अब शीघ्र कराये जायेंगे तो उसके सम्बन्ध में समय नहीं पता कि मई जून में कराये जायेंगे, या कब कराये जायेंगे लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते हैं क्या तब तक जो आफिसर विराजमान है, उनके स्थान पर क्या वहाँ पर सामाजिक कार्यकताओं की नियुक्ति कर कार्य के संचालन की अनुमति प्रदान करेंगे?।

श्री राम सिंह खन्ना—

साधारणतया हम इस बात को मानते हैं और हमारा अनुभव भी है जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन कार्य अच्छा चला है, लेकिन जब हम चुनाव शीघ्र ही कराने जा रहे हैं तो फिर किसी प्रक्रिया को अपनाना अवरोध उत्पन्न कराना होगा चुनाव कार्य में वैसे हम इस ओर विचार करेंगे, वैसे फिलहाल कोई प्रक्रिया अपनाना सम्भव नहीं है।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, यह सरकार इन स्थानों के चुनाव कराने में अक्षम है, इसलिए माननीय

मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नगरपालिकाओं और टाउन एरिया के अधिकारी असेसमेंट कर रहे हैं और जनता पर भारी कर लगा रहे हैं, इस सन्दर्भ में इस सरकार की क्या नीति है ? साथ में यह भी बताने की कृपा करें कि क्या आप निर्देश देंगे कि सभी नगरपालिकाओं और टाउन एरिया के प्रशासकों को कि जब तक नव-निर्वाचित बोर्ड नहीं आता है तब तक वह नये कर नहीं लगायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, बहुत सी शंकायें की गयी हैं, हर शंका का समाधान काँग्रेस ने किया है । यह जनता के हर कष्ट को जानते हैं और हर तरह से सही उतरे हैं । यहाँ कितने सुझाव आये, मैंने बार बार कहा कि चुनाव कराने की बात कर ली है और जल्द से जल्द इसे कराया जायेगा । इसी सदन में मैंने पिछले साल सितम्बर में कहा है कि नये कर नहीं लगाये जायेंगे । यदि कोई अधिकारी यह कार्य कर रहा है तो आप हमें सूचित करें, यदि हमें लगेगा यह बात हो रही है तो हम उसे देख लेंगे ।

*17—**श्री राजकुमार राय—**

—[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*18 **श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

—[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजाजीपुरम आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ में आवंटित दुर्बल आय वर्ग के भवनों को सीवर लाईन आदि का खर्चा अलग लिये जाने के सम्बन्ध में पत्र

*19—**श्री राधेश्याम पटेल —**

क्या सरकार बतायेगी कि माह फरवरी, 1982 में राजाजी पुरम आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ में आवंटित दुर्बल आय वर्ग के भवनों के लिए सीवर लाईन आदि का खर्चा अलग से न लिए जाने के सम्बन्ध में श्री शिव बालक, श्री अशफाक अहमद आदि विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरों से युक्त कोई पत्र माह अक्तूबर, 1982 में मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका उरई, जिला जालौन का कक्ष परिसीमन

*20 —**श्री दलगंजन सिंह—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका उरई का कक्ष परसीमन कब हुआ था ? क्या वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर पुनः कक्ष परसीमन सामान्य निर्वाचन के पूर्व करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका उरई जिला जालौन का कक्ष परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1975 में किया गया था। इसके बाद उक्त नगरपालिका की सीमा में विस्तार हुआ जिससे वर्ष 1981 में पुनरीक्षित कक्ष परिसीमन किया गया। वर्ष 1981 की जनगणना के आंकड़े अंतिम रूप से प्रकाशित हो गये हैं। उक्त आंकड़ों के आधार पर अन्य स्थानीय निकायों के कक्षों के परिसीमन के साथ नगरपालिका उरई का भी कक्ष परिसीमन कराने पर विचार किया जायगा।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ शहर की इन्दिरा नगर विस्तार योजनान्तर्गत इस्माइलगंज के पश्चिम में तथाकथित अधिग्रहीत की गयी शमशान भूमि

****1—श्री सत्यपाल सिंह—**

क्या आवास मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर की सीमा पर फैजाबाद रोड पर बसे हुए कस्बे इस्माइलगंज के पश्चिम में स्थित श्मशान भूमि को इंदिरा नगर विस्तार योजना में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत करके उसका कब्जा ले लिया गया है और उक्त श्मशान में पत्थर मिट्टी आदि निर्माण सामग्री का गिराना प्रारम्भ हो गया है ? क्या यह सही है कि इससे कई हजार की आबादी वाले इस कस्बे के लोगों में भीषण असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त इस निर्माण सामग्री को वहाँ से हटाकर श्मशान भूमि को खाली करने तथा उक्त भूमि को परिषद द्वारा छोड़े जाने के आदेश मन्त्री महोदय देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ शहर की इन्दिरा नगर विस्तार योजना में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा इस्माइलगंज के पश्चिम में स्थित तथाकथित श्मशान भूमि को अधिग्रहीत नहीं किया गया है और न ही कब्जा लिया गया है एवं पत्थर मिट्टी आदि निर्माण सामग्री भी नहीं गिरायी गयी है। उक्त कस्बे के लोगों में असन्तोष एवं आक्रोश की कोई सूचना आवास एवं विकास परिषद को नहीं है। चूँकि निर्माण सामग्री उक्त स्थल पर गिरायी ही नहीं गई है इसलिये इसे हटाने का प्रश्न नहीं उठता है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम इस्माइलगंज के पश्चिम में कोई श्मशान भूमि अंकित नहीं है इसलिये खाली करने तथा इसे परिषद द्वारा छोड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(आवास एवं नगर विकास मन्त्री द्वारा उत्तर की पत्रावली ढूंढने में विलम्ब होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया एक बात का ध्यान रखें कि एक मन्त्री तमाम प्रश्नों को लेकर उसकी कापियों को लेकर बैठता है। यदि किसी मन्त्री को पत्रावली नहीं मिल रही है तो यह होना चाहिये कि दूसरे मन्त्री जी उनकी सहायता करें। पहले भी ऐसा हुआ करता था।

(नगर विकास मन्त्री द्वारा उत्तर पढ़ने के उपरान्त—)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि राजस्व अभिलेखों में तो सब जगह शमशान के स्थान का उल्लेख नहीं है। इस बात को देखते हुए कि उस कस्बे में 7-8 हजार की आबादी है और लोग अपने मुर्दों को वहाँ पर जलाते हैं, तो क्या आप उस भूमि को छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जहां तक ऐसे अभिलेखों का ताल्लुक है, वह इसमें कहीं नहीं अंकित है कि वह भूमि शमशान भूमि है। यदि आपकी स्वयं की जानकारी है कि वह भूमि शमशान है और लोग अपने मुर्दे वहां जलाते हैं तो मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं स्वयं वहाँ जाकर देखूंगा, यदि यह बात सही है कि वह श्मशान भूमि है तो मैं फिर कार्यवाही करूंगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपना उत्तर दो खण्डों में दिया है। आखिर में उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम इस्माइलगंज के पश्चिम में कोई श्मशान भूमि अंकित नहीं है इसलिए खाली करने का प्रश्न नहीं उठता है और प्रश्न के प्रथम खंड में कहा कि वहाँ आवास परिषद द्वारा श्मशान की भूमि को अधिग्रहीत नहीं किया गया है और कोई सामग्री नहीं गिरायी गई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जबाव में विरोधाभास प्रतीत होता है, इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे, जिस स्थान पर पश्चिम में तालाब है और उसके उत्तर में जहां पर गाँव के निवासी मुर्दे जलाते हैं, उस स्थल को आप श्मशान भूमि के रूप में छोड़ने की घोषणा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

कोई विरोधाभास नहीं है। आपने प्रश्न किया गांव के पश्चिम में कोई श्मशान घाट है कि नहीं, मैंने बताया कि वहाँ पर कोई श्मशान भूमि नहीं है। मैं इसका खुद निरीक्षण करूँगा। शासन को ख्याल है और इसके आधार पर निर्णय लिये जाते हैं और इसी में देर लगती है, क्योंकि समाधान करना हमारा कर्त्तव्य है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस स्थान पर जो गिट्टी और पत्थर पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से हटाने के आदेश देने की कृपा करेंगे। यह हमारी अभी सुबह की जानकारी है कि वहाँ पर गिट्टी और पत्थर पड़ा हुआ है, जहाँ पर मुर्दे जलाये जाते हैं। आपने आश्वासन दिया है कि अगर मुर्दे वहाँ पर जलाये जाते हैं तो उसको छोड़ देंगे, तो जो गिट्टी है वह उठा ली जायेगी जब तक कि आप मौका न देख लें।

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने कहा कि इसे तो श्मशान हम मानते ही नहीं। सम्मानित सदस्य ने कहा कि श्मशान है तो मैंने कहा कि इसका मैं निरीक्षण कर लूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो डेवलपमेंट अथारिटी होती हैं वह न तो किसी श्मशान को देखती हैं और न मंदिर या मस्जिद को देखती हैं, उनके सामने तो पैसा बनाने का मसला रहता है। इस चीज को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी सारी अथारिटीज को इस प्रकार का आदेश

देंगे कि जहाँ पर किसी प्रकार का श्मशान घाट या कब्रिस्तान है चाहे वह कागजात में दर्ज हो या न हो, उस पर कब्जा नहीं किया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जहां पर भी ऐसी कोई समस्या होगी उसका समाधान किया जायेगा, वरना सरकार है किसलिये ।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जहाँ पर समस्या होगी उसका समाधान किया जायेगा, मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि प्रश्नगत गाँव इस्माइलगंज जहाँ की आबादी 9-10 हजार है और हरिजनों की आबादी है, वहाँ शव फूंकने के लिये कोई स्थान नहीं है, तो कागजात में भले ही न दर्ज हो, इसको कस्टमरी ला के आधार पर इस स्थान को इन्दिरा नगर से अलग करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । जब मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं वहां स्वयं जाऊँगा और मौके पर देखूँगा तब फिर कौन सी बात रह जाती है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाद में माननीय मंत्री जी और सरकार के लोग कह देते हैं कि वहां पर फलां निर्माण हो गया है । वहां पर इतना सामान पहुँच चुका है । मंत्री जी ने कहा है कि वे वहां जायेंगे । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक वे वहां तशरीफ ले जायेंगे ताकि जल्दी से जल्दी कोई निर्णय हो सके ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बताया कि वहाँ पर 9-10 हजार की आबादी है और विशेष रूप से वहाँ पर हरिजनों की आबादी है और आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार यों तो सभी के लिये करती है लेकिन जहाँ तक हरिजनों का सवाल है उनके लिए विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है । जब यह बात है तब इसका महत्व और भी बढ़ गया है । इसको हम शीघ्रातिशीघ्र करेंगे और देखेंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार और बातों पर विचार करने के लिये उन्होंने कहा है उसी तरह से कृषि योग्य भूमि जो नगर विकास द्वारा ली जा रही है उसके सम्बन्ध में शासन की क्या नीति हैं ? क्या कृषि योग्य भूमि भी नहीं ली जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब मंत्री जी शमशान घाट जांय तो अपने साथ और विधायकों को भी ले जाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ मन्त्री जी द्वारा नगर के सुन्दरीकरण की योजना बनायी जा रही है तो क्या वे शमशान घाट के सुन्दरीकरण की योजना भी स्वीकार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस्माइल गंज में जो शमशान है उसके बारे में क्या उनको यह जानकारी है कि वहां पर मुर्दे फूँकने से इन्कार कर दिया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मेरी जो जानकारी थी वह मैंने आपको मूल प्रश्न के उत्तर में बता दी । ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है । सम्मानित सदस्यों का आग्रह था, वह भी मैंने बता दिया ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी इस स्थान का निरीक्षण करने के बाद वहाँ पर शमशान भूमि के लिये कोई सीमा निर्धारित करेंगे कि इतनी भूमि उसके लिये दी जायेगी और क्या मन्त्री जी आवास विकास की सीमा से उसे अलग करने पर विचार करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जब यह निर्णय हो जायेगा कि यह शमशान भूमि थी तब ये औपचारिकतायें पूरी कर ली जायेंगी ।

गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास नियमों के संचालकमण्डलों का गठन

****2—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा
श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—**

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के संचालक मण्डलों का गठन हाल

ही में कर दिया गया है ? यदि हां, तो इनमें उक्त मण्डलों के विपक्ष के विधायकों एवं अनुसूचित जाति के लोगों को नामांकित न किये जाने के क्या कारण है ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हाँ । गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों के संचालक मण्डलों का गठन किया जा चुका है ।

संचालक मण्डल में किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व हेतु नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि इन मण्डलों मे उनके संचालक मण्डलों में विपक्ष के विधायकों और अनुसूचित जाति के लोगों को नामांकित किया गया है ? इसका जवाब उन्होंने दिया कि संचालक मण्डल में किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि के लिये नियमों में प्राविधान नहीं है लेकिन यहाँ तो वर्ग के आधार पर ही मन्त्री होते हैं, वर्ग के आधार पर ही चुनाव भी लड़ाया जाता है और आपने जो दोनों संचालक मण्डलों का गठन किया है वह भी वर्ग के आधार पर ही किया है । उसमें सभी कांग्रेस के विधायक रहे है और विपक्ष का एक भी विधायक नहीं रखा है । कुमायूँ मण्डल में जसवन्त सिंह जी एक मात्र विपक्ष के विधायक हैं । आपने सभी कांग्रेसी लोगों को उसमें रखा है जब कि उस क्षेत्र से 4 विधायक विपक्ष से आते हैं और उनमें से किसी को भी नहीं रखा है । हरिजनों के लिये भी सभी जगह आरक्षण है, पर इसमें नहीं रखा है । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके गठन का आधार क्या है, किस आधार पर लोगों को रखा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

निगमों के निदेशकों का नामांकन माननीय राज्यपाल करते हैं और शासन की ओर से नाम दिये जाते हैं । जिनको इस निगम में रखना ठीक समझा शासन ने, उनको रखा है ।

श्री मोहन सिंह—

संचालक मण्डल मैं कुल कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

संचालक मण्डल में आर्टिकिल आफ एसोसिएशन 74 के मुताबिक कम से कम 3 और अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं । उनके नाम श्री कुंवर सिंह नेगी से मालूम कर लें, उनके पास लिस्ट है उनकी ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जिन व्यक्तियों को नामांकित किया गया है उनकी योग्यता क्या है । क्या सभी व्यक्ति शासक दल के ही हैं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिन व्यक्तियों को रखा गया है उनको माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से जानते हैं,

वे योग्य हैं। (व्यवधान) वे सभी गढ़वाल विकास मण्डल में कार्य करने योग्य हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि उनके नाम क्या हैं और क्या वे एक ही दल से सम्बन्धित लोग हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर आर्टिकिल आफ एसोसिएशन को देखें, उसमें किसी योग्यता का प्रश्न नहीं है···· (शोर-व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा —

योग्यता का मापदंड क्या है, और क्या जिस योग्यता के व्यक्ति उसमें रखे गये हैं उस योग्यता के व्यक्ति विपक्ष में नहीं है ? और किन-किन लोगों को उसमें रखा गया है उनके नाम कृपया बता दें, उसमें क्या आपत्ति है ? और विपक्ष के लोगों में से किसी को न रखने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जहाँ तक योग्यता का प्रश्न है, वे सभी लोग गढ़वाल विकास मंडल तथा कुमायूँ विकास मण्डल में कार्य करने के योग्य हैं ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार सदन का समय क्यों नष्ट किया जा रहा है। हम लोगों को वह केवल नाम बता दें कि उसमें से कौन कौन लोग लिये गये हैं। इसका आप उनको निर्देश दें।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अगर आप इजाजत दें तो मैं नाम पढ़ देता हूँ। कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पहले सुन लें—श्री हंसा दत्त शर्मा, श्री लक्ष्मी दत्त जोशी, श्री प्रेम सिंह नयाल, श्री सोवन सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री ललित मोहन, श्री हीरा बल्लभ बेलवाल, श्री जयशंकर द्विवेदी, श्री दान सिंह खड़यांत, श्री बंशीधर पाटनी, निदेशक उद्यान एवं फलोद्यान, निदेशक पर्यटन, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

हम लोग केवल नामित नाम चाहते हैं। उन्हीं को बतायें।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

जी नहीं, पूरे नाम बताये जांय गढ़वाल मंडल के भी। यह सरकार गढ़वाल मंडल विकास निगम को अपनी पार्टी के लिये स्तेमाल कर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें। नियमों के अन्तर्गत चर्चा के लिये लिखकर दें (व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

(सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे) इन मंडलों को कांग्रेस एम० एल० एज० का दफ्तर बना रखा है इस तरह से विकास नहीं हो सकता (व्यवधान) (श्री जसवंत सिंह विष्ट, श्री नरेन्द सिंह भंडारी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में चर्चा मांग सकते हैं आप लिख कर दें। (व्यवधान) प्रश्नों का समय समाप्त हो गया (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, हम वहाँ के विकास में सहयोग करना चाहते हैं। हम नहीं जायेंगे। इस तरह नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 49 में चर्चा के लिये लिखकर दीजिये मैं स्वीकार कर लूँगा। आप अपने स्थानों पर वापस जायं माननीय जसवंत सिंह विष्ट जी, माननीय विद्यासागर नौटियाल जी आप कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठें। (व्यवधान)

(श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री जसवंत सिंह विष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी के सदन के फ्लोर से अपनी सीट पर जाने पर)

जब प्रश्नों का समय निर्धारित है और वह समाप्त हो गया तो मेरा कर्त्तव्य है कि मैं आगे बढ़ूं। यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उसको अधिकार है कि नियम 49 में चर्चा मांग सकता है। आप लिखकर दीजिये मैं आज्ञा दूँगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन, आज साढ़े तीन बजे आपने एक मीटिंग बुला रखी है इस सम्बन्ध में जो समस्या उत्पन्न होती है। अगर माननीय मंत्री जी से जो नामिनेटेड नाम पूछे थे उनको बता दिये होते तो यह नहीं होता। वे आफिसियल्स के नाम बताने लगे शुरू में माननीय मोहन सिंह जी ने नाम पूछे वह न बता कर दूसरे लोगों के नाम बताने लगे इससे लोगों को चिंता हो गयी। इसलिये आप निर्देशित करें कि जो प्रश्न किया गया है उसका पूरा उत्तर दिया करें। यदि नाम बता देते तो यह समस्या उत्पन्न न होती।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न किया जाय उसका ही उत्तर दिया जाना चाहिये था, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन वह सब पढ़ने लगे थे।

श्री ऊदल—

पांच बार मान्यवर, आपने आदेश दिया था लेकिन फिर भी उत्तर उन्होंने ठीक नहीं दिया था।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल की खुली लूट की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूँ ।

अतारांकित प्रश्न

नगरपालिका, मथुरा कोसीकलां व वृन्दावन में अनुसूचित जाति के कोटे को पूरा करने का प्रयास

1—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि नगरपालिका, मथुरा कोसीकलां व वृन्दावन में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या (सफाई मजदूर को छोड़कर) उनके निर्धारित कोटे से बहुत कम है ? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है और शासन कब तक इस कोटे को पूरा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

भविष्य में होने वाली रिक्तियों में नियमानुसार कोटे को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा शहर के कतिपय मोहल्लों में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य

2—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर के सुभाषनगर, बद्री नगर, झींगुरपुर, नया नगला, मनोहरपुरा, चाहकठौती, अन्तापाड़ा, जनरलगंज, बनखंडी मोहल्लों को शासन ने मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत ले लिया है ? यदि हां, तो इन पिछड़े इलाकों में शासन द्वारा क्या-क्या योजनाएं सुधार के लिए बनाई गयी हैं तथा किन किन योजनाओं पर शासन द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

शासन की नीति के अनुसार मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना प्रदेश के उन नगरों में लागू की जा रही है जिनकी जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार दो लाख से अधिक है । इसके अतिरिक्त वे नगर भी शामिल किये गये जिनकी जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम है और भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित छोटे एवं मध्यम नगरों की संगठित विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं, चूँकि मथुरा शहर इस निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए यह योजना वहा लागू नहीं की जा सकी ।

नोटः—अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मथुरा शहर की डैम्पियर नगर कालोनी में पानी निकास की योजना

3 — श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर में डैम्पियर नगर कालोनी में पानी निकास के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मथुरा शहर की डैम्पियर नगर कालोनी में पानी निकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। धनाभाव के कारण योजना चलाना अभी सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

मथुरा जिले में ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं पर कार्य

4 — श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कौन-कौन से ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं पर शासन द्वारा कार्य किया जा रहा है और कितनी पेयजल योजनाएं शासन की स्वीकृति के लिए जिले में भेजी गयी हैं ? इनमें 15 जनवरी, 1983 तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उत्तर प्रदेश जल निगम के गठन के पश्चात् ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं पर कार्य शासन द्वारा नहीं वरन् उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाता है। मथुरा जिले की ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाओं के विवरण, 15 जनवरी, 1983 तक प्रगति सहित, संलग्न परिशिष्ट 1 तथा 2 में दर्शाये गये हैं।

पेयजल योजनाओं की स्वीकृति भी शासन द्वारा नहीं दी जाती है वरन् उत्तर प्रदेश जल निगम इसके लिए सक्षम है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनई जिला मथुरा पर डाक्टर व अन्य स्टाफ की उपस्थिति

5 — श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र सोनई, जिला मथुरा पर पिछले कई महीनों से डाक्टर एवं अन्य स्टाफ ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहा है ? इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा के कई पत्र शासन को प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हाँ, तो ड्यूटी पर उपस्थित न होने वाले मेडिकल आफिसर्स व स्टाफ के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनई जिला मथुरा पर द्वितीय चिकित्साधिकारी व अन्य स्टाफ ड्यूटी पर उपस्थित रहता है। एक चिकित्साधिकारी अवकाश प्रार्थना पत्र देकर अनुपस्थित है। शासन में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय चिकित्सालय सोंख खेड़ा, जिला मथुरा में कार्यरत चिकित्साधिकारी

6—**श्री सरदार सिंह**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय चिकित्सालय सोंख खेड़ा जिला मथुरा में डाक्टर गत कई महीने से उपस्थित नहीं है ? इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुराके पत्र भी शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उपस्थित न होने रहने वाले मेडिकल डाक्टर के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

राजकीय चिकित्सालय सोंख खेड़ा, जिला मथुरा में चिकित्साधिकारी 24-4-1980 से कार्य कर रहे हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी. मथुरा ने इस सम्बन्ध में शासन को कोई पत्र नहीं लिखा है।

ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

7—**श्री सरदार सिंह**—

क्या सरकार इस प्रकार की ग्राम सभाओं को जिनकी आबादी 5 हजार या उससे अधिक है टाउन एरिया घोषित करने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी भी ग्राम सभा को केवल आबादी के आधार पर ही टाउन एरिया नहीं बनाया जाता है।

लखनऊ नगर महापालिका के राजेन्द्र नगर वार्ड स्थित पुरानी श्रमिक बस्ती, भदेवा, बिलोचपुरा में सीवर लाइन का कार्य

8—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका के राजेन्द्र नगर वर्ड में स्थित ऐशबाग आई० टी० कालोनी, से प्रारम्भ होने वाली पुरानी श्रमिक बस्ती, भदेवा, बिलोचपुरा होकर जाने वाली सीवर लाईन सन् 1979 से प्रारम्भ की गयी थी और इसे 1980 में अधूरा छोड़ दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? इस सीवर लाईन पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ ? अब कब तक इस सीवर लाईन को पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ, नगर महापालिका, लखनऊ के राजेन्द्र नगर वार्ड स्थित ऐशबाग आई० टी० कालोनी से प्रारम्भ होने वाली पुरानी श्रमिक बस्ती, भदेवा, बिलोचपुरा होकर जाने वाली सीवर लाइन का कार्य वर्ष 1979 में प्रारम्भ किया गया था जिसे धनाभाव के कारण वर्ष

1980 में छोड़ देना पड़ा। कराये गये कार्यों पर रु० 1,30, 985 का व्यय हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना काल में सीवर योजनाओं के लिये अत्यन्त सीमित धन उपलब्ध होने के कारण उक्त कार्य स्थगित है।

श्री ध्रुव प्रसाद मां, चिकित्सा अधिकारी अस्पताल उस्का बाजार, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायतों की जांच

9—**श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री ध्रुव प्रसाद वर्मा, चिकित्सा अधिकारी, अस्पताल उस्का बाजार, जिला बस्ती के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता ने वर्ष 1981 में शिकायती पत्र दिया था और सितम्बर, 1981 में स्वास्थ्य मन्त्री जी ने उक्त डाक्टर के तबादले का आदेश भी कर दिया था ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का पालन हुआ और शिकायतों के संबंध में अभी तक उक्त डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ, यह पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु सितम्बर, 1981 में प्रश्नगत चिकित्साधिकारी के तबादले का आदेश रिकार्डस में उपलब्ध नहीं है। उसका पत्र द्वारा प्राप्त शिकायतों की जाँच कराई गई और आरोप सिद्ध नहीं हुये। अतएव इस संबंध में डाक्टर के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर में श्रीमती कोतिया हरिजन महिला को पार्ट टाइम दाई के रूप में वेतन भुगतान

10—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर में उप मुख्य चिकित्साधिकारी (तृतीय) ने अपने पत्रांक स्था०/ दाई० /82-318-19 दि० 12-10-82 द्वारा श्रीमती कोतिया हरिजन महिला को पार्ट टाइम दाई रूप में 50 रुपये प्रतिमाह पर नियुक्त करने का आदेश प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र ब्रह्मपुर गोरखपुर को भेजा और उसे दूसरे दिन प्रा०स्वास्थ्य केन्द्र, मुख्यालय पर ज्वाइन करा दिया गया ? यदि हाँ, तो उसका वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या इसे तत्काल वेतन दिला दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, और श्रीमती कोतिया को श्रीमती शैल सिंह परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता के साथ सम्बद्ध किया था। श्रीमती शैल सिंह, परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता के माध्यम से श्रीमती कोतिया दाई का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अब श्रीमती कोतिया दाई का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तथा एरियर बिल बनाकर कोषागार गोरखपुर को प्रस्तुत कर दिया गया है। शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायगा।

11—**श्री गोपी नाथ वर्मा—**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बाराबंकी नगरपालिका में लाईनमैन के पद के सृजन पर विचार

12—**श्री श्यामलाल वाजपेयी**—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि अतिरिक्त जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका बाराबंकी ने 15 जून, 1981 को पत्रांक मेमो 151-उप सचिव, उ.प्र. शासन नगरपालिका, अनुभाग-3 को बाराबंकी नगरपालिका विद्युत विभाग के हेतु एक लाईनमैन के पद के सृजन की अनुशंसा की थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्र पर शासन ने क्या निर्णय लिया ? क्या शासन शीघ्रातिशीघ्र बाराबंकी नगरपालिका में एक लाईनमैन का पद शीघ्र घोषित करेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

मामला विचाराधीन है । शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

जिला अस्पताल फैजाबाद में रिजर्व स्टोर से दवाओं की चोरी

13—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल (सदर), फैजाबाद में रिजर्व स्टोर से दि० 20-2-82 की रात्रि में करीब 21,000 रु० की दवाओं की चोरी की रिपोर्ट कोतवाली, फैजाबाद में दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्टकर्त्ता का नाम क्य है तथा उक्त मामले की जांच पुलिस द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान स्टोर चौकीदार तथा सम्बन्धित कर्मचारियों ने एक शपथ-पत्र दिया है कि स्टोर में दवाओं की चोरी नहीं हुई है ? जिसके आधार पर जांचकर्त्ता ने उक्त मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है ? यदि हां, तो चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

यु० पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलमेंट ऐक्ट में सक्षम अधिकारी द्वारा भवन चित्र स्वीकृत होने पर दुबारा निरस्ति का नियम

14—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेबलपमेंट ऐक्ट, 1973 में ऐसा कोई प्राविधान है जिसमें विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन चित्र एक बार स्वीकृत होने पर क्या उसे दुबारा निरस्त किया जा सकता है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगरमहापालिका के अन्तर्गत कार्यरत जल संस्थान, पेपर मिल कालोनी स्थित किराये के भवनों में जल कर की वसूली

15—श्री मोहन सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका के अंतर्गत कार्यरत जल संस्थान, पेपर मिल कालोनी स्थित नगर महापालिका के किराये के भवनों के अलग से वाटर मीटर लगाकर किरायेदारों से वाटर टैक्स-वाटर चार्ज वसूलने की नोटिस दे रहा है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? क्या इस वाटर चार्ज को किराएदारों से वसूलने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना —

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा56(क) 59 तथा 61 में जल संस्थान को यह अधिकार प्राप्त है कि जिस भवन में जल संयोजन हो उसके अध्यासी से जल कर वसूल किया जा सकता है, वहां पानी का मीटर लगाया जा सकता है और जल मूल्य वसूल किया जा सकता है। उसी के अनुसार पेपर मिल कालोनी स्थित विकास प्राधिकरण के भवनों में नोटिस देकर पानी के मीटर लगाये जाने तथा जल कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं। क्योंकि जल मूल्य वसूले जाने की व्यवस्था उक्त अधिनियम में है।

गोवर्द्धन परिक्रमा मार्ग का सुधार

16—श्री कन्हैया लाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गोवर्द्धन परिक्रमा मार्ग के सुधार के नाम पर क्या कोई स्पेशल टैक्स (यात्रीकर) लगाया हुआ है ? यदि हां, तो 31-12-82 को इस मद में गोवर्द्धन में प्रवेश करने वाले यात्रियों से कुल कितना धन संग्रह हो चुका है एवं उसमें से कितना धन किस-किस मद में अब तक खर्च किया जा चुका है ? इस समय उस मद में कितना रुपया राजकीय कोष में जमा है एवं उसके उपयोग की क्या रूपरेखा है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ, सरकार द्वारा नहीं बल्कि नगर क्षेत्र समिति गोवर्धन द्वारा यात्री प्रवेश कर लगाया गया है। दिनांक 31-12-82 तक कुल रुपया 2055730-87 पैसे एकत्रित हुए, व्यय की मदवार सूची संलग्न है। कुल रु० 641699-05 पैसे दि० 31 दिसम्बर, 1982 को शेष थे, जिससे परिक्रमा मार्ग का विद्युतीकरण, सड़कों का निर्माण तथा कस्बों के सौन्दर्यीकरण तथा मानसी गंगा की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर।)

जिला अस्पताल में रोगी अनुराग की मृत्यु की जांच

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, सुल्तानपुर के महामंत्री तथा अध्यक्ष द्वारा उन्हें 13-1-83 के आस-पास कोई इस आशय का पत्र मिला कि जिला

अस्पताल में एक रोगी 16 वर्षीय अनुराग की मृत्यु डाक्टरों की लापरवाही से हुई ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ ।

पत्र में की गई शिकायत की जांच श्री आर०पी०सिंह चौहान, परगना मजिस्ट्रेट, सदर सुल्तानपुर द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

साधन सहकारी समिति, छपरा, सुल्तानपुर द्वारा खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण न होने की दर्ज रिपोर्ट

18 —**श्री पंचानन राय**--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि साधन सह० समिति, छपरा, सुल्तानपुर द्वारा विकास खण्ड अजमतगढ़, आजमगढ़ द्वारा सितम्बर, 1982 से खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त समिति के प्रशासक द्वारा 10-1-83 को जोवनपुर थाने में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोहन लाल पर्ती, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) विद्युत कानपुर का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण, सम्पूर्ण शहर का दिया गया विद्युत व रविश रिमूवल का कार्य, टेक्नीकल योग्यता

19 —**श्री मोतीलाल देहलवी—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नगर महापालिका कानपुर के सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) विद्युत श्री मोहन लाल पर्ती अपनी नियुक्ति के बाद से कानपुर में ही नियुक्त हैं और इस अवधि में केवल 5–6 माह के लिए अन्यत्र स्थानान्तरित होने के पश्चात पुनः नगर महापालिका कानपुर में आ गये हैं ? यदि हां, तो अब तक वह कब-कब कानपुर से बाहर स्थानान्तरित हुए और कब-कब कानपुर नगर महापालिका में पुनः आ गये ?

श्री राम सिंह खन्ना---

श्री मोहन लाल पर्ती, सहायक अभियंता (यांत्रिक) (विद्युत) जुलाई, 1973 के पूर्व कानपुर नगर महापालिका में प्रकाश अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे । उक्त पद अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत था । जुलाई 1973 से श्री पर्ती केन्द्रीयित सेवा के अधीन सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर नियुक्त किये गये । दिनांक 5/8/78 को पर्ती का स्थानान्तरण नगर महापालिका आगरा के लिये हुआ । दिनांक 5/7/79 को उन्हें नगर महापालिका आगरा से कानपुर नगर महापालिका के लिए स्थानान्तरित किया गया । दिनांक 30/6/82 को कानपुर नगर महापालिका से नगर महापालिका, लखनऊ के लिये स्थानान्तरित किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 30-10-82 को नगर महापालिका, लखनऊ से नगर महापालिका कानपुर के लिये स्थानान्तरण किया गया ।

20—**श्री मोती लाल देहलवी**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नगर महापालिका कानपुर के सहायक अधियंता (यांत्रिक विद्युत) श्री मोहन लाल पर्ती के अन्तर्गत कानपुर के स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व केवल आधे शहर का विद्युत कार्य था किन्तु जब वह कानपुर नगर महापालिका में पुनः स्थानान्तरित होकर आए तो उन्हें सम्पूर्ण शहर का विद्युत कार्य व रविश तथा रिमूवल का कार्य भी दे दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या श्री पर्ती ने इस अवधि में कार्य क्षमता की कोई विशेष योग्यता अर्जित कर ली थी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां ।

श्री मोहन लाल पर्ती, नगर महापालिका, कानपुर से दिनांक 30-6-82 को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व आधे शहर का विद्युत कार्य संपादित करते थे ।

पुनः कानपुर नगर महापालिका में स्थानान्तरित होकर आने के पश्चात् उनके पिछले अनुभवों को देखते हुए कार्यहित में श्री मोहन लाल पर्ती को एक अधिशासी अभियन्ता की देख-रेख में पूरे शहर का विद्युत व रविश रिमूवल का कार्य संपादित करने के लिए दिया गया क्योंकि नगर महापालिका, कानपुर में इनके पूर्व के सहायक अभियंताओं के स्थानन्तरण के फलस्वरूप अन्य कोई सहायक अभियन्ता (विद्युत) इस कार्य के लिये उपलब्ध नहीं था ।

21—**श्री मोती लाल देहलवी**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका कानपुर के सहायक अभियन्ता (यांत्रिक विद्युत) श्री मोहन लाल पर्ती की टेक्निकल योग्यता क्या है और क्या उनकी टेक्निकल योग्यता शासन व प्रशासक नगरपालिका कानपुर द्वारा प्रमाणित है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

श्री मोहन लाल पर्ती, सहायक अभियन्ता की टेक्निकल योग्यता निम्नवत है :—

1 सर्टीफिकेट आप कम्पिटेंसी फार इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, 1963

2 सिटी एण्ड गिल्डस आफ लन्दन इन्स्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रेक्टिस का प्रमाण पत्र, 1975

श्री मोहन लाल पर्ती की टेक्निकल योग्यता सम्बन्धी मामला विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई की साधन सहकारी समितियों में नियमों के विपरीत दो सचिव की नियुक्ति के विरुद्ध कृत कार्यवाही

22—**श्रीमती कमला देवी तथा**
श्री हरीशंकर तिवारी —

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में साधन सहकारी समितियों में प्रतीक्षा सूची के कोटिक्रम को भंग करके 15 समितियों में दो दो सचिव नियमों के विपरीत मई, जून व जुलाई, 82 में नियुक्त करके वेतन के रूप में शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा के शीतलपुर विकास खण्ड में गल्ला, चीनी, मिट्टी के तेल का वितरण

23—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जनपद के शीतलपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत सरकारी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 1981 और 1982 में गल्ला, चीनी मिट्टी का तेल आदि का वितरण बिल्कुल नहीं हुआ है और न इस गाँव में नवम्बर 1982 तक ग्रामीणों को राशन कार्ड ही उपलब्ध कराये गये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो उक्त वस्तुओं का उक्त वर्षों में महावार वितरण का विवरण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

एटा जनपद के शीतलपुर विकास खण्ड में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वर्ष 1981 तथा 1982 में चीनी तथा मिट्टी के तेल का वितरण किया गया था । खुले बाजार में गेहूँ के मूल्य नियंत्रित मूल्य से कम होने के कारण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर इसकी माँग नहीं थी ।

शीतलपुर गाँव में सितम्बर, 1982 में नये राशनकार्ड खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे । समस्त ग्राम सभाओं में दिसम्बर, 1982 तक 20,000 तथा इसके पश्चात् फरवरी 1983 तक 7000 अर्थात कुल 27,000 राशनकार्ड जारी किये गये । वर्ष 1981 तथा 1982 में चीनी, मिट्टी तेल की माहवार वितरित की गयी मात्रा का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ पर ।)

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बिल्हौर, जनपद कानपुर से सरकारी आवास एवं बिजली, पानी के शुल्कों की वसूली एवं कार्यवाही

24—**श्री मोतीलाल देहलवी—**

द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता०प्र०सं० 75 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी से सम्पूर्ण देय शुल्क वसूल कर ली गई है ? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि वसूली गई है ? यदि नहीं, तो वसूली न करने वाले जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं । सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण नगरपालिका खैराबाद, जिला सीतापुर, को हो चुका है । जिलाधिकारी, सीतापुर को उक्त अधिकारी से देयों की वसूली करने हेतु लिख दिया गया है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर की रिपोर्ट प्रतीक्षित है । देयों की वसूली अभी तक न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद देवरिया में आयुर्वेद, होम्योपैथ, तथा एलोपैथी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना

25—**श्री नन्दकिशोर सिंह**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत वर्ष 83-84 में कहां-कहां आयुर्वेद, होम्योपैथ तथा ऐलोपैथी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या उक्त वर्ष में ग्राम सहवा में कोई केन्द्र खोलने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

नये चिकित्सालय खोलने की योजना जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आती है। देवरिया जनपद में वर्ष 1983-84 में कहाँ कहाँ आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे यह निर्णय जिला योजना समिति देवरिया द्वारा ही लिया जायेगा। शासन के अधीन सहवा में कोई केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत डाक्टरों, फार्मेसिस्टों के स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति

26—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत डाक्टरों, फार्मेसिस्टों के कितने पद स्वीकृति है और इनमें से कितने पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति होने की सम्भावना है ? क्या यह भी सच है कि डाक्टरों के अभाव में ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद फर्रूखाबाद के चिकित्सा विभाग में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरण

27—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रूखाबाद जनपद के चिकित्सा विभाग में वर्तमान मुख्य चिकित्साधिकारी ने अक्टूबर, 1982 से जनवरी, 1983 तक अनेक कर्मचारियों के स्थानान्तरण शासन के बीच सत्र में स्थानान्तरण न करने के आदेश के विरुद्ध किये ? यदि हां, तो निहित कारणों से किये गये इन स्थानान्तरणों को निरस्त किये गये हैं और शासनादेश के विरुद्ध इन स्थानान्तरणों को करने के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रूखाबाद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रूखाबाद ने कथित अवधि में अपने अधीन कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण जनहित या निजी अनुरोध पर किये। इस तरह के 8 स्थानान्तरण निजी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुये निरस्त या स्थगित किये गये। प्रशासनिक सुविधा

को देखते हुये जनपद के अन्दर कर्मचारियों को समायोजित करना एकदम वर्जित नहीं किया जा सकता। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

28—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा
श्री शेर बहादुर सिंह—

[दिनांक 11-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 80 द्वारा उत्तरित]

साधन सहकारी समिति, पिथनापुर के सचिव का स्थानान्तरण, नये सचिव को दिया गया चार्ज

29—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रूखाबाद की जनपद की साधन सहकारी समिति, पिथनापुर, विकास खण्ड, राजेपुर सचिव के(श्री रामस्वरूप) ने स्थानान्तरण आदेश जो 1982 में कई माह पूर्व हुए थे, के बाद भी 20 जनवरी, 1983 तक कार्य भार नये सचिव को नहीं दिया है जिसके फलस्वरूप इस समिति के सदस्यों को रबी की बुआई के लिए 1982-83 में कोई कर्ज प्राप्त नहीं हो पाया है जिससे भयंकर कठिनाई किसानों के सम्मुख उत्पन्न हो गयी है ? यदि हाँ, तो विभाग ने चार्ज तत्काल दिलवाने के क्या प्रयास किये तथा तथा अनुशासनहीनता के आरोप में सचिव श्री रामस्वरूप के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

साधन सहकारी समिति, पिथनापुर के सचिव श्री रामस्वरूप का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10-8-82 को हुआ था, और उन्होंने अपना कार्यभार नये सचिव को दिनाँक 20 जनवरी, 1983 से पूर्व दिया था। समिति ने वर्ष 1982-83 में रबी बुवाई हेतु ऋण वितरण किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

30—श्री मोहन सिंह—

[8 वें गुरुवार के लिये स्थगित]

देवरिया जिलान्तर्गत गौरी बाजार टाउन एरिया के निर्माण हेतु दी गयी कथित धनराशि

31—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गौरी बाजार टाउन एरिया को वर्ष 83-84 में कार्यालय भवन, सामूहिक शौचालय तथा सड़कों को बनाने हेतु 10 लाख रुपये देने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं।

कार्यालय भवन, सामूहिक शौचालय के निर्माणार्थ वर्ष 1983-84 के बजट में प्राविधान नहीं है। सड़क बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य चिकित्सधिकारी, बस्ती द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण कोटा

32— **कु० अलमेलू अम्माल—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1982 में बस्ती जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री के० एम० चन्द्रा द्वारा वार्ड व्यर्थ आदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में हरिजनों के लिए आरक्षित कोटे के स्थान पर सामान्य लोगों की भर्ती कर ली गयी है ? यदि हाँ, तो क्या शासन ऐसी अवैध भर्ती को निरस्त करेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती डा० के०एम० चन्द्रा द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कुल 30 पदों पर भर्ती की गयी जिनमें से 11 अनुसूचित जाति के थे। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोमदत्त शर्मा, सेवा निवृत्ति, टी० बी० स्पेशलिस्ट, मेरठ का अवशेष अवकाश का भुगतान

33— **श्री नरेन्द्र—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 में श्री सोमदत्त शर्मा सेवा निवृत्ति टी० बी० स्पेशलिस्ट मेरठ व पी० एच० सी० लमगढ़ा अल्मोड़ा का अवशेष अवकाश राशिकरण धनराशि भुगतानार्थ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो धनराशि कितनी है तथा कब तक भुगतान किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेहन्दर जनपद हरदोई द्वारा संडीला नगर में खोली गयी कथित क्लीनिक

34— **श्री रामलाल वर्मा—**

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहन्दर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने संडीला नगर में कोई अपना निजी क्लीनिक खोल रखा है ? यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा शासकीय नियमानुकूल प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के क्षेत्र में कम से कम दो रात्रि विश्राम का यात्रा बिल आहरित किया गया है ? यदि हाँ, तो प्रश्नगत यात्राएं कब-कब किन-किन गाँवों की इस प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की गई और वहाँ पर कितने मरीजों का परीक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा अब तक इस प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं, प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहन्दर जनपद हरदोई ने संडीला नगर में अपना निजी क्लीनिक नहीं खोल रखा है और न ही दस रात्रि विश्राम का यात्रा बिल आहरित किया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

बांदा विकास प्राधिकरण का गठन

35—**प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा विकास प्राधिकरण का गठन किस तिथि को किया गया ? सचिव, विकास प्राधिकरण बांदा की अब तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ? 28 फरवरी, 83 तक क्या नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

बांदा विकास प्राधिकरण का गठन दिनाँक 24-11-1981 को हुआ था । प्रादेशिक सिविल सेवा संवर्ग में अधिकारियों की कमी के कारण बाँदा विकास प्राधिकरण में पूर्ण कालिक सचिव की नियुक्ति 28-2-1983 तक सम्भव नहीं हो सकी ।

शासन अधिकारियों के वार्षिक प्रबन्ध के समय बाँदा में सचिव नियुक्त करने के लिए प्रयत्नशील है ।

36—**श्री पंचानन राय**—

[8वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

37— **श्री मोती लाल देहलवी**—

—[दिनाँक 24-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

नर्सिंग संवर्ग के अधिकांश पदों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के अधिकार जनपद एवं मंडल के अधिकारियों को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय

37—**राम आसरे वर्मा**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नर्सिंग सम्वर्ग के नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के अधिकार जनपद एवं मंडल के अधिकारियों के पास हस्तान्तरित किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विगत हाल में स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है और उस समय उपचारिका संवर्ग से संबंधित कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी अधिकार हस्तांतरित नहीं किये गये थे ? यदि हाँ, तो अब हस्तांतरित करने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । नर्सिंग संवर्ग के अधिकांश पदों के नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के अधिकार जनपद एवं मंडल के अधिकारियों को हस्तांतरित किये जाने का वर्ष 1982 में निर्णय लिया जा चुका है । वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप चिकित्सा विभाग के अत्यधिक विस्तार को देखते हुए क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यक्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने की दृष्टि से जनहित में अन्य संवर्गों के साथ साथ उपचारिका संवर्ग से सम्बन्धित अधिकाँश पदों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य को भी हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक समझ गया है ।

नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अँग्रेजी विषय को वरीयता दिये जाने का मामला

39—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से इन्टरमीडिएट किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? जबकि प्रदेश में डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्र हाई स्कूल है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? यह भी सही है कि नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अँग्रेजी विषय को वरीयता प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो शासन की नीति के परिपेक्ष्य में यह कहां तक नीति संगत होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट करने और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए अँग्रेजी विषय को वरीयता देने का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में तृतीत वर्ग के कर्मचारियों की संख्या तथा नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन दैनिक वेतन पर की गई नियुक्तियां

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या क्या है तथा उसमें आरक्षण नीति के अन्तर्गत नियुक्ति कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या 412 है तथा आरक्षण नीति के अन्तर्गत 68 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1975 जनवरी 1 से दिसम्बर, 82 तक स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा तृतीय वर्ग (लिपिक) के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और उसमें पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियां को नियुक्ति किया गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन इन नियुक्तियों में किया गया ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

प्रश्न व्यापक है । इसे एकत्र करने में जितना समय और धन व्यय होगा वह उससे होने वाले लाभ के अनुरूप न होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त उवधि के दौरान ही स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में तृतीय वर्ग लिपिकों की दैनिक वेतन पर की गयी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति

एवं पिछड़ी जातियों के सिलसिले में आरक्षण सम्बन्धी शासन की नीति का अनुपालन किया गया है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष नियुक्तियों में उक्त जातियों का प्रतिशत क्या है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आरक्षण कोटि में नहीं आते हैं।

ग्राम सिमराबोरीपुर में साधन सहकारी समिति के भवन निर्माण की स्वीकृति

43—श्री बलवीर सिंह तथा
श्री नन्दराम

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में ग्राम सिमराबोरीपुर में साधन सहकारिता समिति के भवन निर्माण की स्वीकृति कब हुई तथा भवन कब बनना आरम्भ हुआ ? क्या यह भी सत्य है कि भवन के लिए धन स्वीकृत के 20 वर्ष बाद भी यह भवन निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा ब्लाक में सुरेश लाल सुभाष लाल के लाइसेन्सों की निरस्ति

44—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा ब्लाक में सुरेश लाल सुभाष लाल के थोक खाद्यान्न लाइसेन्स नं० 476 बी, कमीशन खाद्यान्न लाइसेंस नं० 266 एफ० भवानी छापर का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो निरस्त करने का कारण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हाँ,

प्रश्नगत लाइसेंसों को निरस्त करने के निम्नलिखित कारण हैं—

1. दिनांक 30.9.82 को गये चेकिंग दल के फर्म पर पहुँचने पर उसके मालिकान एवं कर्मचारी दुकान बन्द कर फरार हो गये और इस प्रकार उन्होंने चेकिंग सम्पन्न करने में बाधा उत्पन्न की।
2. दुकान पर रेट/स्टाक बोर्ड प्रदर्शित नहीं था।
3. फर्म के पास खाद्यान्न के संग्रह हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था नहीं थी।

आर०एफ०सी० विभाग, गोरखपुर द्वारा पकड़ा गया खाद्यान्न

45—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आर०एफ०सी० विभाग गोरखपुर द्वारा 1-7-82 से 31-1-83 के बीच कितना गल्ला कब किस स्थान से तस्करी में जाते समय बरबाद किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रश्नगत अवधि में पकड़े गये खाद्यान्न का विवरण निम्नवत् है :—

मात्रा (कुन्तल में)	तिथि	स्थान
104.00-000	11-8-82	उस्का बाज
50.00-000	21-8-82	नौगढ़
18.90-000	14-10-82	नौतनवा
21.00-000	11-1-83	निचनौल
16.50-000	15-1-83	बढ़नी

देवरिया जनपद से चीन को हो रही तस्करी तथा गेहूँ की तस्करी के संबंध में शिकायती पत्र

46—**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद से चीन को हो रही तस्करी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24-12-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 24-12-82 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में की गई शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। खाद्यान्न के बिहार के अवैध संचरण की चेकिंग क्षेत्रीय सचल दस्ते और संयुक्त चेकिंग दल द्वारा कराने का प्रबन्ध किया गया है।

47—**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले से गेहूं की तस्करी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4-11-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच कराई गई। जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गई। वैसे बिहार को खाद्यान्नों के अवैध संचरण को रोकने के लिए क्षेत्रीय स्तर से मंडलीय सचल दस्ता, उप सम्भागीय विपणन अधिकारियों, केन्द्र प्रभारियों एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से कड़ी चेकिंग कराई जाती है और अनियमितता पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाती है।

देवरिया जिलान्तर्गत विकास खंड देवरिया, रामपुर कारखाना देसही देवरिया, गौरी बाजार तथा बैतालपुर की साधन सहकारी समितियों द्वारा लाभांश की धनराशि का वितरण

48—**श्री नन्द किशोर सिंह**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत विकास खंड देवरिया, रामपुर कारखाना देसही देवरिया, गौरी बाजार तथा बैतालपुर की साधन सहकारी समितियों द्वारा 77-78 से वर्ष 80-81 तक समिति के सदस्यों को मुनाफा का वितरण कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

इसका मुख्य कारण यह है कि वितरण योग्य लाभाँश की धनराशि अतिदेय ब्याज की राशि से कम रही है ।

साधन सहकारी समितियों का चुनाव कराने की योजना

49—**श्री नन्दकिशोर सिंह**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों का चुनाव मार्च, 83 तक कराने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

साधन सहकारी समितियों में चुनाव कराने के कार्यक्रम विधाराधीन है तथापि समयाभाव के कारण मार्च 1983 तक चुनाव कराया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा ।

मिर्जापुर जनपद के ग्राम मुड़कुड़ा में चिकित्सालय की स्थापना की परियोजना

50—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि मिरजापुर जनपद के नारायनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भुड़कुड़ा ग्राम में शासन द्वारा अस्पताल बनाये जाने की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल कब तक बन जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

चिकित्सालय की स्थापना की परियोजना जिला योजना की परियोजना है । अतः चिकित्सालय की स्थापना हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदुपरान्त ही चिकित्सालय की स्थापना पर संसाधन उपलब्ध होने पर विचार करना सम्भव होगा ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में लिपिक के पदों की संख्या

51—**श्री राम स्वरूप निम** –

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि 31 दिसम्बर, 1982 को निदेशालय में लिपिकों के पदों की क्या संख्या थी ? क्या आरक्षण कोटा नियमानुसार पूर्ण किया गया ? यदि नहीं, तो ऐसी नियुक्तियों को निरस्त करके पुनः विज्ञापन देकर नियुक्ति कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में लिपिक के पदों की कुल संख्या 338 थी। अगर आरक्षण कोटा में कहीं कमी होगी तो भावी रिक्तियों में नियमानुसार 25 प्रतिशत पद सुरक्षित करते हुये आरक्षण कोटा पूर्ण करा दिया जायेगा। पूर्व में की गयी नियुक्तियों को निरस्त करके उस पर पुनर्नियुक्ति किये जाने का औचित्य नहीं है।

52—**श्री राम स्वरूप निम**—

—[पुनर्विचार पर निरस्त]

संभल नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत ग्राम धुधावली के खसरा नं० 2 में निर्मित सीमेन्ट की सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माण

52—**श्री देवेन्द्र पाण्डेय**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि संभल नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत ग्राम धुधावली के खसरा नं० 2 में निर्मित सीमेन्ट की सड़क के दोनों ओर हाफिज फरीदुद्दीन खां द्वारा अनेक दुकानों का भी निर्माण कर लिया गया है ? जिसकी वजह से रास्ता अत्यधिक तंग हो गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त व्यक्ति ने उक्त खसरा नं० 2 में निर्मित नगरपालिका को सदर चुंगी की इमारत पर भी अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हाँ, तो उक्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका सम्भल से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर नगरपालिका का स्वामित्व नहीं है।

जिस भूमि पर सदर चुंगी की इमारत थी, वह भी श्री हाफिज फरीदुद्दीन खां द्वारा खरीद ली गई। तत्पश्चात् नगरपालिका की सहमति से श्री खां ने नगरपालिका की एक अन्य भूमि पर चुंगी बनवा दी और इसके एवज में नगरपालिका ने पुरानी चुंगी की इमारत छोड़ दी। अतः पुरानी चुंगी इमारत पर श्री खां का अवैध कब्जा नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

54 **श्री राम चरण सिंह**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी, जिला देवरिया के अस्पताल का निर्माण

55—**श्री हरिबंश सहाय—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी जिला देवरिया का अस्पताल कब से बनना शुरू हुआ क्या इसके लिये भूमि उपलब्ध हो गई है ? यदि हाँ, तो कहाँ ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती गोमती देवी दाई प्रा. वि. स्वास्थ्य केन्द्र समाइन, जनपद इटावा द्वारा मकान भत्ता की मांग

56—**श्री भीखा लाल—**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गोमती देवी, दाई प्रा० वि० स्वा० केन्द्र समाइन जनपद इटावा को पिछले आठ वर्ष से मकान का किराया न दिये जाने के सम्बन्ध में उनके पुत्र राम राज के प्रार्थनापत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 5-8-82 उनको मिला था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या किराये का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ । चूँकि शासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मकान-भत्ता दिये जाने का प्राविधान नहीं है अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी अधिकारी नगरपालिका शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

57—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रभारी अधिकारी नगरपालिका शाहजहाँपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों से सम्बन्धित शिकायतीपत्र श्री सिकन्दर अली खां, विधायक द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षरों से दिनाँक 25-11-82 को तथा 7-12-82 को मुख्य मन्त्री को दिये गये । यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ, कथित शिकायतों की जांच निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा करायी जा रही है ।

वर्तमान अधीक्षक, कर निर्धारण लखनऊ नगर महापालिका, लखनऊ की प्रोन्नति के सम्बन्ध में विधायकों के हस्ताक्षरों से युक्त शिकायतीपत्र की जांच

58—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन 1972 से कार्यरत वर्तमान अधीक्षक कर निर्धारण लखनऊ नगर महापालिका, लखनऊ को प्रोन्नति होकर सात अन्य कर अधीक्षकों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 1973-74 मे हुई थी दे दी गई है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? क्या उक्त विषय पर मार्च, 1982 में 32 माननीय विधायकों के हस्ताक्षरों से युक्त एक शिकायतीपत्र शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर दिनांक 1-2-1983 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना —

जी हां। कथित अधिकारी अपने मूल पद कर अधीक्षक, नगरपालिका, श्रेणी-1 पर स्थायी होने के कारण तदर्थ रूप से प्रोन्नत किए गए हैं।

जी हां। उक्त विषय पर मार्च, 1982 में नहीं, अपितु मार्च, 1981 में कतिपय मा० विधायकों के हस्ताक्षर से एक पत्र प्राप्त हुआ था। मामले में अन्तर्ग्रस्त कतिपय विधिक बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में इस मामले का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद फैजाबाद में जिला अस्पताल (सदर) फैजाबाद में सुरेन्द्र प्रसाद दुबे, फार्मेसिस्ट का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण एवं रिजर्व स्टोर में हुई चोरी की घटना की दर्ज रिपोर्ट

59—**श्री गोपी नाथ वर्मा**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिला अस्पताल (सदर) फैजाबाद में सुरेन्द्र प्रसाद दुबे, फार्मेसिस्ट के पद पर 10 वर्षों से कार्यरत है ? यदि हाँ, तो उक्त कर्मचारियों को एक ही पद (काउन्टर) पर रखे जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री सुरेन्द्र प्रसाद दुबे, सदर अस्पताल फैजाबाद में 7-3-74 से फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत थे जिन्हें मई, 1962 से मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के केन्द्रीय औषधि भन्डार से सम्बद्ध कर दिया गया है। सदर अस्पताल में जब तक वे रहे उन्हें एक ही काउन्टर पर नहीं रखा गया वरने समय समय पर उनका काउण्टर बदल दिया जाता था।

60 - **श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी द्वारा 21 हजार रुपये की दवाओं की फर्जी रिपोर्ट दिनांक 21-2-82 को कोतवाली फैजाबाद में दर्ज करायी गयी है ? तथा जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गयी जिसमें कुछ पुलिस जांच द्वारा उक्त चोरी का मामला फर्जी पाया गया ? यदि हाँ, तो फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री सुरेन्द्र प्रसाद दुवे द्वारा रिजर्व स्टोर में हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट दिनांक 21-2-82 को पुलिस में दर्ज कराई गयी थी। लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की गई। अन्तिम विवेचना में चोरी का मामला फर्जी होने का कोई उल्लेख नहीं है। पुलिस द्वारा सबूत के अभाव में अभियोग न्यायालय में भेजने योग्य नहीं पाया गया।

नगरपालिका टांडा नगर क्षेत्र में टांडा वाया इलिफातगंज रोड पर स्थित पार्क पर डा० भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित किये जाने की कथित कार्यवाही

61—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थित नगर-पालिका टांडा नगर क्षेत्र में टांडा वाया इलिफातगंज रोड पर तथा डाकघर में सामने चौराहे पर स्थित पार्क डा० भीम राव अम्बेदकर के नाम से नामकरण किये जाने एवं डा० भीम राव अम्बेदकर की मूर्ति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है जिसके सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त पार्क डा० भीम राव अम्बेदकर के नाम से नामकरण कर मूर्ति की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं।

नगरपालिका, टांडा द्वारा अवश्य इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था, किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त प्रकरण अब समाप्त कर दिया गया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के नियमों का पालन करने वाले कर्मचारियों को आवास की सुविधा देने पर विचार

62—श्री भीखालाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अन्त-र्गत वे सरकारी दम्पत्ति जिनके परिवार नियोजन कार्यक्रमों के नियमों का पालन करते हुए केवल एक ही बच्चा है तथा जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है ? ऐसे सरकारी कर्मचारी को परिवारों को सरकारी आवास की सुविधा वरीयता के आधार पर दे रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

यह मामला विचाराधीन है।

फील्ड नं० 53, ग्राम लखनपुर, विकास नगर कानपुर पर श्री शिवलाल सिंह द्वारा अनधिकृत निर्माण के रोक पर आवश्यक कार्यवाही, उक्त भूखण्ड का बेटरमेन्ट चार्ज किये जाने तथा भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

63—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फील्ड नं० 53, प्लाट नं० 33 ग्राम लखनपुर विकास नगर, कानपुर पर श्री शिवलाल सिंह आदि द्वारा अनाधिकृत निर्माण व स्लम्स बनाये

जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र दिसम्बर, 82 जनवरी, 83 में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस भूमि पर से अनाधिकृत निर्माण स्लम्स हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

फील्ड नं० 53 गृह सं० 33 ग्राम लखनपुर, विकास नगर कानपुर पर श्री शिवलाल सिंह आदि द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में श्री एस० के० सिंह, एडवोकेट, कानपुर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 15-12-82 को प्राप्त हुआ था। इस शिकायती प्रार्थना पत्र में यह कहा गया था कि श्री शिवलाल आदि ने फील्ड सं० 53 के 1642 वर्ग गज क्षेत्रफल में लगभग 19 खपरैल के कमरे और वे एक 4 कमरे का दो मंजिला मकान अनधिकृत रूप से बना लिया है और इस पर कई वर्षों से किरायेदार रखकर पैसा वसूल कर रहे हैं तथा इस अनधिकृत निर्माण को रोक कर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। मौके की जाँच कराई गई। दस वर्ष से पुराने 20-25 कमरे और हाल के बने हुए प्रतीत होते दो कमरे मिले। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27 जिसके अन्तर्गत अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, 11-9-1974 से प्रभावी है और उनका पूर्व कालिक प्रभाव नहीं है अतएव 2 कमरों के बारे में श्री शिवलाल सिंह को धारा 27 की नोटिस दे दी गई। आगे कार्यवाही हो रही है।

64—**श्री जमुना प्रसाद—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू स्वामी श्री अनिल गर्ग के प्लाट नं० 33 फील्ड नं० 53 ग्राम लखनपुर विकास नगर कानपुर के बैटरमेंट जमा किये जाने तथा भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र सचिव, नगर एवं आवास विभाग, उ० प्र० शासन को श्री धुपराय, सदस्य विधान सभा का माह दिसम्बर, 82 जनवरी, 83 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ।

भूखण्ड का स्वामित्व विवादित होने के कारण न्यायालय में वाद चल रहा है जिसका निर्णय होने पर विकास प्राधिकरण कानपुर द्वारा स्वयं ही बैटरमेंट चार्ज़ लेने तथा मानचित्र पास करने की कार्यवाही की जायेगी।

65—**श्री जमुना प्रसाद—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू स्वामी श्री अनिल गर्ग प्लाट नं० 33 फील्ड नं० 53 ग्राम लखनपुर विकास नगर कानपुर का प्रार्थनापत्र बाबत बैटरमेंट शुल्क जमा कराये जाने हेतु माह मार्च अप्रैल 81 में सचिव, प्राधिकरण को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्लाट का बैटरमेंट शुल्क जमा कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त प्लाट प्रीं बैटरमेंट शुल्क निर्धारित करेगी। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

श्री अनिल गर्ग द्वारा प्रश्नगत प्लाट का बैनामा श्री वलबन्त सिंह ने कराया बताया जाता है जबकि भूमि के कथित मालिक सर्व श्री शिवलाल सिंह, सुरेन्द्र सिंह, बलवन्त सिंह व हरनाम सिंह का संयुक्त खाता है जिसका कोई बँटवारा नहीं हुआ बताया जाता। श्री शिव लाल सिंह की शिकायत पर द्वितीय सिविल जज, कानपुर के न्यायालय में मुकदमा शिवलाल सिंह आदि बनाम अनिल गर्ग चल रहा है। न्यायालय का निर्णय हो जाने के पश्चात ही बैटरमेंट की धनराशि लेने की कार्यवाही सम्भव होगी।

के० जी० का मेडिकल कालेज लखनऊ के रीडर्स व लेक्चरर्स की प्रोन्नति पर निर्णय

66—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रोफसरों को प्रोन्नत करके डीन या हैड बना दिया गया है परन्तु रीडर्स व लेक्चरर्स की कोई प्रोन्नति नहीं की गई ? यदि हाँ, तो क्यों ? उनको कब तक प्रोन्नत किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

के० जी० मेडिकल, कालेज, लखनऊ के विभिन्न विभागों के 17 रीडरों को प्रोन्नति देकर तदर्थ रूप से प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया है। रीडर के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है।

स्वा० विभाग में हैल्थ विजिटर्स के दक्षता रोक वेतन वृद्धि के मामले पर कार्यवाही

67—**श्री बनवारी राम**—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कितने हैल्थ विजिटर्स के दक्षता रोक वेतन वृद्धि के मामले पिछले 2 वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं ? क्या इस सम्बन्ध में अभिलम्ब कार्यवाही किये जाने के आदेश देगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है। अनिर्णित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

स्वा० विभाग के हैल्थ विजिटर्स, लखनऊ के नये वेतनमान निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही

68—**श्री बनवारी राम**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में कार्यरत हैल्थ विजिटर्स के नये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण अब तक न किये जाने के के लिए कौन अधिकारी दोषी है वेतन निर्धारण कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वेतन निर्धारण संबंधी शासनादेश के आलेख्य का अभी भी परीक्षण पूर्ण न हो पाने के कारण शासानदेश जारी नहीं हुये हैं, इसके फलस्वरूप लखनऊ में नये वेतनमानों के निर्धारण की कार्यवाही अभी तक सम्भव नहीं हो सकी है। वेतन निर्धारण शासनादेश के जारी होने के पश्चात ही सम्भव होगा। प्रश्नगत शासनादेश शीघ्रातिशीघ्र जारी करने के लिए शासन प्रयत्नशील है।

प्रदेश की नगरपालिकाओं में वरिष्ठ नगर स्वा० अधिकारी के पद का सृजन तथा कर्त्तव्यों का उल्लेख

69—**श्री सरदार सिंह—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह अक्तूबर 81 में प्रदेश की नगरपालिकाओं में शासन ने वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद सृजन किये थे ? यदि हाँ, तो नगरपालिका अधिनियम में उनके क्या क्या कर्त्तव्य हैं ? यदि अभी तक नगरपालिका अधिनियम में उनके कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है तो शासन कब तक उनके कर्त्तव्यों का उल्लेख कर देगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अक्तूबर, 1981 में नहीं अपितु अक्तूबर, 1980 में शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद सृजित किये गये थे। सम्प्रति वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी (स्पेशल ग्रेड) के पद पर "कवाल" शहरों में अधिकारियों की तैनाती की गई है।

नगरपालिका अधिनियम में वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कर्त्तव्यों के उल्लेख किये जाने के विषय में, यथा आवश्यकता, शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

70—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

—[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नगरपालिका शाहजहांपुर में अनियमित नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

71—**श्री यदुनाथ सिंह—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका शाहजहाँपुर में 24 दिसम्बर, 79 से पहली फरवरी, 83 तक कितनी नियुक्तियां ऐसे पदों पर की गयीं जो शासन द्वारा सृजित नहीं थे ? क्या इस प्रकार की अनियमित नियुक्तियां मासिक वेतन पर अथवा दैनिक वेतन पर की गयी है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना—

23 नियुक्तियां की गईं।

उक्त नियुक्तियां दैनिक वेतन पर की गईं।

मामले की छानबीन की जा रही है।

श्री कृष्ण कुमार गंगवार को सचिव पद हेतु आदेश दिये जाने के पश्चात नियुक्ति न करने के कारण

72—**श्री सत्यपाल सिंह**—

विधान सभा के द्वतीय सत्र 82 के 2रे गुरु० के अता० प्र० सं० के उत्तर के क्रम में क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ० प्र० लखनऊ के अर्ध० शा० प० 1590/जे० ए०–3/अधि० दिनांक 26-8-82 द्वारा सम्वर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केन्द्रीयत सेवा लखनऊ को श्री कृष्ण कुमार गंगवार के सम्बन्ध में पुन: परीक्षण कर सचिव पद पर नियुक्त करने हेतु निर्देश दिये जाने के पश्चात भी सम्वर्ग प्राधिकारी द्वारा श्री गंगवार को सचिव के पद पर अभी तक किन कारणों से नियुक्त नहीं किया गया है ?

श्री बच्चा पाठक—

सचिव का पद रिक्त न होने के कारण श्री कृष्ण कुमार गंगवार की नियुक्ति संभव नहीं हो सकी ।

सहकारी विभाग में संवर्ग अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के संबंध में कार्यवाही

73 - **श्री सत्यपाल सिंह** —

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी विभाग के कितने अधिकारी जिला सहकारी बैंकों के सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं तथा इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को समाप्त करके राज्य सम्वर्ग प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है ?

श्री बच्चा पाठक—

सहकारिता विभाग के 6 अधिकारी जिला सहकारी बैंकों में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । वसूली व ऋण वितरण अभियान के कारण बीच में ही इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर देना बैंक के हित में न होगा । अतएव, अभियान समाप्ति के उपरान्त इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति से वापस कर उनके स्थान पर संवर्ग प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा 'द्रव्य इन्सटन्ट क्लीनर' केमिकल का क्रय तथा चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति द्वारा क्रय की संस्तुति

74 — **श्री मसरूर जाफरी तथा**
श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतिवर्ष केन्द्रीय औषधि भंडार द्वारा "द्रव्य इन्सटन्ट क्लीनर" नाम से कोई वस्तु क्रय की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या यह औषधि है और इसका कम्पोजीशन शासन या केन्द्रीय औषधि भंडार को ज्ञात है ? यदि नहीं, तो बिना कम्पोजीशन और स्पेशीफिकेसन के किस प्रकार औषधि क्रय की जा रही है क्या इस औषधि का विश्लेषण कभी किसी राजकीय विश्लेषक द्वारा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ ।

यह कैमिकल है । केन्द्रीय औषधि भण्डार को इसका कम्पोजीशन ज्ञात है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा उक्त वस्तु का क्रय उद्योग विभाग की सहमति से करने पर कार्यवाही

75—श्री मसरूर जाफरी तथा
श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह भी ज्ञात है कि केन्द्रीय औषधि भंडार द्वारा उक्त वस्तु का क्रय किया जा रहा है जबकि ऐसी वस्तुयें जो औषधि नहीं हैं उद्योग निदेशक के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिए जिसके लिए उद्योग अधिकारियों द्वारा बार-बार आपत्ति उठाई जा रही है ? यदि हाँ, तो उक्त क्रय विदेश फर्म से प्रति वर्ष किस आधार पर किया जा रहा है ? उसके लिए कौन दोषी है ? तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस आइटम का क्रय नहीं किया गया है । चूँकि यह आइटम चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक है अतः वरिष्ठ अधिकारियों की फार्मूलरी समिति की संस्तुति पर इसका क्रय केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा उद्योग विभाग की सहमति से निर्धारित नीति के अनुसार ही किया जा रहा है । ये क्रय किसी फर्म विशेष से नहीं बल्कि मात्रा संविदा में भाग लेने वाली फर्मों से नियमानुसार अर्ह पायी जाने वाली फर्म से किया जाता रहा है । चूँकि इस आइटम के क्रय की संस्तुति चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति द्वारा दी जाती रही है अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के दोषी होने एवं उन्हें दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पड़रौना (देवरिया) नगरपालिका क्षेत्र में राशन दुकानों पर पन्ने का आबंटन में अनियमितता पर कार्यवाही

76—डा० ब्रज किशोर मिश्रा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना (देवरिया) नगरपालिका क्षेत्र में जुलाई, 82 से जनवरी, 83 तक राशन दुकानों पर कितने कुन्टल गल्ले का आवंटन हुआ तथा किस मात्रा में वितरण का आदेश पारित हुआ है ? यदि उचित मात्रा में वितरण नहीं हुआ तो क्यों ? इसी संदर्भ में क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जहाँ अनियमितता पाई गई है उन दुकानों को निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाद्य विभाग द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र की जांच

77—श्री रामलाल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग अधिकारियों द्वारा की गई भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-12-1982 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वासुदेव सिंह—

मुख्य मंत्री जी को दिनांक 13-12-82 को प्राप्त माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 27-11-82 के साथ संलग्न श्री ओमप्रकाश अग्रवाल एडवोकेट लालबाग, लखनऊ के शिकायती पत्र में उल्लिखित बातों की जांच कराई गई। श्री आनन्द शंकर त्रिपाठी, ज्येष्ठ हाट निरीक्षक के विरुद्ध उक्त शिकायती पत्र में लगाये गये जो आरोप प्रथम दृष्टया औचित्यपूर्ण पाये गये उनके सम्बन्ध में श्री त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री महाराज सिंह, बेसिक हेल्थ वर्कर, प्रा० हेल्थ सेन्टर, बावन, जनपद हरदोई की समाप्त सेवायें तथा बकाया वेतन का भुगतान

78—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराज सिंह, बेसिक हेल्थ वर्कर, प्रा० हेल्थ सेन्टर, बावन, जनपद हरदोई की सेवायें 26 जून, 1971 को एक महीने का अग्रिम वेतन देने की नोटिस के साथ समाप्त कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या उन्हें एक महीने का अग्रिम वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उन्हें मार्च अप्रैल, मई, जून, 1971 का ड्यूटी वेतन भुगतान उनके कई प्रार्थना-पत्र देने एवं तत्कालीन मा० स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या उनका उक्त वेतन का भुगतान कराने का अविलम्ब कोई आदेश देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ, श्री महाराज सिंह, बेसिक हेल्थ वर्कर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बावन, जनपद हरदोई की सेवायें जिला स्वास्थ्य अधिकारी, हरदोई के आदेश दिनांक 13 जून, 71 द्वारा उनकी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित तथा लापता रहने के कारण समाप्त कर दी गयी थी। उन्हें मार्च 1971 का पूरे माह का, अप्रैल 1971 का 10 दिन का तथा मई 1971 के 4 दिन के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। अप्रैल तथा मई, 1971 के शेष दिन तथा माह जून, 1971 के वेतन के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वे इस अवधि में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे और उन्होंने सरकारी वस्तुयें तथा जभिलेख भी वापस नहीं दिये हैं।

प्रदेश में सहायक मलेरिया अधिकारी के स्थानान्तरण करने में सामान्य नीति

79—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने सहायक मलेरिया अधिकारी हैं, जोकि एक ही जिले में आठ या आठ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ?

उपरोक्त अवधि वाले सहायक मलेरिया अधिकारियों का अब तक स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है ? इन लोगों के स्थानान्तरण करने में शासन की क्या नीति है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश में ऐसे 10 सहायक मलेरिया अधिकारी हैं जो कि एक ही जिले में आठ या आठ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। इस सम्बन्ध में शासन की सामान्य नीति यह है कि किसी भी पद पर अधिकारी/कर्मचारी को कम से कम 3 वर्ष तक अवश्य रखा जाय। विशेष परिस्थिति में यह अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है। उक्त सहायक मलेरिया अधिकारियों का कतिपय प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण नहीं किया जा सका है।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील दीर्घाकार साधन सहकारी समिति बिउर के सचिव द्वारा किया गया ऋण के घपले के संबंध में शिकायती पत्र

80—श्री विजय सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के दीर्घाकार साधन सहकारी समिति बिउर के सचिव (देव नारायण सिंह) द्वारा किए गये ऋण के लेन-देन में घपलेबाजी के सम्बन्ध में दिनांक 10-7-82 का प्रश्नकर्त्ता का लिखा हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ।

इसे जिलाधिकारी, मिर्जापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

जनपद मिर्जापुर के दीर्घाकार साधन सहकारी समिति के सचिव के खिलाफ सहायक निबन्धक को सम्बोधित शिकायतीपत्र की जाँच व कार्यवाही तथा बिउर लैम्प्स के सदस्यों द्वारा दिया गया कथित शिकायती पत्र

81—श्री विजय सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दीर्घाकार साधन सहकारी समिति के सचिव (श्री देव नारायण सिंह) के खिलाफ सहायक निबन्धक, मिर्जापुर को सम्बोधित रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ।

पत्र में मुख्य शिकायत यह थी कि सचिव गल्ले की दुकान अपने घर में चला रहे हैं तथा गल्ला वितरण में गड़बड़ी करते हैं। जाँचोपरान्त दुकान हटा कर अन्यत्र स्थापित की गयी तथा सचिव का भी वहाँ से स्थानान्तरण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पत्र में दिये गये सुझाव के अनुसार वसूली के निर्देश दिए गये तथा वितरित ऋण के सत्यापन का भी आदेश पारित किया गया।

संबंधित सचिव के खिलाफ बिअर लैम्पस के सदस्यों द्वारा ऋण के लेन देन में घपलेबाजी के संबंध में शिकायती-पत्र की जांच

82—**श्री विजय सिंह**—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के बिउर लैम्प्स के सदस्यों द्वारा सचिव देव नारायण सिंह के द्वारा ऋण के लेन-देन में घपलेबाजी के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 26-2-82 को भेजा हुआ, जिला सहायक निबन्धक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में ब्लाक महाराजगंज साधन सहकारी समिति दुबौली, खुटला एवं बरौली के सचिवों के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच व कृत कार्यवाही

83—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या सहकारिता मंत्री को यह भी ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में ब्लाक महाराजगंज से सम्बन्धित साधन सहकारी समिति दुबौली, खुटहा एवं बरौली आदि के सचिवों के विरुद्ध माह नवम्बर, 82 में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

शिकायतकर्ता का एक पत्र दिनांक 11-11-82 को जिला सहायक निबन्धक, गोरखपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री अश्वनी कुमार शुक्ल, सचिव, साधन सहकारी समिति दुबौली (खुटहा) के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता करके धन अर्जित कर मकान, भूमि एवं अन्य जायदाद खरीदने के आरोप थे । उक्त पत्र सचिव, जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर को सम्बोधित था तथा प्रतिलिपि जिला सहायक निबंधक, गोरखपुर को भी दी गयी थी । यही पत्र निबन्धक, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा माह जुलाई, 1982 में भी प्राप्त हुआ था । इसकी जांच शुरू की गयी । श्री शुक्ल को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया पर उन्होंने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं, जिसको निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । चूंकि श्री शुक्ल समिति के अभिलेखों को लेकर फरार है, अतः जांच कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया । शिकायती-पत्र में दरौली के सचिव के विरुद्ध किन्हीं आरोपों का उल्लेख नहीं था ।

(12 बजकर 25 मिनट)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों पर सड़ा गेहूँ बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 को स्वीकार किया है और वे हैं श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री बदन सिंह, डा० बृज किशोर मिश्रा, श्री

अकबाल हुसैन और श्री राम गोविन्द, श्री अकबर हुसैन एवं श्री रियासत हुसैन की, बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उ०प्र० में सभी जिलों में राशन की सस्ते गल्ले की दुकानों पर सड़ा गेहूँ सरकार द्वारा बेचा जा रहा है! बलिया जनपद में 6 जून से 6 हजार बोरा सड़ा गेहूँ बिकता रहा है। पुनः मार्च, में 15 सौ बोरा गेहूँ वितरण के लिये आ गया है जो सड़कर दुर्गन्ध पैदा कर रहा है। इससे जनता में यह भावना उत्पन्न हो गयी है कि पहले तो सड़ा गेहूँ आया था, परन्तु अब नियमित रूप से यह आपूर्ति किया जायेगा। इस खराब गेहूँ से बलिया की लाखों गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ भंयकर खिलवाड़ किया जा रहा है। यही हाल पूर्वी उ०प्र० के अन्य सरकारी दुकानों का है।

इस घटना से पूर्वांचल की जनता में भय, क्षोभ एवं सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

टी०बी० डिमान्स्ट्रेशन एवं ट्रेनिग सेन्टर आगरा के निदेशक की कुव्यवस्था के कारण 40 प्रतिशत कर्मचारियों के क्षय रोग से पीड़ित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, टी०बी डिमान्स्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग सेन्टर आगरा के 60-65 कार्यरत कर्मचारियों में से 24 कर्मचारी क्षय रोग से ग्रसित हो गये हैं। केन्द्र पर क्षय रोग की रोकथाम व उपचार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में आठ फुट चौड़ी गैलरी में टी०बी० के भयंकर रोगी बड़ी तादाद में ठसाठस भरे रहते हैं। उनमें होकर सेंटर में कार्यरत इन कर्मचारियों के टी०बी० के कीड़ों को निगलते हुए रोगिगों के कार्य का निष्पादन करने हेतु गुजरना पड़ता है। परिणामस्वरूप टी०बी० जैसे भंयकर संक्रामकरोग से 40 प्रतिशत कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित होकर 2-4 प्रतिवर्ष मर जाते हैं। निदेशक, टी०बी० केन्द्र की कुव्यवस्था से उनमें भारी क्षोभ व्याप्त है। वे आंदोलित हैं। संस्थान के कार्य को किसी भी क्षण ठप्प कर सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय को मा० सदन के संज्ञान में लाकर निदेशक टी०बी० सेंटर आगरा को हटाकर कर्मचारियों की जीवन रक्षा की मांग शासन से करता हूँ।

बिहार की कुख्यात "जंगल पार्टी" की पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही भंयकर गतिविधियों एवं सुरक्षात्मक उपायों की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० बृज किशोर मिश्र—

मा० अध्यक्ष महोदय, बिहार की कुख्यात "जंगल पार्टी" की उ०प्र० में बढ़ रही भयंकर गतिविधियों के संबंध में निवेदन करना है कि इस पार्टी के चालिस व्यक्तियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का कुख्यात दल राइफलों एवं अन्य घातक हथियारों से लैस होकर गत दिनाँक 6-3-83 को सायंकाल लगभग 6 बजे जिला देवरिया, तहसील हाटा, थाना नेबुआ-नौरंगिया, ग्राम कटाई भरपुरवा, टोला-छपरा के निवासी श्री कमला महतो के यहां धावा बोलकर उ०प्र० शासन को चुनौती दी है और लाखों रुपये के सामान लूट लिये हैं। इस घटना में लगभग 17 व्यक्ति घायल हैं जिनमें तीन की हालत चिन्ताजनक है।

उक्त कुख्यात पार्टी ने पिछले दिनों देवरिया जिले के ही थाना विशुनपुरा ग्राम—किसुनवां के निवासी श्री हीरा राय के पुत्र श्री ओम प्रकाश राय को पचास हजार रुपये के फिरौती के लिये अपहृत कर लिये।

'जंगल पार्टी' के बढ़ते हुए कुप्रभाव से देवरिया जिले का पूर्वोत्तर क्षेत्र भंयकर अनिष्ट की आशंका से भयाक्रान्त है। दिन प्रति दिन उक्त पार्टी के खूनी पंजे की पकड़ बढ़ती जा रही है जिससे हमारे क्षेत्र के जनता की नींद हराम हो चुकी है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के पटल पर लाकर मा० मुख्य मंत्री जी से माँग करता हूँ कि प्रश्नगत क्षेत्रों में तत्काल पी०ए०सी० की टुकड़ी तैनात करने की कृपा करें। जनता के भय को दूर कर अमन कायम रखा जा सके और जनता में शासन के प्रति विश्वास सुरक्षित किया जा सके।

लखनऊ नगर के हुसैनाबाद ट्रस्ट के सचिव द्वारा भवन में बने छोटे कमरों में रहने वाले गरीब लोगों को बाहर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री अकबाल हुसैन—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ कि लखनऊ नगर के हुसैनाबाद ट्रस्ट के भवन में जो छोटे कमरे बने हैं वह अवध के नवाबों का बनवाया है उसमें उनके खिदमतगार उसी जमाने से पुश्त दर पुश्त रहते चले आ रहे हैं। जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की सम्पत्ति है जिसमें से अधिकांश किराया भी अदा करते हैं। अभी शीध्र ही पुराने सैक्रेटरी ने त्यागपत्र दे दिया और नये सैक्रेटरी नियुक्त हुए हैं जिन्होंने अकारण वहाँ से इन गरीब, मजदूर, मेहनतकश, रिक्शा, इक्कावालों को जबरदस्ती भवन से निकाल कर बाहर करने की योजना पुलिस व पी०ए०सी० की मदद से बनाई है और भवन खाली करा रहे हैं। तथा सैक्रेटरी महोदय ऐलान करते फिर रहे हैं कि यदि खाली नहीं करोगे तो तुर्कमान गेट की कार्यवाही की जाएगी। इस कारण पूरे क्षेत्र में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मामले में हस्तक्षेप करके गरीबों को शान्तिपूर्वक रहने दें।

ग्राम सिखवार कलां (बलिया) में अधिकारियों की लापरवाही के कारण भयानक जल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामगोविन्द—

अध्यक्ष महोदय, बलिया जनपद के रसड़ा तहसील के नगरा ब्लाक के ग्राम सिसवार-कलाँ जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित है, में पानी का बिलकुल अभाव हो गया है गाँव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामगोविन्द]

के सभी तालाब, ताल तलैया, सूख गये हैं। यहाँ तक कि गाँव में लगे 300 हैण्ड पाइप में से केवल 10 हैण्ड पाइप थोड़ा-थोड़ा पानी दे रहे हैं। 40 कुओं में से मात्र दो कुएँ में थोड़ा-थोड़ा पानी बचा हुआ है इन 2 कुओं की भी दशा अत्यन्त दयनीय है। क्योंकि इनके निकट दो नलकूप चलने से यह कुएँ तुरन्त सूख जाते हैं, गांव के लोग सारा अपना काम छोड़कर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर से दूसरे गाँव से पीने का पानी ला रहे हैं। गाँवों के लोगों ने इस भयावह स्थिति से कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है परन्तु अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज भी जल संकट की भयावह स्थिति बनी हुई है। जिसके कारण वहाँ की जनता में व्यापक रूप से रोष, असन्तोष, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर मा० सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

नियम 301 की सूचना को स्वीकृत न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

श्यामनारायण तिवारी जी आप कल दे दीजिएगा। आप वाले पर विचार नहीं हो सका है (व्यवधान)

***श्री धनीराम वर्मा—**

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है··· (व्यवधान) मेरे प्रश्न को कम से कम सुन तो लीजिए···

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, धनीराम वर्मा जी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं···(व्यवधान) आप बैठें मुझे सुनने दें····(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा—

मेरा प्रश्न कार्य स्थगन का था। हमारे जनपद और पूरे क्षेत्र में गेहूँ सूख रहा है, ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, बिजली कहीं नहीं मिल रही है। इससे हमारे क्षेत्र··· (व्यवधान) सारा प्रदेश प्रभावित होगा गेहूँ के सूखने से। (व्यवधान) इस पर मैंने आपसे अनुमति माँगी थी···सुनना चाहिए था····(व्यवधान) लेकिन मेरे प्रश्न को नहीं सुना गया।

श्री अध्यक्ष—

मेरी भी कितनी मजबूरी है, मेरे पास 24 सूचनायें थीं। यदि हम आपको ही अधिकार देते कि इसमें से कोई पांच छांट लें, तो आप भी यही करते कि जो महत्वपूर्ण हैं अविलम्बनीय हैं, उन्हीं को लेते। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। जो सबसे ज्यादा महत्व की समझी गयीं उनको ऊपर से ले लिया गया···(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धनीराम वर्मा—

मैं अब किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। गुप्त जी औचित्य के प्रश्न पर बोलें।

कतिपय माइकों को न खोले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

मान्यवर, उधर वालों के कुछ के माइक बराबर खुले रहते हैं, कर्मचारी बराबर खोले रहते हैं, लेकिन हमारा व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं सुना जाता है, माइक बन्द पड़ा रहता है।

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है, हम लोगों को यहां बोलने का अधिकार है, लेकिन माइक वाले केवल कुछ ही लोगों के माइक हमेशा खोले रहते हैं— हंसी-मजाक करवाते हैं और हमारे खड़े होने पर भी नहीं खोलते हैं। इसलिए आप उनको निर्दिष्ट करें कि जब आप कहें तभी उनके माइक खोले जायें।····(व्यवधान) आपसे न कहें तो किससे कहें यह कितनी बड़ी अव्यवस्था है···(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। मैं इसको देखूंगा। खासकर सचिव की ड्यूटी लगाऊंगा कि यह क्यों है। मैं इस बात को देख लूंगा····(व्यवधान) जब यहां पर मेरे द्वारा कोई आश्वासन दिया जाता है तो उसका पालन किया जाएगा। आप मौका दीजिए। आपने जो प्वाइण्ट आउट किया है, उसके लिए सचिव महोदय से कहा है, निवारण नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा।

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

यह तो श्रीमन्, हाउस के सामने हुआ है, इसके लिए इंक्वायरी कराने या साक्ष्य लेने की क्या आवश्यकता है···(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या इसके लिए आप सी०आई०डी० इंक्वायरी बिठालेंगे, तब पता चलेगा ?····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैंने कह दिया है।

विधान सभा परिसर में कांग्रेस (आई) की मीटिंग में शासकीय अधिकारियों को बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, हमारी नियमावली के नियम 300 में यह है, औचित्य का प्रश्न, मान्यवर, हमारी नियमावली, भारत के संविधान जो हैं, आपके संज्ञान में मान्यवर, मैंने दे दिया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—]

कि किसी भी दल के भीतर क्या काम होता है, इससे आप से कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परिसर में अगर कोई ऐसा काम होता है, जो नियमों के खिलाफ है, हमारी नियमावली के खिलाफ है, तो आपका हस्तक्षेप आपका निर्देश, आपका अनुशासन उसके ऊपर होगा। मान्यवर, कल एक यहां पर घटना हुई, यहां कांग्रेस पार्टी की रोज मीटिंग होती है, हमें उसकी जानकारी न थी, लेकिन कल एक ऐसा हादसा हो गया, तब मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी की रोज मीटिंग होती है, उस मीटिंग का एजेंडा मेरे पास है, वह केवल सदस्यों को बुलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। माता प्रसाद, खान गुफरान जाहिदी, और राम औतार दीक्षित के हस्ताक्षर हैं। अब वह पोलिटिकल पार्टी की मीटिंग में राजकीय कर्मचारियों को बुलाते हैं। राजकीय कर्मचारी नियमों से बंधे हुए हैं, वह शासन के प्रति कमिटेड नहीं हैं, उनके लिए रूल्स भी हैं। उस रूल के नियम 5 में साफ लिखा हुआ है कि वह सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक संस्था से सम्बन्ध नहीं रखेगा। अब सम्बन्ध का मतलब क्या है? सम्बन्ध का मतलब जो हिन्दी शब्द सागर के अनुसार दिया गया है, वह यह है कि एक साथ बंधना, जुड़ना या मिलना, लगाव, सम्पर्क या वास्ता, इतने मतलब दिये गये हैं। अगर कोई राजकीय कर्मचारी किसी पोलिटिकल पार्टी की मीटिंग में जाता है, तो उससे वह उस मीटिंग से जुड़ गया। जो उनके मंत्रीगण हैं, वह जबरन उनको वहां पर बुलाते हैं और उनको अपनी मीटिंग का भागीदार बनाते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। मुझे कल जानकारी हुई कि कांग्रेस पार्टी के एक मेम्बर ने एक राजकीय कर्मचारी के ऊपर एक प्लेट फेंक कर मारा।

यह मान्यवर, पहला वाक्या नहीं है, एक परम्परा सी ऐसी होती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता के मदांध में पड़कर स्वतंत्रता को कर्म की स्वतंत्रता में बदल रहे हैं। मान्यवर, नजीबाबाद का अभी एक तहसीलदार मारा गया। मान्यवर, इस तरह से विधायकों और कर्मचारियों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। यह मान्यवर, मैंने आपके सामने बात रखा है। तो मैं मान्यवर, यह बात पुनः साफ कर दूँ कि मान्यवर, पोलिटिकल पार्टी की बैठक न हो, तब तो यह हो सकता है, मान्यवर, वह आपके परिसर में हुई थी, वह राजकीय कर्मचारी पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रहा था, तो यह बात आई कि वह आपके परिसर में हुई है। यह नियमावली का नियम 3 (य)– सदन के परिसर का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित सभा मण्डप, सभा कक्ष, दीर्घायें, विधान सभा सचिवालय के अध्यासन में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष, समिति कक्ष, विधान पुस्तकालय, विधान वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधान सभा, सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ विधान भवन के सब स्थान तथा उसकी ओर जाने वाले मार्गों से है तथा इन स्थानों से भी है, जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें। आप यह कह सकते हैं, हमारे परिसर के भीतर कोई, राजकीय कर्मचारी अगर किसी विधायक से मिलने आते हैं, तो मान्यवर, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम साधारण सदस्य हैं। हमसे मिलने के लिए कोई भी राज्य कर्मचारी आ सकता है। हम उसको बुला सकते हैं, परन्तु मान्यवर, जो बैठक हमारी विधिवत् आहूत हुई है, जो पोलिटिकल पार्टी की बैठक है, उसमें कर्मचारी के लिए, आने के लिए मजबूर करना, यह जनतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल है।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब नियम 300 जो हमारा है, जो आपके संज्ञान में और हमारे नियमों से सम्बन्धित जो इससे स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है, कि सत्ता रूढ़ दल के लोग जानबूझकर विशेषाधिकार की अवहेलना करते हैं। अभी एक प्रेस परिषद् ने भी कहा कि विधायकों के विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मान्यवर, यह स्थिति इसलिए बन रही है कि विधायकगण हम लोग ऐसा आचरण करें, वह थोड़ी अपनी मर्यादा को लांघ कर, अतिक्रमण करके ब्यूरोक्रेसी को प्रताड़ित करते हैं और जानबूझकर

अपनी सत्ता का दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, इनके रोकने का प्रयास किया जाय और जिन्होंने किया है, उनको पनिश किया जाय।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, चूँकि मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने नाम नहीं लिया था। इनको तो मान्यवर, पिछली बार जब मैं सत्ता पक्ष में था और वह इधर बैठा करते थे, तो बरेली में डाक्टरों ने इनको पीटा था। मैंने इनके सम्मान की रक्षा के लिए यह मामला मान्यवर उठाया था और मैंने ही इनकी मदद की थी। मान्यवर, कोई भी विधायक का अपमान होता है, तो मान्यवर, यह चीज उचित नहीं है। लेकिन मान्यवर, विधायकों का जो आचरण है, जो उनकी अपनी मर्यादा है, उसको लांघकर, अतिक्रमण करके, ब्यूरोक्रेसी को प्रताड़ित करना और जानबूझकर अपनी सत्ता का दबाव डालने का प्रयास करना उचित नहीं है।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, मुझे एक बात पर एतराज है। अगर किसी मन्त्री की तरफ से नोटिस भेजी गयी होती तो ठीक था ऐसी बैठक में किसी अधिकारी और एम० एल० ए० को साथ-साथ बुलाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर खान गुफरान जाहिदी के दस्तखत से बुलाया गया है। इसमें किसी अधिकारी को बुलाकर बजट पर पूछना और लीकेज करना यह अनुचित है। उस मीटिंग में माननीय विधायकों को बुलाकर चाय वाय पिलाकर और दो चार काम कराने का विश्वास दिलाकर उनको हाउस में बोलने से भी रोका जाता है। किसी पार्टी मीटिंग में अधिकारियों को बुलाने का अधिकार नहीं देना चाहिये। अगर एक पार्टी को दें तो दूसरी पार्टियों को भी वह अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये मैं औचित्य का प्रश्न उठाता हूँ और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ कार्य किया है कार्यवाही की जानी चाहिये। मान्यवर, मैं सर्विस कंडक्ट रूल्स को पढ़ना चाहता हूँ। मैं इसकी हिंदी भी बाद को कर दूँगा।

"नो गवर्नमेन्ट सरवेन्ट शैल बी ए मेम्बर आर आफिसर एसोसियेट विद एनी पोलिटीकल पार्टी आर आर्गेनाइजेशन ह्विच टेक पार्ट इन पोलिटिक्स. दि स्टेट गवर्नमेन्ट हेव इम्प्रेस्ड आन आल गवर्नमेन्ट सरवेन्ट, नाट टू टेक पार्ट इन मीटिंग्स कन्वेन्स्ड वाई पोलिटिकल पार्टीज.

कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी किसी भी पार्टी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है। यह इसमें साफ लिखा हुआ है। उसके मुताबिक उन्होंने खिलाफ काम किया है तो इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और इस परम्परा को बदलना चाहिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—

जिन्होंने औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है मैं पहले उनको सुनूँगा। आपका सुनना संभव नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

मान्यवर, इस सदन में जब कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा था तो उसी बीच में मैंने थोड़ा सा इसका हवाला दिया था कि कांग्रेस (आई) पार्टी की बैठक हो रही थी। मान्यवर, चेतराम गंगवार जी को बरेली के डाक्टरों ने 24 घंटे बंद रखा था।....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो बात कही है उसमें मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। यह जो अधिकारी कांग्रेस (आई) दल की मीटिंग में गये, आपने उनको अनुमति नहीं दी थी। बिना आपकी अनुमति के कोई अधिकारी नहीं जा सकता है। क्योंकि श्रीमन् सर्विस कंडक्ट रूल्स के अन्दर है, यह नियमावली के अन्दर है कि कोई भी राजकीय कर्मचारी किसी भी दल की मीटिंग में भाग नहीं लेगा, वह वहाँ नहीं जायेगा। वहाँ पर एक कांग्रेस दल की मीटिंग हो रही थी। मैं मानता हूँ कि माननीय मन्त्री जी स्वयं उस शासन के नियम का पालन करना जानते हैं, तो जब शासन का ऐसा नियम है, तो उन अधिकारियों को वहाँ पर किसलिए बुलाया गया, इसमें आपके पास तो कोई इश्यू थे नहीं और अगर वे गये भी थे, तो जो माननीय सदस्य का उनके साथ व्यवहार हुआ है, वह आपत्तिजनक है। मान्यवर, इससे सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर कि आपके अधिकारी, विधायक अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। तो, मेरा आग्रह है कि आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर लें।

***श्री मसरुर जाफरी—**

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, बरेली में परिवहन निगम के लोगों ने इनको 24 घंटे बंद रखा था इनके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब इन्होंने अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार किया तो उसकी शिकायत नहीं उठायी। मुझे....

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

***श्री हुकम सिंह—**

माननीय अध्यक्ष जी, जिस बिन्दु पर माननीय गुप्त जी ने और माननीय अग्निहोत्री जी ने प्रकाश डाला, मैं भी इसके साथ दो शब्द कहकर अपनी भावनाएं जोड़ना चाहता हूँ। मान्यवर, हम इतने हल्केपन से इस घटना को ले रहे हैं, लेकिन आज हम समस्त विधायकों को इस बात को बड़ी गम्भीरता से सोचना है कि हम मर्यादा को कितनी सीमा तक लांघ सकते हैं और कितनी सीमा में रहकर अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा कर सकते हैं...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

आप तो योग्य आदमी हो आप तो ऐसी बात न करो····

एक सदस्य—

आप ही के तरफ के यदुनाथ सिंह···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें।

श्री मुईद अहमद—

किसी जमाने में आप भी तो पिटवाते थे, अब पीट रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

अब समय यह आया है कि कम से कम हम सबको बैठकर तय यह करना है कि किस तरीके से अपने आचरण को हम लाये। अनंगल तरीके से अगर विधायक आचरण के बाहर जाते हैं, तो उसके ऊपर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है।

एक सदस्य—

यदुनाथ सिंह के व्यवहार की बात तो करें···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें।

श्री हुकम सिंह—

यह किसी अधिकारी विशेष या विधायक विशेष की बात नहीं है, यह बात हम सब पर लागू होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी हमारे अधिकारों के, कर्तव्यों के संरक्षक हैं, आप इस बारे में एक बैठक बुलायें, आप ऐसा करें कि हम सब के लिए एक आचरण संहिता बनायें, जिसका हम सब पालन कर सकें, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी सुन ले, मैं भी इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ···

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, सारी बातें सदन के सम्मुख आ गयी हैं।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी —)**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकम सिंह जी ने एक बहुत ही गम्भीर बात कही कि इस पर सबको विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ प्रश्न उठाये गये। मान्यवर इस औचित्य के प्रश्न के बारे में सबसे पहले माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने परिसर का प्रश्न उठाया। परिसर की परिभाषा क्या है, वह बतायी गयी कि परिसर कहां-कहाँ है और अध्यक्ष को उसके ऊपर क्या अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं, यह सारी की सारी बातें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहीं····

श्री मोहन सिंह—

परिसर न भी हो, तो बताइये।

श्री अम्मार रिजवी—

आप सुन लें....

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, झूठी घटना हैं।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

एक बात यहां····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री अम्मार रिजवी—

मोहन सिंह जी ने परिसर के बाहर की बात कही····

(व्यवधान)

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

नियमों का पालन करें। आप लोग इतने पुराने हो गये हैं विशारद जीं !

श्री अम्मार रिजवी —

एक टेक्निकल बात उठाई गई है। मान्यवर, परिसर के अन्दर और बाहर का कोड एक होना चाहिये मैं सहमत हूँ। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा परिसर के अन्दर आपकी अनुमति के बगैर किसी को नहीं आना चाहिये। परिसर में आपका पूरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

अधिकार है लेकिन जहाँ पर किसी मंत्री को किसी भी जगह आवश्यकता हो किसी अधिकारी की तो वहां पर डिफाइन किया गया है यह पंचम संस्करण के प्रक्रिया सम्बन्धी करण के 159 को आप देखें इसमें है— 'सचिव, उपसचिव या अन्य सहकारी अधिकारियों जिनकी सदन में, कभी-कभी मंत्रियों को सहायता देने के लिए आवश्यकता होती है, उन दीर्घाओं में बैठ सकेंगे जो उनके लिये सुरक्षित है किन्तु वे सदन के अन्दर अध्यक्ष की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे' ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने जो पढ़ा है इसका अन्तिम पैराग्राफ पढ़ें । पृष्ठ 40 पर ।

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक सदन में प्रवेश करने का सवाल है वह वहाँ पर जा सकता है परिसर के अन्दर जाकर उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया । दूसरा प्रश्न ख्वाजा साहब ने उठाया कि बजट की लीकेज हुई । लीकेज का प्रश्न कहां आता है जब लिटरेचर एक, दो या 3 दिन पहले बँट जाता है । जिस दिन बजट वित्त मंत्री ने पेश कर दिया बजट आ गया । दूसरी बात यह कही गई कि अधिकारी वहां पर उनकी मीटिंग में भाग लेने गये । अधिकारी मीटिंग में भाग लेने नहीं गये । बल्कि मंत्री को सहायता देने के लिये गये । जो पूरी तरह से करण में और हर जगह पर सम्बन्धित मंत्री को अधिकार है । कहीं भी, जहाँ वह महसूस करता है अपने अधिकारियों को बुला सकता है । माननीय मोहन सिंह जी मंत्री रहे हैं, मोती लाल देहलवी मंत्री रहे हैं और बहुत से बैठे हैं । क्या मान्यवर, 77-80 तक इन लोगों ने किसी बैठक में अधिकारियों को अपना परामर्श देने के लिये नहीं बुलाया ?

(मेजों की थपथपाहट)

आज अधिकारियों की बात कही जाती है । मुझे पूरी हमदर्दी है अधिकारियों से, जो वक्त बताता है । मान्यवर, अगर आज विरोध का कोई सदस्य होता तो अधिकारियों की धज्जियाँ उड़ाई जाती होती । सत्तापक्ष के सदस्य के लिये यह तथाकथित बात कही गई है इसलिये यह बात कही जा रही है । मंत्री परामर्श देने के लिये किसी अधिकारी को बुला सकता है । जो परिसर डिफाइन किया गया है इसके अन्दर वह जा सकता है । दूसरी बात कि क्या हुआ इसके सिलसिले में आपकी पीठ से अध्यक्ष पीठ से बहुत फैसले हुये हैं । मान्यवर, निर्णयों का संकलन है 52 से 62 का इसका 146 आप देखें । 'किसी पार्टी के आन्तरिक संघर्ष अथवा सदन के बाहर दिये गये तत्सम्बन्धी वक्तव्य के सम्बन्ध में विवाद नहीं हो सकता और न उस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव आ सकता है ।' इसी में मान्यवर, 147 को आप देखें । 'किसी दल के अन्तरंग बातों को नहीं कहा जा सकता है ।' पार्टी की मीटिंग में क्या तय हुआ, क्लोज डोर में क्या हुआ । किसी से कौन सी बातचीत हुई यह कहने का यहां कोई अधिकार नहीं है और इस तरह से यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । जहाँ तक अधिकारियों की बात है, उनसे मुझे हमदर्दी है उनकी मान मर्यादा से हमदर्दी है लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि किसी विधायक का कोई अपमान नहीं हुआ । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह औचित्य का प्रश्न किसी तरह से, न नियमावली के हिसाब से, न इस पीठ से दिये गये फैसले के हिसाब से, और न ही···

(व्यवधान)

***श्री चेतराम गंगवार—**

मैं विरोधी दल की····

***श्री रियासत हुसैन—**

मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूँ। एक प्रश्न राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया और आपने सुना। औचित्य के प्रश्न पर संसदीय कार्य मन्त्री जी ने अपनी एक बात कही तो इस सारे प्रश्न में कहीं भी चेतराम गंगवार जी का नाम तक नहीं आया तो फिर आप काहे को चेतराम गंगवार जी का भाषण करवा रहे हैं ?

***श्री मोहन सिंह—**

एक स्पष्टीकरण मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी से चाहता हूँ। हम लोगों का हवाला दे कर विद्वान संसदीय कार्य मन्त्री ने मेजों की थप-थपाहट के बीच में कहा कि हम लोग भी मन्त्री थे और अपनी मदद के लिए बुलाते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि अपनी मदद के लिए बुलाते हैं लेकिन हमारे सामने यदि हमारा कोई अधिकारी पीटता है और हमारे सामने हमारे विधायक की पिटाई हो तो यदि शर्म होती इनको तो इनके मन्त्री को स्तीफा दे देना चाहिए था, पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

(शोर)

श्री चेतराम गंगवार—

मैं पिछले 20 वर्षों से विरोध पक्ष के लोग जो सदन में करते हैं, देखता आ रहा हूँ मान्यवर····

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष—

आर्डर-आर्डर। शान्त रहिये आप लोग। आप लोग शान्त रहिये।

(लगातार शोर)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, गोपी नाथ वर्मा····

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम लिया गया है। दो मिनट में अपना स्पष्टीकरण करिये।

श्री चेतराम गंगवार—

(लगातार शोर के मध्य) मान्यवर, गोपीनाथ वर्मा ने कहा कि 24 घण्टे डिटेन किये और माननीय गुप्त जी ने कहा कि मुझे मारा। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार असत्य है। पार्टी मीटिंग में मैं था, कोई प्लेट पार्टी मीटिंग में नहीं फेंकी गयी, न कोई झगड़ा हुआ। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ आज तक जनसंघ और लोकदल के पार्लियामेंट मेम्बर हुआ करते थे जब से मैं आया, संतोष कुमार गंगवार बुरी तरह से पराजित हुए··· (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(शोर के मध्य) मान्यवर, 1977 में मैं चला गया अमेठी। बीर बहादुर सिंह जी ने और अध्यक्ष जी ने हुकम दिया कि अमेठी चला जाऊँ। जब तक कांग्रेस में हूँ चाहे इख्तियार खां हों चाहे चरण सिंह हो, जीत नहीं सकते। मेरे चरित्र की हत्या लोकदल वाले जनसंघ वाले करते हैं। यह फर्जी मामला है, बिलकुल गलत है।

(लगातार शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आपकी बात समाप्त हो गयी। मैंने सभी माननीय सदस्यों की बातें सुनी। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें ? मैंने आपकी बात सुन ली है। जब कोई प्रश्न किया जाता है और उस पर यहां बात हो जाती है तो मुझे अपना निर्णय देना चाहिये। (एक सदस्य के खड़े होने पर) मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप नियमों का पालन करें। जब मैं खड़ा हूँ आपको क्या अधिकार है खड़े होने का ? दलगंजन सिंह जी बैठिये। ऊदल जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ऊदल—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। श्रीमन् एक औचित्य का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका उत्तर मा० संसदीय कार्य मन्त्री ने दे दिया। उससे हम चाहे सहमत हों या न हों। पुनः चेतराम गंगवार को बोलने का समय दे दिया गया। उनके बोलने से इधर के लोगों में और सत्ता पक्ष के लोगों में भी उत्तेजना पैदा हो रही है। मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मन्त्री को सुनने के बाद आपको निर्णय देना चाहिये था। और लोगों को बुलवाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—

जब किसी माननीय सदस्य का नाम लिया गया। निर्णय देने से पहले मुझे अधिकार है कि स्पष्टीकरण के लिये उसकी बात सुन लूँ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

(लगातार शोर के मध्य) अभी गंगवार जी ने बताया। कि 'गोपीनाथ वर्मा ने भी' मेरा नाम लिया है। इस सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से माननीय गंगवार जी चुनकर आते हैं उस क्षेत्र में बरेली परिवहन निगम के अधिकारियों ने इनको कमरे में बन्द रखा। इन्होंने मंत्री जी से शिकायत की। मन्त्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। उत्तेजित होकर इन्होंने कांग्रेस की बैठक में उपस्थित अधिकारियों के ऊपर प्लेट फेंकी तथा अब सच्चाई को दबाना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं देता। आप बैठें।

माननीय गुप्ता जी ने, ख्वाजा हलीम साहब ने, अग्निहोत्री जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है । मैं निवेदन करूंगा कि व्यवस्था के नाम पर इस प्रकार की परिपाटी न डालें । इसमें सदन का समय बरबाद हो जाता है । व्यवस्था के नियमों को पढ़े । उनका पालन होना चाहिये ।

***श्री जसवन्त सिंह विष्ट**—

एक मामला आया । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । आये दिन अधिकारियों और विधायकों में हाथापायी हो जाती है । किसी को किसी ने बन्द कर दिया । यह अच्छा नहीं है । इससे हमारा सम्मान गिरता है । अधिकारियों का भी सम्मान गिरता है । यह पता नहीं चलता है कि दोषी कौन है । इसलिये मैं आपसे ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि माननीय विधायक हों या अधिकारी हों कम से कम आपस में तो न टकरायें ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि इस प्रकार सभी माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हो जायेंगे तो मैं किसी को नहीं सुन पाऊँगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । औचित्य के प्रश्न पर जब आप निर्णय देने के लिये खड़े हो गये और और उसके लिये आपने कुछ शब्द भी कह दिये तो क्या यह उपयुक्त है कि ...

श्री अध्यक्ष—

हाँ, यह सही है और माननीय सदस्य इसका भविष्य में ध्यान रखें और जब मैं औचित्य के प्रश्न पर निर्णय देने के लिये यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि आप नियमों का पालन करें । यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जो इधर उधर दीर्घाओं में बैठे लोग हैं वे हम लोगों पर हँसते हैं ।

माननीय श्री गुप्त जी ने, माननीय श्री ख्वाजा साहब ने और माननीय श्री अग्निहोत्री जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैंने उनको भी सुना तथा उसके जवाब में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना । जहां तक इस प्रकार के औचित्य का प्रश्न है, यह आज से नहीं बहुत दिनों से इस बात की परम्परा रही है, जहाँ तक बजट का सम्बन्ध है, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी होनी चाहिये और माननीय मन्त्री जी के आग्रह पर जो, जो उनके अधिकारी हैं, माननीय मंत्रियों को हमेशा यह अधिकार रहा है और आज भी है और यह एक परिपाटी है कि अपने अपने कक्ष में और ऐसे स्थानों पर जहाँ ज्यादा जानकारी वे चाहते हों, जानकारी करने के बाद वे नोट की जाती हैं, नोट करने बाद भी उसमें कमी आ जाती है तो उसके लिये वे फिर कह सकते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं अपने अधिकारियों को, इस प्रकार यह कोई नयी बात नहीं है यह परम्परा बहुत दिनों से चली आ रही है। जहाँ तक औचित्य का प्रश्न है मैंने नियमावली को भली प्रकार देखा उसमें कोई भी और किसी प्रकार से भी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैंने भारतीय संविधान को भी देखा उसका भी किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। यहाँ पर जो सरकारी लोग हैं और वे अपने माननीय मंत्रियों को अगर कोई हिंट देते हैं तो वह इसलिये कि माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और बजट में कोई लीकेज न हो। माननीय श्री चेतराम गंगवार जी ने भी साफ-साफ कहा कि मैंने कोई असत्य कर्म नहीं किया है और न ही मेरे साथ इस तरह की बातें हुई हैं। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी आदमियों के बारे में बातें कही गई हैं। मेरे अधिकार की परिधि के अंदर यदि अधिकारियों की तरफ से कोई डेपूटेसन मिलने आता है या उनकी शिकायत आती या फिर लिखकर मेरे पास आती तो मैं उस पर विचार करता। इन सब चीजों को सुनने के बाद यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूँ।

भाषणों के बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप देखें जो आपकी नियमावली है। औचित्य के प्रश्न से सम्बन्धित–2 हैं :—

> 'औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। परन्तु अध्यक्ष किसी के कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।'

मान्यवर, इस प्रकार एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे। लेकिन मान्यवर, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि माननीय सदस्य बोलते रहते हैं और माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं और उस समय आप खड़े होकर अपना भाषण दे रहे होते हैं तो स्वयं बैठकर उनकी बातों को सुनने लगते हैं। मान्यवर, जबकि औचित्य के प्रश्न के लिए नियमावली मे प्राविजन है। तो मुझे कहना यह है कि जब आप खड़े होकर किसी चीज पर निर्णय देना शुरू कर देते हैं तो यदि इस बीच में कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो उसे आप अनुमति न दें, फलस्वरूप सदन का कार्य सुनियोजित ढंग से चल सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह बात आपकी सही है, लेकिन अपने सदस्यों को समझाना चाहिए, उनको नियमों का पालन करने के लिए कहना चाहिए। चाहे उधर बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों उनको कोई अधिकार नहीं है। जब मैं मना करता हूँ तो नहीं सुनते हैं। इसलिए आप लोग अपनी मीटिंग बुलाइए, जो नियम हैं उनका पालन करने के लिये समझाइए ताकि कार्य ठीक से चल सके और जो कार्य पद्धति है सुचारू रूप से चल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री राम आसरे वर्मा—**

व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूँ। व्यवस्था इस पर चाहूँगा कि मौजूदा शासन, शासन है या बनिये की दुकान। मैं आपके सामने आज के एजेण्डा में अतारांकित प्रश्न संख्या–41 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें प्रश्न किया गया था कि—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1975 जनवरी से दिसम्बर, 82 तक स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा तृतीय वर्ग (लिपिक) के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और उसमें पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन इन नियुक्तियों में किया गया ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न था और 'हाँ' या 'नहीं' में जवाब होना चाहिए था। जवाब मिलता है कि प्रश्न व्यापक है। सूचना एकत्रित करने में जितना समय और धन व्यय होगा, यह इससे होने वाले लाभ के अनुरूप न होगा।

प्रश्न को देख लें और उत्तर को देख लें, कितना अनुपयुक्त उत्तर दिया गया है। यह निदेशालय से सम्बन्धित प्रश्न था, इसमें 'हां' और 'नहीं' की बात थी। नियुक्तियों में शासन की नीति के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था थी या नहीं, इसमें 'हाँ' या 'नहीं' में जवाब चाहिए था। यदि आरक्षण नहीं रखा गया अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए तो जो शासन की नीति है कि आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए, शासन की उस नीति के परिपालन की व्यवस्था की बात कही गयी थी। जवाब में उसमें हानि और लाभ के लेखे-जोखे प्रस्तुत किये जाते हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मन्त्रियों को इस तरह से जवाब देने का अधिकार है या नहीं। अगर शासन का काम लाभ और हानि के आधार पर चलेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण हो चुका। इसलिए व्यवस्था चाहता हूँ कि यह शासन के क्रियाकलाप हैं या बनिये की दुकान है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री राम आसरे वर्मा जी की बात को सुना। जिस बात का जिक्र किया है, अतारांकित प्रश्न संख्या 41 और उसके उत्तर का, तो इसके बारे में जो उत्तर प्राप्त हुआ है कि प्रश्न व्यापक है। इसे एकत्रित करने में जितना समय और धन व्यय होगा।' वह इससे होने वाले लाभ के अनुरूप न होगा। इस सम्बन्ध में यदि पुरानी परम्पराओं को देखें और परिपाटी को देखें तो इसमें मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों का संकलन (1969-78) का यह पृष्ठ-43 है कि किसी प्रश्न के उत्तर में मन्त्री को यह कहने का अधिकार है कि प्रश्न के अन्तर्गत सूचना एकत्र करने में जो श्रम और धन व्यय होगा, उस अनुपात में लाभ नहीं होगा। इस प्रकार के निर्णय आज से नहीं हैं बल्कि हमेशा से शासन द्वारा इस प्रकार के उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में होते रहे हैं। लेकिन शासन के सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हालांकि यह उनका अधिकार है कि जनहित में बताना नहीं है या धन अधिक खर्च होगा, लेकिन इसके लिये अध्यक्ष से आज्ञा लेनी चाहिए और अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह देखे कि उनकी बात सही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है या नहीं। जब तक अध्यक्ष उसका निर्णय न दे दे कि आप कितना सही कहते हैं या गलत कहते हैं, उसे प्रस्तुत नहीं करना। भविष्य में इसका ध्यान रखें। श्री राम आसरे वर्मा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसकी मैं कोई उपयोगिता नहीं मानता और उसको समाप्त करता हूँ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1983†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 एवं तत्सम्बन्धित शुद्धि-पत्र†

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खाद्य तथा रसद अनुभाग–11 की अधिसूचना संख्या 1796/उन्नीस-ई-55-(ए)-75, दिनांक 25 मई, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 एवं तत्सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या 3951/उन्तीस-ई-55-(ए)-75, दिनांक 6 फरवरी, 1978 को, विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 41 की उप-धारा (42) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत 'किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गाँधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पीटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981' को उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। यह विधेयक विधान सभा द्वारा 21 सितम्बर, 1981 को पारित किया गया था और 11 मार्च 1983 को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित वापस प्राप्त हुआ है।

---

† छापा नहीं गया।

(1 बजकर 25 मिनट)

उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम की 3000 बसों के खराब हो जाने से यात्रियों के समक्ष उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

***परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)**—

फरवरी 1983 के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 5,821 बसें चलने योग्य थीं जिनमें से कुल 1624 बसें मरम्मत, रख रखाव आदि के लिए कार्यशालाओं में आफ रोड हैं। आफ रोड बसों का प्रतिशत 28 है जो वर्तमान में सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक है। निगम के उक्त बस बेडे के अतिरिक्त 482 बसें नीलाम के लिए अलग कर दी गयी हैं जिनमें से 319 बसों का नीलाम किया जा चुका है और शेष के संबंध में नीलाम की प्रक्रिया प्रगति पर है। उपलब्ध नई बसों का आबंटन विभिन्न डिपो के वर्तमान बस बेड़े, आवश्यकता आदि को देखते हुए उनमें किया जाता है।

उपर्युक्त 1624 आफ रोड बसों में 334 बसें ऐलन फारेस्ट कार्यशाला कानपुर में जीर्णोद्धार के लिए भेजी गयी है जिसमें सामान्य रूप से 3 माह का समय लग जाता है। शेष बसें क्षेत्रीय कार्यशालाओं व डिपो कार्यशालाओं में मरम्मत हेतु भेजी गयी हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद आवश्यक कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ताकि आफ रोड बसों की संख्या में कमी लायी जा सके।

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि निगम की मुख्य समस्या उसका पुराना बस बेड़ा है। दिनांक 31 मार्च 1982 को 953 बसें निर्धारित दूरी 4 8 लाख किलोमीटर पूरी कर चुकी थी। इनके अतिरिक्त 1222 बसें 4 लाख किलोमीटर चल चुकी थी जिनकी भी इस वर्ष के अन्त तक 4·8 लाख किलोमीटर पूरा करने की सम्भावना है। इस प्रकार 953+1222=2175 बसों की प्रतिस्थापन की आवश्यकता इस वर्ष में है। यदि उक्त सभी बसों को प्रतिस्थापित किया जाय तो इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अब तक परिवहन निगम को चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ तथा केन्द्र सरकार द्वारा एक करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। इस धनराशि में आन्तरिक श्रोत को सम्मिलित करते हुए निगम ने 227 नई बसों की व्यवस्था कर ली है। जीवन बीमा निगम से 1·35 करोड़ रुपया तथा आई० डी० बी० आई० में 4·50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिससे आगामी जून तक 200 और बसें प्रतिस्थापित हो जायेंगी।

निजी अनुबंधित बसों की संख्या 1000 तक करने का निर्णय लिया गया है। इस समय लगभग 700 बसें निगम द्वारा अनुबंधित की जा चुकी हैं।

यात्रियों द्वारा 4-5 घंटे की कथित प्रतीक्षा के संदर्भ में मार्गों पर निगम की पर्याप्त सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए संचालन अनुसूचियों को इस प्रकार बनाया जा रहा है कि लम्बी दूरी, मध्य दूरी एवं छोटी दूरी की सेवाओं में ऐसा ताल मेल किया जा सके कि जिससे यात्रियों को समुचित सुविधा मिल सके।

जहाँ तक राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनाधिकृत बसों के संचालन का संबंध है उनकी रोकथाम के लिये परिवहन आयुक्त संगठन, पुलिस विभाग व समय समय पर अभियान के रूप में जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही कराई जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री गौरी शंकर भैय्या—**

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम की 3,000 बसों के संबंध में मैंने अपना काम रोको का नोटिस दिया था। इस संबंध में आपने मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा था। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि मंत्री जी का यह वक्तव्य सत्य से परे है। जितनी बसें खराब हैं उनकी संख्या इस वक्तव्य में आनी चाहिए थी। इस सन्दर्भ में मान्यवर, मैं आँकड़े बतलाता हूँ कि सन् 1980-81 में उ० प्र० राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसों से 86·10 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी। सन् 1981-82 में इसी बस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या घटकर 41 करोड़ हो गयी। सन 1982-83 में यात्रियों की संख्या में और गिरावट आई और वह घटकर 25 करोड़ रह गयी। मान्यवर, पहले के मुकाबले में ठीक आधे संख्या के यात्रियों ने इनकी बसों से यात्रा की है। इसी संदर्भ में एक निवेदन और करना है कि 3,000 बसें खराब हैं और आपने कहा कि 1624 बसें आफ रोड हैं और 482 बसें नीलाम के लिए अलग कर दी गयीं हैं। परिवहन निगम की 216 बसें खराब पड़ी हुई हैं 4·8 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। इस प्रकार 2175 बसें ऐसी हैं जिनमे कोई न कोई खराबी है और उनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता है जिसके लिए परिवहन निगम को 50 करोड़ रुपये का खर्चा आने वाला है। आप जिस तेजी से बसों के प्रतिस्थापन का काम करते हैं और मरम्मत कराने का काम करते हैं तो जो 3,000 बसें खराब हैं उनके ठीक कराने में आपको कितने वर्ष लगेंगे और उस पर होने वाले धन की राशि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने तो निवेदन इस बयान में ही किया है कि जो बसे मरम्मत के लिए कार्यशाला में भेजी गयी हैं उनको ठीक होने में और सड़क पर आने में तीन महीने का समय लगेगा।

***श्री हुकम सिंह—**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जिन बसों के निर्धारित किलोमीटर आपके निगम ने तय कर दिये हैं यह मानकर चला जाता है कि वे एक निर्धारित सीमा तक चलेगी, तो क्या माननीय मंत्री जी इन बसों को जो निर्धारित किलो मीटर तय कर चुकी हैं, उनको नीलाम कर देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसके लिए एक कमेटी होती है, वह कमेटी देखती है कि 4·8 लाख किलो मीटर बस चल चुकी है, तो उसकी हालत कैसी है। अगर उसकी हालत ठीक नहीं होती है तो उसको अलग कर दिया जाता है और जिन बसों को यह कमेटी समझती है कि यह बसें निगम के लिए फायदेमंद होगी और वह जनता की सेवा के लिए प्रयोग की जा सकती हैं तो उसकी नीलामी नहीं की जाती है। 4·8 लाख किलो मीटर लिमिट है, उसके बाद वह आफ दि रोड हो जानी चाहिए थी, यह तो हमारे निगम का है, लेकिन मैंने कल बताया था कि 3·80 लाख किलोमीटर पर ही गाड़ी को आफ दि रोड हो जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री प्रभू नारायण सिंह—**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुन रहा था और वक्तव्य को देख रहा था, उसमें बतलाया गया है कि 4·8 लाख किलोमीटर के बाद बसें नीलाम कर दी जाती हैं और फिर कहा गया कि हमें रुपया प्रदेश सरकार, भारत सरकार, और जीवन बीमा से मिल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन बसों से कितनी आय हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी कि कितनी आय नीलामी से हुई ?

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने सत्य के अलावा सब कुछ बता दिया है, वे उसकी शारीरिक हालत देखकर परिवहन निगम के स्वास्थ्य का पता लगा रहे हैं। इन्हीं के अनुसार 1225 बसें इनके वर्कशाप में है और आने वाले वर्षो में करीब 2200 बसें आफ दि रोड इनको करनी पड़ेगी, तो इनको लगभग 5 हजार बसों की आवश्यकता होगी, उसके लिए 7 करोड़ रुपया है और आपको चाहिए एक अरब रुपया कम से कम। यह एक हजार बसों का अनुबन्ध कराने जा रहे हैं, इससे इस प्रदेश के संचालन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने वाला है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि निजी बसों को रायल्टी पर लेंगे जिससे आपकी समस्या दूर हो जाये।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

हमारे पास जो संसाधन हैं उनसे कुछ नई बसें खरीदेंगे लेकिन जो सुझाव माननीय मोहन सिंह जी ने दिया है उस पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। एक हजार निजी बसों को अनुबन्ध पर लेने का प्राविधान किया गया है। 700 से ऊपर बसें हमारे पास मौजूद हैं जो काम कर रही हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि और अधिक बसें ले ली जायें। रायल्टी पर 200 बसें चल रही हैं और सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि निगम अधिक से अधिक बसें अनुबन्धित करे और रायल्टी पर लेकर जनता की आवश्यकता को पूरा करें।

***श्री पंचानन राय—**

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यात्रियों द्वारा 4-5 घंटे की कथित प्रतीक्षा के सन्दर्भ में उनको इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो सके। मान्यवर, उनके हिसाब से तो जो यात्री वहाँ जाता है उनको बस उपलब्ध हो जाती है। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि अनधिकृत रूप से जो बसें चल रही हैं उनकी जाँच की जाती है। रोडवेज पर भीड़ लगी रहती है उनको सुविधा यह निगम नहीं दे पा रहा है। मेरे जनपद आजमगढ़ में जो बसें रात में चलती हैं उनमें 2-3 बसें रोज खड़ी हो जाती हैं और पूरी रात यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसको उन्होंने स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो अनधिकृत बसें पूरे प्रदेश में चल रही हैं, एक तो उनसे रोड टैक्स का नुकसान हो रहा है और दूसरे यात्रियों को पूरी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, क्या मंत्री जी उन बसों को अनुबन्धित कराकर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करायेंगे ? और क्या यह भी जांच करायेंगे कि जो इनके वर्क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शाप्स हैं उनमें इन बसों के देरी तक रहने के कारण कितनी हानि प्रतिवर्ष हो रही है जिससे निगम को घाटा हो रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अनधिकृत बसों के संचालन और उनको अनुबंधित करने की जो बात कही है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे भी हमारी इस सम्बन्ध में मदद करें। हमारा तो प्रयास है और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो अनधिकृत बसें सड़क पर चल रही हैं वे अनुबंध में या रायलटी में आ जांय। दसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कार्यशालाओं के बारे में कहा है कि वहाँ पर मरम्मत में गड़बड़ी हो रही है और उससे जो नुकसान हो रहा है उसके रोकने के लिए भी हमने प्रबन्ध किया है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनसे अलग से बात कर लूँगा और बता दूँगा कि क्या-क्या व्यवस्था हमने की है।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, आप इस वक्तव्य का पहला सेन्टेन्स देख लीजिये। इन्होंने कहा है कि फरवरी 1983 के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 5821 बसें चलने योग्य थीं जिनमें से कुल 1624 बसें मरम्मत, रखरखाव आदि के लिए चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 4200 बसें ही आपके पास आन रोड रही जो कि कुछ ही दिनों में ऑफ रोड हो जायेंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो आँकड़े आपने दिये हैं वे सही नहीं हैं और इन्हें आप फिर से चेक कर लें कि वास्तव में कार्यशाला में कितनी हैं और कितनी सड़क पर हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह जांच तो हमने शुरू कर रखी है कि कितनी गाड़ियां सचमुच में खराब हैं और कितनी ठीक हैं। जाँच जारी है। इसकी जानकारी कुछ ही दिनों में हो जायेगी कि गाड़ियों की क्या स्थिति है ? वैसे जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा है उसको किसी प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिया है, वह वास्तविक स्थिति है।

***श्री मेंहदी असगर—**

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि निजी अनुबंध की बसों की संख्या 1 हजार तक कर देंगे लेकिन जो तीन हजार कर्मचारी मिस्त्री टाइप के हैं उनका भाव भी बढ़ जायेगा। दूसरी बात मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे रूट्स पर जहाँ पर प्राइवेट बसें चल रही हैं वहाँ सरकारी बसों को करने की बात कही है, उनको आप इस लिये परमिट नहीं दे रहे हैं। इसलिये प्राइवेट बसों की भीड़ है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। आप उनको ओपिन कर दें तो आपको फायदा ही होगा। आपको पैसा मिलेगा और जो गरीब आदमी इनमें सफर करते हैं उनको सुविधा और राहत मिलेगी। एक बात यह कि आपका यह निगम 56 करोड़ के घाटे पर पहुंच गया है। तो क्या आप इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए 5-10 माननीय सदस्यों की एक समिति बनायेंगे जो विचार करके घाटा कम करने पर अपने सुझाव दे सके ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विधायकों की एक स्थाई समिति बनी हुई है जो समय समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव देती रहती है। कार्यशाला का जहाँ तक प्रश्न है, केन्द्रीय कार्यशाला भंडार में इस वक्त 75 प्रतिशत पार्ट्स मौजूद हैं और यह पार्ट्स टाटा कं० तथा लेलैंड कम्पनी के हैं। 80 प्रतिशत पार्ट्स लेलैंड कम्पनी के हैं। मरम्मत का काम बहुत तेजी से हो रहा है और जल्दी ही बसों की मरम्मत कराकर उनको रोड पर लाया जायगा।

***श्री अकबाल हुसैन—**

मान्यवर, जहाँ पर कल पुर्जे नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर तो बहाना मिल गया कि खराब होने और न ठीक होने का। मैं सूचना के लिए बताना चाहता हूँ कि गोंडा जनपद में 40 बसें इसलिए खड़ी हैं कि टायर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्या मंत्री जी शीघ्र टायर उपलब्ध कराकर उन बसों को, जो केवल टायर न होने के कारण नहीं चल पा रही हैं, चलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

टायरों की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही बसें चलने लगेंगी।

***श्री धनीराम वर्मा—**

हमारे निर्वाचन क्षेत्र औरइया, जनपद हैडक्वार्टर इटावा में हाईवे और राष्ट्रीयकृत मार्ग पर, आपकी बसें चलती हैं, उसके साथ ही 26 बसें अनधिकृत रूप से चल रही हैं, जो मिनिस्टरों, एम० पी० तथा अन्य कांग्रेसियों की हैं। उनके साथ-साथ कुछ पुलिस के लोग भी चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप तो लम्बी सूचना दे रहे हैं, प्रश्न क्या है ?

श्री धनीराम वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी सी. आई. डी. द्वारा इसकी जांच करवा कर इन अनधिकृत बसों को चलाने वालों पर कार्यवाही करेंगे और यह देखेंगे कि वे क्यों चल रही हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जांच करवा ली जायेगी। मैंने बताया था कि हमारे यहां इसी काम के लिये हमने कई चेकिंग स्क्वायड बनाये हैं जो इसको देखते हैं।

श्री धनीराम वर्मा—

मैं सी. आई. डी. से चाहता हूँ। (व्यवधान)

***श्री अजीत सिंह सेठी—**

प्रश्न यह है कि बेड़े की बसें जो थीं आपके पास वह 5,821 हैं जो चलने योग्य थीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इनमें से 1624 खराब हैं 2175 बसें हैं जो अपना निर्धारित सफर 4.8 लाख किलोमीटर का पूरा कर चुकी हैं और इसलिये खराब हालत में पड़ी हैं।...

3499 बसें नीलाम लायक हैं और 2022 बसें केवल कार्य कर रही हैं। इन्होंने अपने योजना के मुताबिक सेंटर से 227 बसें लेने, जीवन बीमा निगम से 200 बसें लेने तथा 3 सौ बसें निजी लोगों से लेने का प्रोग्राम रखा है। इस प्रकार कुल 727 बसें लेकर कुल इनके पास 27 सौ बसें होंगी। तो इतने बड़े प्रदेश में जहां 12 करोड़ आदमी रहते हैं किस तरह काम कर सकेंगे। आप निगम द्वारा कौन सी बसें चला पायेंगे किस प्रकार इसको पुनर्जीवित कर सकेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि 50 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है तब जाकर जो आफ दि रोड बसें हैं उनको रिप्लेस कर पायेंगे। लेकिन साधनों की बात है उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिये।

श्री गोरी शंकर भैय्या—

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आपने अपने वक्तव्य में दो तीन बातों का जिक्र किया एक तो यह कि अवैध बसों को पकड़ने के लिए पुलिस इन्तजाम कर रही है। तो नियम 51 में एक सूचना दी गयी है कि पुलिस वाले अवैध बस वालों से पैसा वसूल करते हैं जो पैसा नहीं देता है उसका उदाहरण दिया कि एक ट्रक वाले को गोली मार दी। हमारे जनपद बलिया में रोडवेज और निजी बस वालों के बीच में भयंकर झगड़ा हो गया उसके विरोध में आपकी कार्यशाला वहां बंद रही। वे रोडवेज स्टेशन के सामने खड़े रहते हैं। तीन दिन बाद फिर वहां आपका दफतर बंद होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—

आप वक्तव्य दे रहे हैं या स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भैय्या—

आपकी बसों में 12 प्लाई का टायर सप्लाई होना चाहिये लेकिन 8 प्लाई का टायर सप्लाई होता है आप सामने सिटी बस को रुकवा कर देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन जिलों में बसें नीलाम हो गयी उससे वहां बसें कम हो गयी जैसे हमारे यहाँ बलिया में 17 बसें नीलाम कर दी गयीं। तो जिन जिलों में बसें नीलाम कर दी गयी हैं क्या उन जिलों को नयी बसें प्राथमिकता पर देने पर विचार करेंगे ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब निगम को....

श्री अध्यक्ष—

इतना समय हो गया अभी आपका एक ही सवाल हो पाया है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

जब निगम को इतना घाटा हो रहा है तो उसको तोड़ कर सरकारी नियंत्रण में लेने का काम करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिन जिलों में बसें बहुत खराब हालत में हैं वहां नयी बसें आने पर निश्चित ही उन जिलों को नयी बसें देंगे और मरम्मत करके उनको ठीक करेंगे। दूसरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि निगम को तोड़ कर सरकारी नियंत्रण में लिया जाय।

वक्तव्यों के स्पष्टीकरण में अधिक समय लेने के संबंध में आपत्ति

***श्री रियासत हुसैन—**

(मद संख्या 8 (ख) पुकारने पर) मान्यवर, इससे पहले कि आप स्टेटमेंट लें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो एजेंडा पर इस समय वक्तव्य है वह केवल वक्तव्य के लिए होते हैं। आज राजस्व की इंपार्टेंट मांग है अगर इस प्रकार ही समय लगेगा तो तीन वक्तव्यों में ही 3 बज जायेंगे। इसमें तो एक दो स्पष्टीकरण हुआ करते हैं। इस प्रकार तो ग्रांट नहीं ले पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप सही बात कह रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि स्पष्टीकरण में केवल दो तीन ही सवाल होने चाहिये इसका भविष्य में ध्यान रखें।

फैजाबाद शहर में तरंग सिनेमा के सामने सशस्त्र गुटों के बीच गोली चलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

***हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)**

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-3-83 को बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में अपराह 3 बजे बाढ़ सुरक्षा कार्यों में उपयोग में आने वाले सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदायें (टेण्डर) आमन्त्रित की गयी थीं, जिन्हें अपरान्ह 3-30 बजे खोला जाना था। अन्य ठेकेदारों के अतिरिक्त दो प्रमुख ठेकेदार श्री कृष्णकिंकर सिंह उक्त ठेके का कुछ कार्य अपने पक्ष के श्री महेश सिंह के नाम से तथा श्री बृजभूषण सिंह अपने पक्ष के श्री रणजीत सिंह के नाम से लेने के इच्छुक थे। दिनांक 3-3-83 को उपरोक्त श्री महेश सिंह तथा श्री रणजीत सिंह उक्त कार्यालय में टेण्डर फार्म लेने गये। वहां उसमें आपस में कुछ कहा सुनी हो गयी और कहा जाता है कि श्री रणजीत सिंह ने श्री महेश सिंह को डरा धमका कर भगा दिया।

2—दिनांक 4-3-83 को मध्यान्ह 12 बजे से कुछ बन्दूक व राइफलधारी व्यक्ति जीपों व कारों से उक्त कार्यालय पर आये। एक दल जिसके अगुआ श्री बृजभूषण सिंह निवासी विश्नोहरपुर जनपद गोंडा थे बाढ़ कार्यालय पर पहले आये। इसके बाद दूसरे दल के अगुआ श्री कृष्ण किंकर सिंह निवासी बेलाड़ी जनपद बस्ती अपने साथियों के साथ वहाँ आये। इनके आते ही सड़क पर कृष्ण किंकर सिंह व बृजभूषण सिंह की कुछ कहा सुनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई और एक पक्ष को यह कहते सुना गया कि टेण्डर चेलेन्ज से होगा। तत्पश्चात दोनो पक्षों ने पोजीशन लेकर एक दूसरे पर गोली चलानी आरम्भ कर दी तथा बृजभूषण सिंह की ओर से मुन्ना मल्लाह ने कृष्ण किंकर सिंह के दल के ऊपर एक फौजी ग्रेनेड फेंका जो विस्फोटित नहीं हुआ।

3 — घटना की सूचना मिलते ही पर्याप्त पुलिस फोर्स कई जीपों में घटना स्थल की ओर रवाना हुआ और कुछ फोर्स ने अभियुक्तगण जो दो जीपों में गोंडा तथा बस्ती की ओर भाग रहे थे का पीछा किया किन्तु अभियुक्तगण भागने में सफल हो गये। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने एक अभियुक्त ओम प्रकाश सिंह, जो बृजभूषण सिंह का समर्थक है, को एक दुनाली बन्दूक व कारतूसों सहित मौके पर गिरफ्तार किया तथा अभियुक्तगण द्वारा वहाँ छोड़ी गई एक एम्बेडर कार जो श्री कृष्ण किंकर सिंह द्वारा प्रयोग की गई थी एक फियेट कार जो श्री बृजभूषण सिंह द्वारा प्रयोग की गयी थी) चार जीपें, 4 मोटर साइकिलें, एक साइकिल, 49 जिन्दा कारतूस, 35 चले हुये कारतूसों के खोखे बरामद किये गए। घटनास्थल पर ही पुलिस ने एक शक्तिशाली आर्मी बम, जो विस्फोटित नहीं हुआ था पाया, जिसका सेना अधिकारी से सम्पर्क कर निस्तारण किया गया। पुलिस ने वहाँ दो मृतक भी पाये जिनके नाम बाद में श्री रवीन्द्र सिंह(बृजभूषण सिंह के दल का) तथा शेर बहादुर सिंह (श्री कृष्ण किंकर सिंह के दल का) ज्ञात हुआ। मृतकों के शव परीक्षण हेतु भेजे गये जिसमें मृत्यु गन शाट द्वारा हुई पायी गई है। घटना स्थल पर जनता का और कोई व्यक्ति या राहगीर हताहत नहीं हुआ। दिनांक 4-3-83 को बाढ़ कार्यालय पर नियुक्त किये गये एक सब इन्सपेक्टर तथा एक हेड कान्सटेबिल तथा 3 कान्स्टेबिल द्वारा स्थिति का समुचित आकलन न करने, लापरवाही बरतने तथा आदेशों की अवहेलना करने के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

4 — उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली फैजाबाद में अपराध अंतर्गत धारा 147/148/149/302 भा० द० वि० बनाम अभियुक्त कृष्ण किंकर सिंह व 15-20 अन्य अज्ञात तथा अपराध अन्तर्गत धारा 147/148/149/302 भा०द०वि० बनाम अभियुक्त बृजभूषण सिंह ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य पंजीकृत हुये है। इनकी विवेचना थानाध्यक्ष कोतवाली द्वारा प्रारम्भ की गई। दौरान विवेचना श्री बृजभूषण सिंह के दल के अभियुक्त राजेन्द्र कुमार गुप्ता व मुन्ना मल्लाह बन्दी बनाये गये। श्री गुप्ता के पिता की लासेन्सी बन्दूक जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। भागे हुये अभियुक्तों की तीन अन्य बन्दूके भी पुलिस द्वारा बरामद की गई। इसी संबंध में श्री मानिक लाल को अपनी लाइसेन्सी बन्दूक अपने पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता को प्रयोगार्थ दिये जाने के अपराध में आर्म्स एक्ट 27 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

5 — उपयुक्त घटना के संबंध में श्री कुलदीप लाल बस्ती का एक तार थाना कोतवाली में प्राप्त हुआ जिसमें उसने अपने पांच सहयोगियों के साथ विपक्ष के श्री बृजभूषण सहित 7 व्यक्तियों की घटना के समय उपस्थिति बतायी। बन्दी श्री ओम प्रकाश ने घटना के दिन अपने 4 अन्य साथियों सहित विपक्ष के श्री कृष्ण किंकर सहित 6 व्यक्तियों की वहाँ उपस्थिति बताई है। मामले की विवेचना की जा रही है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

6 — स्थिति सामान्य है।

***श्री रियासत हुसैन —**

जैसा कि वक्तव्य आया है और जिसकी सूचना मैंने नियम 56 में चाही थी, पूरे प्रदेश में चाहे पुलों के ठेके हों, ईरीगेशन विभाग के नहरों के ठेके हों, या शराब के ठेके,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

हों, उन्हें गुंडे, बदमाश और हेकड़ किस्म के लोग लेते हैं, जिनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है वह चाहे जिस तरफ का हो, इसके चलते ला एण्ड आर्डर की इतनी बड़ी घटना सामने आ गयी है। इसको देखते हुए क्या सरकार ऐसी कोई पालिसी बनाएगी कि जो इस तरह के ठेकेदार हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनको किसी कीमत पर भी ठेके न मिलने पायें ?

श्री गुलाब सेहरा —

रियासत साहब का कहना ठीक है, इसको शासन बहुत गम्भीरता से ले रहा है। टेण्डर में या अन्य किसी तरह से कोई बात होती है तो उसे ब्लैक लिस्ट करके या अन्य कोई दण्ड निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है। और सुरक्षा पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

(कई लोगों के खड़े होने पर)–जिन लोगों के इसमें नाम लिखे हैं, जिन्होंने वक्तव्य के लिए निवेदन किया है, वह प्रश्न पूछेंगे···(व्यवधान)

***श्री मोहनसिंह —**

मैंने भी दिया था। मान्यवर, इनके वक्तव्य के तीसरे पैरा में लिखा है–अभियुक्तगण जो दो जीपों में गोंडा तथा बस्ती की ओर भाग रहे थे का पीछा किया गया किन्तु अभियुक्तगण भागने में सफल हो गये, फैजाबाद से बस्ती एक ही सड़क है, मुख्य एक ही रास्ता है और उस रास्ते पर 6 महत्वपूर्ण थाने हैं और 60 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपके पास इतने अच्छे संचार के साधन होने के बावजूद, इतनी बड़ी नृशंस घटना करने के बाद अभियुक्तगण साफ भाग गये। वहाँ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा पुलिस फोर्स माँगने के बावजूद न दिये जाने के कारण इतनी बड़ी दूरी पार करके निकल जाते हैं, तो आपने इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक हैं, जिन्होंने माँगने के बावजूद फोर्स न देकर डंडेवाली तीन पुलिस भेज दीं ? हैण्ड ग्रेनेड और सेना के वापिस इस्तेमाल किये गये और इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी वह सीधे सड़क से भाग जाते हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, बस्ती वे चले गये, ऐसा तो कहीं वक्तव्य है नहीं। बीच में रास्ते में कहीं गायब हो सकते हैं, छुप सकते हैं। दूसरी बात जो सुरक्षा की है अधिशासी अभियन्ता ने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को लिखा और थानेदार ने कहा कि सशस्त्र सिपाही भेज दिये गये हैं और वह भेज दिये गये। लेकिन सिपाही सशस्त्र नहीं ले गये। उसने घटना का आकलन सही नहीं किया और इस बात का पहले से विचार नहीं किया, इसीलिए उन कांस्टेबिल, सब कॉंस्टेबिल, और हैड कॉंस्टेबिल को सस्पेंड किया गया है।

श्री मोहन सिंह—

मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि थानाध्यक्ष ने लिखा कि सशस्त्र पुलिस वहाँ भेजी जाए, लेकिन वह पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण में रहती है। वहाँ पर पी०ए०सी०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न भेजने के लिए जो दोषी हैं, उन पर कोई कार्यवाही न करके, आपने डंडेवाली पुलिस के खिलाफ कार्यवाही कर दी, शस्त्रधारी पुलिस जिन्होंने नहीं दी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और जो ड्यूटी पर चले गये, उनको आपने सस्पेंड कर दिया ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि अधिशासी अभियन्ता ने पत्र लिखा था कि पुलिस फोर्स भेजी जाय। थानाध्यक्ष ने इस बात की व्यवस्था की जो फोर्स मांगी जा रही है वह दे दी जाय। उन्होंने चौकी से कहा कि चौकी की फोर्स चली जाय। चौकी की फोर्स में थानेदार अपनी पिस्तौल लेकर गया लेकिन सिपाही अपने आर्म्स नहीं ले गये। जो सब इंसपेक्टर था उसने इस बात का आकलन नहीं किया इसीलिये सस्पेंड किया गया। पुलिस अधीक्षक की बात इसमें कहां आती है। उन्होंने सम्बन्धित थानाध्यक्ष से माँगा था।

श्रीराम गोविन्द—

मान्यवर, जिस दिन यह घटना घटी थी उसके एक दिन पहले इस आफिस में झगड़ा हुआ था। तो इसकी सूचना क्या कार्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने पुलिस थाने में दी या नहीं। यदि सूचना दी तो कौन सा कारण था कि दूसरे दिन गुंडे टाइप ठेकेदारों को घटनास्थल पर आने से नहीं रोका गया। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, वक्तव्य में है। केवल 3 तारीख को कहा सुनी हुयी थी, महेश सिंह और दूसरे व्यक्ति में। इसकी सूचना थानाध्यक्ष को नहीं है।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, वास्तविक सूचना तो यह है कि एक दिन पहले उस कार्यालय में जबरदस्त मारपीट हुयी थी और उसकी सूचना कार्यालय के लोगों ने थाने को दी थी लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने इस विषय में एतिहाती कार्यवाही नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप दूसरे दिन इतनी बड़ी घटना हो गयी। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की साजिश से यह घटना हुयी है। तो क्या इस प्रकरण की सी०आई०डी० से जाँच कराकर दोषी उच्च पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, लगता है माननीय सदस्य ने वक्तव्य पढ़ा ही नहीं है। वक्तव्य में स्पष्ट लिखा है कि उनमें कहा सुनी हुयी थी। मान्यवर, झगड़े की कोई सूचना पुलिस अधीक्षक को या कन्सर्न्ड थाने को नहीं है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आगे बढ़ें हम लोग, अभी बहुत काम है करने के लिए।

(शिक्षा मन्त्री के पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

माननीय शिक्षा मन्त्री नहीं हैं ।

(सदन में शिक्षा मन्त्री के तुरन्त आने तथा सम्बन्धित वक्तव्य पढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष—

एक निवेदन मैं करूँगा । यह वक्तव्य बहुत बड़ा है । सभी माननीय सदस्यों को कापी मिल चुकी है । तो क्या सदन की अनुमति है कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बाराबंकी जिले के सरस्वती जयंती हायर सेकेण्ड्री विद्यालय के सी०टी० ग्रेड के अध्यापक श्री शेर बहादुर सिंह की आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

स्व० श्री शेर बहादुर सिंह, श्री सरस्वती जयन्ती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी में सी० टी० वेतनक्रम में कला अध्यापक थे । स्व० श्री सिंह जुलाई, 1982 में बीमार पड़े और वे 5-7-1982 से 21-9-1982 तक चिकित्सा अवकाश पर रहे । स्वस्थ्य होने पर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने गये, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया, क्योंकि उन्होंने चिकित्सा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां न प्रस्तुत करके उनकी फोटो स्टेट प्रतियां प्रस्तुत की थीं, जो विद्यालय के अधिकारियों को मान्य नहीं थीं । स्व.श्री सिंह ने इस मामले की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी को अपने पत्र दिनांक 6-11-1982 द्वारा दी । फिर अपने पत्र दिनाँक 19-11-1982 में आमरण अनशन की नोटिस दी । इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी ने 1-12-1982 को उन्हें सूचित किया कि उनके प्रकरण में सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक को चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने और उनको कार्यभार ग्रहण कराने हेतु लिखा जा चुका है । इसलिये वे अनशन की बात छोड़ दें ।

2—स्व० श्री सिंह को चिकित्सीय अवकाश प्रबन्धक ने स्वीकृत नहीं किया । दिनांक 3-12-1982 को स्व० सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी को फिर प्रार्थना - पत्र दिया, कि उनके प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाय, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 3-12-1982 को पुनः प्रबन्धक को लिखा कि स्व० श्री सिंह ने चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही संपादित करते हुए वेतन बिल प्रेषित करें और उन्हें कार्यभार भी ग्रहण करायें । साथ ही साथ स्व० श्री सिंह को भी मूल रूप में मेडिकल सर्टीफिकेट प्रधानाचार्य को देने और विद्यालय उपस्थित होकर कार्य करने के लिए कहा गया । किन्तु स्व० सिंह दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी, 1983 के महीनों में जिला विद्यालय निरीक्षक को ही पत्र लिखते रहे कि वे चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करायें और वेतन दिलायें । दिनांक 1-2-1983 को उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को आमरण अनशन की नोटिस पुनः दी । इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री फैयाज अहमद रिजवी, सहायक परिवेक्षक को 1-2-1983 को निर्देश दिया कि 2-2-1983 को वे विद्यालय में उपस्थित होकर स्व० श्री सिंह को कार्यभार ग्रहण करायें । यथानुसार सहायक पर्यवेक्षक ने उन्हें विद्यालय में 2-2-1983 को कार्यभार ग्रहण करा दिया । किन्तु यह विवादित रहा । दिनांक 4-3-1983 को जिला विद्यालय निरीक्षक से 5-7-82 से 22-9-1982 तक का वेतन दिलाने का अनुरोध स्व० श्री सिंह ने किया

और एक दूसरा पत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने 4-3-1983 से अनशन पर होने की सूचना दी। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 5-3-1983 को प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को वेतन भुगतान हेतु लिखा। स्व०श्री सिंह के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 5-3-83 को यह भी लिखा कि उनका अवशेष वेतन फरवरी, 1983 के अन्य अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन बिल के साथ प्रस्तुत किया जाय, अन्यथा वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत इसका भुगतान करा दिया जायगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

3—दिनांक 6 मार्च, 1983 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में परीक्षा सम्बन्धी कार्य हो रहा था। स्व० श्री सिंह कार्यालय में ही बाहर बैठे थे। लगभग 12 बजे दिन में स्व० श्री सिंह को पक्षाघात का दौरा हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना दी और स्व० श्री सिंह को जिला सरकारी अस्पताल ले गये और उन्हें वहाँ भर्ती कराया तथा उनकी देख-रेख के लिये समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दी। दिनांक 7-3-1983 को अपने कार्यालय के श्री हौसला प्रसाद सिंह कृषि अध्यापक को स्व० श्री सिंह के घर वालों को जानकारी देने हेतु त्रिवेदीगंज भेजा गया तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी सूचना भेजी। उन्होंने वापस आकर बताया कि स्व० श्री सिंह का कोई सम्बन्धी त्रिवेदीगंज में नहीं रहता है। स्व० श्री सिंह की दशा में सुधार न हो सका और उनकी 10-3-1983 को रात्रि में 8 बजकर 10 मिनट पर मृत्यु हो गई। जिला विद्यालय निरीक्षक सूचना मिलते ही अपने कुछ अन्य कर्मचारियों सहित अस्पताल गये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्व० श्री सिंह के शव को शवगृह में रखवा दिया। दूसरे दिन 11-3-1983 को कुछ अध्यापकगण शव प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी, बाराबंकी से मिले, क्योंकि उनका यह कहना था कि स्व० श्री सिंह का कोई वारिस नहीं है। इनमें से श्री कैलाश नारायण तिवारी एवं श्री विनय भूषण घोष प्रमुख थे। लखनऊ से श्री ओमप्रकाश शर्मा भी आ गये थे किन्तु जिलाधिकारी ने स्व० श्री सिंह के शव को उनके सम्बन्धियों को ही दिये जाने का निर्देश किया।

4—स्व० श्री सिंह के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 11-3-83 को किया गया, जिससे यह मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु कोमा तथा सेरेब्रल थ्राम्बोसिस से हुई है। तदुपरांत स्व० श्री सिंह के शव को उनके मूल निवास ग्राम थाना-नगराम को पुलिस संरक्षण में ले जाया गया और वहाँ उनके घरवालों के न मिलने पर पुनः शव को ग्राम जमालपुर ढ़ढ़री पोस्ट करोरा तहसील मोहन लाल गंज जिला लखनऊ ले जाया गया। वहाँ उनके घरवालों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के समय स्व० श्री सिंह के पिता श्री रामपाल सिंह तथा उनके बहनोई श्री रामेश्वर सिंह तथा उनके भतीजे श्री माधव सिंह आदि मौजूद थे। शव के साथ शिक्षा विभाग के उप-विद्यालय निरीक्षक श्री रमाकान्त अस्थाना तथा कुछ कर्मचारी भी गये थे।

5—अध्यापक कल्याण कोष से मृतक श्री सिंह की माता श्रीमती यशोदा को एक हजार रुपया दिया गया।

6—जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उक्त विद्यालय का मास फरवरी, 1983 का वेतन बिल जब दिनांक 8-3-83 को प्राप्त हुआ, तो उसमें स्व० श्री सिंह का वेतन नहीं लगा था। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक ने 24-9-1982 से 31-1-83 तक का उनका वेतन रुपये 2803-25 उनके बैंक खाते में चैक द्वारा 9-3-1983 को भेज दिया।

शिक्षा मंत्री द्वारा पढ़े गये वक्तव्य में कतिपय शब्दों के अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में लिखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, आपने पढ़ा हुआ मान लिया इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नियम 282 की ओर मान्यवर, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें यह है कि इस आदरणीय सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हैं इसलिए मैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप में इसे उठाकर सदन का समय ले रहा हूँ।

मान्यवर, इस वक्तव्य के, पृष्ठ-2 की खण्डिका 4 जो है, उसकी दूसरी पंक्ति देखने की कृपा करें। लिखा है कि स्व० श्री सिंह के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 11-3-83 को किया गया, जिससे यह मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु कोमा तथा सेरेब्रेल थ्राम्बासिस से हुई है। यह जो लिखा है, यह रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मान्यवर, यह दोनों अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। यह अंग्रेजी में लिखना खिलाफ है, यहां की भाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि है। मान्यवर, आप लिबरल हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं, अंग्रेजी के किसी शब्द का हिन्दी माननीय सदस्य को मालूम है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पोस्टमार्टम शब्द का इस्तेमाल किया जाय, लेकिन उसकी लिपि देवनागरी है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। यह अंग्रेजी में और रोमन स्क्रिप्ट में जो शब्द लिखे गये हैं, यह घोर आपत्ति जनक हैं। मान्यवर, आप पूर्व के दृष्टांत देखें, कभी आदरणीय सदन में ऐसी व्यवस्था नहीं रही। लेकिन अब धीरे-धीरे सत्तारूढ़ दल की ओर से, हमारी ओर से गल्ती हो सकती थी, यह भी परम्परा बनती चली जा रही है। हम लोग हिन्दी को बढ़ाना चाहते हैं, और यह इसे पीछे घसीट रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि इन शब्दों को निकलवा दें और इनकी जगह हिन्दी देवनागरी लिपि का प्रयोग करा दें, तभी इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जायेगा अन्यथा नहीं माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको स्थगित करता हूँ। आपको ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी के शब्दों को क्यों लिखा जाता है ?

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, यह डिजीज का नाम है।

पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें यह परम्परा खत्म करने के लिए, मैं इसको स्थगित रखता हूँ। कल इसको रखा जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण है। अभी आपने आदेश दिया कि हिन्दी में अनुवाद, तो मान्यवर, जो हमारी यह रिपोर्ट है, उसमें जो कोमा शब्द रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, मान्यवर, वह मेडिकल शब्द है, उसकी हिन्दी····

श्री अध्यक्ष—

जो कोमा शब्द है और जो दूसरा शब्द है उसका हिन्दी में लिखवाइये। अब इसको कल लिया जायेगा।

विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा कानपुर फैक्ट्री एरिया, फजलगंज में बसी हरिजन बस्ती को हटवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

नगर विकास मन्त्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

कानपुर नगर में फजलगंज फैक्ट्री एरिया में कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं, जिनमें कुछ हरिजन तथा गैर हरिजन रहते हैं। संदर्भित प्लाट को कई वर्ष पूर्व नियमानुसार आवंटित किया गया था। आवंटियों द्वारा विकास प्राधिकरण, कानपुर से प्लाट का कब्जा दिलाने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया गया। परन्तु जिन व्यक्तियों की झोपड़ियां इस स्थान पर बनी हुई थीं, उन्होंने दीवानी न्यायालय से 4 मार्च, 1983 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जिस स्थान पर झोपड़ियां बनी हुई हैं वह अनधिकृत रूप से बनी हुई हैं। जहाँ एक ओर शासन की यह नीति है कि सभी नगरों का सुनियोजित ढंग से विकास हो और अनधिकृत अतिक्रमण न हो, वहाँ दूसरी ओर शासन इस बात के लिये कटिबद्ध है कि दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को अधिक से अधिक आवासीय सुविधा प्रदान की जाय। इसके लिये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग के आवासों के आवंटन हेतु वह सभी व्यक्ति पात्र हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं। यदि इस श्रेणी के व्यक्तियों को हटाना आवश्यक ही होगा जिन्होंने अनधिकृत कब्जा कर रखा है, तो उन्हें वैकल्पिक आवास नियमानुसार शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत आज 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री धनीराम वर्मा—

आज की परिस्थितियों को देखते हुए, यह बहुत कम हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप और दे दीजिए। (हँसी) इसके अन्तर्गत, पहली सूचना श्री बलवीर सिंह की रामपुर जनपद की नगरपालिका स्वार के अन्तर्गत सिविल अस्पताल की मरम्मत न किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, फर्रुखाबाद में दरोगा द्वारा गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में है और यही श्री धनीराम वर्मा की है, इसके आगे श्री रुद्र प्रताप सिंह देवरिया, कप्तानगंज शुगर मिल का

[श्री अध्यक्ष —]

पानी गंडक नदी में गिरने से पानी के विषाक्त होने के सम्बन्ध में है और श्री यही हरिवंश सहाय की है। उससे आगे हैं श्री कुवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की सरकार द्वारा शासन तन्त्र का पार्टी हित में दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की भी यही है उससे आगे श्री मोहन सिंह की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमिताओं के सम्बन्ध में, उसने आगे श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की खाद्य एवं रसद विभाग में है कर्मचारियों को प्रान्नति न किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे मोती लाल देहलवी का बांदा की कचहरी में हरिजन विधवा द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में, उससे आगे श्री कुबेर भंडारी की देवरिया में जंगल पार्टी द्वारा उत्पात किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे हैं श्री मित्रसेन की फैजाबाद में 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री खैरूल बशर का उन्नाव के हाजी मस्तान कहे जाने वाले सरजू लाला के यहाँ नाजायज माल बरामद होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी न किये जाने के संबंध में, उससे आगे श्री सन्त बख्श रावत की ग्राम्य विकास के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री इकबाल हुसैन की गोण्डा जनपद के ग्राम संग्रामपुर में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में, उससे आगे श्री गौरी शंकर भैय्या की, उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने की घोषणा के सम्बन्ध में उससे आगे श्री रियासत हुसैन, श्री अकबाल हुसैन, श्री राम गोविन्द की वाराणसी में हरिजनों को सवर्णों द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में और उससे आगे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, मेरठ में आयोजित एक समारोह में भाग लेने गई दो बहनों के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में। मैंने इन सबको देखा और सुनने के लिये केवल तीन श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम आसरे वर्मा और श्री रियासत हुसैन को स्वीकार किया है। मैं निवेदन करूँगा कि 2-2 मिनट में ग्राह्यता के बारे में आप अपनी बात कहें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

श्रीमन्, 16 मार्च 83 को प्रातः काल 8 बजे फर्रुखाबाद में गुरुसरायगंज में जो नगरपालिका है एक पुलिस कर्मी द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। मैं ग्राह्यता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, जिस समय गोली चलाई 8 बजा था। मान्यवर, एक आम प्रथा बन गयी है कि जब कोई व्यापारी अपना सामान उतारता है तो उससे पुलिस वाले लम्बा पैसा मांगते हैं। उससे लम्बे पैसे की मांग कर रहे थे और उसने देने से इंकार किया जिसका परिणाम यह हुआ कि उसको गोली मार दी गई। इसके बाद चौकी के जितने पुलिस कर्मी थे वहाँ पर आकर आम जनता पर आक्रमण बोल दिया और उसका परिणाम यह निकला कि आस पास के गावों के सम्पूर्ण बस्ती के लोग आ गये। पुलिस और जनता में मारपीट हुई, जनता पर लाठी चार्ज किया गया और परिणाम यह हुआ कि चौकी के सारे कागजात जलकर राख हो गया। पुलिस लाठी चार्ज से घायल हुये लोगों को अस्पताल नहीं भेजा गया और न कोई व्यवस्था हुई। वहाँ पर लोगों को बुलाकर धमकाया जा रहा है कि आप इस प्रकार का बयान दीजिये। जबरदस्ती बयान लिया जा रहा है। इससे सारे नगर के अन्दर उत्तेजना व्यापत है और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी नियम 56 के अन्तर्गत सूचना को स्वीकार करके चर्चा कराने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, खागा का रह गया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको तो आज्ञा दिया नहीं ।

***श्री धनीराम वर्मा—**

मान्यवर, खागा का रह गया । मैंने नियम 56 के अन्तर्गत खागा और फर्रुखाबाद की घटना को निवेदित किया है । इस समय सारे प्रदेश में पुलिस राज्य है । यह शासन जो पुलिस के बल पर बूथ कैपचरिंग करके आया है पुलिस पर इसकी पकड़ नहीं रह गई है । इसका परिणाम यह है कि कहीं पुलिस कर्मी बालिका के साथ बलात्कार कर रहे हैं, कहीं किसी को गोली मार रहे हैं, कहीं पर पुलिस वाले गलत तरीके से कोई पैसा वसूल कर रहे हैं और वह नहीं देता है तो उसे गोली मार देते हैं । इस तरह से गलत वसूली करने पर भी जब लोगों ने पैसा नहीं दिया तो उनको गोली मार दी····

श्री अध्यक्ष—

तो जो आप बात कह रहे हैं वही तो राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने कहा है । संक्षेप में आप अपनी बात कहें ।

श्री धनीराम वर्मा—

तो इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आप चर्चा करा लें और जो पुलिस का भ्रष्टाचार है, मनमानी है, उसको किसी तरह से समाप्त किया जाय ।

***श्री राम आसरे वर्मा—**

अभी कुछ दिन पहले उन्नाव जनपद के हाजी मस्तान, सूरज लाला, ···

श्री अध्यक्ष—

क्या कहा आपने, हाजी मस्तान कहे जाते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

जी जाँ, उन्नाव जिले के हाजी मस्तान कहे जाते हैं, अभी पुलिस और आय कर विभाग वालों ने छापा डाला तो 27 लाख रुपया, 15 लाख के आभूषण, 43 क्वींटल गांजा बरामद किया । इनता बड़ा कुख्यात अपराधी है वह उन्नाव जनपद का । और उसके बाद भी जिले के किसी भी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ रही है गिरफ्तारी करे । इसलिये नहीं पड़ रही कि दो साल पहले उसने अपनी ट्रक से एक सब-इन्सपेक्टर को कुचल दिया । पैसे में ताकत थी उसको कोई आंच नहीं आने पायी । एक सब इन्पेक्टर डी० एस० वर्मा ने सूरज लाला को गिरफ्तार किया । उसकी ताक में थे, दवा लेकर डाक्टर के यहाँ से निकल रहा था, सूरज लाला के कर्मचारी वहाँ पर बैठे थे, उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि मारो साले को, सरिया टूट पड़ी लोहे की, फिर उसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

के आदमी थाने में ले गये, फिर पैसे ने काम किया, 75 हजार खर्च करके उसी सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ केस भी बनवा दिया। केस रजिस्टर हो गया, आज तक वह सब इन्स्पेक्टर अपनी चोटों का इलाज करवा रहा है। ये दो घटनायें ऐसी हैं जिनसे पूरे जिले का पुलिस प्रशासन, कोई गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है। इससे ज्यादा लोक महत्व का कोई सवाल नहीं हो सकता। यही नहीं पैसे दम पर ही उसका सरकारी असलहा पहले रखवा लिया था और केस बनने के बाद उसे सस्पेण्ड भी कर दिया गया है।

दूसरी बात शान्ति और व्यवस्था की है। यदि पुलिस प्रशासन के आदमी यह हिम्मत नहीं करेंगे कि इस तरह के कुख्यात अपराधियों को पकड़ें, उनके खिलाफ कार्यवाही करें तो शान्ति और व्यवस्था को भी बहुत खतरा है। अभी दो दिन पहले उसी सब-इन्स्पेक्टर पर प्राणघातक हमला हुआ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह ग्राह्यता की सारी शर्तों को पूरा करता है और इसलिए इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

*श्री रियासत हुसैन—

मैं मन्त्री जी से कहना चाहता था, सेहरा जी चले गये, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन्, मैं सराहना करता हूँ उन 40 हरिजन परिवारों की जो ग्राम फगुइया थाना चन्दौली, जनपद वाराणसी के हैं, जो बराबर अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। फगुइया निवासी कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने मिलकर कु० महाराजिया पुत्री सहदेव के घर में घुसकर, बलात्कार किया। उस गांव के हरिजन परिवारों ने तथा नक्छेद आदि ने उनको रोका, विरोध किया। इस बलात्कार को रोकने में लोगों ने विरोध किया तो आज अब उनकी यह हालत है कि 22 सालों से वे वहाँ से उजाड़ दिये गये हैं और सबसे बड़ी गम्भीर बात यह है कि इससे संबंधित 15 सूचनायें थाने में दर्ज हैं। ये लोग प्रधानमन्त्री से भी मिले, प्रधान मन्त्री ने चीफ मिनस्टर को पत्र लिखा, मैंने उनको देखा है, 40 परिवार आज तक घर-बेघर हैं। श्रीपति मिश्र के पास भी, गुलाब सेहरा के पास भी वे लोग गये हैं। और दूसरी तरफ मुकद्दमों के सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और जो आदमी उनका नेतृत्व कर रहा है उसके गले में फंदा डालकर पेड़ों पर उल्टा लटका कर मारा है। यह अत्याचार और उत्पीडन 22 सालों से लगातार 40 हरिजन परिवार सह रहे हैं। उन्होंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। जब उनकी फरियाद नहीं सुनी गयी तब उन्होंने अपनी फरियाद आपके सामने, सम्मानित सदन के सामने रखा। मैंने नियम 56 में आपके सामने रखा है। मैं चाहता हूं कि 22 सालों से उत्पीड़न और अत्याचार हो रहे हैं हरिजनों के प्रति इसलिये कि उन्होंने कुंवारी लड़की की इज्जत को बचाने का प्रयास किया, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसे नियम 56 के अन्तर्गत लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें। ढ़ाई बज गये हैं। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह —

देवरिया कप्तानगंज शुगर मिल का पानी गंडक नदी में गिरने से पानी विषाक्त हो गया है। मान्यवर, आप इसको देखें। हमारे क्षेत्र का एक इलाका है। गांव की आबादी कम हो रही है। पानी नहीं है।...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह आप क्या दिखा रहे हैं ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मछलिया नहीं हैं। यह है मान्यवर, इसकी जांच करायें।

(श्री रुद्र प्रताप सिंह आंखों पर कपड़ा लपेट कर तथा हाथ में पानी से भरी शीशी लिये हुए सदन की फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे)

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री रुद्र प्रताप सिंह सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और हाथ से शीशी दिखाने लगे)

आप अपने स्थान पर बैठ जांय।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह किस कंपनी का विज्ञापन है।

(श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री हुकम सिंह सदन के फ्लोर पर बैठे श्री रुद्र प्रताप सिंह को उठा कर ले गये)

श्री अध्यक्ष -

मुझे नियम 56 के अन्तर्गत आज 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने नियम 56 के अन्तर्गत किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। माननीय अग्निहोत्री की सूचना को शासन को ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। मित्रसेन जी की सूचना, जो फैजाबाद में 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की है, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। राम आसरे वर्मा जी की सूचना को भी शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज रहा हूँ। अकबाल हुसेन जी की जो सूचना है इसे भी मैं भेज रहा हूँ। श्री रियासत हुसेन की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है।

शिक्षा के बारे में वक्तव्य था, मैंने निवेदन किया था कि कल होने को है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इसे कल न रखा जाय, उन्हें कुछ काम है। इसलिये मैं इसको 21 तारीख को निर्धारित करता हूँ।

(श्री गौरी शंकर भैया तथा मा० राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े होने पर)

आप लोग बैठिये।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 41-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 67-सहायता और पुर्वासन विभाग

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग

[श्री बैजनाथ कुरील—]

(जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,57,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41-राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,19,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,16,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 2 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-सहायता और पुर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि राजस्व विभाग सम्भवतः हर जिले के कोने-कोने से और गाँव-गाँव से जुड़ा हुआ है । मैं कुछ मुख्य-मुख्य बातों की ओर प्रकाश डालूँगा तथा जब माननीय सदस्य इस पर कुछ कह लेंगे तो उसके बाद इस पर विचार करने के उपरान्त मैं कुछ कह सकूँगा । मान्यवर, एक तो जो अधिनियम बना है—संख्या-20, 1982 । इसमें माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । और इस 'भूमि विधि-संशोधन' में अन्य संशोधनों के अलावा यह भी व्यवस्था की गई है, मुख्य रूप से जो ग्रामसभा भूमि आवंटी, सीलिंग से निकली हुई भूमि आवंटी और आदिम जाति के जो भू-धारक लोग हैं, उनकी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के लिये जब दूसरा अपराध होता है, एक बार तो हटा दिया जाता है, तो वह अपराध संज्ञेय होगा और बिना जमानती होगा । उसमें कम से कम 3 महीने की सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गयी है । यह इसलिये किया गया है कि एक प्रवृति बढ़ रही है जिन लोगों को, जो भूमिहीन हैं, साधन हीन हैं उनको जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े दिये गये हैं तो उन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और उनको खुद कास्त नहीं करने देते हैं, ऐसे लोगों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है ।

मान्यवर, दूसरा बिन्दु है—हमारे प्रदेश में चकबन्दी का । चकबन्दी भूमि सुधार के मुख्य अंग के रूप में चलती आ रही है । सबसे पहले इसमें प्रस्तावित 146 लाख हैक्टेयर भूमि के ऊपर चकबन्दी की जायेगी । उस वक्त यह था कि 80 प्रतिशत भूमि अगर समतल हो तो तब तक चकबन्दी की जायेगी, बाद में यह 60 परसेन्ट होगी तो तब किया जायेगा और फिर यह घटकर 40 परसेन्ट हो गयी । तो इस बीच में भी यह लगभग 40 लाख हैक्टेयर जमीन निकली है । तो इस प्रकार टोटल लक्ष्य 186 लाख हैक्टेयर का हो गया है । अभी तक 141 लाख हेक्टेयर की चकबन्दी हो चुकी है । एक चक्र तो पूरे प्रदेश में पूरा हो चुका है । लेकिन जगह-जगह से यह माँग आयी है कि जहाँ बहुत पहले चकबन्दी

हुई है वहाँ दोबारा चकबन्दी करा दी जाय। इसके लिये हमने 24 जिले की 26 तहसीलों को फिर चकबन्दी के लिये लिया है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तहसील ज्ञानपुर (वाराणसी) में 22 वर्ष से चकबन्दी हो रही है अभी तक पूरी नहीं हो पायी है तो यह चक्र आपका कैसा चक्र है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, इस चकबन्दी के कार्य में कुछ गाँवों ने अपने आप स्वेच्छिक चकबन्दी के लिये कहा है। गाँव के लोगों ने स्वयं अपने आप उसके लिये एक बैठक करते हैं और अधिकारी उनका रिकार्ड बनाते हैं। इस प्रकार यह काम दो-तीन महीने में हो जाता है। यह एक बड़ा सराहनीय कार्य है। लगभग 509 गाँवों में यह स्वेच्छिक चकबन्दी हुई हैं। हमारे इस चकबन्दी के कार्य को देखने के लिये अन्य प्रदेश के लोग आये हैं। जहां पर दिकक्तें हैं जैसे गुजरात है, बिहार है, वहाँ के लोग इसके कार्य को देखने के लिये आये हैं।

दूसरी बात यह है कि जो राजकीय देय हैं उनकी वसूली····

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी आप बैठें।

इससे पूर्व कि आप अपना भाषण जारी रखें मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जो प्रक्रिया अपनायी गयी है कि माननीय मन्त्री जी का भाषण चल रहा है, आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो या तो मुख्य सचेतक नाम भेजें या आप खड़े हो जायं, मैं अपने विवेक से बुला लूँगा। सभी से अनुरोध करता हूँ कि परिपाटी का पालन किया जाय।

श्री बैजनाथ कुरील—

सूची तो आपके पास होगी, आप जो निर्णय करेंगे वही होगा।

···तो राजकीय देयों की वसूली के सम्बन्ध में 1-10-81 से 30-9-82 तक, वर्ष सितम्बर में खत्म होता है, इसमें 85.69 करोड़ रुपया था, जिसमें से 77.14 करोड़ रु० की वसूली हुई और बहुत सा स्थगन है। उसके बाद बाढ़ और ओला, वृष्टि और अतिवृष्टि इसके कारण बहुत सा धन स्थगन में भी है।

सीलिंग से निकाली हुई जमीन बांटी गयी है भूमिहीन लोगों को। इस तरह के कमजोर लोग हैं उनमें 2 लाख 88 हजार 592 एकड़ भूमि सरप्लस घोषित की गयी है, उसमें से 2 लाख 65 हजार 170 एकड़ भूमि पर सरकार द्वारा कब्जा लिया गया है और 2 लाख 37 हजार 540 एकड़ का बन्दोबस्त हो गया है, बांट दी गयी है। गांव सभा से निकाली गई भूमि का भी आवंटन हुआ है, वह करीब 6 लाख 50 हजार हेक्टेयर के करीब वह जमीन बांटी गई है और उसमें से कुछ लोगों को कब्जे नहीं मिले हैं, जिसके लिये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कब्जा दिला दिया जाय। उसी के लिये अभी ध्यान

[श्री बैजनाथ कुरील—]

आकर्षित किया था कि नियम भी बनाये गये हैं। सरकारी भूमि पर कब्जा अनधिकृत रूप से नैनीताल जिले की तराई में कर लिया गया है। इसके लिये 1975 में यह निर्णय लिया गया था कि 1974 तक जो इस तरह के कब्जे हैं, उनका नियमितीकरण कर दिया जायगा, उसको कर दिया गया। दिसम्बर, 82 तक 16, 676 मामले थे, जिनमें 34,134 एकड़ भूमि निहित थी, जिसका कि नियमितीकरण किया जा चुका है। उसके बाद यह निर्णय लिया गया था कि इसके बाद इस तरह के अनधिकृत कब्जों का नियमितीकरण नहीं किया जायगा।

तहसीलों के पुनर्गठन के बारे में हमारे मा० सदस्य बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और सही भी है कि दूर-दूर पर तहसीलें हैं। उसके लिये समिति गठित की गयी है। हमारे राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में यह समिति 18 मई, 1982 को गठित की गयी थी, अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1983 को देंगे, उसके अनुसार शासन कार्यवाही करेगा।

दैवी आपदाओं के तहत यह दुर्भाग्य है कि ओला भी पड़ा पिछले वर्ष 1982 में। उसके बाद सूखा पड़ा। सूखे के बाद ही अतिवृष्टि हुई और बाढ़ आ गई तो उसमें जितना सम्भव हो सका शासन की ओर से सहायता की गयी। शासन का उद्देश्य जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना नहीं था तात्कालिक सहायता पहुंचाना था और उसमें 13 करोड़ 80 लाख रु० और 2 करोड़, 35 लाख रु० तकावी में व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिये एक जांच चल रही थी और अक्सर प्रश्नों के समय माननीय सदस्यों की ओर से भी खबर आती है कि किसी ने खतौनी खरोंच दी और किसी ने कुछ गड़बड़ी कर दी और किसी ने कुछ, तो यह गड़बड़ी कैसे समाप्त की जाए, इस सम्बन्ध में एक कमेटी गठित की गई थी, जो इस अप्रैल 83 में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। इसी तरह अलाभकर जोतों के स्वरूप को निश्चित करने के लिये एक कमेटी है, वह भी अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 83 तक दे देंगे। तो यह सारे बिन्दु हैं, इस पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आयेंगे, उन पर विचार किया जायगा।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 40 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 67—सहायता और पुनर्वासन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने भी मा० राजस्व मन्त्री का संक्षिप्त भाषण सुना और उन्होंने ठीक ही कहा कि उनका विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले किसानों और जो गांव-गांव में फैली हुयी आबादी है उनसे संबंधित है और वह ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है, तथा इस सदन में जब मा० सिंचाई मन्त्री ने अपना बजट पेश किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि सिंचाई का महकमा इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने-बसने वाले किसान से सम्बन्धित है जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और यही बात मा० पंचायत राज मंत्री, कृषि मन्त्री तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित मंत्री व अन्य लोग भी दोहराते हैं। लेकिन दो दिन पूर्व माननीय कृषि मन्त्री ने सदन को सूचना दी कि प्रदेश की आबादी के 47 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे स्तर पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इनमें 87 फीसदी किसान हैं। अगर इन किसानों में सिर्फ गांवों में रहने वाले खेत मजदूरों व अन्य लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो शायद यह औसत 90 या 95 प्रतिशत हो जायेगा। तो हमारा कहना है कि अर्थ-व्यवस्था की जो रीढ़ है वह टूट चुकी है। भले ही शासन में बैठे लोग या जिनके बड़े-बड़े फार्म हैं या जिनको सरकारी सहायता से ट्रेक्टर्स आदि मिले हुए हैं, वह भले ही सम्पन्न हों, लेकिन यह बात सही है कि आज हमारे 87 प्रतिशत किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उस रीढ़ को तोड़ने में राजस्व विभाग का भी हाथ है क्योंकि उसके प्रशासन और भूमि सुधारों का प्रभाव किसानों के जीवन पर पड़ता है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो भूमि सुधार लागू किये गये हैं वह सिद्धान्त के रूप में तो जरूर है, चाहे वह जमींदारी विनाश उन्मूलन हो, चाहे जोतों की हदबन्दी या चकबन्दी हो, लेकिन मेरा आरोप है कि उन सिद्धान्तों को बहुत ही शिथिलता के साथ आधे मन से सरकार ने लागू किया है। इस सन्दर्भ में मैं कार्ल मार्क्स, जिनकी निर्वाण शताब्दी हमने 14 मार्च को मनाई है, उनकी एक स्थापना है कि अमल के बगैर सिद्धान्त अन्धा होता है। सिद्धान्त कोई भी हो यदि उस पर अमल ठीक से न किया जाय तो अमल के बगैर सिद्धान्त बाँझ हो जाता है। तो मैं तो यह नहीं कहता कि आपका भूमि सुधार बाँझ हो गया है और कोई नतीजा नहीं निकला लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जितना नतीजा निकलना चाहिए था, जितना इसका फल प्राप्त होना चाहिये था, वह नहीं प्राप्त हुआ है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि हमारे अमल में दोष आया है।

मान्यवर, मुद्दे तो बहुत हैं और समय बहुत थोड़ा सा है। इसलिये मैं केवल दो-एक मुद्दों के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक नारा था उसे केन्द्रीय सरकार मानती है, हमारे प्रदेश की सरकार मानती है कि जमीन को जोतनेवाले को मिलनी चाहिए। यह आजादी के बाद का नारा था जमींदारी विनाश कानून का नारा था। और आज भी यह नारा है। लेकिन जमीन को जोतने वाला कौन है ? इसमें मतभेद है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान में इसको परिभाषित किया गया। 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि आर्थिक कार्यक्रमों को निश्चित करने से संबंधित थी, और कृषि कार्यक्रम भी इसका विषय था। उस कमेटी ने परिभाषा की थी कि जो अपने श्रम से, अपने परिवार सहित परिश्रम से जमीन की जुताई खोदाई और बोवाई करता है, वही जमीन जोतने वाला है।

सन् 1947 में जब चुनाव हुए और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सरकार बनी तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जीथे, उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उनकी सलाह से 1947 में दूसरी कमेटी बनाई गयी। कमेटी का नाम था द कांग्रेस एग्रीरेरिएन रिफार्म्स

[श्री भीखा लाल—]

कमेटी और इसके संयोजक थे जे० सी० कुमाराप्पा उनकी रिपोर्ट 1949 में पेश हुई उसमें जमीन जोतने वाला कौन है। इसकी परिभाषा दी गई है उन्होंने कहा है :—ओनली दोज हू पुट इन ए मिनिमम एमाउण्ट आफ फिजिकल लेबर एण्ड पार्टीसिपेट इन एक्चुएल एग्रीकल्चरल आपरेशन वुड बी डीम्ड डू कल्टीवेट लैण्ड परसनली इसका अर्थ है कि जमीन जोतने वाला वही है जो अपना श्रम लगाकर अपने खेत को स्वयं जोतता है और बोता है और इसका इन्तजाम करता है। वह जमीन जोतने वाले की कही जायेगी। जमींदारी विनाश कमेटी बनाई गयी उसमें भी इस सन्दर्भ में वाल्यूम 1 के पेज 364 पर कहा गया है कि जमीन जोतने वाला वही होगा जो अपने श्रम से जमीन को जोते और उसके लिये खाद और बीज का प्रबन्ध करे। उसका जोखिम जो हो उसको सहने के लिए तैयार हो और हर प्रकार से जिम्मेदार हो। लेकिन जमीन जोतने वाले की परिभाषा के सम्बन्ध में कांग्रेस शासन का दृष्टिकोण जमींदारी कानून बनने के बाद बदल गया और जमीन जोतने वाले कौन समझे गये, वे समझे गये जो जमीन के मालिक हैं। केवल प्रतिबन्ध यह लगा दिया गया कि वह बटाई नहीं उठा सकते हैं। जब यह परिभाषा बदल गयी तो उसी का यह नतीजा है कि जमीन की लूट मच गयी है। इसकी चर्चा हो चुकी है। मंगल देव विशारद की रिपोर्ट को आप देख लें तो सारी स्थिति का पता लग जायगा। बड़े बड़े फार्म बन गये हैं। जमीन को जोतने वाले कौन हैं, शकर मिल मालिक हैं और बड़े बड़े मिल ओनर हैं इसके अलावा आई० ए० एस० अफसर और बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी कई पुश्त में जमीन से कोई वास्ता नहीं था लेकिन वह जमीन मालिक बन गये। दूसरी तरफ जमींदारी विनाश कानून में एक प्राविधान रखा गया था कि जमींदारी विनाश के बाद भविष्य की जोतों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि कोई आदमी जमीन हासिल नहीं करेगा और उसके पास कुल भूमि साढ़े बारह एकड़ हो। फिर भी सैकड़ों और हजारों एकड़ के फार्म कायम हो गये और इस प्राविधान का खुला उल्लंघन किया गया।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था और जे० सी० कामरप्पा ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था और उसको स्वीकार भी किया गया था कि जो अलाभकर जोते हैं उनको लाभकर बनाने के लिए उपाय किए जायें। इसलिए कृषि सहकारी खेती के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था और उस पर बल दिया गया था। इसके लिए जमींदारी विनाश कानून में अध्याय 11 रखा गया जिसमें 295 से 318 तक की धारायें हैं। उसमें यह भी प्राविधान था कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाय कि कृषि सहकारी समितियाँ बनायें इसके लिए सरकार से उनको सहायता दी जाय सोसाइटियां बन जाये और अगर उनमें लाभ होगा तो दूसरे किसान भी समितियाँ बनायेंगे। लेकिन 1952 से 1965 तक क्या कोई इस प्रकार की मशीनरी खड़ी की गई। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि इस तरफ सरकार ने कुछ नहीं किया, राजस्व विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं किया कि इस पर अमल हो। मान्यवर, उसी का नतीजा है कि आज राजस्व विभाग को यह पता नहीं है कि 1952 से 1965 तक कितनी सहकारी समितियां बनीं। लावारिस बच्चे की तरह इसको डाल दिया गया और इस अध्याय को जमींदारी विनाश कानून से निकाल दिया गया और कार्य को सहकारी विभाग को सौंप दिया गया। सहकारिता विभाग को विधेयक है उसमें इसको शामिल कर दिया गया। मान्यवर इसमें भटकाव अधिक है। राजस्व संहिता विधेयक बन रहा है जब इस पर चर्चा होगी तो हम इस बिन्दु पर विस्तार में जायेंगे। इस समय मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि क्या कृषि में सहकारिता का आन्दोलन और सहकारी समितियों के सिद्धान्त हमारी भूमि सुधार का हिस्सा है या नहीं, अगर अंग है तो अध्याय को भूमि सुधार कानूनों में होना चाहिए। इसको सहकारिता के कानून में नहीं होना चाहिए। आज वहाँ पर यह वैसा ही पड़ा है कि कोई अमल नहीं हो रहा है। इस भटकाव के कारण

हमारे प्रदेश में जमीन के बटवारे की असमानता बढ़ गयी है। छोटे और बड़े काश्तकारों के बीच में लम्बी खाई हो गयी है इस असमानता को आपको दूर करना होगा।

एक सदस्य—

जब चौधरी चरण सिंह राजस्व मंत्री थे उस समय उनका यही मत था।

श्री भीखा लाल —

इस असमानता को दूर करने के लिए कई प्रयोग किये गये। वृहत जोतकर कानून बनाया गया इस उद्देश्य से कि बड़े काश्तकार जब टैक्स अदा नहीं कर पायेंगे तो जमीन छोड़ देंगे। लेकिन वह प्रयास फेल हो गया। और यह कानून निष्प्रभावी हो गया। इसके उपरान्त भूदान आन्दोलन चलाया गया और यह नारा दिया गया कि इस भू-दान आन्दोलन में भूदान करो, ग्राम दान करो, जिला दान करो और इसी दान के तहत पूरे के पूरे बिहार के जिले दान हो गये। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वहां भूमि सुधार की समस्या हल हो गई। मैं कहता हूँ कि यह एक भटकावा था। कांग्रेस पार्टी का विश्वास वर्ग संघर्ष में नहीं है और यह सरकार माने या न माने लेकिन जमींदारों के खिलाफ कानून बनाना और जमींदारी खत्म करना क्या यह वर्ग संघर्ष नहीं था। एक तरफ तो बड़े जमींदार संघर्षरत थे और दूसरी तरफ किसान संघर्षरत थे। तब यह जमींदारी विनाश कानून बना। यह वर्ग संघर्ष था। यह सरकार वर्ग संघर्ष में विश्वास नही रखती। इसलिये उसको सहयोग से करना चाहती है इसलिये इस तरह के तरीके निकाल दिये कहीं भू-दान और कहीं ग्राम दान करो। लेकिन उससे भी हमारे यहाँ जमीन की समस्या हल नहीं हुई। इसके उपरान्त हदबन्दी कानून बना। यह कानून सफल हो गया और उसके लिए मंगल कमेटी का इशारा करना काफी है। कानून में अनेकों रास्ते जमीन बचाने के लिए छोड़े गये उसका नतीजा यह हुआ कि जो परिणाम मिलने चाहिये थे वे नहीं मिले। मन्त्री जी ने आँकड़े दिये और वित्त मंत्री ने भी कुछ आंकड़े दिये। उनमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। वित्त मंत्री के अनुसार अब तक 2.64 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया गया और उसमें से 2.36 लाख एकड़ जमीन बांटी गई और वह 1.93 लाख व्यक्तियों में बांटी गई। 1.40 लाख एकड़ जमीन 1.43 लाख अनुसूचित और जनजातियों में बांटी गई। यानी एक आदमी के हिस्से में एक एकड़ से भी कम भूमि पड़ी।

दूसरी तरफ 96 हजार एकड़ जमीन बांटी गई 50 हजार आदमियों को जो गैर हरिजन हैं। जो प्रति व्यक्ति लगभग दो एकड़ आती है। यह सरकार हरिजनों की बड़ी दुहाई देती है। सेहरा जी जब हरिजन विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वास्तविकता से ज्यादा प्रचार और प्रोपेगण्डा मत करो। यदि यह आभास होने लगे कि सरकार सब कुछ हरिजनों के लिए कर रही है तो हरिजन और गैर हरिजन लोगों में विद्वेष की खायी गहरी हो जायेगी और जिससे दूसरे लोग ये समझने लगेंगे कि सब कुछ हरिजनों के लिये हो रहा है, और हमारे लिये कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद कहीं ऐसी नौबत न आ जाय जैसा कि माननीय रियासत हुसैन ने काम रोको के जरिये सदन में कि वाराणसी जिले में हरिजनों की 40 झोपड़ियां सवर्णों द्वारा जला दी गईं बात उठायी थी। दो एकड़ प्रति व्यक्ति के बजाय एक एकड़ से भी कम प्रति व्यक्ति पड़ा। तो आप क्यों हरिजनों की खोखली दुहाई देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री भोखा लाल—

मान्यवर, जितना समय आप दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

20 मिनट हो चुके हैं ।

श्री भोखा लाल—

मान्यवर, अब मैं संक्षेप में कहूँगा । प्रदेश में साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और इसमें से जब हदबन्दी लागू हुई तो उसका नतीजा यह हुआ कि 61 प्रतिशत जमीन ही निकली । इसका मतलब यह हुआ कि यह कानून फेल हो गया । माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन आंकड़े और तथ्य इस बात की वास्तविकता को सिद्ध करते हैं जहाँ ग्राम समाज की भूमि के बंटवारे की बात आयी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 6.50 लाख हेक्टेयर जमीन बँट गई । यदि इसके एकड़ बना दें तो वह 16 लाख 21 हजार एकड़ होती है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आप अपने विभाग की 1970-71 की फाइलें निकलवा लें । सन 70 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जमीन हथियाओ आन्दोलन पूरे प्रदेश में चलाया था और उसके तहत लखीमपुर में बिडला के प्रिपरा फार्म और अन्य बड़े-बड़े फार्मों पर कब्जा भी हुआ था । सरकार ने सोचा कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का आन्दोलन अधिक तेज न हो जाय उसने पूरे जिलों में यह आदेश कर दिया कि जितनी पड़ती जमीन है उसको बांट दिया जाय । जमींदारी खात्मा के बाद 35 लाख एकड़ भूमि ग्राम समाजों के पास बांटने योग्य उपलब्ध थी । 16 लाख एकड़ मंत्री जी बताते हैं फाइलों में देख लें, 35 लाख से कई गुना ज्यादा बँट चुकी है बाँटी गई भूमि पर बहुतों को कब्जा नहीं मिला है । आपने जो आंकड़े दिये हैं उससे तो यह मालूम होता है कि थोड़े से आदमियों को कब्जा नहीं मिला है, पर सही बात यह है कि हमारे और आपके पास आये दिन लोग आते हैं कि हमें कब्जा नहीं मिला है । 6 साल पहले पट्टा तो हो गया, पर कब्जा नहीं मिला । 1975 में, फिर जनता पार्टी के शासन में, फिर आपकी पार्टी की सरकार 1980 में जब आयी, तब, सरकार ने इसके लिये अभियान चलाया ताकि लोगों को कब्जा मिले । इसके लिये आपने जिलों में भूमि सुधार परामर्श समितियों को बनाया है, पर इस संबंध में मेरा एक सुझाव है और वह यह है कि आप प्रत्येक एस०डी०एम० के यहां एक रजिस्टर खुलवा दें । उस रजिस्टर में जो भी दरख्वास्तें कब्जे के बारे में आयें उन सबको दर्ज किया जाय और तहसीलदारों को एक निश्चित समय में कब्जा दिलाने का आदेश दिया जाय । जब तीसरे माह समिति की बैठक हो तो उसमें यह बताया जाय कि कितनी दरख्वास्तें आयीं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी । कितनों को कब्जा दिलाया गया और कितनों को नहीं । और जहां कहीं माननीय सदस्यों को संदेह हो, उन्हें यह अधिकार होना चाहिये कि वे एस०डी०एम० के साथ मौके पर जाकर देख सकें, चेकिंग कर सकें ।

अब एक दो बातें में चकबन्दी के बारे में भी कहना चाहूँगा । आपके यहाँ पूरे सूबे में 245 तहसीलें हैं । आपकी रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी एक भी जिले में काम पूरा नहीं हुआ है और जिस कछुवे की चाल की तरह आपका यह काम चल रहा है उस हिसाब से 100 वर्षों में भी आप पूरी चकबन्दी नहीं करा पायेंगे । आपने बताया है कि 26 तहसीलों में दोबारा चकबन्दी हो रही है । यह दोबारा तो इसी कारण हुई कि पहले

चकबन्दी गलत हुई थी और वह दोषपूर्ण चकबन्दी किसानों के कारण नहीं हुई, आपके स्टाफ के कारण हुई। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप कृपा कर जहाँ दोबारा चकबन्दी हो रही है वहां पर किसानों से दोबारा खर्चा न लें। जहां-जहां स्वेच्छा से चकबन्दी हो रही है वहां पर आप 50 प्रतिशत खर्चा लें क्योंकि वहाँ पर आपके स्टाफ को पूरा श्रम नहीं करना पड़ता है।

धारा 4 में चकबन्दी के संबंध में यह प्राविधान है कि योजना लागू करने की घोषणा गजट में प्रकाशन द्वारा तथा संबंधित गांव में डुग्गी पीट कर इत्तिला की जानी चाहिए। मेरा एक सुझाव यह है कि बजट नोटिफिकेशन और गांव में मुनादी के बीच के अन्तराल में जो बेनामे या हस्तांतरण हो जाते हैं उनको मान्यता दी जानी चाहिये।

दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में भी एक दो सुझाव देना चाहूँगा। पिछले 3-4 सालों से कभी ओला, कभी बाढ़, कभी सूखा आदि प्रकोप आते रहे हैं और उसके कारण आप लगान माफी और मुल्तवी की घोषणा करते रहे हैं। पर आपका जो रैवैन्यू मैनुअल है वह अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और बहुत पुराना है, अंग्रेज कभी माफी नहीं देना चाहते थे इसलिये अधिकांश मुल्तवी ही की जाती है। उसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नियमों में यह प्राविधान है कि केवल फसल के नुकसान पर छूट दी जायेगी। सैलाब के कारण अगर कहीं पर पानी भर गया होता है तो वहाँ पर न तो धान हो सकता है और न ही गेहूँ हो सकता है ऐसे क्षेत्र में शतप्रतिशत हानि हो जाती है। आपका मेनुअल कहता है कि छूट फसल के नुकसान पर दी जाती है। चूँकि कोई फसल बोई नहीं गयी है अतः छूट नहीं मिलेगी। जब पूरे साल खेत पर्ती रहे तो फसल होने का सवाल कहां से होता है। तो यह है आपके रेवैन्यू मेनुअल का हाल। यह एक दकियानूसी नियमावली है। उसमें किसान को कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

आपने बताया कि पिछले चार सालों से दैवी आपदायें आई हैं और लगान जो आपने माफ किया है वह केवल 4 करोड़ 76 लाख रुपया है। कितनी मुलतवी हुई इसके आँकड़े आपके रेवैन्यू विभाग में नहीं है। अभी 92 केसेज ऐसे हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं अभी उन पर विचार हो रहा है। मैं उन्नाव जिले की बात बताता हूँ वहां से सिफारिश आई वहां खरीफ व रबी 1387 फ० और खरीफ 1388 फसली में 75 परसेंट से ज्यादा फसल को नुकसान हुआ और पूरे राजस्व की माफी की संस्तुति की गई लेकिन मामला अभी तक शासन के विचाराधीन है। आपने आदेश जारी किये हैं कि जहाँ 50 फीसदी से ज्यादा फसल को नुकसान हुआ है वहां 6 किश्तों में वसूली हो और जहां 50 परसेंट से कम नुकसान हुआ है वहाँ 3 किश्तों में वसूली हो लेकिन उनका किसी जिले में पालन नहीं हो रहा है। जहां माफी के आदेश दिये हैं वहाँ भी वसूली हो रही है। मैंने अपने यहां जिलाधिकारी से कहा उन्होंने मुझसे कहा कि रसीद नम्बर दीजिये। मैंने 6 गांवों का रसीद नम्बर, रकबा, एमाउंट और साल सब बता दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आपने एक पुस्तिका दी है राजस्व विभाग का कार्य विवरण इसमें पृष्ठ 6 पर आपने लिखा है —'जहाँ बाढ़ अथवा सूखा से फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि है, उन खातेदारों को अनुमन्य लगान-छूट की सीमा तक उनसे लगान की वसूली स्थगित है।' लेकिन इसी पुस्तक के पृष्ठ 4 पर आप देखें— उसमें 30 सितम्बर, 1982 को इन देयों की माँग तथा वसूली की स्थिति दी है उसमें भू-राजस्व में आप देखें शुद्ध मांग है 2,799

[श्री भीखा लाल]

लाख और वसूली हुई है 2,806 लाख। तो लक्ष्य से ज्यादा वसूली हुई है छूट मुल्तवी और किस्तों के बावजूद। तो आपके जो अधिकारी हैं वह नियमों की उपेक्षा करते हैं। आपने लालबत्ती जला दी। मुझे प्रशासन के संबंध में भी बात कहनी थी तो उसे बाद में जब जवाब के समय मुझे मौका मिलेगा कहूंगा। तो संक्षेप में जो मैंने बुनियादी बातें उठाई हैं और जो जमीन के संबंध में हमारा दृष्टिकोण बदला है जिसकी वजह से कृषि के ढांचे में जो परिवर्तन करना चाहिये था वह नहीं कर पाये हैं। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों के सामने इन प्रश्नों को रख कर कटौती प्रस्ताव के जरिये चाहूंगा कि वे अपने विचार एवं सुझाव देंगे और मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री प्रिय दर्शी जेतली—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूँ कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखें आपको 7 मिनट दिये गये हैं।

श्री प्रिय दर्शी जेतली—

अभी हमारे विद्वान बुजुर्ग माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कालमार्क्स से लेकर जवाहर लाल नेहरू तक बात कही। बात उनकी अपनी जगह सही है कि जमीन का मालिक वहीं हो जो उसमें खेती करता है। इस सम्मानित सदन में बैठे हुए अधिकाँश सदस्य इस विचाराधारा से सहमत होंगे और स्वयं भीखालाल जी भी जो कालमार्क्स में विश्वास करते हैं चाहे माननीय सदस्य मित्रसेन जी हों या उनकी पार्टी के दूसरे लोग बाहर बैठे हों उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जमीन का मालिक है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपने श्रम से जमीन जोतते हैं। स्वयं वे लोग जो उन सिद्धान्तों की दुहाई दे रहे हैं उनका अनुपालन नहीं करते हैं। क्या वह सरमन, वह भाषण के लिये हैं वह सिद्धांत अमल करने के लिए नहीं हैं। तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मान्यवर, यह बात अपनी जगह पर निर्विवाद सत्य है कि भूमि का आबटन हुआ है और लोगों को कब्जा दिलाया जा रहा है। लेकिन यह बात भी अपनी जगह सत्य है और हम यहाँ स्वीकार भी करेंगे कि आज भी पट्टों पर कब्जे दिलाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है। आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर पट्टे हुये हैं लेकिन उनको आज भी कब्जा नहीं मिल सका है। इस संबंध में मैंने बीसों पत्र जिलाधिकारी को लिखे हैं। मान्यवर, एक सीलिंग के मामले में मैं बताना चाहता हूँ कि एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, उनका पत्र है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जो 1978-79 में किसानों को पट्टे हुये थे, हम उन पर कब्जा नहीं दिला पाये हैं, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उस सीलिंग की जमीन का बैनामा सम्बन्धित जमींदार ने दूसरे को कर दिया है और आज भी वहाँ कब्जा नहीं दिला पाये हैं, तो इसका क्या कारण है। स्वयं परगना अधिकारी जो आज समाज कल्याण निदेशक हैं मौके पर गये थे और सभी को पत्र लिखा है।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय कैबिनेट का मंत्री यहां कोई नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार हो रहा है, इसलिये यहाँ किसी कैबिनेट स्तर के मन्त्री को मौजूद रहना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

सभी अपनी अपनी जमीन को जोतने गये हैं।

श्री उदल —

मान्यवर, ऐसा रोज हो रहा है, इसलिये सदन को स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप मा० सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रिय दर्शी जेतली—

मान्यवर, इस आवंटन के सम्बन्ध में अपना एक विचार है और मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस विचार से सभी मा० सदस्य सहमत हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जो भूमि आबंटन की प्रक्रिया को कर रहे हैं उनका मतलब है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाय लेकिन जहां उनको दी जाय वहां यह भी विचार करना पड़ेगा कि हम उनको कितना जमीन दें जो कम से कम एक दो पुस्त तक वह चला सके। मान्यवर, हम अपने क्षेत्र के कुछ आंकड़े इस संबंध में देना चाहते हैं वहाँ जो पट्टे दिये गये हैं उनको अगर गौर से आप देखेंगे तो मालूम होगा कि अकबरपुर तहसील में 12 जून 1980 के पूर्व के पट्टे गाँव समाज के 10861 बीघा जमीन के बांटे गये जिसमें अधिकतम पट्टे का क्षेत्रफल तीन बीघा 15 बिस्वा का और न्यूनतम डेढ़ बिस्वे का रकबा है। इसी तरह सीलिंग में जो जमीन बटी वह 642 बीघा है और उसमें अधिकतम पट्टे का रकबा 2 बीघा है और न्यूनतम 5 बिस्वे का रकबा है।

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आबादी बढ़ रही है, जमीन बँट रही है, फ्रैग्मेंटेशन आफ लैण्ड मैक्सिमम हो रहा है तो उसकी कोई हद होनी चाहिये। मान्यवर, भूमिहीनों को जमीन देनी चाहिये और भी जमीन उन्हीं के पास होनी चाहिये जो स्वयं खेती करते हों, इस सिद्धान्त से कोई इंकार भी नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम भूमिहीनों को जमीन दे रहे हैं तो उनको इतनी जमीन दें, जो कानून हमारे द्वारा बनाये गये कि $3\frac{1}{8}$ एकड़ जमीन अलाभकर जोत माना है, से कम न हो ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके और खा पी सके मान्यवर, अन्यथा यदि उसका परिवार 2 बेटों का है और वह नियोजित परिवार में आस्था रखता है तो भी इस रकबे की जमीन पाने के बावजूद भी वह दूसरी पुश्त में पुनः भूमिहीन हो जायेगा। इसलिये इस पर आपको गौर करना पड़ेगा कि भूमि आबंटन को नारे पर नहीं बल्कि इस तरह भूमि आबंटन के तरीके को अपनाएं जो किसी को सहायता पहुँचाये आप और हम यह कर रहे हैं तो जो हमारे द्वारा बनाये गये नियम के विरुद्ध है उसके जीवनयापन की सुविधा का ध्यान नहीं रख रहे हैं।

मान्यवर, अब मैं प्रशासन के संबंध में कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में कोई भी तहसीलदार के पद पर काम करने वाला कंफर्म तहसीलदार नहीं है। मान्यवर, 33 प्रतिशत इस कैडर से प्रोमोशन पी०सी०एस० में होना है और यह कैडर भी पूरा नहीं है और जो प्रोमोटेड सब-डिविजनल-मैजिस्टेट हैं उनमें कोई भी व्यक्ति, 2-4 को छोड़कर, तहसीलदार के रैंक पर कंफर्म नहीं है। यह भी एक समस्या है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि चकबन्दी में जो चक रोड और चक सेक्टर छोड़ रहे हैं, उस पर एन्क्रोचमेंट हो रहे हैं। उसके लिए आपको अवश्य कोई कानून बनाना पड़ेगा, ताकि जो गांवों में सुविधा दी गई है ताकि ग्रामीणों को मुख्य स्थानों, बाजारों तक अपना उत्पादन पहुँचाने के लिए सुगम रास्ता दिया गया है, उससे वह लाभ उठा सकें। इसके लिए समरी ट्रायल कोर्ट बनाये जायें। इन शब्दों

[श्री प्रिय दर्शी जेतली—]

के साथ मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूँ और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह इस पर कार्य करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व बजट का समर्थन करता हूँ और आप को धन्यवाद देता हूँ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्टाता महोदय, समय कम है, इसलिए मैं कुछ समस्याएं और उनके सुझाव ही माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। राजस्व विभाग, जैसा भीखालाल जी ने कहा है, इसका सबसे ज्यादा सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्र से है और उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि आज ग्रामीण क्षेत्र की जनता बहुत ही परेशान हो चुकी है। मैं कुछ ज्वलन्त उदाहरण अपने क्षेत्र के, अपने जिले के मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ, उनको मैं सम्बन्धित उच्चाधिकारियों के भी ध्यान में लाया हूँ लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। मेरे क्षेत्र में जिला बस्ती, तहसील बांसी में ग्राम सभा बेतवा-लगनही के गांव बलवा-लगनही, और साहू-खीरिया हैं, यहां पर गांवसभा की जमीन सड़क के किनारे जितनी छूटी हुई है, उस समस्त जमीन को एक डेढ़ साल के अन्दर कुछ असामाजिक लोगों ने चकबन्दी कर्मचारियों के साथ मिलकर, फर्जी तरीके से अपने नाम पट्टा करा लिया है। इन लोगों ने उसे अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम करा लिया है। इसमें कुछ लोग गोरखपुर के भी रहने वाले हैं, इन्होंने फर्जी तरीके से बस्ती चकबन्दी कार्यालय से इसको लिखवा लिया है। इस गलत काम की जानकारी जब मुझको मिली तो मैंने तुरन्त सम्बन्धित अधिकारियों एस०ओ०सी०, डी०एम० और यहाँ तक सचिव और मंत्री जी को भी लिखा कि इसका अमल नहीं होना चाहिए और इसकी अमल दरामद नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसका अमल दरामद कर दिया गया है। यह मैं बराबर जिला अधिकारी को लिख रहा हूँ और मंत्री जी को भी लिखकर दिया है। जिन लोगों के नाम से पट्टे हुए हैं, उनकी, सबकी सूची मैंने दी है। आज तक वह ज्यों का त्यों बरकरार है। जिन्होंने पट्टे फर्जी कराये, वह आज उस जमीन को बेच रहे हैं। ग्राम रुधौली तहसील बांसी में लेखपाल ने सड़क के किनारे की सारी जमीन कुछ लोगों के नाम से फर्जी रूप में पट्टा लिख दिया। इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई और वहाँ पर मकानात खड़े हो गये हैं। अब अगर आज कोई कार्यवाही की जाय, तो दीवानी उस पर हो जायगी। रुधौली गाँव में लेखपाल ने कुछ हरिजनों के नाम से फर्जी पट्टे कागजात बनाकर दे दिया और किसानों की भूमि का पट्टा किया गया और उनको जाकर बता दिया कि यह तुम्हारी भूमि है जब कि गाँव का सारा कागजात चकबन्दी विभाग में है और लेखपाल ने जाकर बता दिया, अब वह बेचारे अपने पट्टे के कागज लेकर घूम रहे हैं। उनसे डेढ़ सौ रुपया लेखपाल ने लेकर यह काम किया है।

इस तरह से एक गांव भरवलिया बाबू, तहसील बांसी है, वहां पर हरिजनों के खलिहान के लिए जो जमीन छूटी हुई थी, बस्ती जिले के चकबन्दी कार्यालय में एक यादव के नाम से खलिहान की जमीन और रास्ते की जमीन को लिख दिया। आज वह हरिजन परेशान हैं। मैंने भी दरख्वास्त दिया, कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जितनी भी जांच हो रही हैं, जितने भी कागजात डी०एम०, एस०डी०एम० के यहाँ से जा रहे हैं, वह सब चकबन्दी कार्यालय में दबा दिये जा रहे हैं। अगर आप पूरे दफ्तर का तबादला करके जांच करायें, तो मामले की सत्यता सामने आ जायगी। गांवसभा मुंगरहा में कुछ किसानों की जमीन बिलकुल फर्जी ढंग से चकबंदी लेखपाल ने पट्टा बैनामा लिखकर दूसरे के नाम से चढ़ा दिया। मैंने इसकी दरख्वास्त दी थी। आपने जांच कराया, जो लोग दोषी थे, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। आज तक वह कागजात ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। दोषी व्यक्ति आज भी ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। इस समय बस्ती जिले में सरजू नहर निर्माण योजना चल रही है। मैंने राजस्व संहिता, प्रवर समिति की बैठक में भी माननीय मन्त्री जी से अनुरोध किया था।

मान्यवर, बांसी तहसील में चकबंदी या तो किन्हीं गांव की खत्म हो गयी है या चल रही है। जहां खत्म हुई है, वहां अभी दस साल नहीं हुआ है, वहां फिर चकबंदी नहीं होगी। मान्यवर, चकबंदी विभाग में यह नियम है कि जहाँ पर 10 साल नहीं हुआ है, वहां पर पुनः चकबंदी नहीं हो सकती है। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूँ कि जिन गाँवों से मैन कैनाल जा रही है, उन गांवों में चक काटने की प्रक्रिया को आप पुनः चालू करवा दें। आप स्वयं इसके भुक्त भोगी हैं, जब शारदा सहायक का निर्माण हो रहा था और आप भारत सरकार में मंत्री थे। मान्यवर, सारे चक कटने की प्रक्रिया नहर का डिमारकेशन करा कर पुनः कर दीजिए, जो किसानों को मुआवजा नहर विभाग देता, वह चकबंदी विभाग से खच के रूप में दे दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम प्रसाद (मुजफ्फरनगर)

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो मेरा सुझाव यह है कि यह चर्चा जो है, वैसे जिले में और हाउस में कब्जे के बारे में जो चर्चा होती है, उसी के बारे में मेरा दो-तीन सुझाव है। मान्यवर, जहां चकबंदी चल रही है, वह छूट की जमीन कोने में निकाली जाय। इसमें ऐसे तो कब्जा नहीं मिलता। मान्यवर, हम भी गाँव के रहने वाले हैं। हमें जानकारी है, जो जमीन एलाट की जाती है, वह एक बीघा, कहीं, दो बीघा कहीं खुदरबुदुर रहती है। जिस व्यक्ति को वह एलाट की जाती है, उसमें न आने-जाने का रास्ता और न पानी का ही रास्ता मिल पाता है। मान्यवर, इसीलिए तो यह सुझाव दिया गया था कि कोने में इसको रखा जाय, जिससे एलाटमेंट होने के और कब्जा दिलाने में आसानी हो सके, जैसे कि केराना तहसील मुजफ्फरनगर में चकबंदी चल रही है, उसमें भी छूट की जमीन कोने में निकाली जाय।

मान्यवर, दूसरा यह है कि जहाँ चकबन्दी से 40, 50 फीसदी जमीन बाकी बची है, उसकी चकबंदी कराई जाय क्योंकि वहां पर सरकारी ट्यूबवेल लगी हुई हैं, वहां पर न पानी जाने का रास्ता है और न बोगी आने-जाने का रास्ता है। चकबंदी होने से किसानों को यह सब सहूलियतें मिल सकती हैं। अगर उस जमीन की चकबंदी हो जाय, तो काश्तकार अच्छी पैदावार ले सकता है, जिससे प्रदेश और, राष्ट्र को फायदा पहुँच सके। मान्यवर, जब जमीन में कोई रास्ता नहीं निकाला जाता है, तो आपके ट्यूबवेल वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, जिससे सरकार को और किसान को दोनों को नुकसान हो रहा है। मान्यवर, तीसरा मेरे क्षेत्र में नगलाराई एक गांव है, जिसमें 1968 में प्रस्ताव द्वारा कुछ आदमियों को आवादी की जमीन एलाट की गयी थी, उसमें उन व्यक्तियों ने अपने मकान बना लिये हैं, अब मौजूदा प्रधान ने उसी जमीन को दूसरे व्यक्तियों के नाम एलाट कर दी जिसमें दोनों फरीकों में झगड़ा होने का अंदेशा है। मैं इसकी शीघ्र जांच चाहता हूँ इसकी शीघ्र जांच करायी जाय। मान्यवर, इस प्रकार से दो बार पट्टे करने से आपस में रिपोर्ट लिखाने की स्थिति पैदा हो गयी है, जिससे झगड़ा होने का अंदेशा है और मान्यवर कभी भी झगड़ा हो सकता है।

[श्री राम प्रसाद—]

माननीय मंत्री जी मौके पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसकी जाँच करा लें। ऐसा न हो कि पहले किसी को कर दिया और बाद में किसी को कर दिया। तो यह मेरे 3-4 सुझाव हैं। एक जो मेरा सुझाव है कि जहाँ चकबन्दी चल रही है, वहां कि बचत की जमीन एक कोने में ली जाय, जिससे कि आबंटन करने में सहूलियत हो सके और कब्जा भी आसानी से मिल सके – इस पर माननीय मंत्री जी खासकर विचार करें।

इन शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर, जो सीधा गाँव से जुड़ा हुआ है, बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय श्री भीखा लाल जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री फखरे आलम —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, राजस्व के बजट पर बहुत सी बातें कहने को हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टेचुयरी मेटर्स पर मैं कहना चाहता हूँ और कुछ प्रेक्टिकल मेटर्स पर कहना चाहूँगा। पहले तो मैं उन बातों पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा जो उन मेटर्स को प्रेक्टिकल और सही तरीके से इनफोर्स करने में दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। हमारे यहां बहुत से इनऐक्टमेंट हो गये। 1939 का यू०पी० टेन्नेसी ऐक्ट व हाउस रेंट ऐक्ट रिपेल करने के बाद यू० पी० जमींदारी एबालिशन एण्ड लैण्ड रिफार्मस ऐक्ट 1951 आया, उसके बाद कांसलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट आया, उसके बाद सीलिंग आन लार्ज लैण्ड होल्डिंग्स ऐक्ट आया, इन सब ऐक्ट्स में जो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें थीं, वह यह है कि ऐक्सेस जमीनों को निकाला जाय, सीलिंग में ऐक्सेस और सरप्लस लैण्ड निकाली जेड० ए० एल० आर० ऐक्ट में सरप्लस लैण्ड को निकाला गया, काश्तकारों को अख्तियार दिये गये, सरप्लस लैण्ड निकल कर आयी और कुछ सरप्लस लैण्ड सीलिंग के जरिये से भी निकली। कुछ सरप्लस लैण्ड में चक रोड और जमीनें निकली, इस तरह से और भी जमीनें निकली, तो वह जितनी लैण्ड निकली उनका पट्टा जिस तरीके से दिया गया, उनकी हालत यह है कि पट्टेदारों को पता नहीं है कि उनकी जमीन कहाँ हैं। 65 प्रतिशत ऐसी जमीनें हैं, जिसके ऊपर पट्टेदारों को कब्जा नहीं मिला है।

(3 बजकर 26 मिनट)

मैं जिम्मेदारी के साथ यह बात कह सकता हूँ आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कि जितने 65 प्रतिशत लोगों को कब्जा नहीं मिला, उनको आज तक यह पता नहीं है कि वह जमीनें कहाँ हैं, जिनके पट्टे उनके नाम पर हैं। और जितने 35 प्रतिशत लोगों को कब्जा दिया गया, उनमें से 20 प्रतिशत ऐसे हैं कि जो जमीनों को जोतते हैं और जोतने के बाद फसल को बोते हैं, उसकी सफाई करते हैं, लेकिन फसल दूसरा काट कर ले जाता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी होकर फसल कटवाती है, रिश्वत देकर फसल दूसरे लोग काट ले जाते हैं और हमारा रेवन्यू विभाग उसे तमाशबीन की तरह से देखता रहता है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूँगा कि वे इस बात को देखें और इस बात को पूरे तरीके से इन्श्योर करें कि जो इनफोर्समेंट हो रहा है, उन लोगों को, जिनको पट्टे दिये गये हैं, उस पट्टे की जमीनों पर उनका कब्जा हो, और दूसरे जो वह फसल बोते हैं, वह उनको मिले और उसको वह काटकर ले जा सके। मैं इसके बारे में तीन जगहों का आपको हवाला देना चाहता हूँ। मेरे जिले बदायूँ में मेरे क्षेत्र में, तीन गांव हैं, वैसे तो

बहुत से गांव हैं, जिनका हवाला दिया जा सकता है, लेकिन जो यह तीन गांव हैं, इनमें बहुत बड़ी समस्या है। उनमें एक गांव कुण्डेसी, यह ब्लाक जगत, परगना व तहसील एवं जनपद बदायूँ में हैं। वहां की ग्राम सभा की जमीन को वहां का पुराना प्रधान किसी से दो हजार रुपए लेकर, किसी से पाँच हजार रुपए लेकर, किसी से 10 हजार लेकर एन्टी-डेटेड पट्टे लिख देते हैं। जब उसकी शिकायत प्रजेन्ट प्रधान ने पुलिस से किया तो पुलिस ने उसमें हस्तक्षेप किया और रोक लगाई लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई ऐक्शन नहीं ले रहा है। पुलिस कहती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहे कि गलत हो रहा है रोके, लेकिन वह कुछ नहीं करते हैं। हाकिम परगना और तहसीलदार कोई कुछ नहीं कर रहा है।

श्री धरम पाल—

तब तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए यदि आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है।

श्री फखरे आलम—

इस्तीफा आपको देना चाहिए दल बदल का। मान्यवर, एक गांव है मिआऊ जो ब्लाक मिआऊ तहसील दातागंज जिला बदायूँ में है उसमें प्रधान बोली लगवाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब एक मिनट शेष है।

श्री फखरे आलम—

बड़ा अहम मामला है दो मिनट दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप सीनियर आदमी हैं फिर बोल लीजिएगा। मेरा अनुरोध है आप समाप्त करें।

श्री फखरे आलम—

एक ग्राम सरेली ब्लाक उसावां तहसील दातागंज में है। यहाँ पर हजारों बीघे जमीन प्रधान ने अपने कब्जे में करली है। उसको आप निकलवायें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। ताकि जुरिसडिक्शन प्वाइण्ट समाप्त हो जाय। मान्यवर, कंसालीडेशन ऐक्ट में बहुत बड़ा घपला है। चकबन्दी में इतना घपला है कि चक कब तराशे गये कब बनाये गये लोगों को पता ही नहीं चलता है। एक बात एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूँ कितने तहसीलदार हैं जो 20-20 सालों से तहसीलदार हैं लेकिन परमानेन्ट नहीं हुए। उसमें क्या आपकी वेटिंग लिस्ट है कौन सी लिस्ट है कुछ पता नहीं चलता है। कुछ नायब तहसीलदार हैं जो डिप्टी कलेक्टर तक काम कर चुके हैं लेकिन रिटायर हो गये और कन्फर्म नहीं हुये। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि कम से कम आपके जमाने में ऐसा न हो। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मौजूदा मन्त्री जी हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सब चीजों को जानते हैं, वाफिक हैं। इसलिए आप को बातों की ज्यादा जानकारी होनी चाहिऐ और जो-जो कमियां हैं आपके महकमे में, उनको दूर करने का आप प्रयास करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप लोग कहें तो मैं 3-3 मिनट का समय कर दूँ ।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों द्वारा विरोध करने पर)

ठीक है, मैं 5 मिनट का समय करता हूं ।

श्री शिवराज सिंह—

चूँकि समय थोड़ा है इसीलए कुछ सुझाव ही देना चाहता हूँ । कुछ ऐसी बातें आयी हैं देखने में कि एक व्यक्ति के नाम का बैनामा दूसरा व्यक्ति कर देता और दो गवाह तैयार कर लेता है पैसा देकर, उसमें कोई रोक-टोक नहीं होती और वह कानूनगो यहाँ से दाखिल-खारिज भी करा लेता और जब वह हो जाता है तभी उस आदमी को पता चलता है इसलिए मेरा निवेदन है कि एक पुस्तक तैयार करायी जाय जिसमें उसका फोटो हो, पूरी जमीन का विवरण हो । इससे जब कोई बैनामा कराने ...

(व्यवधान)

हाँ-हाँ जोत बही में, और तहसीलदार से सर्टीफाइड कराया जाय इससे जो बैनामा कराने जायेगा तो पता चल जायेगा । यह बहुत आवश्यक है और जल्दी ही इसे करना चाहिए ।

नाली, चकरोड़, उन पर अनधिकार कब्जा करने की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है उसमें मेरा सुझाव है कि 488 का प्रयोग इसके लिए किया जाय । लेखपाल को यह अधिकार देना चाहिए कि वह दण्ड संहिता है उसकी धारा 488 का मुकदमा दर्ज कराये तुरन्त । इस तरह से इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है । मैं अभी पद यात्रा पर अपने क्षेत्र में गया था । ऐसे क्षेत्र से गुजरना पड़ा जहाँ पर मौके पर कोई चकरोड नहीं थी जबकि कागज पर थी । लोग हल-बैल लेकर जा नहीं सकते इसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है । इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । लेखपाल रिपोर्ट करे और यदि वह न करे तो कानूनगो, एस० डी० एम० आदि जो पड़ताल करें, तो तुरन्त उस लेखपाल को निलम्बित किया जाय ।

जो लागत लगाता है किसान, अति वृष्टि, ओलावृष्टि की वजह से आप लगान मुल्तवी कर देते हैं आगे के लिए और आगे उसे दो-दो, तीन-तीन साल का एक साथ देना होता है इससे वह परेशान हो जाता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि लागत किसान लगाता है, वह पूरी बरबाद हो जाती है, और वही लगान, जबकि उसकी फसल बरबाद हो गई, पैदा नहीं हुई, पैसा लगा, मेहनत, परिश्रम, बीज सब बेकार हो गया, और आप मय ब्याज के, सहकारिता का, खाद की वसूली की जाती है । यह कहाँ का न्याय है । जब कुछ हुआ ही नहीं, परिश्रम भी गया, लागत भी गयी, तो ऋण और सहकारिता का ऋण, लगान, सारा लिया जाता है । इस पर आप विचार करें कि 100 फीसदी का नुकसान अगर हो जाता है फसल में तो लगान भी माफ करना चाहिए और जो लागत लगी है उस की भी व्यवस्था होनी चाहिए, माफ होना चाहिए । क्योंकि जमीन थोड़ी रहती है, ज्यादा रहती नहीं किसानों के पास । लागत भी बेकार चली जाती है इसमें किसान की हालत खराब हो जाती है । इसमें मेरा कहना है कि सुधार किया जाय ।

मेरा एक और सुझाव है कि गाँवों में अक्सर यह देखा जाता है कि 8 प्रतिशत से जमीन कम है, तीन-चार प्रतिशत है । उस जमीन का आवंटन कर दिया जाता है । 2-3 बिस्वा मिलता है । इससे किसी को लाभ नहीं मिलता है । अगर जमीन एक जगह पर

इकट्ठा रहे और उसमें चारागाह या पौशाला बना दिया जाय इससे गाँव के किसानों को और मजदूरों को लाभ होगा। चारागाहों में मजदूर जानवरों को चरा सकेंगे। सामूहिक प्रयोग में वह आ सकेगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें।

श्री शिवराज सिंह—

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ देहातों में अक्सर देखा गया है कि एक-एक कोठरी में लोग रहते हैं। बांकेनेर तहसील खैर में है। वहाँ पर 20 व्यक्ति रह रहे हैं एक छोटी सी कोठरी में आगे छप्पर पड़ा है। 20 सूत्री कार्यक्रम में इन सुविधाओं की घोषणा की गयी है। जो आबादी की जमीन है उसका आबंटन उन व्यक्तियों के लिये कर दी जाय जिनके परिवार में कई व्यक्ति हैं और एक कोठरी में रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री हरिवंश सहाय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। देवरिया जिला सलेमपुर तहसील में रहीमपुर गांव है जिनमें दो साल पहले चकबन्दी हुई थी। चकबन्दी के पहले गाँव समाज को कागज मिला जिसमें 50 हजार रुपये की जमीन गाँव समाज के पास थी। रिकार्ड आपरेशन में यह जमीन कुछ लोगों के नाम कर दिया गया। ग्राम सोहनपार व भाट पाररानी तहसील सलेमपुर में जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारों ने मुआवजा बाँड के रूप में ले लिया उसको ट्रेजरी से भुगतान कराने के बाद उस जमीन को दूसरों के नाम बेच दिया अब मान्यवर,

(व्यवधान)

उस जमीन की कीमत 50 लाख रुपये है। मैं चाहूंगा इसकी जाँच करा लें। देवरिया जिले में ए० एस० ओ० सी० हैं बाबूराम सिंह। मुकदमों में और चकों की अपीलों में दोनों तरफ से रुपया लेते हैं। जिस तरफ से अधिक रुपया मिल जाता है उसके पक्ष में फैसला दे देते हैं। दूसरे का पैसा वापस कर देते हैं। उनको हटाने के लिये जिलाधिकारी एवं डी० डी० सी० ने शासन को लिखा। उन्हें हटाया तो नहीं गया बल्कि प्रमोशन देकर एस० ओ० सी० बना दिया गया। आजकल देवरिया में ही अपना स्थानान्तरण रुकवाने के लिये 50 हजार रुपया लेकर दौड़ रहे हैं।

मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री जी इस ओर विचार करें। चकबन्दी होती है, चकबन्दी में गरीबों के घरों को, गरीबों की जमीन दूसरे के चक में चला जाता है। असरदार लोग उनको बार-बार तंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिसका घर है वह पहले से ही उसके नाम हो जाना चाहिये। पड़रौना और सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत सीलिंग से 10 हजार एकड़ जमीन निकली है जिसको पुराने जमीनदार लोग 229-बी के तहत दूसरे को बेच रहे हैं। मेरा सुझाव है कि 229-बी जिस अधिकारी के यहाँ मुकदमा चल रहा हो उसको निर्देशित करें या कानून बनायें कि कम से कम सीलिंग विभाग से सर्टीफिकेट ली जाय कि यह जमीन सीलिंग के अन्तर्गत है। चकिया फार्म 400 एकड़ का था। गरीबों में वितरण हुआ। 15 भूमिहीनों को उजाड़ कर कुष्ट आश्रम को दे दिया गया उसका मैनेजर मेरे क्षेत्र का है।

[श्री हरिवंश सहाय—]

उस सारी सम्पत्ति को कुष्ठ रोगियों को न देकर अपने आप खाये जा रहा है । मैं चाहूँगा कि वहाँ की जमीन को पुनः भूमिहीनों में वितरण करने की आप व्यवस्था करें । आपने एक आदेश भेजा है कि जहाँ गाँवों में पोखर हैं इन सारे पोखरों को मछली पालने के लिये ठेकों पर दिया जाय । लेकिन मान्यवर, जो गांवों में ग्राम प्रधान चुनकर आये हैं वे सारे पोखरों को और समतल जमीन को अपने परिवार वालों के नाम पट्टा पर अपने बच्चे के नाम पट्टा पर तथा अपने दोस्तों के नाम पट्टा पर, देकर अपने कब्जे में कर ले रहे हैं । इस प्रकार ग्राम-समाज की जमीन, मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अन्दर, एक इंच भी नहीं बच पायेगी । मान्यवर मैं समझता हूँ कि यह स्थिति केवल मेरे ही क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है ।

श्री अधिष्ठाता -

आपका समय समाप्त हुआ । कृपया अब आप बैठें ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके पास क्या कोई लिस्ट है या आप वैसे ही जो आपके संज्ञान में आ रहा है, उसका नाम बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है । अगर इस प्रकार आप लोग अपना समय बर्बाद करोगे तो इसमें मेरा क्या नुकसान होगा आप ही लोगों का समय नष्ट होगा ।

***श्री जैराज गौतम** -

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । इसमें 10 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास बिलकुल भी जमीन नहीं है । 30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एकड़ या उससे भी कम जमीन है । तो इस तरह से श्रीमन्, आप देखें कि इस प्रदेश में 45 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । हमारी प्रदेश सरकार 1980 से ऐसे लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को जमीन दिलाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है । आज पूरे प्रदेश में पिछले दो वर्षों से युद्ध स्तर पर गरीबों को जमीन आबंटन करने का काम चल रहा है लेकिन इसमें श्रीमन्, जो जानकारी मुझे मिली है, उन्हें सुझाव के तौर पर मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी कहना चाहता हूँ आज भी पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में जो भूमि का आबंटन हुआ है बदकिस्मती से अभी तक वहाँ आबंटियों को कब्जा नहीं मिल पाया है । और इस आबंटन के तहत व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी आबंटी की जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ एफ० आई० आर० लिखी जायेगी और 198-ए के तहत उसके खिलाफ मुकदमा किया जायेगा । लेकिन मैं समझता हूँ कि तहसीलों में चाहे वे परगनाधिकारी हों और चाहे वे रेवेन्यू विभाग के अधिकारी हों आबंटियों को कब्जा दिलाने की तरफ उनकी रुचि नहीं है । इसलिये श्रीमन्, मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को सुझाव है कि आबंटियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चलायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, सरकार की मन्शा भी रही है कि ऐसे परिवारों को जिनके पास जमीन कम है जो धरती को चीरकर गल्ला पैदा करते हैं लेकिन उनके सामने सिर ढकने की समस्या है, उनको पेट भरने की समस्या है, उनको रहने की समस्या है और जो आज आपकी चकबन्दी चल रही है प्रदेश के तमाम जिलों में, उसमें भी आपने अर्थात् शासन ने निर्णय लिया है कि चकबन्दी के दौरान जिन लोगों के पास पूर्व नाजायज काबिज है तो चकबन्दी के दौरान उसे फालतू घोषित कर देंगे तथा उसे धारा 52 में प्रकाशित कर गरीबों को आबंटित कर देंगे। लेकिन मान्यवर देखा यह गया है कि चकबन्दी के दौरान जो हमारी जी० एस० की जमीन है, ग्राम सभा के प्रभावशाली लोग या कशतकार अपनी-अपनी जगहों के और बगल के चकों को ए० सी० ओ० के माध्यम से, काट-काट कर अपने चकों में मिला ले रहे हैं और उस जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं। इससे गरीबों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। पहले यह था कि 1975 के पूर्व कि कोई भी हरिजन या कमजोर वर्ग का व्यक्ति यदि किसी की जमीन पर या बाग में अगर मकान बनवाकर रह रहा है, तो उतनी जमीन उनके खाते से काटकर नं-6 अंकित कर दी जायगी, लेकिन हाईकोट ने रूलिंग दी कि 6 न करके सम्मिलित जोत की आबादी रखी जाय। इसमें कठिनाई होगी कि धारा-52 की बात जो कही, जबर्दस्ती मजदूरों से काम लेना चाहते हैं, यदि वह उनकी इच्छानुसार काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा कायम कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा खेत हमारी जोत में है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

श्री जैराज गौतम

अन्त में मैं मा० राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

***श्री प्रदीप कुमार यादव--**

मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। वैसे तो विषय बहुत गम्भीर है, कहना भी ज्यादा चाहता हूँ लेकिन समय कम है इसलिये खास मुद्दों पर बातें कहूँगा।

जनपद बाराबंकी, बहराइच और गोण्डा के बीच घाघरा नदी है, उसके इस पार 2 मील तक और उस पार 2 मील तक जो जमीनें घाघरा नदी के किनारे हैं उसके कब्जे के मामले को लेकर आये दिन झगड़ा फसाद होता रहता है, इसीलिये शासन ने यह निश्चय किया है कि गोण्डा जिले में घाघरा नदी के किनारे की जमीन का सैटिलमेण्ट किया जाय और उसी तरह से सैटिलमेण्ट हो रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि इस बीच में जो-जो प्रार्थना-पत्र दिये हैं उसमें शिकायत की है कि वहाँ की तहसील तरबगंज, बहुअनमदारमांझ में 267 भूमिहीनों को जमीन बांटी गयी, पर जमीन उनके नाम दर्ज हो गयी लेकिन जो मौजूदा सैटिलमेंट हो रहा है वहां पर जो स्थानीय लोकदल है, सैटिलमेंट अधिकारी और कर्मचारियों से मिलकर उन पट्टेवालों को जमीन नहीं मिली, उनके नाम नहीं दर्ज हुई। एक भूमि का पट्टा दूसरे जिलों के रहने वालों के नाम दाखिल खारिज कर दिया। वहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

का किसान चिन्तित है। आपके माध्यम से मा० मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको गम्भीरता से दिखलायें और इस प्रकार की वारदात को रोकने का तुरन्त प्रयास करें।

बाराबंकी जिले में चकबन्दी चल रही है। 7 जून, 1975 को 56 गांवों का गजट हुआ। इसमें से 55 की चकबन्दी हो गयी, कब्जा भी दे दिया गया, लेकिन एक गांव किन्तूर है, वहां अब से दो साल पहले जो चकबन्दी की कार्यवाही थी, ठप्प है। चकबन्दी हो रही है। कब्जे परिवर्तन के मामले को लेकर किसानों में अजब हालत पैदा हो गयी है। मैंने भी विधान सभा में प्रश्न किया, मा० मन्त्री ने उत्तर दिया और आश्वासन दिया, मा० मंत्री जी मौके पर भी गये, उन्होंने आवास को भी आश्वासन दिया कि चकबन्दी तत्काल करा दी जायगी लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से कोई चिट्टी डाकखाने में डाल दी जाती है तो चिट्ठी तो पहुंच जाती है लेकिन जितने प्रार्थना-पत्र मैंने और वहां के विधायक अशर्फी लाल ने दिये, उनका कोई उत्तर नहीं आया। आज उनका कोई उत्तर नहीं आया तो यह विभाग उस डाकघर से भी बदतर है, क्योंकि वहाँ पर कोई काम किसी का नहीं होता है। माननीय मंत्री जी इस विषय में स्पष्ट आश्वासन दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया, कृपया बैठिए।

***श्री भागीरथ—**

मा० अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कल्याण-कारी बजट प्रस्तुत किया। मैं मान्यवर झांसी जनपद के मऊरानीपुर से चुनकर आया हूँ, वहां के लोग 1978 से दैवी आपदाओं से बराबर पीड़ित हैं, कही ओला वृष्टि से और कहीं सूखे की वजह से, मान्यवर, माननीय मन्त्री जी की ओर से वहाँ पर सहयोग मिला परन्तु उस तरह का सहयोग नहीं मिल सका जिस प्रकार से मिलना यदि आप चाहें तो इसके लिए इन्क्वायरी करा लें मऊरानीपुर, बंगरा तथा गुरसरायँ क्षेत्र में आपको स्वयं जानकारी हो जायेगी कि वहाँ पर किस प्रकार से लोग इन आपदाओं से पीड़ित हैं।

दूसरी बात मैं मान्यवर चकबन्दी के सिलसिले में कहना चाहूँगा सन् 76-77 और 77-78 में भारत की प्रधान मंत्री द्वारा चलाए गये भूमि आवंटन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ लोगों को जमीनें आबंटित हुयी थीं, परन्तु वहीं पर कुछ जमीन गाँव समाज के नजदीक विस्तार कार्य के लिए छोड़ी गयी थी, परन्तु कुछ प्रभावी किस्म के लोग उन पर काबिज हो रहे हैं और सरकार द्वारा उस भूमि को उनको लोगों को आबंटित भी करने जा रही है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस भूमि को जो विस्तार के लिए छोड़ी गयी थी, उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए विस्तार कार्य के लिए उसे किसी को आबंटित न किया जाए। तथा माननीय मंत्री से आशा है कि वह मेरे द्वारा दिये गये समस्त सुझावों पर विचार अवश्य करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया, कृपया बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री बाबू सिंह—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चन्द शब्दों में माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ, मंत्री जी जरा आप तवज्जह के साथ सुनें। जो आपका बैनामा होता है तो इसके दाखिल और खारिज की तारीख को आप मुकर्रर कर दें नहीं तो आपका कानूनगो और लेखपाल बीच में बड़ा घपला करते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो जमीन की किस्म आप मुकर्रर करते हैं कि यह अव्वल है, यह दोयम है, और यह सोयम है और उसी हैसियत से आप बैनामा करते हैं। लेकिन फिर भी आपका सब रजिस्ट्रार जो है वह परेशान करता है और खरीददारों को पैसा नहीं मिलता है। कोई दरखास्त दे देता है कि इस जमीन की वेल्यूएशन ज्यादा है। मैं कहता हूँ कि जब आपके जमीन की कीमत मुकर्रर है तो उसी के आधार पर जमीन का बैनामा होना चाहिये। परन्तु क्या वजह है कि उसके आधार पर दाखिल-खारिज नहीं होता है और उसके लिये अलग से चार्ज लेने की बात वे लोग करते हैं?

आपका नहर बन्दी का कानून है जिसमें 1/3 जमीन मेड़ बँधवाने के नाम पर बिक जाती है। यह तो सब लोग ही जानते हैं कि मेड़ कमजोर की ही टूटती है, ताकतवर की नहीं। तो इसमें होना यह चाहिये कि प्रधान की संस्तुति पर ही मेड़ बन्दी का काम होना चाहिये।

चौथी बात यह है कि नक्शा दुरुस्ती के आपके आदेश हैं, परन्तु उसके लिये ए०डी० एम० के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह काम आप तहसीलदार के लिये कर दें कि वह प्रधान की संस्तुति पर इसे कर दिया करे नहीं तो आदमी ए०डी०एम० साहब के यहाँ के चक्कर काटता रह जाता है और कभी वे मिल पाते हैं और कभी नहीं, बस दौड़ ही दौड़ हो जाती है।

पांचवी बात यह कि तहसीलदार के कोर्ट चलते-फिरते होने चाहिये। आपका तहसीलदार एक जगह महन्त की तरह बैठा रहता है, इसको आप रोकिये क्योंकि इससे आपके विभाग की तस्वीर बहुत खराब हो रही है।

छठी बात यह कि आप बैनामे का सरलीकरण करिये। हमारे भाई श्री स्वराज सिंह ने सुझाव ठीक दिया है कि आपका लेखपाल फर्जी आदमी के नाम बैनामा कर रहा है। वसीयतनामें भी फर्जी बन रहे हैं। किसी चालू आदमी के नाम या बेईमान आदमी के नाम फर्जी वसीयतनामे बना दिये जाते हैं और गरीबों को वे लोग परेशान करते हैं।

आपके यहां जो मिडिल फेल कातिल बैठे हुए हैं और विभिन्न पदों पर भरे हुए हैं और तनख्वाह पाते हैं तो उनका खर्चा आप बैनामा के ऊपर डाल दें। इसका फायदा यह होगा कि जो मिडिल फेल लोग बैठे हुए हैं और फर्जी बैनामे करते हैं, इस तरह से इन पर आपका अंकुश रहेगा और गरीबों को भी इस तरीके से राहत नसीब होगी।

मेरे यहां एक सुनहरा गांव है। वहाँ एक हरिजन की जमीन को एक ताकतवर, भूतपूर्व प्रधान श्री सोनपाल ने उस पर अपना कब्जा करके मकान बनवा लिया है। उसने एस० डी० एम० को दरखास्त दी। जांच हुई, चार्ज सही पाया गया। उसको चार्जशीट दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह—]

गयी लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज तक उसकी फाइल का पता नहीं है कि वह कहां पर है। एक सेंगर साहब हैं उन्होंने 5,000 रु० लेकर पूरी फाइल ही गायब कर दी है। वह बेचारा हरिजन फिर ए०डी०एम० के यहां गया, दरखास्त दी। उन्होंने कहा था कि दरखास्त बना कर लाओ तब हम इसे देखेंगे, वह दरखास्त दे आया परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उस हरिजन के कुएँ और जमीन पर भू० पू० प्रधान का मकान आज भी बना हुआ है ?

हमारे यहां 16 गांव हैं दीनापुर से लेकर हरनपुर कलां तक। यह एल० जी० सी० और गंगा के बीच में हैं, वहां पर हमेशा सेलाब आ जाता है। आपके एस०डी०एम० साहब सैलाब के समय वहां गये भी थे उन्होंने ए० डी० एम० से कहा कि आप इनकी लगान माफ कर दें और बाढ़ में फंसे लोगों के लिये उन्होंने कपड़ा और राशन इत्यादि मंगवाया। और उन गरीबों पर जुल्म ढाये जा रहे हैं।

चमन की रंग बू ने इस कदर धोखा किया मुझको।
कि मैंने शौकी गुलबोशी में काटों पर जुबाँ रख दी।

इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

*श्री राजकुमार राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। मैं चाहूँगा कि उनका निराकरण किया जाय। एक तो चकबन्दी में जो आबादी छोड़ी जाती है वह झगड़े की जड़ होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी जमीन छोड़ी जाय उसको उसी समय हरिजनों में बाँट दी जाय। जो जमीन चकबन्दी में छोड़ी जाती है उसको मजबूत हरिजन हथिया लेता है और कमजोर लोगों को नहीं मिल पाती है। इसलिए किसी अधिकारी का दायित्व कर देना चाहिए कि इसको चकबन्दी के समय ही बाँट दें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाढ़ से बहुत से खेत कट जाते हैं, इसे अलुवियन कहते हैं, उस पर वे काश्तकार का अधिकार समाप्त हो जाता है, उससे उसका लगान नहीं लिया जाता है और जब उसमें फिर मिट्टी आ जाती है तो उस किसान का अधिकार फिर आ जाता है इसको तब डेलिवियन कहते हैं। कोई सक्षम अधिकारी नहीं है कि जो इस चीज का निरीक्षण करे कि जो उसको दुबारा टेन्योर मिल जाय। मान्यवर जमीदारी विनाश अधिनियम के प्रिएम्बिल में है कि टिलर आफ दि लैण्ड शैल बी दि ओनर आफ दि लैण्ड मैं समझता हूँ कि असामी उसका लैण्ड होल्डर नहीं है बल्कि गांव सभा है। वह ओनर आफ दि लैण्ड नहीं हुआ। अगर आप प्रिएम्बिल को देखें। आपने असामी बना दिया तो कम से कम उस टैन्योर के कनवरजन का प्राविजन तो बना दें, नहीं तो वह श्रेणी 2 से श्रेणी 3 में हो जावेगा। और वह बेचारा असामी ही रहेगा, औनर आफ दी लैण्ड नहीं होगा।

मान्यवर, अब दूसरी बात मैं सीलिंग से बची हुई जमीन के बारे में कहना चाहता हूँ। उसको बांटने का प्राविधान किया गया है, आप उसको ऐसे टैन्योर में डाल दें जिससे वह एक समय के बाद उस जमीन का सीरदार हो जाय। वह गरीब आदमी होता है, उसको आप दे देते हैं लेकिन जब तक उसको परफैक्ट और प्रापर टेन्योर नहीं देंगे तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह दहशत में रहता है कि कब क्या हो जाय तो पक्के टैन्योर में लाने की व्यवस्था करें। अगर मान्यवर कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है आग लग जाती है या कोई ठंड से मर जाती है, तो जो राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, वह उसकी सही रिपोर्ट नहीं देते हैं। जब ऐसी कोई आपदा आती है तो परगनाधिकारी, लेखपाल, कानूनगो अपना धर्म समझने लगते हैं। 32 साल हो गये हैं स्वराज्य को मिले हुए, परन्तु इस तरह की चीजें कैन्सिल की जाती हैं। अगर कोई आदमी सरदी या ठंड से मर जाता है तो उसको 100-50 रुपया दे दिया जाता है परन्तु उसकी सूचना नहीं दी जाती है, उनका कहना है कि इसमें शासन की बदनामी होती है। हमें इस प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहिए। इस तरह की चीजों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे शासन की कोई बदनामी का सवाल नहीं है। इस प्रवृत्ति को समाप्त करें।...चैक रोड नाली और रास्ते के लिए आपने कानून बना दिया।

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि आपने इसके लिये पीनल क्लोज भी दे दिया। गजेटियर के बारे में कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने यह जिम्मेदारी ले ली है कि उसका हर दस वर्ष के बाद पुनरीक्षण होगा। यह कैसे होगा। इतनी पुरानी परम्परा है जिसमें विश्व की सारी चीजों का रिकार्ड रखा जाता है उसमें शिथिलता होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ आठ जिले ही रखे गये हैं। सारे जिले बाकी हैं। वह कैसे तैयार किया जाय यह सोचने की बात है। तेजी से तैयार किया जाय। इसका अनुवाद हिन्दी में होना चाहिए। ऐसा आप अपने गजेटियर विभाग को निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता —

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

श्री नन्दराम—

अधिष्ठाता महोदय, आपने राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने माननीय मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था। मेरे क्षेत्र में 1981-82 में सूखा पड़ा और 1982-83 में बाढ़ आयी। 166 गांव वहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हुये और फिर भी आपके राजस्व विभाग के लोग वसूली कर रहे हैं। वहां जो ऐलान आया था, फिर भी हवालात में बन्द लोगों में सड़न आ रही है। मन्त्री जी को पत्र लिखा लेकिन वहां के डी०एम० ने वसूली स्थगित नहीं की। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जिला बरेली में तहसील फरीदपुर और ब्लाक भटपुरा है। यहां पर बाढ़ आती है और सूखा भी पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि 20 गांव ऐसे हैं जिनमें 6-6 और सात-सात साल से पट्टा दिया गया है लेकिन अभी तक लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है। गांवों में कहीं चेक रोड, नाली और रास्ता नहीं है। बड़े-बड़े लोगों ने वहाँ जोत रखे हुये हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर चकरोड और रास्ते आप छुड़वा लें। इसके साथ ही ग्राम रिछा, दौलतपुर करैना, अंगदपुर, खमरिया व अन्य 20 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है और वहाँ के बड़े लोगों ने चैकरोड और नालियाँ जोत रखी हैं। एक दूसरा गांव नाद अनगनी है वहां पर जो श्मशान भूमि है वहाँ पर जनपद के प्रभावकारी लोगों ने भी चैकरोड जोत रखे हैं। जब लोग मुर्दा लेकर जाते हैं तो उनको नहीं ले जाने दिया जाता है। इसकी सूचना मैंने परगनाधीश को दी लेकिन कोई

[श्री नन्दराम]

कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह से एक गांव गोपालपुर है जो कि इसी ब्लाक में है। वहाँ के पटवारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने वहाँ के एक ठाकुर साहब ओम-प्रकाश सिंह को मरा दिखाया है। सारी उसकी जमीन तहस-नहस कर दी है। इसी से एक दूसरा गाँव लगा हुआ है गांसगंज तराई, उसमें वह आदमी जिन्दा है। इसके बारे में भी मैंने राजस्व मन्त्री को एक पत्र दिया लेकिन कोई इन्क्यायरी नहीं की गई। इसी जनपद बरेली की नवाबगंज तहसील में ग्राम बरखन है ? इसमें दो हरिजनों ने अपने खेत में जिनके नम्बर हैं 52/53 मकान बनवाये। हुक्म परगना ने वहाँ के प्रभावकारी लोगों के कहने से और अपने कर्मचारी भेजकर उसे खसवा दिये हैं और इसके लिये कोई नोटिस नहीं दिया है। वहां पर सारा मेटीरियल फैला पड़ा हुआ है। वहाँ के डी०एम० को सब लोगों ने एक पत्र भी दिया कि उसकी इन्क्वायरी कराई जाय। मैंने भी पत्र लिखा है किन्तु कुछ नहीं हुआ। इन शब्दों के साथ मैं माननीय भीखालाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तम—

मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आज कल हरिजनों को खरीद कर जमीन बाँटने की जो योजना चल रही है उसमें काफी कुव्यवस्था है। इसमें लोग सौदेबाजी करते हैं। जो जमीन किसी उपयोग की नहीं होती, जहाँ न सिंचाई की व्यवस्था होती है, न ही कोई फसल पैदा हो सकती है, जो खेती के काम आने वाली जमीन नहीं है, पहाड़ों के किनारे की है, उसको लोग मिल मिला कर बेच देते हैं और सरकार से पैसा ऐठ लेते हैं और उसे हरिजनों को दे देते हैं। इस पर सरकार को सतर्क रहना चाहिए, वरना एक ओर सरकार का पैसा भी चला जायेगा, दूसरी ओर हरिजनों को खेती योग्य भूमि भी नहीं मिलेगी। इससे सरकार की बदनामी भी होगी। आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सरकार भूमिहीनों के लिए, हरिजनों के लिए, सारी सम्पत्ति लुटाये दे रही है, पर वास्तव में उतना उनके लिये हो नहीं पाता है। विपक्ष के माननीय सदस्य भी उनके लिए बड़ी ममता जागृत करते हैं। झूठा एहसान दिखाते हैं। एक शेर है कि :—

तर्ज अहसान करने का उन्हीं को जेब होता है,
मर्ज में मुब्तिला करके मरीजों को दवा देना।

आज केवल अपनी नेतागीरी को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, विरोध पक्ष वाले तरह-तरह की बातें उनके लिये कहते हैं। इससे हरिजनों का उत्थान कभी होने वाला नहीं है। जो भी शोषण करने वाले लोग रहे हैं, वे अब भी बराबर हरिजनों का शोषण करने में लगे हुए हैं। जो जमीन आपने दे रखी है, उस पर मुकदमेंबाजी का जाल बिछाकर तरह-तरह से हरिजनों को परेशान किया जाता है। जब तक हरिजन जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हो जाता तब तक उसे परेशान किया जाता है।

आबंटन के जरिये कुछ भूमिहीनों को जमीन मिली है, पर कुछ को कब्जा मिला है और कुछ को कब्जा नहीं मिला है। कुछ ऐसे भी मामले देखने में आये हैं कि जमीन मिल गयी, उस पर कब्जा भी है, उस जमीन पर फसल भी बो दी गयी है, पर फसल की कटाई के समय वह गरीब हरिजन कटायी नहीं करने पाता। फसल को काटना उनके लिए असम्भव हो जाता है। सरकार ने हरिजनों की तरफ मुकदमा लड़ने के लिए व्यवस्था की है, पर जब हरिजन गरीब मुकदमेंबाजी में ही उलझा रहेगा तो वह किस समय सुख पायेगा। कोई सुख सुविधा तो उसे प्राप्त हो ही नहीं सकती क्योंकि शोषण करने वाले बेनामी जमीन हथियाये रहते हैं।

शोषण करने वाले लोग जहां कहीं विकास के कार्य होने वाले होते हैं, कोई कारखाना वगैरह जहां पर लगना होता है, वहां की जमीन बहुत सस्ते दामों पर खरीद लिया करते हैं। 100-200 रुपये में खरीदी गयी जमीन, बाद को 10-10 हजार में बेचते हैं। ऐसा हो रहा है। सरकार को इसे देखना चाहिये।

मेरे यहाँ एक हलिया ब्लाक है। वह रिजर्व सीट के अन्तर्गत आता है। रिजर्व सीट का मतलब होता है कि वहाँ हरिजनों की आबादी अधिक है वहाँ पर चकबन्दी होनी चाहिए। चकबन्दी का मतलब होता है कि लोगों को जमीन मिल जाय। लेकिन शोषण करने वाले अमीनों आदि से मिल कर ऐसा कर लेते हैं जिससे उनको जमीन नहीं मिल पाती बात यह है कि वे कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिससे हरिजनों को रद्दी जमीन मिलेगी और दूसरों को एकदम अच्छी जमीन मिल जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री पुरुषोत्तम—

एक मिनट मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हलिया और लालगंज ब्लाक में पहले तो सूखा पड़ा और इधर जोरों का ओला पड़ गया है जिससे वहां हाँ-हाकार मचा हुआ है। इसलिए वहां पर कोई काम शुरू करवाइये जिससे लोगों की जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो सके। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

***श्री मसरूर जाफरी**—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अंग्रेजों के जाने के बाद आज भी अंग्रेजी प्रथा हमारे यहां कायम है। उसका उदाहरण है जमाबन्दी की किताब तब बनती है जब किसानों की सारी फसल खेत में हो या फसल न हो। तो किसान कैसे पैसा देगा ? जमाबन्दी उस समय तैयार होनी चाहिये जब रबी की फसल तैयार हो और फिर जब खरीफ की फसल तैयार हो ताकि किसान फसल बेचकर सरकारी कर्जा अदा कर सके।

श्री धरमपाल—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

श्री धरमपाल बिना आज्ञा के बोले हैं इसलिये वह लिखा नहीं जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मशरूर जाफरी—

आज हालत यह है कि सारी जमीन जहां से आयी थी वहीं चली गयी है। वह खास-खास लोगों को मिल गयी है। आजकल एक नयी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तमाम परगना अधिकारी और ए० डी० एम० फर्जी परिवारों का चार्ट बना कर सीलिंग की जमीनों को उन्हीं लोगों को बांट दिये हैं जिनकी जमीन सीलिंग से निकली थी उन्हीं के खानदान में वह जमीन चली गयी है। गोंडा में आज यही प्रथा चल रही है। जमींदारी विनाश के बाद जिस तरह से जमीनें उन्हीं लोगों के लड़कों और रिश्तेदारों में बंट गयी या जो उनके चाटुकार थे उनको चली गयी उसमें से केवल 20 परसेण्ट जमीन बची थी जो बंटनी थी उसको भी आप आज तक नहीं बांट पाये हैं। अगर बँटी भी है तो उस पर कब्जा नहीं मिल पाया है अगर कब्जा मिल भी गया है तो वह फसल बो नहीं पाता है और फसल बो ली तो वह काट नहीं पाता है जिसको वह सीलिंग की जमीन मिली है। हमारे यहाँ गोंडा में यही हो रहा है।

तीसरी बात जो आपने चकबन्दी के लिए टारगेट फिक्स कर दिया है उससे परेशानी हो रही है क्योंकि चकबन्दी करने वाला स्टाफ कम है उसको जल्दी जल्दी पूरा करना होता है उससे बजाय किसानों को फायदा होने के नुकसान हो रहा है। आजकल चकबंदी में भ्रष्टाचार भी ज्यादा हो गया है।

मंगल देव विशारद की रिपोर्ट जिसकी चर्चा यहां पर भी हुई अगर उस रिपोर्ट के आधार पर जमीन बांटी जाय तो गोंडा जनपद की चारों तहसीलों में इतनी जमीन मिल जायगी कि आसानी से भूमिहीनों को बांटी जा सकती है लेकिन वह हो नहीं सकता है। मन्त्री जी की हिम्मत नहीं है कि उस रिपोर्ट के आधार पर जमीन को बाँट सकें। क्योंकि कुछ सत्तापक्ष के अधिकांश लोग उन जमीनों पर लिपटे हुए हैं। तीसरी चीज राप्ती और घाघरा नदियां हमेशा गोंडा को परेशान किये हैं। वहाँ पर सूखा और सैलाब 1/3 हिस्सा जिले का प्रस्तावित होता है। चार साल से ओला और सैलाब के कारण लगान स्थगित कर रखा लेकिन चार साल बाद जबरन वसूली करेंगे तो किसान कहा से देगा यह उनके लिए परेशानकूल है।

हमारे यहा उतरौला में 10 साल से तहसील भवन बनना था लेकिन वह अभी तक तक नहीं बन पाया है। 1896 का तहसील भवन बना हुआ है वह किसी भी समय गिर सकता है लेकिन आज तक उसके लिए बजट में पैसा नहीं रखा गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे यहाँ चकबन्दी लागू कर दें तो वहाँ बहुत सी जमीन ग्राम समाज और सीलिंग से निकलेगी जिसको गरीबों को बांट सकते हैं और भूमिहीनों को लाभ पहुँचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया। श्रीमन्, हमारी लोकप्रिय सरकार, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यक्रम से जो हरिजनों, और पिछड़ी जाति के लोगों को जो सीलिंग की जमीन उ० प्र० में दी जा रही है उसमें बड़ी अनियमिततायें हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्र की बात कि

शासन के आदेश हैं कि जब क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र में जायेगा और सीलिंग की जमीन कोई निकलेगी तो परगनाधिकारी के साथ उसको देखने के लिये दौड़ा करेगा और उस सीलिंग की जमीन के सम्बन्ध में संबंधित विभाग के मंत्री को उसकी सूचना देगा। अब हो रहा है कि तससीलदार, जैसे कि हमारे श्री श्यामलाल बाजपेयी, विधायक ने कहा है कि नये नये लड़के आई०ए०एस० बन गये हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, मैं उनकी इस बात से सहमत होते हुये यह कहना चाहता हूँ कि अब सीलिंग की जो जमीन निकलती है, मैं अपने क्षेत्र खटीमा और सितारगंज, जो तराई के क्षेत्र हैं, की बात कर रहा हूँ कि डेढ़ महीने हुये सितारगंज ब्लाक में एक तहसीलदार ने, चौधरी चरण सिंह के समय में उनके भतीजे की जमीन काशीपुर में दिलवाई थी, श्री मोहन सिंह माफ करेंगे क्योंकि मैं उनसे कभी कभी सलाह भी लेता हूँ, वह तहसीलदार काशीपुर से सितारगंज पहुँचा, अब हम और विभाग के लोग चाहते हैं कि जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाय, तो वह तहसीलदार और कानूनगो मिलकर जो हरिजनों को पट्टे मिले थे उनका नाम बदलकर, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, दूसरों के नाम पट्टे दे दिये हैं। ऐसे लोग सरकार को बदनाम करते हैं इसलिये मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इसकी जाँच करें कि खटीमा में 1981-82 में और सितारगंज में जितनी सीलिंग की जमीन निकली वह हरिजनों को मिली कि नहीं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, कुछ दिन पहले यहाँ प्रश्न किया गया था, स्टांग फार्म जो खटीमा ब्लाक में है उससे निकली जमीन किस को मिली है।

मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा कि खटीमा ब्लाक में वहाँ के तत्कालीन एस०डी०एम० ने डिमार्केशन करवाया, उसमें मेरी जानकारी है कि 20-25 एकड़ जमीन निकली लेकिन फार्म वाले परगनाधिकारी से मिलकर वह जमीन अपने कब्जे में ले लिये। इसके अतिरिक्त जो जमीन सीलिंग की मिली भी वह ऐसे हरिजनों को दी गयी है जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि स्टांग फार्म नं० 1 में जो सीलिंग में जमीन निकली वह किस को मिली इसकी जांच करायें। खटीमा में सीलिंग में जो जमीन निकली वह किसको दी गयी है, इसकी भी जांच करायें। हमारे क्षेत्र में सितारगंज ब्लाक में जो सीलिंग की जमीन निकली है वह भी ऐसे हरिजनों को दी गयी है जिनके नाम पट्टे नहीं थे ओर वह वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमारे सितारगंज में ग्राम ड्योढार हैं, जहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान भाई और हरिजन भाई रहते हैं, वहाँ करीब साढ़े चार सौ एकड़ उसमें जमीन है। मंत्री जी ने उसमें आदेश दे दिया कि इनका कब्जा दिलाया जाए, उनके हक की जमीन है, लेकिन पता नहीं कि क्यों उन गरीबों को उस पर कब्जा न देकर उच्च अधिकारी लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिये मंत्री जी इस मामले को अवश्य देखें और जो सितारगंज में जमीन हरिजनों को बंटी हुई है उसकी वह इंक्वायरी कराने की कृपा करें। इसके साथ मैं प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

(4 बजकर 26 मिनट)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, माननीय भीखालाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती-प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और दो-चार बिन्दुओं पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। पिछले सत्र में भी मैंने मंत्री जी को सुझाव दिया था कि पूरे प्रदेश में 1337 फसली में भूमि का रिकार्ड आपरेशन-बन्दोबस्त किया गया था। उसके पश्चात् हमारे प्रदेश के किसान ने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से उस कंकरीली और पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाया है। उसके बाद भी आज उनकी जमीन किसी कारण से कालोनी, फैक्टरी आदि हेतु अधिग्रहीत की जाती है

[श्री गोपीनाथ वर्मा—

तो उसे आज के मूल्य के हिसाब से उसका मुआवजा न देकर 1337 फसली के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। इससे हमारे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दिशा में आप कोई ठोस कार्यवाही करें, जिससे हमारे किसानों की जो कीमती जमीन है, उसका उनको सही मूल्य मिल सके।

आज सबसे अधिक भयावह स्थिति यह है कि जितने गाँव हैं, उनमें चाहे छोटे तालाब हों या बड़े तालाब हों, उसका पट्टा दिया जा रहा है। जहाँ तक कि दो-चार लोगों को 40-40 और 50-50 एकड़ तालाब का पट्टा दे दिया गया और उन ग्रामों के निवासियों के जानवर तालाब में जाना चाहते हैं या चले जाते हैं, तो उसको लेकर बड़ा विवाद हो जाता है, अच्छा खासा झगड़ा हो रहा है, और न्यायालय जाने की नौबत आ जाती है। इसलिये यदि आप गरीबों को मत्स्य पालन हेतु पट्टा देना चाहते हैं गरीबों को तो उसमें आप एक सीमा निर्धारित कर लें कि कितनी भूमि में वह मत्स्य पालन कर सकता है। और उससे अधिक मत्स्य पालन के लिए उसको तालाब का पट्टा न दिया जाए। इस सम्बन्ध में मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

एक बात यह है कि पूरे प्रदेश में चक-रोड को लेकर बात हुई। प्रदेश के जिन गांवों की चकबन्दी हुई, उसमें चकरोड और नालियां दी गईं, लेकिन पूरे प्रदेश में स्थिति आज यह है, कि नाजाजज कब्जों की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, गांव का आदमी गांव से निकल नहीं सकता। क्योंकि सारे रास्ते को, गांव से कुछ सरकश लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। उससे रास्ते में भारी रुकावट पैदा हो गई है और साथ-साथ कृषि कार्यों में भी बाधा पड़ रही है। इसलिये आप आमतौर पर इसकी पैमायश करायें और उस पर से कब्जों को हटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ ग्रामीणों के हित में अच्छी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ अभी शीतलहरी चल रही थी, उसमें गरीबों को कम्बल और चादर बांटने की बात आई, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वह अब भी कहीं कहीं बांटे जा रहे हैं। शीतलहरी कब आई और कम्बल आदि अब बांटे जा रहे हैं। इसके बारे में भी आप जांच करवा लें और जिन्होंने समय पर मुस्तैदी से कार्यवाही नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपका राजस्व विभाग पूर्णतया भ्रष्ट है और उस पर आपकी पकड़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ढीली है। आपके अधिकारी आपकी पकड़ के बाहर हैं। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, वैसे तो सूरज को चिराग दिखाना होगा। माननीय मंत्री जी विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े अनुभवी हैं। वह तो मान्यवर, केन्द्र में मंत्री रहे, पार्लियामेंट के मेम्बर रहे, अब यहां हैं और पहले भी यहाँ रहे हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि डी० एम० और एस० डी० एम० साहबान आपके विभाग के अधीन नहीं हैं। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर जिससे आपको कठिनाई होती है, डिस्ट्रिक्ट रेवन्यू आफीसर या डिस्ट्रिस्ट कलेक्शन आफीसर या कलक्टर को उनका नाम छीनकर दे दें। उनको खाली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहने दें। मान्यवर, कलेक्शन अमीन जो लगान वसूल करते हैं, वह कार्बन नहीं लगाते, रसीद में कुछ लिखते हैं, रजिस्टर में कुछ लिखते हैं। मान्यवर, इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई चेकिंग एथारिटी आपकी अपने नीचे है नहीं। लैंड रिकार्ड में किसानों को परेशारी होती है, क्योंकि विंटर टुअर तो होते नहीं हैं। जो अंग्रेजी के जमाने में होता था, अब बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये मंत्री

* वक्ता ने भाषणका पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी के डायरेक्ट अण्डर में नहीं आते हैं। वे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में हैं। वे ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन के सुधारने में लगे रहते हैं। मंत्री और सेक्रेटरीज के स्वागत में लगे रहते हैं।

मान्यवर, जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हरिजन अधिकारी जिले-जिले में आपने नियुक्त कर रखे हैं, उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट क्लेक्शन आफीसर आप एप्वाइंट करें। मान्यवर, दूसरा यह सुझाव है कि सीलिंग मैं समझता हूँ कि वह बेकार हो गयी, प्रभावी नहीं हुई। मैं माननीय, श्री भीखा लाल जी से इत्तफाक करता हूँ। मेरा एक पराग एशपार्ट फार्म डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में है। 6-6 हजार के फार्म हैं। आज तक एस० डी० एम० साहब ने कोई नोटिस नहीं ईशू की। मान्यवर, न कोई सरप्लस लैंड डिक्लेयर हुई। एक बार मान्यवर, मैं एत्तफाक से राज्य मंत्री हो गया मेरी 50 एकड़ भूमि निकल गयी। लेकिन मेरे पडोसी जो हैं, उन्होंने 200-200, 500-500 एकड़ जमीन जोते हुए हैं, क्योंकि उनकी जमीन कोर्ट से छूट गयी। क्योंकि सीलिंग का काम निप्रभावी है।

मान्यवर, यह मेरा दूसरा सुझाव है कि सीलिंग को फिर से प्रभावी करें। सीलिंग में जो अमरूद की बाग होती है, उनको आप बाग नहीं मानते। आप देखें बरेली, इलाहबाद में 4 रु० किलो अमरूद बिक गया, तो अमरूद का बाग जो है, वह उसमें ब ग में लावें जिससे अमरूद के बाग का काटन सके। मान्यवर, पहाड़ पर जांय, तो सेव एक रुपया किलो मिल जायगा, मान्यवर, अमरूद का बाग 20-50 साल तक रहता है। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के जमाने में लगान किस्म जमीन के हिसाब से थी, जमीनों की कई किस्में थीं, जैसे माननीय मोहन सिंह भी जाने होंगे, वह विद्वान आदमी हैं, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जमीनें कई प्रकार की हैं, जैसे अव्वल, दोयम, सोयम, कछियाना, आबी, खार्की आदि-आदि और इसमें हालांकि तीन-तीन अलग किस्में हैं। मान्यवर, अब आपकी जो नशेव जमीन हैं, वाटर लागिंग की जमीनें हैं, उसमें फसलें नहीं हो सकती हैं। उनमें दो-दो तीन-तीन फीट पानी भरा रहता है, कोई फसलें नहीं हो सकती हैं। तो उसको लगान इस प्रकार लागू करें कि जिससे वाटर लागिंग जमीन पर लगान जो हो, वह ऐसा हो, जिससे वह किसान दे सके, जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था, दो-दो आने चार-चार आने बीघा लगान होता था। इस प्रकार से एक इस्त-मुरारी बंदोबस्त है, जो अंग्रजों के जमाने से चला आ रहा है, आपने उसका नाम चकबंदी कर दिया। यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है तो लैंड रिकार्ड को ठीक करने के लिए आपकी खसराखतौनी, जमा-बंदी जोत-बही आदि ठीक करने के लिए, जैसे अमूनन बंटवारा होता है या बाप या शौहर मर जाते हैं, तो लड़के या पत्नी के नाम दर्ज कर देते हैं। यह कंटीनुअस प्रोसेस आप समझें, हमेशा इसको बरकरार रखें इस डिपार्टमेंट को स्थायी कर दें। तो मान्यवर, इस डिपार्टमेंट को आपने जो टैम्परेरी बना रखा है, इसमें कोई अपना कैबिनेट में डिसीजन लेकर इसको स्थायी करें।

मान्यवर, मेरी ऐसी जानकारी है कि जिस लड़के या विधवा को जो भी सक्सेसर हो, उसको अपना नाम चढ़वाने के लिए 100-100, 200-200 रुपये रिश्वत का देना पड़ता है। मान्यवर, इस विभाग में सब कर्मचारियों के हिस्से बंधे रहते हैं। तो मान्यवर, यह एक भ्रष्टाचार है और मान्यवर इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय।

मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें जो रिश्वत की प्रथा चली आ रही है, यह एक भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार में खर्चा गरीब किसानों के मर जाने के बाद,

[श्री चेतराम गंगवार—]

उनके लड़कों या उनकी विधवाओं पर पड़ता है। इसको माननीय मंत्री जी बंद कराये अथवा यदि न बंद कर सके तो इस खर्चे को सरकार वहन करे जिस प्रकार से अस्पतालों में दवाइयों पर कोई खर्च नहीं पड़ता है उसी प्रकार से सक्सेशन में कोई खर्चा नहीं पड़ना चाहिए। मान्यवर, सड़कें सरकार बनवाती है, उस पर सभी लोग चलते हैं, उस पर चलने वालों से तो कोई खर्च नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार से जमीन की बात है, वह अगर किसी गरीब किसान के मर जाने के बाद उसका लड़का या उसकी विधवा अपने नाम कराती है, तो उस पर कोई खर्चा नहीं पड़ना चाहिए, उसमें जो खर्च पड़े, उसे सरकार स्वयं वहन करे। मेरे सुझाव बहुत खास है, इन पर आप गौर करें।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि एस्कार्ट फार्म और पराग फार्म के अन्तर्गत, जिनके पास 6-6 हजार एकड़ तक जमीने हैं, उनको आज तक नोटिस क्यों नहीं इश्यू हुए, बढ़ी हुई उनकी लैंड सरप्लस क्यों नहीं डिक्लेयर की गयी, इसका कृपा कर माननीय मंत्री जी उत्तर अपने भाषण में देने का कष्ट करें। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय श्री भीखा लाल जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय भीखा लाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के किसानों में 80 प्रतिशत लोगों के पास केवल 20 प्रतिशत भूमि है और प्रदेश के 20 प्रतिशत लोगों के पास 80 प्रतिशत भूमि है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लघु सीमान्त कृषक जो हमारे प्रदेश के हैं, वे आज गरीबी की रेखा के नीचे हैं। प्रदेश के लघु और सीमान्त कृषक कम से कम 90 प्रतिशत हैं, वे गरीबी की रेखा के नीचे हैं। श्रीमन् हमारे प्रदेश की भूमि या तो ऐसे लोगों के हाथों में है, जिनका दिल दिमाग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और लखनऊ में है, जो न अपने हाथों खेती करते हैं और न उस जमीन पर लात रखते हैं। इनमें आई० पी० एस०, आई० ए० एस०, नेता और मंत्री आते हैं। इस तरह से हमारे प्रदेश की भूमि का बहुत ज्यादा हिस्सा इन बड़े बड़े लोगों के पास है, जो केवल अपने काले धन को सफेद करने के लिए जमीन का नाम लेते हैं, यह लोग अपने काले धन को इस जमीन के नाम पर सफेद करते हैं, अपनी लूट को इस जमीन पर सफेद करते हैं और दिखाते हैं कि हम जमीन से कमाते हैं, तो इस प्रदेश को हम किसानों का प्रदेश कैसे कहें, इसे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज अगर सही मायने में देखा जाय तो जमीन जोतने वालों को नहीं मिलती है, वह जमीन औरों को मिली है। चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए ऐसी बातों पर चर्चा न कर, कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इनके अन्तर्गत एक बात यह है कि कृषि योग्य भूमि पर कसंट्क्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि जो परती, बंजर और पथरीली जमीन है, उन पर कसंट्क्शन होने चाहिए, लेकिन देखा गया है कि इनमें कसंट्क्शन नहीं होते हैं।

दूसरी बात, मान्यवर हमारे इलाके में सैकड़ों बीघे लम्बी लम्बी झीलें हैं जो तालाब दर्ज हैं, उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जिमन (किस्म) बदलने के लिए कमिश्नर को पावर है, तो मैं चाहूँगा कि इस पावर को एस० डी० एम० को दिया जाना चाहिए, जिससे झीलों में जो कृषि योग्य भूमि है, उसे पट्टे पर दिया जा सके। दूसरे, जहाँ मछली पालन के लिये पट्टे दिये हैं, उसकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए, एक एकड़ या डेढ़ एकड़ तालाब को ही मछली पालन के लिये दिया जाय। जो तालाब गांवों में ऐसे हैं, जो

सार्वजनिक उपयोग के लिये हैं, उनके पट्टे मछली पालन के लिये नहीं होने चाहिए। दूसरी बात जो हरिजनों को आबंटन के बारे में कही गयी। उसमें मुझे यह कहना है कि जमींदारी के जमाने में जमींदार हरिजनों को एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाते रहते थे, तो वह जमीनें जहाँ पर वह बसते थे, वह उनके खाते में थी और आज भी वह उनके खातों में दर्ज है, तो जब यह उनके खाते में दर्ज हैं, तो उन्हें उजाड़ने की या निकालने की धमकी दी जाती है, इसलिए एस० डी० एम० या किसी अधिकारी को, जिसको आप उपयुक्त समझें, यह अधिकार होना चाहिए कि हड़ताल के समय उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसे आबादी में दर्ज कर दें और खातेदारों के खाते से खारिज कर दें। इसके अलावा, तहसील में दाखिल···

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन—

खारिज, बेनामे और रजिस्ट्रेशन में बड़ी धांधली और गड़बड़ियाँ की जाती हैं, उन पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए और और इसके अलावा भूमिहीन जो ग्राम समाज की भूमि पर काबिज हैं, उन्हें सीरदार बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात जो ग्राम सभा की जमीन का पट्टा किया गया उस पर कब्जे के नाम पर जबर्दस्ती दूसरों का कब्जा है। मन्त्री जी कहते हैं कि कानून बना है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या मंत्री जी के पास कोई आंकड़ा है कि प्रदेश में जहाँ हरिजनों को कब्जा नहीं मिल पाया यह किसी को सजा दिला पाये हैं। दूसरी बात हमारे तहसील में अमीनों की जो सूची है वह न तो कोटिक्रम पर आधारित है न वरिष्ठता क्रम पर आधारित है तहसीलदार और एस० डी० एम० जिसको चाहते हैं रुपया लेकर स्थायी कर देते हैं। मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर लेखपालों के ट्रान्सफर के बारे में कहना चाहता हूँ इनको अपनी तहसील में नहीं रहना चाहिये। क्योंकि यह वहाँ पर ग्रुप बना लेते हैं और कोई काम नहीं होने देते हैं।

श्री हरदेव—

आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ। मैं जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

आप 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री हरदेव—

मान्यवर, हमारे यहाँ 81-82 में भयंकर सूखा पड़ा था वहाँ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार तथा लेखपाल की जो रिपोर्ट जिलाधिकारी से आयी शासन को, कि इस क्षेत्र में शारदा नहर के 9 पम्पों से पानी दिया जा रहा है। जबकि वहाँ नहर की उस समय खुदाई भी नहीं की गई। गलत बयानी से यह हुआ कि उस क्षेत्र की जनता जो

[श्री हरदेव —]

सूखे से पीड़ित थी उसको आज आलू और सरबत मिलना मुश्किल है। मान्यवर पाले के कारण आलू, मटर और अरहर की सारी फसल बर्बाद हो गयी। अब स्थिति यह है कि लोग मुखमरी की कगार पर है। मैं शासन से व अधिकारियों से अनुरोध किया लेकिन रसड़ा की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बाढ़ में राहत व्यवस्था की जाती है उसी तरह सूखा में भी राहत की व्यवस्था की जाय जिससे रसड़ा की जनता को फायदा हो सके या राहत मिल सके। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जमीन हरिजनों को आबंटित की जाती है उस पर उनको कब्जा नहीं मिल पाता है। उस जमीन पर समुचित रूप से कब्जा मिलना चाहिए। 1971 से आज तक बाबूराम पुत्र लाखन ग्राम तरछापार के हरिजन को ब्लाक सीयर का रहने वाला है, कोशिश कर रहा है कि उसको आवंटित जमीन पर कब्जा मिल जाय लेकिन 3 डिसमिल जमीन उसको मकान बनाने के लिये अभी नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूँगा कि आबंटित जमीन पर कब्जा दिलाने के लिये एक विशेष अदालत का गठन किया जाय। यह विशेष अदालत कब्जा दिलाने का काम करें ताकि हरिजनों को सही माने में कब्जा मिल सके। नहीं तो वही लोग कब्जा दिलाने में रहते हैं जो कब्जा किये हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता —

आप बैठें।

श्री हरदेव—

जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तक तक हरिजनों को आबंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिल पायेगा।

श्री अधिष्ठाता —

अब हरदेव जी जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री हरदेव —

मैं बजट का समर्थन करते हुए रसड़ा की जनता को राहत देने की शीघ्र मांग करता हूँ।

(समय 4 बजकर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष महोदय पर्वतीय क्षेत्र की भौगीलिक स्थिति भिन्न है। आपने हमको समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें मैंने श्री भीखालाल को बुला लिया है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

....इतना ही कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बिलकुल भिन्न है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बिष्ट जी बैठें आप ।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, उन सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने सुझाव दिये और उनका भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रशासनिक त्रुटियों और नीतियों में गडबड़ियों को उजागर किया । शुरू में ही मैंने एक प्रश्न उठाया था कि हमारा राष्ट्रीय नारा था जमीन जोतने वालों का, उसकी तरफ उल्लेख किया था और इतिहास के पन्ने पलटते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया था । जमीन जोतने वाले कौन हैं, हमारी राष्ट्रीय नीतियां, विभिन्न कमेटियों के मत और जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था वह बहुत अच्छा था लेकिन जमींदारी एबोलिशन के बाद उसमें भटकाव आ गया । इस संबंध में मैंने कालमार्कस की एक स्थापना का उल्लेख कर दिया तो जैतली साहब को तुरन्त कम्युनिस्ट याद आ गया । उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट लोग और फैजाबाद के विधायक क्या अपनी भूमि अपने श्रम से

(व्यवधान)

अपनी जमीन खुद जोतते है । क्या आप जमीन सम्बन्धी कोई कानून बनायेंगे जो कांग्रेस पार्टी के लिये, कम्युनिस्ट पार्टी के लिये, बी० जे० पी० के लिये अलग-अलग हो । यह जो भटकाव आया, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की समझदारी में, जमीन जोतने वालों के दृष्टिकोण में अचानक बदलाव नहीं आया । यह बदलाव सोची समझी नीतियों से आया और कांग्रेस पार्टी ने अपने हित में ही बड़े भू-स्वामियों को पैदा किया । जैसे अंग्रेजों ने अपना शासन बमाये रखने और चलाने के लिये मध्यवर्ती जमींदार बनाये थे, उसी तरह से इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी शक्ति पैदा की जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्र में उनका प्रभाव बना रहे । यह अचानक नहीं हुआ बल्कि सोची समझी नीति के तहत हुआ ।

मैं मान्यवर, गंगवार जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने समर्थन किया कि सीलिंग कानून आपका फेल हो गया । जो आप की इच्छा थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई । मैं जैतली साहब से, उनके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो हम उम्मीद रखते थे, वह पूरा नहीं हुआ । तो क्या शासन तैयार है कि जमीनों का नेशनलाइजेशन करे और नये सिरे से जो जमीनें हैं जोतने वाले हैं उन को फिर से बाँटें । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी होगी जो इसका समर्थन करेगी । एक बात प्रशासन के संबंध में कहना चाहता हूँ । राजस्व मंत्री जी ने जिला प्रशासन का बजट पेश किया है, इसका मतलब तो यह हुआ कि जिला प्रशासन में मंत्री जी का पूरा अधिकार है लेकिन राजस्व मंत्री जी का पूरा अधिकार नहीं है । ये अगर चाहते हैं किसी एस०डी०एम० का तबादला करना, तो नहीं कर सकते । एप्वाइण्टमेन्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से करना पड़ेगा । जो जिला प्रशासन है, राजस्व विभाग के अन्तर्गत आता है । अगर राजस्व मंत्री का उन पर कोई अधिकार है तो उनके अधिकार को बढ़ाया जाय और इन अधिकारियों की चरित्र पंजिका में, प्रविष्टि करने का, कम से कम प्रतिकूल प्रविष्टि का, अधिकार तो हो । गंगवार जी ने सुझाव दिया कि राजस्व मन्त्री का जिला प्रशासन पर अधिकार नहीं है इसलिए एक कलेक्शन आफिसर अलग मंत्री जी के अधीन बना दिया जाय । मैं इस का सख्त विरोध करता हूँ । अफसरों की तादाद बढ़ाने से

श्री भीखा लाल—]

कुछ नहीं होगा, जो हैं उन्हीं से यह काम लिया जाय, हाँ, मंत्री जी का अधिकार बढ़ाया जाय। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 243 तहसीलें हैं और तहसीलदार की संख्या 357 है। नायब तहसीलदार 1257 हैं। औसत तहसीलदार और नायब तहसीलदार का एक और साढ़े तीन का है। पहले कुछ बड़े बड़े शहरों को छोड़कर, लखनऊ-बनारस हर तहसील में एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार हुआ करते थे। नायब तहसीलदार की भर्ती डायरेक्ट होती है, तहसीलदार की डायरेक्ट नहीं होती है। नायब तहसीलदार लोक सेवा आयोग से आते हैं। वह इस उम्मीद से नहीं आते हैं कि नायब तहसीलदार ही बन कर रिटायर होना है। उन्हें उम्मीद होती है कि उसे तहसीलदार, डिप्टीकलेक्टर, ए०डी०एम० तक होना है। हर नायब तहसीलदार पहले 4-5 साल बाद तहसीलदार हो जाता था। प्रमोशन एवन्यूज अब घटकर चौथाई रह गई हैं। यदि शासन चाहता है नायब तहसीलदार में, इस कैडर में अच्छे लोग, सक्षम लोग आयें तो प्रमोशन के चान्सेज बढ़ाने होंगे। जिस तरह से आई.ए.एस. के लिये किया गया है कि 15 साल में कमिश्नर रैंक दे दिया जायेगा उसी तरह से नायब तहसीलदार के लिये होना चाहिये कि टाइम बाउन्ड स्केल निश्चित किया जाय और अगर निश्चित समय पर प्रमोशन नहीं होता है तो तहसीलदार का ग्रेड तो दे ही दिया जाय।

सी.ओ. और ए. सी. ओ. के बारे में भी यही है। ए. सी. ओ. का प्रमोशन सी.ओ. में होना चाहिये। एक और चार का अनुपात है। हर ए. सी. ओ. तो सी. ओ. हो नहीं सकता। इनको भी नायब तहसीलदारों की तरह टाइम बाउण्ड स्केल दिया जाय। तीन-चार साल का अनुभव रखने वाले डिप्टी कलेक्टर को एस. ओ. सी. न बनायें क्योंकि उनमें भू अभिलेखों का अनुभव कम होता है। सी. ओ. से प्रमोशन करके एस. ओ. सी. बनाना चाहिये। सी. ओ. से एस.ओ.सी. और एस.ओ.सी. से डिप्टी डायरेक्टर का प्रमोशन होना चाहिये। डिप्टी कलेक्टर को खसरा खसौनी का अनुभव नहीं होता। इसलिये प्रमोशन से ही एस. ओ. सी. बनाना चाहिये। (लालबत्ती होने पर) दो मिनट और लूँगा मान्यवर। राजस्व मंत्री जी ने तहसीलों के पुनर्गठन के लिये कमेटी बनाई। उसमें थोड़ा और जोड़ दें। जिले का पुनर्गठन इसकी परिधि में नहीं आता। इसलिए तो इसकी परिधि बढ़ाये या दूसरी कमेटी बनावें। जिलों के पुनर्गठन की मांग आ रही है। मिर्जापुर से, बस्ती से, गोंडा से, बड़े बड़े जिले हैं, इनके विभाजन की मांग आ रही है। इस कमेटी को अधिकार दे दिया जाय कि जिलों के पुनर्गठन करने के संबंध में रिपोर्ट दे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती पर पुनः बल देता हूँ।

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील—)

मान्यवर, हमारे 18 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने अच्छे सुझाव दिये। भीखालाल जी का भाषण पहले का भी और इस समय का भी सुना, वह नीति विषयक है। उन्होंने कहा कि जमीन जो जोतने वाले हैं उनके पास होना चाहिये। हम भी इससे सहमत हैं, हमारी सरकार और हमारी पार्टी भी सहमत है। आपको याद होगा कि जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तब यह प्रस्ताव हमारी पार्टी ने पास किया था कि यदि हमें आजादी मिली तो सबसे पहले जो किसानों के सर के ऊपर बोझ है जमीन-दारों और तालुकदारों का उसे समाप्त किया जायेगा। जैसे ही आजादी मिली, तुरन्त बाद, 52 में जमींदारी को समाप्त किया गया भूमिधरों की जमीनदारी समाप्त हो गयी। उसके बाद जो किसान हल चलाता है और जमीन उसके हकोहकूक में नहीं थे, उसे उसके हकोहकूक में किये।

मान्यवर, उसके बाद फिर सीलिंग लगाई गई और सीलिंग में जो जमीन है वह

घटाई गई है। इन सभी का उद्देश्य यही है कि जोतने वाले के पास ही जमीन जाय। पहले सीलिंग में 40 एकड़ से 80 एकड़ तक थी जो ज्यादा थी। उसके बाद 18 एकड़ से 27 एकड़ तक सिंचित और असिंचित लगाई गई। इसके बाद एक बँध और लगाया कि अब नये सिरे से जो जमीन खरीदेगा वह साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा नहीं खरीदेगा। इसप्रकार जो नीति विषयक बात आपने बतायी है उसी पर हम काम कर रहे हैं और वही चल रही है उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ है।

मान्यवर, माननीय श्री भीखा लाल जी ने बताया वसूली के सम्बन्ध में—वसूली मे कुछ विसंगतियां हैं। जो मांग थी उससे ज्यादा वसूल किया जा रहा है। मान्यवर, मैं इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि उसमें असलियत स्थगन का है और वह इस मांग में शामिल नहीं है। वह शुद्ध मांग है। आप इसे देखें। दिनांक 1-10-1981 से 30-9-1982, सितम्बर आखीर होता है उसके बाद नयी जमीनबन्दी बनती है अक्टूबर से। उस वक्त 99 करोड़ 74 लाख रूप स्थगन में है। स्थगन में बहुत रुपया पड़ा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, यह ऐसा होता है कि अगर किसी कास्तकार का पहले का बकाया है और उसने बाद में उसे दे दिया तो उससे वसूल कर लेते हैं। यह तो घटता और बढ़ता चलता रहता है। इसमें ऐसी कोई खास विसंगति नहीं है। दूसरा उन्होंने सीलिंग की जमीन के बटवारे के बारे में कहा कि जो हरिजनों को दी गई है उससे ज्यादा अन्य लोगों को दी गई है—ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ फिगर्स जो हैं उनसे उनको भ्रम हो गया है। इसमें जो अन्य को लिखा हुआ है उसमें कुछ ग्रामसभाओं में निहित है, कुछ कृषि अयोग्य है, कुछ इण्डस्ट्रीज लगानें के लिये हैं। तो इस तरह से हरिजनों का औसत 97 एकड़ आता है और अन्य लोगों को जो जमीन मिली है उनका औसत 93 आता है। तो इस प्रकार यह भी कोई विसंगति नहीं है यह सिर्फ खाली एक भ्रम है। माननीय श्री जेतली साहब ने कहा कि छोटे-छोटे टुकड़े आबंटित न किये जाँय। मान्यवर, जिनके पास सदियों से एक जमीन का टुकड़ा तक नहीं है उनकी भावना उससे जुड़ी हुई है कि अगर उनको पांच बीसँवे का टुकड़ा भी मिल जाता है तो उनको बड़ा गर्व होता है कि हमारे पास भी आज जमीन है। मान्यवर जो एक बात और कही गयी है कि 3–1/8 एकड़ से कम के खाते नहीं होने चाहिए की जाय यह भी एक बड़ा भ्रम है। जो नये चक हैं और जो फार्म हैं उनकी यील्डिग ज्यादा होती है उनकी पैदावार ज्यादा होती है और जो छोटे-छोटे होल्डिंग्स हैं उनकी पैदावार कम होती है यह भी एक भ्रम है। बल्कि छोटी होल्डिग्स वालों की ज्यादा पैदावार होती है बजाय बड़े चेक वालों से या बड़े होल्डिग्स वालों से। मैं फ्रैगमैंटेशन के पक्ष में नहीं हूँ और नहीं इसके विपक्ष में हूँ कि छोटे-छोटे टुकड़े साधनहीनों एवम् भूमिहीनों को न दी जाय।

मान्यवर, यहाँ पर स्काट फार्म के बारे में कहा गया है कि उसे नोटिस नहीं दी गयी। मान्यवर, उसका केस हाईकोर्ट में लम्बित है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे नोटिस नहीं दिया गया। यह स्काट फार्म का मामला तो बहुत पहले से चल रहा है मान्यवर, बत्ती जल गयी है। मैं तो जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर गम्भीरता से विचार कर इन सबको मैं दिखवाऊँगा। यह मेरा दुर्भाग्य है कि समयाभाव में मैं पूरी बात नहीं कह सका।

एक बात और कही गयी थी मंगल देव विशारद कमेटी के बारे में उस कमेटी में 172 संस्तुतियां थीं, जिसमें से 131 संस्तुतियां स्वीकार हो गयी हैं और 31 अस्वीकृत हुई हैं, शेष 10 पर काम चल रहा है। इस प्रकार से 10 पर जिन पर काम चल रहा है, वे हैं जो मुकदमें में हैं। जो संस्तुतियाँ अस्वीकृत हुई हैं, उसमें जमीन इन्वाल्व्ड नहीं है। जैसे

[श्री बैजनाथ कुरील—]

मैं उदाहरण दे दूँ, नं० 4 की संस्तुति में यह था कि अगर जमीन की जरूरत है घर बनाने के लिये या किसी और चीज के लिये, तो हर गाँव के आस-पास के किसानों को गाँव से दूर वाली गाँव सभा की जमीन दे दी जाय और उसको खाली रखा जाय ताकि आबादी बढ़ायी जा सके, इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया क्योंकि गाँव के काश्तकार वहाँ जाना नहीं चाहेंगे, तो वह जो 31 अस्वीकृत हुई हैं, उसमें कोई ऐसी नहीं है जिसका ताल्लुक फार्म या जमीन से हो ।

माननीय राजकुमार राय साहब ने कहा था कि शासन को देखना चाहिये कि वहां से रिपोर्ट सही आनी चाहिये । शीत लहरी के सम्बन्ध में सब जगह से यह रिपोर्ट मंगवायी कि क्या शीत लहरी से कोई मृत्यु हुई है । कुछ जगह से रिपोर्ट "निल" भी आयी है । सब जिलों की रिपोर्ट आयी है । 109 व्यक्तियों के मरने की रिपोर्ट आयी है । तो ऐसी बात नहीं है कि सही चीज को सदन के सामने नहीं रखते ।

एक गजेटियर की बात कही गयी थी । 20 मुद्रित हो चुके हैं और 26 प्रेस में हैं, 8 प्रेस को भेजने हैं, कुल 54 हैं । इस प्रकार, इसमें प्रगति है । यह कहा गया था कि इसमें कोई प्रगति नहीं है, तो इसमें भी प्रगति है ।

*** श्री कुबेर भण्डारी—**

मा० मन्त्री जी से जरा सफाई चाहता हूँ । वर्तमान समय में जो कानून है जो हरिजनों को पट्टे दे रहे हैं और जिससे आपकी सरकार वाहवाही भी लूट रही है तो इस कानून से तो हरिजनों की आने वाली औलाद भी पट्टा नहीं पायगी । क्या इस कानून में संशोधन करेंगे ।

श्री बैजनाथ कुरील

जो भण्डारी जी ने बात कही है, इसका जवाब कैसे दूँ । भण्डारी जी ने कभी यह नहीं बताया कि एस० डी० ओ० के साथ कब्जा दिलवाने के लिये किये गये थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह कभी नहीं गये होंगे । इधर के बैठने वाले मा० सदस्य हों या उधर के बैठने वाले मा० सदस्य हों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह गम्भीर समस्या है, ऐसे लोगों की समस्या है जो साधन हीन हैं 'हैव नाट्स' हैं । अगर जमीन दी गयी है तो कब्जा दिलाने के लिये जरूरी है कि सभी लोग सहयोग दें । लेकिन आपकी दिलचस्पी नहीं है, ऐसा अनुभव करता हूँ ।

श्री रियासत हुसैन—

हम लोग अगर एस० डी० एम० के साथ जायेंगे और मुकदमा कायम होगा तो उसकी पैरवी आप करेंगे या नहीं ?

श्री बैजनाथ कुरील —

मा० रियासत साहब ने कहा कि अगर कोई मुकदमा कायम हो जाता है, तो मेरा कहना यह है कि उससे डरने की क्या बात है । आप हरिजनों की हमदर्दी भी करना चाहते हैं, उनके पास भी जाना नहीं चाहते । और कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहते, आपने तो जेलें काटी हैं गरीबों की राहत के लिए, अब अगर हमारे ऊपर मुकदमा भी चल जाए तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए किसी के उद्धार में । (तालियाँ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं तो कह रहा था कि जब तक विधायक के साथ एम० डी० एम० भी जाते हैं, और उन पर अगर मुकदमा कायम होता है, तो उस मुकदमें की पैरवी सरकार करती है तो क्या इसी तरह के मुकदमें पर विधायक की ओर से भी सरकार पैरवी करेगी, मैं यह जानना चाह रहा था ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, बाराबंकी जिले में जो गाँव किन्तूर में चकबन्दी हो रही है और कब्जे के स्टेज पर स्टे कर दिया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां के सम्पूर्ण मामले को फायनली समाप्त करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह मामला काफी दिनों से उस गांव का चल रहा हैं। सिंचाई विभाग वालों ने पहले वहां पर नहर खोदनी थी, इसलिये कि जमीन ऐक्वायर कर ली गयी और उस भूमि का कुछ लोगों ने मुआवजा लिया और कुछ ने नहीं लिया। अन्ततोगत्वा अब वह नहर वहाँ नहीं खुदेगी तो जो जमीन एक बार ले ली जाती है, फिर उसे तुरन्त वापस नहीं किया जा सकता है, इस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मामला है, उनसे कहा जा रहा है कि जल्दी करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,57,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41 के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41 राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,19,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42 के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 1 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,16 50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67 के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67 सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । कोई भी सूचना इस प्रकार की नहीं है जो नियम 51 में स्वीकार की जाय, इसलिए मैं सबको अस्वीकार करता हूं ।

जिला सहायक निबंधक श्री बी० एन० सिंह सोमवंशी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

***सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—**

श्री बी० एन० सिंह सोमवंशी, कानपुर जनपद में जिला सहायक निबंधक के पद पर दिनांक 4-5-1977 से दिनांक 31-12-78 तक कार्यरत रहे । इसके पश्चात श्री सोमवंशी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनांक 16-12-1980 से अतिरिक्त जिला सहायक निबंधक, कानपुर तथा 23-2-1983 से जिला सहायक निबन्धक, कानपुर देहात के पद पर कार्यरत हैं। श्री सोमवंशी के उक्त दोनों कार्यकाल के बीच में श्री एस० के० श्रीवास्तव, श्री राम रक्षा उपाध्याय तथा श्री आर० के० जैन, जिला सहायक निबन्धक, कानपुर के पद पर कार्यरत थे। इस प्रकार श्री सोमवंशी कानपुर जनपद में वर्ष 1977 के बजाय दिसम्बर, 1980 से लगातार कार्यरत हैं।

श्री सोमवंशी के विरुद्ध उनके कानपुर जनपद के कार्यकाल से सम्बन्धित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय विधायकगण सर्वश्री अजीत कुमार सिंह, गंगा सागर संखवार, विलायती राम कत्याल, सरदार महेन्द्र सिंह तथा देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल सहित विभिन्न श्रोतों से अनेकों शिकायतीपत्र प्राप्त हुए। शिकायतीपत्रों मे केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, कानपुर (नया बाजार) के प्रशासक, जिला सहकारी संघ, कानपुर के प्रशासक तथा जिला सहायक निबंधक, कानपुर की हैसियत से श्री सोमवंशी द्वारा की गई अनियमितताओं, अधिकारों के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के संबंध में अनेक आरोप लगाये गये हैं, जिनमें नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त सूचना में उल्लिखित आरोप भी सम्मिलित हैं। श्री सोमवंशी के विरुद्ध प्राप्त उक्त सभी शिकायतीपत्रों की जांच हेतु श्री जे० एल० केसरवानी, अपर निबन्धक (उपभोक्ता) सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में एक जांच दल गठित कर दिया गया है। जांच दल ने 5 व 6 मार्च, 1983 को कानपुर जाकर उक्त प्रकरणों पर स्थानीय जाँच प्रारम्भ की। माननीय विधायकगणों एवं अन्य शिकायतकर्ताओं से जांच के समय उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा जांच में सहयोग करने का लिखित अनुरोध किया गया था। सर्वश्री अजीत कुमार सिंह, देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल तथा गंगा सागर संखवार सहित अनेक शिकायत-कर्त्ता उपस्थित हुऐ, जिन्हें शिकायत के संबंध में साक्ष्य देने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया। शिकायतीपत्रों में कानपुर जिले की बड़ी-बड़ी संस्थाओं जैसे केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार (नया बाजार), जिला सहकारी विकास संघ, जिला सहकारी बैंक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अनेक सहकारी संस्थाओं में, श्री सोमवंशी के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे सम्बन्धित अभिलेखों की जांच एवं छानबीन की जा रही है। अभी तक जांच दल की रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

सहकारी क्रय विक्रय समिति, उत्तरीपुरा एवं शिवली सहकारी संघ में धान खरीद में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में जिला प्रशासन की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसकी परगना अधिकारी, बिलहौर तथा जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा की गयी। परगना अधिकारी बिलहौर की जांच रिपोर्ट में क्रय विक्रय समिति, उत्तरीपुरा में धान खरीद के व्यवसाय में 741 कु० की कमी का उल्लेख है, किन्तु जाँच रिपोर्ट पूर्ण नहीं है। जिला सहकारी संघ शिवाली के विषय में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट में किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं है। अतः उक्त दोनों मामलों की विस्तृत विभागीय जाँच करा कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

जिला सहकारी संघ, कानपुर से सम्बन्धित अनियमितताओं की जाँच उप निबन्धक (उपभोक्ता), सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश श्री राधे श्याम सिंह द्वारा जिला सहकारी संघ, कानपुर में दिनांक 6-3-83 को की जा रही थी। उस समय माननीय विधायकगण सर्वश्री अजीत कुमार सिंह, गंगा सागर संखवार तथा देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल उपस्थित थे। इसी बीच श्री अजीत कुमार सिंह, विधायक ने टेलीफोन से सम्बन्धित पुलिस थाने को सूचित किया कि सहकारी संघ के आसपास कुछ अराजक तत्व टहल रहे हैं जो जाँच कार्य में बाधा डाल सकते हैं। इस पर दो सब-इन्सपेक्टर सहकारी संघ के कार्यालय पर आये जिन्होंने एक व्यक्ति को जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया। जाँच अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर उसने आप नाम राधे श्याम सिंह बताया, जो सहकारी संघ, स्वरूप नगर की उचित मूल्य

[श्री बच्चा पाठक—]

की दुकान पर विक्रेता है। उक्त विक्रेता ने यह भी बताया कि वह दिन में नया बाजार भी गया था। उप निबन्धक द्वारा जिला सहकारी संघ के अभिलेखों की जाँच करने के पश्चात 4 उचित मूल्य की दुकानों की स्थानीय जाँच भी माननीय विधायकों के अनुरोध पर की गयी। उक्त 4 उचित मूल्य की जाँच माननीय विधायकों की उपस्थिति में रात लगभग 9 बजे तक की गई। उक्त दुकानों में से एक दुकान स्वरूप नगर स्थित उचित मूल्य की दुकान थी जिस पर उक्त राधे श्याम सिंह, विक्रेता जाँच के समय उपस्थित था। रैण्डम जाँच में उक्त दुकानों को शिकमी पर उठाये जाने की बात साबित नहीं हुई। जाँच अधिकारी को यह आभास नहीं मिला कि कोई अराजक तत्व जांच में बाधा पहुँचा रहा है।

श्री सोमवंशी के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतपत्रों की निष्पक्ष जाँच कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार (नया बाजार) एवं जिला सहकारी संघ के प्रशासक के पद से श्री सोमवंशी को हटा दिया गया है तथा उनके स्थान पर जिला सहायक निबन्धक, कानपुर नगर को प्रशासक बना दिया गया है जिन्होंने प्रशासक का पदभार ग्रहण कर लिया है। जाँच दल द्वारा सभी अभिलेखों की जांच एवं छानबीन करने के उपरान्त जाँच पूरी होने पर यदि श्री सोमवंशी दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

*श्री मोहन सिंह —

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जो अधिकारियों ने बयान लिख दिया उसी को उन्होंने पढ़ दिया, और विवेक का इस्तेमाल किये होते तो मंत्री जी ऐसा वक्तव्य न देते। 4-5-77 से 31-12-77 तक और 16-12-80 से आज तक वह वहीं पर कार्य कर रहा है। इस अवधि के बीच में वह कहाँ रहे। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मेरी जानकारी है कि श्री सोमवंशी उसी स्थान पर 77 से लेकर आज तक उसी स्थान पर विद्यमान हैं, जिसमें डेढ़ साल के निलम्बन का भी समय शामिल है। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब कानपुर के वरिष्ठ विधायक और इन्हीं के पार्टी के विधायक और विधान परिषद के मा० सदस्य हैं उन्होंने ठोस आरोप लगाये हैं उनके विरुद्ध और यहाँ तक कह दिया दिया जबकि यह व्यक्ति वहाँ पर रहेगा निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी, वह कागजातों की टेम्परिंग करेगा और जाँच ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वे उसको हटाकर जाँच करायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, जिस समय का सन्दर्भ माननीय सदस्य ने दिया है उसके अतिरिक्त समय में वह अवकाश एवं निलम्बन पर रहे। इस मामले की जांच करने के लिए आदेश हो गये हैं और उसमें कोई किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सन 1977 से कानपुर में वह हैं, विधायकों के गम्भीर आरोप हैं। 7-8 वर्ष से वह एक ही जिले में है। वैसे भी नियमानुसार भी कोई अधिकारी इतने दिन किसी एक ही जिले में नहीं रह सकता है। तो इतने गम्भीर आरोप होने के बावजूद भी उसे कानपुर से हटाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न जाने का क्या औचित्य है, उसे क्यों नहीं हटाया गया, क्या उसको हटाकर जांच करायेंगे ?

श्री गंगा सागर संखवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह किस कारण से निलम्बित रहे ?

श्री बच्चा पाठक—

उन पर कुछ चार्ज थे, जिनके कारण उनको निलम्बित किया गया और वह चार्ज निराधार पाये गये ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, सोमवंशी साहब 78 के बाद निलंबित हुये और फिर 15-12-82 को बहाल कर दिये गये । ये कानपुर में निलंबित हुये और कानपुर में ही बहाल कर दिये गये । प्रशासनिक दृष्टि से जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया जाय उसे फिर वहीं पोस्ट कर दिया जाय यह कौन सा नियम है ? ऐसा क्यों किया गया ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, जिस मामले में उनको निलंबित किया गया था जब वह साबित नहीं हुआ तो फिर उन्हें वहीं पोस्ट कर दिया गया ।

***श्री मोतीलाल देहलवी—**

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सोमवंशी के पूर्व वहां जितने भी जिला सहकारी निबन्धक रहे हैं उनका कार्यकाल अधिक से अधिक कितना रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । आप दूसरा सवाल करें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, यह मेरी जानकारी है कि इतनी अवधि तक कोई भी ए०आर० वहाँ नहीं रहे । मैं यह जानना चाहूँगा कि आखिर इनको इतने समय तक इतनी शिकायतें होने के बावजूद उन्हें वहां बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ । उन्होंने जवाब दे दिया ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –**

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 2 पर स्वीकार किया है कि जिस समय जांचकर्ता की पार्टी वहाँ सुपर बाजार में पहुंची तो वहां सोमवंशी के इशारे पर कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

असामाजिक तत्व पहुंच गये और विधायक जो कि जांच पार्टी के साथ गये थे उन पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की। उसी समय श्री अजीत कुमार सिंह, विधायक ने टेलीफोन से सम्बन्धित पुलिस थाने को सूचित किया। मैं जानना चाहता हूँ कि जो शिकायत हुई उसके संदर्भ में जो एफ० आई० आर० दर्ज हुई किस व्यक्ति ने शिकायत की और उसकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बच्चा पाठक—

पहली बात तो यह है कि जिसके ऊपर हम जाँच करते हैं तो उसके तथ्यों के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जाँच अधिकारी वहां गये जब विधायक ने टेलीफोन किया तो सब इन्सपेक्टर आया उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति वहाँ आये वे जाँच में बाधा नहीं डाल रहे थे।

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब सोमवंशी निलंबित थे उस वक्त कौन अधिकारी जांच के लिये गया था ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, ये जनता पार्टी के शासन में निलंबित हुए। चार्ज साबित न होने पर उनको बहाल कर दिया गया। किस अधिकारी ने जांच किया, यह मैं उन्हें बता दूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि ये जो दो साल तक सस्पैंड रहे इन शिकायतों में यह भी कहा गया था कि इनको यहाँ से हटाकर इनकी जाँच की जाय ? इस डिमाण्ड के होने के बावजूद भी जो इन्क्वायरी अफसर थे क्या उन्होंने अपनी इन्क्वायरी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि इनको यहाँ से न हटाया जाय और इनको यहीं पर बहाल कर दिया जाय ?

श्री बच्चा पाठक—

इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। यह जरूर है कि जिनकी वजह से इन्क्वायरी में विशेष असर पड़ सकता है उनको प्रशासनिक पद से हटा दिया जाय।

उत्तर प्रदेश में वितरण प्रणाली में ऋतु के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दाम एवं उससे उत्पन्न जन असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

(5 बजकर 25 मिनट)

***श्री मोहन सिंह—**

अध्यक्ष महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश में वितरण व्यवस्था अपंग होने की वजह से जीवन की सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रदेश का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश की सरकार ने सम्पूर्ण बाजार को भ्रष्ट व्यापारियों के हवाले कर दिया जिसका नतीजा यह है कि जिन चीजों की प्रतिपूर्ति होती है उनके दाम तेजी से गिरने लगते हैं और जिनका अभाव होता है उनके दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं। बाजार में सन्तुलन बनाये रखना सरकार का काम है उसमें इनकी लचर वितरण प्रणाली की वजह से वह हो नहीं पा रहा है। जिसका नतीजा है कि उत्पादकों को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं और उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर सामान मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। मैं इनका जो उत्तर प्रदेश के थोक भाव सूचकांक किताब अर्थ एवं संख्या ने प्रकाशित किया है जो त्रैमासिक प्रकाशित होता है उसी को आधार मानकर बताना चाहता हूँ कि क्या ट्रेंड है उसने जो थोक भाव दिये हैं उसका कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के थोक भावों के सामान्य सूचकांक (1970-71–100) में त्रैमास जुलाई सितम्बर 1982 में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। जून 1982 का सूचकाँक (26?.7) था जो जुलाई 1982 में 2-0 प्रतिशत बढ़कर 273.1 पर, अगस्त 1982 में 2.0 प्रतिशत और बढ़कर 278.6 पर तथा सितम्बर, 1982 में 0.9 प्रतिशत पुन: बढ़ कर 281.2 पर आ गया। इस प्रकार त्रैमास की अवधि में अर्थात जून 1982 की तुलना में सितम्बर 1982 में, इन थोक भावों में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि रही। जुलाई सितम्बर 1982 का औसत सूचकाँक 277.6 गत त्रैमास अप्रैल जून 1982 के औसत सूचकांक 264.8 से 4.8 प्रतिशत ऊंचा रहा तथा गत वर्ष के सम्बादी त्रैमास जुलाई सितम्बर 1981 के औसत सूचकांक 275.3 से भी 0.8 प्रतिशत अधिक रहा।

त्रैमास की अवधि में प्राथमिक वस्तुओं के भावों में 8.4 प्रतिशत की विनिर्मित उत्पादकों के भावों में 3.5 प्रतिशत की तथा ईंधन शक्ति के भावों में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि रही।

इसको आप देखें तो चीजों के दामों में वृद्धि की रफ्तार बढ़ती चली गयी अर्थात जून 82 की तुलना में सितम्बर, 82 में थोक भावों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और फिर जून के हिसाब से सितम्बर में 8 फीसदी वृद्धि हुई और दिसम्बर के अनुपात में जनवरी में वह रफ्तार बढ़कर 11 प्रतिशत हो गयी।

श्रीमन्, आश्चर्य की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश को जिस अनुपात से केन्द्र से खाद्यान्न मिलना चाहिये था उस अनुपात में यह सरकार खाद्यान्न लेने में असफल रही जो सबसे तेजी से बढ़ने के महीने हैं दिसम्बर और जनवरी में उस समय इनको सबसे कम गेहूँ मिला है। इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग की है। आप देखें कि जनवरी में 11 प्रतिशत दाम बढ़े हैं तो उस समय इनको केन्द्र से कुल 50 हजार टन गेहूँ मिला और जब थोड़ा डिक्लायनिंग ट्रेंड आया चारों तरफ हल्ला मचा, यहां विधान सभा में हल्ला मचा तो तब उत्तर प्रदेश की सरकार को 70 हजार टन गेहूँ मिला और अब जब भाव गेहूँ के गिरने लगे, फसल तैयार होने को है कहीं पर कटने लगी है तो सरकार को एक लाख टन गेहूँ मिला है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम रहा। इनको पहले से समझ लेना चाहिये था कि हमारे थोक भाव में वृद्धि हो रही है और खाद्यान्न के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं तो अधिक से अधिक खाद्यान्न लाने की कोशिश होनी चाहिये थी। तो यह हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब सर्वाधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है तो न्यूनतम खाद्यान्न मिलता है और जब न्यूनतम आवश्यकता होती है तब अधिकतम खाद्यान्न मिलता है। तो इससे सारे उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं की कमर टूट गयी है और प्रदेश को तबाही के कगार पर ला दिया है। इससे दूसरी चीजों के दामों में भी वृद्धि हो जाती है। जब चीनी के दाम 5 रुपया किलो था तो

[श्री मोहन सिंह—]

उस समय चाय रेस्टोरेंट में 40 पैसे के हिसाब से मिल रही थी और यदि दो रुपये चीनी का भाव पीछे हो जायेगा तो भी उसी भाव से चाय रेस्टोरेंट में बिकेगी। इसलिए हर त्रैमासिक जो खाद्यान्न के भाव घटते बढ़ते रहते हैं उसके हिसाब से बाजार में और रेस्टोरेंट में भी भाव तय होने चाहिये, यह आपके विभाग की जिम्मेदारी है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दृष्टि से आपका विभाग कोई प्रयास नहीं करता है।

मान्यवर, तीसरी चीज एक पहल होनी चाहिये थी दुकानों के सिलसिले में। तीन साल से उ०प्र० की सरकार फैसला नहीं कर पा रही है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं सहकारिता के माध्यम से बाँटे या निजी हाथों में रखें। एक आदर्श स्थिति है सहकारिता की, इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन उत्पादन के सम्पूर्ण साधनों पर जब तक समाज का स्वामित्व नहीं हो जाता है तब तक भ्रष्टाचार नहीं हटाया जा सकता है। एक साल में यह चीज सहकारिता को ट्रांसफर करके कुपरिणाम आपने देख लिया है और निजी क्षेत्र में उपभोक्ता का अनुभव है कि वहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार सहकारी क्षेत्र में हुआ है। मान्यवर, बंटवारे में, वितरण में, आपने दिक्कत पैदा कर दिया कि निजी क्षेत्र में दो हजार यूनिट और सहकारी क्षेत्र की दुकानों में 4 हजार यूनिट। जब निजी क्षेत्र में दो हजार यूनिट को ठीक से बाँट नहीं सकते हैं तो सहकारी क्षेत्र में 4 हजार यूनिटों को कैसे आप व्यवस्थित कर सकेंगे, इस चीज का आपने विचार नहीं किया। दो साल सहकारी क्षेत्र में शिफ्ट किये हो गये हैं। उ०प्र० में स्थिति है कि 20,996 सस्ते गल्ले की राशन की दुकानें हैं, इसमें सहकारी क्षेत्रों में जो दुकानें हैं उनकी संख्या 11,766 है, निजी क्षेत्रों में 9230 यानी दोनों का अनुपात भी समन्वय है, दोनों में बैलेन्स है। तो दो साल के प्रयास के बावजूद भी सम्पूर्ण सहकारिता की ओर हम नहीं बढ़ सके हैं। इसलिये सहकारिता की जो सीमायें हैं उसका ज्ञान सरकार को अब हो रहा है, सहकारिता का संकल्प करने के बाद, जबकि इसके बारे में इनको पहले से सोचना चाहिये था कि सहकारिता के जरिये वितरण करायें तो पहले से जो भ्रष्टाचार वितरण प्रणाली में था उसके प्रति वह सजग रहते लेकिन आपकी यथार्थ परक दृष्टि न होने से ज्यादा सही ढंग से आवश्यक वस्तुयें उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं करा पाये।

मान्यवर, जब आवश्यक वस्तु निगम के जादूगर एम०डी० बना दिये गये थे तो यह कल्पना की गयी थी कि हर चीज हर समय उपलब्ध रहेगी जैसे हमको मिठाई हजरतगंज चौधरी की चाहिये तो उसी समय उसके हाथ में वह मिठाई आ जायेगी, आपने यह कल्पना किया और उस जादूगर को मन्त्री जी ने आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष बना दिया, तो ठीक है, यह आपका विवेक है। लेकिन आप हजरतगंज में जायेंगे तो पायेंगे कि सहकारिता की सचल दुकान किस प्रकार चल रही है, ट्रक और मैटाडोर पर जिसमें सारी चीजें रखी हैं, आवश्यक वस्तु निगम की दुकान है जिस पर सस्ती चीजें वह रखते ही नहीं हैं, जब कोई उस दुकान पर जाता है और भाव मालूम करता है तो वह तेजी से भागता है। दूसरे उसके भावों के बारे में उपभोक्ता को पता ही नहीं है और वह केवल विभाग को ही पता है। इसके अलावा मान्यवर, यह जो व्यवस्था किया है वह केवल बड़े शहरों के लिए किया है। आज जिस प्रदेश में 12 फीसदी आबादी शहरी है, उस प्रदेश को सारी वितरण व्यवस्था 12 फीसदी के लिये कर दें तो 88 फीसदी लोगों के साथ यह अन्याय और विश्वासघात है। मान्यवर, जो राशन की व्यवस्था है, वास्तविक जिम्मेदारी जो है वह विभाग की है कि सूचकांक जब बढ़ता है तो सरकार के पास ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो सरकार को सुझाव देते रहते हैं, ब्लैक में जो चीजों के दाम होते हैं वही कन्ट्रोल प्राइज कर देते हैं। कई ऐसे अर्थशास्त्रियों के हमने लेख पढ़े हैं और उनकी किताबें पढ़ी हैं। आज वही केन्द्रीय स्तर पर सरकार के सलाहकार हैं। उनकी यह मान्यता है कि जो वस्तु ब्लैक में, बाजार में, जिस मूल्य पर मिलती है, वही उसका वास्तविक मूल्य है

और यही कर देना चाहिए। जिसके कारण आज इस सरकार को उसका कुफल भुगतना पड़ रहा है। जो सीमेंट का ब्लैक में दाम था, वही आपने बाजार में कर दिया और इसी तरह से मिट्टी के तेल में भी कर दिया और यह कह दिया कि चूंकि लोग डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट करते हैं, मिट्टी के तेल का दाम कम होने के कारण और जिससे उस डीजल से पम्पिंग सैट्स खराब हो जाते हैं, इसलिए हम मिट्टी के तेल का दाम डीजल से अधिक कर देंगे, जिससे वह डीजल में मिला न सकें। आप डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट रोक नहीं पाते हैं और उस मिलावट को आप सिद्धान्त का रूप दे देते हैं, डीजल से अधिक मिट्टी के तेल की कीमत कर दी। सरकार के इस बुद्धिमतापूर्ण कदम पर सिवाय मैं तरस खाऊं और आश्चर्य प्रकट करूं और मेरी समझ में आने का कोई चारा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है, असंगठित मजदूर और साधारण जनता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बड़े लोगों के लिए कोई भी दाम हो जाए, वह खरीद सकता है। जो बंधे हुए संगठित मजदूर हैं वह अपना मंहगाई भत्ता बढ़वा लेते हैं, लेकिन जो असंठित मजदूर हैं और जनता है जो 59 प्रतिशत है, जो घूम फिर कर मजदूरी करते रहते हैं, उसके लिए आपकी वितरण प्रणाली क्या है, उसमें उसको क्या सुविधा मिलती है, उसे क्या मिलता है? मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ब्लैक मार्केटियर्स के साथ जिस तरह का सलूक उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए, नहीं किया है। आज तीन वर्ष बीत गये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू किये हुए, लेकिन केवल 32 जमाखोरों और ब्लैक मार्केटियर्स को आप इस अधिनियम में पूरे प्रदेश में निरुद्ध कर सके हैं। जो आपकी संकल्पशक्ति है उसके विपरीत तीन वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग केवल 32 व्यक्तियों पर हुआ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर आवश्यक वस्तु, केवल खाद्यान्न वस्तुएं नहीं, को यदि साधारण लोगों को उचित मूल्यों पर मुहय्या कराना है तो निजी क्षेत्र में ही सही, समस्त आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की कम से कम एक दुकान आपकी हर गांव में खुलनी चाहिए। ताकि साधारण जनता को, ग्रामीण जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, ताकि अब दोनों तरफ के सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट कर सकें और कोई फ्रूटफुल व्यवस्था हो सके। इसकी शुरूआत मैंने कर दी है।

(व्यवधान)

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह) —

माननीय मोहन सिंह जी ने चर्चा आरम्भ की। एक दो उद्धरण उन्होंने दिया, हमारे कागज से छोड़कर शेष तो उनकी उर्वरक कल्पनाशीलता है और यह देवरिया का प्रभाव है। कोई मिट्टी का तेल ला देता है तो कोई कल्पना की चीजें भी सामने लाकर दे देता है। एक तरफ समाजवादी होने का भी दावा और दूसरी तरफ सहकारिता का विरोध, यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष—

दोनों आमने सामने समाजवादी हैं ही।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह —

यह जो चर्चा है, जो भी बातें आई हैं, हमारे वितरण प्रणाली से जो सम्बद्ध हैं— मिट्टी का तेल, गेहूँ, चावल, सीमेंट और चीनी आदि, यह सही है कि यह इतना बड़ा प्रदेश

[श्री वासुदेव सिंह—]

है, छठवें देश के बराबर है, तो उसमें कहीं न कहीं कोई खामी हो सकती है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से जो वितरण प्रणाली की शुरूआत की गई है, वह शुभ है। सहकारिता में जो खराब है, उसको दूर करते हुए, मान लीजिए कि जो समाजवादी दृष्टिकोण है कि जितनी सम्पत्तियां हैं, वह सब चोरी की हैं, आल प्रापर्टी इज थेफ्ट। इनकी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाय, तो सब भ्रष्टाचार करके बड़े हो गये हैं, यह मतलब निकलता है। मान लीजिए कि सहकारिता में भी जो कल्पना थी, वह यह थी कि अगर गलत तरीके से, बेईमानी के जरिये से, भ्रष्टाचार के जरिये से समृद्धि कहीं केन्द्रित हो रही है, तो समाज की दृष्टि को मोड़ दिया जाय, तो वह व्यक्तिशः फायदा नहीं होगा। सम्पूर्ण समाज को फायदा होगा। हमने सोचा कि 8,201 को धीरे-धीरे बढ़ा कर 1 करोड़ की हैसियत में एक साल, दो साल, चार साल में कर दें। अगर मान लीजिए एक करोड़ की हैसियत हो जाय, तो 11 लाख रुपया उनको सूद मिल सकता है। शासन का बहुत सा काम स्कूल बनाने का काम, सड़क बनाने का काम और गांव वालों का सामूहिक ट्रक लेने का काम, इस उद्देश्य से सहकारिता को उच्च और सदासयिता के उद्देश्य से सहकारिता को दिया गया। अब यह बात सही है, आपको इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए और मुझे भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी—

मन्त्री जी सहकारिता की परिभाषा मान्यवर पढ़ रहे हैं कि वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

भण्डारी साहब यह आपकी समझ का विषय नहीं है। माननीय मोहन सिंह को समझने दो।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय मोहन सिंह की कल्पना ने इसको मोड़ दिया। हमने एक लाख टन केन्द्रीय सरकार से ले लिया। इस वक्त एक लाख मिला है, कुछ और हमने 19 हजार टन के लिए अलग से अभी आज यहां आने के पूर्व बात किया है। जहाँ-जहाँ हर जिले से 10 हजार कुन्टल, हर जिले से इसके अलावा, जहाँ-जहाँ भी मांगें आयीं, वहाँ ज्यादा गेहूँ और चावल कर दिया। और इसके अलावा आज अभी जहां से खबर आई हैं, जिलाधिकारियों ने कहा वहां हमने बढ़ा दिया है। पूरा विवरण यह ऐसा है कि जैसे बरेली 726, पीलीभीत 259, बदायूँ 1203, शाहजहांपुर 532 टन। यह सब आज गेहूँ बढ़ाया है और चावल भी बढ़ायेंगे और मुझे आशा है कि 5-7 दिन में और बढ़ायेंगे, क्योंकि यह मांग हो रही है, तो इस तरह से कोशिश की जा रही है। यह बात सही है कि शीत लहरी चली और मैं मानता हूँ कि गेहूँ का दाम बढ़ गया और उसमें तत्काल कार्यवाही की गयी और सदन को समय-समय पर अवगत कराया। अब संक्षेप में मुझको जो कहना है, उसमें मैं सिर्फ इशारा करता हूँ कि हर चीज जैसे मिट्टी के तेल की समस्या जरूर रही। यह केन्द्रीय सरकार की दोहरी नीति पर चिंतन हो रहा है। आपने जो आग्रह किया, उसकी तरफ सरकार का ध्यानाकर्षण जरूर था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय खाद्य मन्त्री जी संक्षिप्त में उत्तर दें बाद में आपको मौका मिलेगा।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, इन्होंने जो कह दिया है, इन्होंने दिशा बदल दिया है, मैं धीरे-धीरे दिशा पर ला रहा हूँ। अब आखिर में यह जो चर्चा है, इस पर बहुमूल्य सुझाव आने चाहिए, उसका हम स्वागत करेंगे। मान्यवर, इस वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की चेष्टा की जायगी। इस वितरण प्रणाली को निरापद बनाने की चेष्टा की जायेगी। सबके बाद मैं कुछ एलान भी करूँगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका अनुग्रहीत हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

***श्री केदार नाथ सिंह—**

मान्यवर, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वक्त सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं, माननीय खाद्य मन्त्री जी बैठे हुए है, और सहकारिता मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं। मामला कुछ ऐसा है कि यह तीनों से सम्बन्धित है, माननीय मुख्य मन्त्री जी तो प्रदेश के मालिक ही हैं, लेकिन इन दोनों से सम्बन्धित यह मामला है जो मैं कहने जा रहा हूँ। यह सहकारी समितियों द्वारा जो प्रदेश में वितरण कराया जा रहा है उसमें तमाम त्रुटियां पैदा हो रही हैं और उसके नाते आज जो ग्रामीण अंचलों में जो वितरण पहले हो रहा था उसमें तमाम व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ मान्यवर, यह सहकारी समितियाँ, यह जो आपने एक व्यवसाय दिया, उससे विशेष कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है। दूसरे, जो कर्मचारी उस समितियों के हैं, वे तो यह सोचते हैं कि इससे हमारा झंझट बढ़ गया, अतिरिक्त काम बढ़ गया, तो उस अतिरिक्त काम के बढ़ने से वे चाहते हैं जानबूझकर मिट्टी का तेल, डीजल या चीनी नहीं उठायी जाय ताकि हमें यह वितरित करने के लिए परेशानी न उठानी पड़े। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है, सुझाव यह है कि अगर उनकी दिलचस्पी चाहते हैं, उनके अन्दर दिलचस्पी पैदा करना चाहते हैं, तो उन्हें आप निश्चित रूप से प्रोत्साहन स्वरूप कुछ पारितोषिक देने के बारे में घोषणा करें ताकि वह ज्यादा से ज्यादा माल उठायें, किसानों को वितरित कर सकें।

दूसरे, मैं यह चाहता हूँ कि माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुछ ऐसी भी समितियां हैं जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सदन में ही नहीं मैंने स्टैंडिग कांउसिल में भी इस बारे में अवगत कराया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत जितनी भी समितियां आती हैं, उस पर मान्यवर एक एम० डी० होता है और एक टी० ओ० टेक्निकल आफिसर होता, यह दोनों बैंक के नियंत्रण में होते हैं, यह जो कुछ चाहते हैं, करते हैं और शासन का उत्तर प्रदेश सरकार का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है। इस पर बराबर ध्यान आकर्षित शासन का किया गया और निबन्धक जी भली भाँति इस बात को जानते हैं और वे भी इस समस्या से काफी चिन्तित हैं लेकिन बड़े ही खेद की बात है कि इसका समाधान आज तक आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। यह आपसे बताये कि जहाँ जहाँ माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में यह समितियाँ कार्यरत हैं, उनके लिए भारी सिर दर्द यह बनी हुई हैं। शासनादेशों और निबंधक के आदेशों का प्राय: उल्लंघन होता रहता है, किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। मैं साधन सहकारी समिति की बात नहीं कर रहा हूँ माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें मैं कृषि सेवा सहकारी समिति की बात कह रहा हूँ, आपने महसूस भी किया होगा कि उस पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है। एम० डी०, टी० ओ० वे बैंक के कर्मचारी हैं, वे जैसा चाहते हैं, समितियों से उस तरह से काम लेते हैं। मान्यवर, मैं इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केदारनाथ सिंह —]

तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इन बातों पर अगर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि वितरण प्रणाली ज्यादा सुगम होगी। मैंने पहला जो सुझाव दिया कि एकाउटेंट या सचिव ज्यादा से ज्यादा अपनी समिति में सामान उठायें, उनका वितरण करें, उनको बोनस के रूप में अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा करें, यह आश्वासन दें, तभी वितरण प्रणाली सहकारिता के क्षेत्र में गरीबों एवं किसानों के लिए हम सुलभ करा पायेंगे अन्यथा अभी तक वह इसमें अपना काम पूरा कर रहे हैं, यह जो अतिरिक्त काम आपने बढ़ा दिया है उसमें इनकी दिलचस्पी नहीं रहेगी, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र —

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया है इस प्रश्न की इस चर्चा को हम लोगों को राजनीतिक दृष्टिकोण या बागियों के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से आज मंहगाई चरम सीमा पर है। हमारे प्रदेश का जनजीवन इस मंहगाई के चलते और आवश्यक वस्तुओं के अभाव में अस्त-व्यस्त हो गया है। यह मानवता का प्रश्न है। हम लोगों पर जनसाधारण जो हमको चुनकर यहां भेजता है और हम लोग फूल कर बैठें हैं, उस जनसाधारण की निगाह हम लोगों पर है कि आज हम उनको क्या दे रहे हैं। उस दिन प्रश्न उठा और लोक सभा में भी प्रश्न उठा। मान्यवर, आजादी के 35 वर्षों के बाद किरोसिन का तेल दरिद्र जनता के लिए सस्ता और सुलभ नहीं करा पा रहे हैं तो इस आजादी का अर्थ घरहू कतवारू मगरु के लिए नगण्य है। आज गरीब की झोपड़ी जल रही है। आपने किरोसिन के तेल की दो दर रखी हैं। आपने मूल्य नीति दे रखी है। गरीब के घर जो चीज पैदा हो उसकी एक कीमत। और करोड़पति के घर जो माल हो उसकी दो कीमत। सीमेंट की दो कीमत, चीनी की दो कीमत, किरोसिन तेल की दो कीमत, किसानों के घर जब माल पैदा हो तो उसकी एक कीमत और जो करोड़पती के यहां हो उसकी दो कीमत।

श्रीमन्, अर्थशास्त्र का सिद्धान्त इस बात को बताता है कि जब किसी चीज की दो कीमत होंगी तो लोगों को हाईस्ट प्राइज पर समान उपलब्ध होगा। श्रीमन् आप कहते हैं कि गरीबों के लिए चीनी 2 रुपये तीन रुपया और बाकी के लिए 6 रुपये 7 रुपये। गरीब के लिये सीमेंट 42 रुपये और बाकी के लिए सीमेंट 55 से 70 रुपये। मान्यवर, बलिया, गोरखपुर और देवरिया का गरीब बिलख रह है उसे सीमेंट नहीं मिल रही है और वह आज मजबूर हो रहा है 70 और 75 रुपये सीमेंट खरीदने के लिए। मान्यवर, जब गरीब के घर शादी या ब्याह पड़ता है तो उसको सस्ती चीनी नहीं मिलती है बल्कि मंहगी चीनी खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ता है और वह उसे खरीदता है। मान्यवर, गरीबों के लिए किरासन तेल आपने 2+10 रखा है लेकिन उसको किरासन का तेल इस दर पर नहीं मिल रहा है। माननीय मोहन सिंह ने एक बात कही आज जब गेहूँ की जरुरत नहीं है तो एक लाख टन गेहूँ ले लिया।

मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी मार्केट को कौन डामिनेट कर रहा है। मान्यवर, किसान के घर जब गेहूँ पैदा हो तो वह सस्ता बिके और जब वह गेहूँ करोड़पति के घर पहुँच जाय और किसान को खरीदना हो तो 3 और 4 रुपये किलो बिके। मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी मार्केट को यह करोड़पति डामिनेट कर रहा है। जब किसानों को गेहूँ की आवश्यकता थी तो आपने कहा मेरे पास गेहूँ नहीं है और जब आज किसान के घर गेहूँ पैदा होने वाला है तो आपने एक लाख टन गेहूँ ले लिया, मार्केट को डाउन करने के लिये। श्रीमन्, बासुदेव सिंह समाजवादी हैं और उनके मन्त्री रहते हुए आवश्यक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वस्तुयें यदि जन साधारण को सुलभ नहीं हो सकती हैं तो उनके शासन में रहने का कोई अर्थ नहीं है। प्रो० वासुदेव सिंह जब तक शासन में है इस बात की आप गारन्टी दे कि जन साधारण को सभी आवश्यक वस्तुयें सुलभ करायेंगे। जैसा मोहन सिंह ने कहा हर गांव में एक दुकान खुले। आप कह सकते हैं कि वितरण व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के खाद्यमन्त्री हैं। उत्तर प्रदेश के गरीब को खाना देना, उसके पास तक आवश्यक बस्तुओं को पहुँचाने की जिम्मेदारी आपने लिया है, यह आपकी जिम्मेदारी है, चाहे सहकारी समितियों के माध्यम से, चाहे निजी संस्थाओं के जरिये, सीमेंट, दाल, तेल, चीनी किरोसिन तेल, साबुन और जो भी आवश्यक वस्तुयें हैं जिनको गांव में रहने वाला गरीब आदमी रोज खरीदता है दिलाये। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एक भी सरकारी नौकर नहीं है। उनका जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि वह दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को मजदूरी का पैसा लाते हैं तो उनकी हाड़ी चढ़ती है। जब वह गरीब आदमी मजदूरी का पैसा लेकर आता है और दुकान पर सामान के लिए जाता है और सामान नहीं मिलता है तो उसकी क्या स्थिति होती है।

श्रीमन्, हम जिस जिले से आते हैं वहां पर सारा गेहूँ बिहार चला जा रहा है। माननीय मोहन सिंह ने सही कहा कि सुरक्षा अधिनियम बना है सख्त कानून बना है लेकिन उसके रहते हुए हमारे यहां का सारा गेहूँ, चावल तेल बिहार चला जा रहा है। कोई वहाँ पर रोक न हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों पर बहुत सख्ती के साथ वितरण व्यवस्था में जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और आवश्यक सामिग्री लोगों के पास भिजवाने का इंतजाम नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि शासन में रहना, जनतन्त्र की बात करना, समाजवादी व्यवस्था की बात करना, 20 सूत्री की बात करना, यह गरीब के लिये बिल्कुल बेमतलब हो जायेगा। इन शब्दों के साथ वितरण व्यवस्था दुरुस्त करें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

5 मिनट में आप लोग अपनी बात समाप्त करें।

***श्री रियासत हुसैन** —

आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में तो सप्लायर महाराज भी मौजूद हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी मौजूद हैं। और हम लोग जो कन्ज्यूमर्स हैं, वह भी मौजूद हैं और सब के ऊपर चीफ कण्ट्रोलर भी मौजूद हैं। 87 प्रतिशत जो देहात के अन्दर लोग हैं, बिलो पावरटी लाइन, जिन्हें आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है, उन तक माल पहुँचाने का अधिकार तो, महात्मा गान्धी का जो फार्मूला है, उन चीजों को जो फील्ड में नहीं मिल रही हैं, न देखो, सदन के अन्दर काशी नाथ जी क्या कह रहे हैं, उसको सुनो मत और तीसरी चीज बचती है सेन्टर से या कहाँ से उसका हल कैसे हो, इन सब चीजों के बारे में बोलो मत। ये तीनों चीज महात्मा गान्धी की, आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में इस्तेमाल हो रही हैं। इसलिए मैं पूँछना चाहता हूँ कि साल के 12 महीने में एक महीना आप बता दीजिये जिसमें कभी शकर, कभी गेहूँ, कभी दाल, कभी वनस्पति आयल, कभी कैरोसीन आयल, कभी चावल, कभी डीजल और कभी सीमेंट की कभी न रही हो। एक माह कोई आप बता दें। मगर इस मुल्क की बदकिस्मती है कि समाजवाद की दुहाई सब देते हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

हम भी देते हैं, वह भी देते हैं और समाजवाद और कोआपरेटिव का रिश्ता जो है, वह बिल्कुल इस तरह का है जैसे इस दुनिया के अन्दर मेल और फीमेल का। मगर इस देश के अन्दर कुछ नेता ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि सारी बुद्धि का ठेका उन्हीं के पास है और मेरी समझ में नहीं आता कि इस चीज का, इस इशू को मूव करने वाले मोहन सिंह जैसे आदमी, उस कम्पनी में कैसे फंस गये। जब हम इसको देखते हैं तो दुःख कहाँ होता है ? दुःख वहाँ होता है, जैसे काशी नाथ जी ने कहा कि जब कोई चीज प्रोड्यूज होती है, उसकी कीमत कुछ होती है लेकिन समाजवादी व्यवस्था के अन्दर अन्तिम साल तक उसकी कीमत 20-25 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए लेकिन हम देखते क्या हैं 142 रुपये का गेहूँ बिका और इस समय 280-285 का बिका। यानी सवा सौ रुपये की वृद्धि हो गयी। क्यों ? इसमें कुछ पालिसी की वजह से भी है। हम जो पालिसी कर के चलते हैं जब किसी ने मश्विरा कर दिया तो कण्ट्रोल कर दिया आवश्यक वस्तुओं पर, कण्ट्रोल हो गया, चाहे यहाँ बैठ कर या दिल्ली में किसी ने कह दिया डि-कण्ट्रोल कर दो, कर दिया।

श्रीमन्, जिन लोगों के हाथ में मार्केट और सारी चीजें हैं उनके पास कण्ट्रोल का भी और डिकण्ट्रोल का भी नुसखा मौजूद है। जब आप कण्ट्रोल करते हैं तो वह एक तरीका इस्तेमाल करते हैं और जब डिकण्ट्रोल कर देते हैं तो वह दूसरा तरीका इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत यह कीमतें बराबर बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। यह होता इसलिये है कि हम यह सोच कर चलते हैं कि बड़े परिवारों को किसी भी तरीके से जो प्रोडक्शन करते हैं उनको फायदा पहुँचाना है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो सोसाइटीज के अन्दर कमी है उस पर काफी डिस्कशन हो चुका है। माननीय वासुदेव सिंह जी से जो सम्बन्धित चीजें हैं उन पर भी काफी डिस्कशन हो चुका है। जब तक आपका कण्ट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्शन पर नहीं होगा तब तक स्टेट की वितरण प्रणाली ठीक नहीं हो सकती। आपके पास इतनी चीजें नहीं हैं कि 87 प्रतिशत गरीब जो देहात में रहते हैं उसकी जरूरत के मुताबिक आप उनको भेज सकें। यही हो रहा है कभी गेहूँ मंहगा, कभी शकर मंहगी, कभी पाम अयल तो कभी कैरोसीन आयल मंहगा होता चला जा रहा है। हम इस पालिसी को अख्तियार करें कि 87 प्रतिशत गरीब जनता को हमें आवश्यक वस्तुयें देनी हैं। इसके लिये तीनों पर अधिकार करना आवश्यक है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोहन सिंह जी ने मँहगाई के बारे में चर्चा की। कुछ चीजें दिक्कत तलब है बाजारों में उनकी जरूरत है। माननीय मोहन सिंह जी को अगर मँहगाई से परेशानी होती तो वह मँहगाई की चर्चा करते हुए माननीय मुख्य मत्री जी को बधाई देते इसलिये कि मुख्य मन्त्री जी के कार्यकाल में चीनी के दाम गिरे हैं।

(शोर)

गन्ने की अच्छी नीति से दाम गिरे हैं। जब जनता पार्टी का शासन काल था तब 10-11 रुपये किलो भी चीनी नहीं मिल पाती थी, 79-80 में। आज चीनी चार-सवा चार रुपये किलो जितनी चाहें खरीद सकते हैं। (कुछ सदस्यों के बोलने पर) सुनिये, आप बोल चुके हैं। हमको क्यों नहीं बोलने देते। मोहन सिंह जी को बड़ी परेशानी हो गयी कि इस मंहगाई की चर्चा का सवाल रखा। उत्तर प्रदेश में गेहूँ के दाम बढ़ रहे थे फरवरी में, तीन-साढ़े तीन रुपये किलो हो गया था, मुख्य मंत्री के प्रयास से अब इस प्रदेश ने केन्द्र से अपना कोटा बढ़वाया, गेहूँ के दाम घट गये। मोहन सिंह जी को एतराज हो गया कि उत्तर प्रदेश का गेहूँ का कोटा एक लाख टन कैसे हो गया। खुशी होती इनको अगर गेहूँ का कोटा

20-25 टन ही रह गया होता। इससे इनको आलोचना करने का मौका मिलता, तब यह खुश होते। काशीनाथ जी के भाषण से लगा कि ट्रेड यूनियन लीडर की तरह बाजार में भाषण कर रहे हों कि किसानों की कमर टूट रही है, गल्ला मंहगा है, फलां चीज मंहगी है, फलां सामान मंहगा है। बहुत चीजों के दाम केन्द्र द्वारा तय किये जाते हैं। मिट्टी के तेल के बारे में कहा गया कि गरीबों की झोंपड़ी में मिट्टी का तेल जलता है जो मँहगा है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि केन्द्र से मिट्टी के तेल के दाम तय होते हैं। मान्यवर, दो महीने से अर्थात् फरवरी से यह एसेम्बली चल रही है। आज यह पहला दिन है असेम्बली के अन्दर कि जब गेहूँ के दाम में कुछ दिक्कत हुई या वृद्धि हुई तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए चीजों के ऊपर चर्चा हुई।

मैं समझता हूँ कि अगर दो महीने से किसी आइटम के दाम बढ़े होते या उसकी बाजार में किल्लत हुई होती तो माननीय सदस्य कोई ऐसा दिन नहीं होता जब उस पर एसेम्बली में प्रश्न नहीं उठते। जहां तक सीमेन्ट का प्रश्न है। बाजार में मिल रहा है, उसकी ब्लेक मारकेटिंग नहीं हो रही है कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उसके लिए हाहाकार हो रहा है। हां, जहां तक मिट्टी के तेल का प्रश्न है हमारे प्रदेश के सामने वह भी दोहरी नीति के कारण दिक्कत हुई है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज गांवों में मिट्टी के तेल की जो किल्लत हो रही है और ब्लेक में वहां पर बिक रहा है, इस दोहरी नीति का भाषण देकर उसे टालने की कृपा न करें। मैं जानता हूँ कि उसके दाम कम करना आपके बस में नहीं है लेकिन जो चीज आपके बस में है उस पर आप सख्ती से कदम उठाइये। 70 प्रतिशत मिट्टी का तेल जो दो रुपए दस पैसे प्रति लीटर बिकना चाहिये और जो 30 प्रतिशत तेल है वह तीन रुपये चालीस पैसे प्रति लीटर बिकना चाहिए। मैं 30 प्रतिशत तेल की बात तो नहीं करता लेकिन 70 प्रतिशत तेल की बात करता हूँ और यह 70 प्रतिशत तेल गाँवों में, शहरों में और कस्बों में दो रुपये दस पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिकना चाहिए, जो कि नहीं बिक रहा है। इसके लिए माननीय मंत्री जी आपकी मशीनरी सक्षम होनी चाहिए और आपकी मशीनरी को कड़ा होना चाहिए।

मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके इसे दो रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गाँवों में मुहैय्या करने की कृपा करें। यदि आपको यह जानकारी दी गई है या यह आपकी जानकारी में है कि गांवों में तेल दो रुपए दस पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है तो यह जानकारी आपकी गलत है। हम लोगों की जानकारी को सही मानते हुए आप इसकी व्यवस्था करें।

मान्यवर, अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और इस सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि जिसने आवश्यक वस्तुओं की कीमत को रोकने में जो यह कदम उठाया है बड़ा ही सराहनीय है।

श्री भोखा लाल ---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके दो बिन्दु हैं एक बिन्दु तो वितरण प्रणाली का है और दूसरा बढ़ते हुए दाम। मान्यवर, वितरण प्रणाली में भी यह प्रश्न आ गया है कि वितरण व्यवस्था किसके हाथ में रहे-- सहकारी समितियों के हाथ में रहे और या फिर प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में रहे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं अपने को उन लोगों से सम्बद्ध नहीं करता हूँ जो यह दलील देते हैं कि वितरण प्रणाली की व्यवस्था सहकारी समितियों के हाथ से निकालकर प्राइवेट व्यक्तियों को सौंपी जाय। अगर सहकारी समितियों में वितरण व्यवस्था में कोई दोष है तो उनको

[श्री भोखा लाल —]

निकालने पर बिचार किया जाय। ये मैं मानता हूँ कि दोष हैं— जो आपके बजट भाषण में भी दर्शाया गया और जब खाद्य का बजट आया था तो उस समय भी इसे दर्शाया गया और आज भी इसे दर्शाया गया है कि उसमें आये हुये दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाय। ताकि जनता को राहत पहुँचे। इसे दूर करने के लिये जो आप कदम उठा रहे हैं उन्हें उठाते रहें। जहाँ तक कीमत का सम्बन्ध है।

मान्यवर, यह दोहरी बाजार भाव की नीति, चाहे वह केन्द्र सरकार के हाथ में हो और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में हो, इस समय तो केन्द्र में भी आपकी पार्टी है, और प्रदेश में भी आपकी पार्टी है, कभी भी लाभप्रद नहीं होगी। मान्यवर, जब इस प्रकार दोहरी नीति के कारण खुले बाजार में भाव बढ़ जाते हैं तो जो आपकी नियंत्रित दुकानें हैं उनका माल भी किसी न किसी बहाने ब्लैक हो जाता है। इसलिये दो बाजार भाव रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें जो आपके हाथ में है उसे आप कंट्रोल करें और जो केन्द्र के हाथ में है उसके लिए आप केन्द्र को सलाह दें। दोहरी नीति चाहे तेल की हो, शक्कर में हो और चाहे सीमेण्ट में हो और चाहे अन्य किसी चीज में हो, लाभप्रद नहीं हो सकती है।

मान्यवर, माननीय श्री मोहन सिंह जी के तर्क से मैं सहमत हूँ कि आपने, राज्य सरकार और दिल्ली की सरकार ने मिट्टी के तेल के दाम इसलिये बढ़ा दिये कि डीजल वाले उसमें मिलावट करके ऊँचे दामों पर बेच देते थे। लेकिन मान्यवर, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी मिलावट विरोधी नीति थी और जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वह सब असफल हो गई और उसने ब्लैक मारकेटिंग करने वालों के आगे और मिलावट करने वालों के आगे घुटने टेक दिये। इसका अर्थ है कि अपराधी को सजा नहीं दे सकते हैं, बल्कि उपभोक्ता को सजा दे सकते हैं इसलिये मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा दिये गये हैं।

इसी प्रकार की अन्य समस्या भी आ सकती है। शांती व्यवस्था स्थापित करने का शासन का काम है। अगर कही से मांग आये कि किसी थाने में 5 थानेदार हैं, कन्ट्रोल नहीं कर सकते और स्टाफ बढ़ाने की मांग आये तो आप यह उत्तर दे सकते हैं कि शासन हर गाँव में थानेदार मुकर्रर कर दे लेकिन, तनख्वाह गांव वालों को ही देनी पड़ेगी। आवश्यक वस्तुओं के दाम को रोकने का प्रयास कीजिये। मन्त्री जी ने प्रयास किया जनवरी में 40 हजार टन ले आये, फरवरी में 70 हजार टन ले आये, मार्च में एक लाख टन ले आये। वह अपनी पीठ थपथपाते हैं, मैं भी उनको शाबाशी देता हूँ। अप्रैल में डेढ़ लाख टन मिल जायगा तो और भी पीठ थपथपाऊंगा। लेकिन उस समय तक नयी फसल का माल बाजार में आ जायगा। लेकिन हमारे जो व्यापारी हैं, बड़े-बड़े खत्तीदार हैं, उनकी नीति होती है कि जब फसल आने के दो महीने रह जाते हैं तब वे अपने गोदामों को ताला लगाकर टाइट कर देते हैं ताकि बाजार में माल की कमी पड़ जाय और भाव बढ़ जाय और अपने स्टाक को ऊँचे भाव पर बेच लें। जब फसल में 15 दिन रह जाते हैं तो गोदामों का ताला खोल देते हैं जिससे बाजार में माल अधिक हो जाय ताकि भाव गिर जाय और किसानों की फसल को सस्ते दाम पर खरीद लें। इसलिये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी जाने या अनजाने वही खेल खेल रही है जो खत्तीदार या भड़सारी खोलता है अगर वितरण व्यवस्था चलाते हैं तो शहरों के लिये, शहरों में दुकानें हैं, लेकिन उन गाँव वालों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। आपके दल के सदस्य भी मांग कर रहे हैं कि अगर प्रत्येक गांव में दुकान नहीं खोल सकते तो कम से कम पंचायत अदालत केन्द्र पर एक केन्द ऐसा हो जहाँ पर गल्ला मिल सके। इस समय गांवों में भुखमरी की स्थिति है। गांव का भी ख्याल रखिये। माननीय रियासत साहब ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ अगर दामों का नियंत्रण करना चाहते हैं सहकारी समितियों के माध्यम से जनता तक

पहुँचाना चाहते हैं तो उत्पादन और वितरण दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो खुले बाजार में सारा सामान पहुँच जायगा और ऊंचे दामों पर बिकेगा। इसलिये दोनों केन्द्रों पर इसको नियंत्रित कीजिये। ब्लैक मारकेटिंग रोकने के लिये दामों के बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसको रोकिये। जो चोर बाजारी करते हैं, उनको कड़े हाथों से लीजिये, तब हमारा भी आपके साथ सहयोग रहेगा।

***श्री भोला पाण्डेय—**

मा० सदस्य मोहन सिंह जी ने जो विषय प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में विचारणीय और गम्भीर विषय है, जो आम आदमी और सर्वहारा वर्ग से जुड़ा हुआ है। 80 से पहले जब हम जनता के बीच जाते थे तो जनता शिकायत करती थी कि गांवों में और राशन की दुकानों पर जो वितरण प्रणाली चलती थी, ग्रामीणों की सबसे शिकायत थी कि जो वितरण निजी क्षेत्रों में चल रहा है, उससे गरीब तबके को राहत नहीं पहुँच पा रही है। उस समय हमने आम जनता की शिकायतों पर और समस्याओं पर पैनी दृष्टि से विचार किया और सहकारिता जो रचनात्मक रूप में इस प्रदेश में चल रही थी उसको देने की व्यवस्था इस मन्सूबे के साथ की कि जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को सही तरीके से मुहैया कराया जा सके।

माननीय मोहन सिंह जी ने जो एक बात कही, वह मुझे बहुत आपत्तिजनक लगी। उन्होंने कहा कि घटिया किस्म के व्यापारियों के हाथ में वितरण प्रणाली सौंप दी है, मान्यवर, मैं इस संबंध में बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, माननीय नेता सदन और मा० मंत्री खाद्य एवं रसद भी यहाँ पर बैठे हैं। सन् 1977 से 1980 के मध्य घटिया किस्म के व्यापारियों के हाथ आपकी सरकार ने गिरवी रख दिया था, उस व्यवस्था को इस सरकार ने मौजूदा सरकार ने समाप्त किया और एक ठोस एवं मजबूत व्यवस्था हमारे सामने रखने में सफल हुयी है इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है और जहाँ तक मंहगाई बढ़ने की बात कही गयी, इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से देश एवं प्रदेशों में जनसंख्या में बढ़ोत्री होगी, उसी हिसाब से खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अवश्य फर्क पड़ेगा, फिर भी इस सरकार ने इस ओर काफी कंट्रोल किया है, जो सराहना की पात्र है। जैसा कि काशी नाथ मिश्र जी ने कहा जनपद बलिया से खाद्यान्न बिहार की तरफ चला जाता है, यह उन्होंने गलत कहा है, ऐसा वहाँ पर अब नहीं होता है, हमारे जिले का प्रशासन काफी चुस्त है, सन् 80 से पहले जरूर जाता था परन्तु अब वह स्थिति बंद कर दी गयी है। वर्तमान प्रशासन द्वारा इसलिए हमारे जनपद का प्रशासन बधाई का पात्र है। (शोर)

दूसरी बात मिट्टी के तेल की व डीजल आदि की कही गयी तथा चीनी आदि की कही गयी, तो मैं इस संबंध में बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अब इन सारी चीजों की व्यवस्था भी बहुत सही तरीके से काबू में कर ली गयी है, जिससे हर तबके का आदमी होली और दिवाली खुशी-खुशी मना सकता है। दूसरी तरफ मैं वितरण प्रणाली की ओर अवश्य कहूँगा पहली बार कि यह व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही है, इसलिए मैं यह अनुरोध करूँगा कि इसकी व्यवस्था सही ढंग से चले इसके लिए हमारे युवक काँग्रेस के कार्यकर्ताओं को निगरानी में यदि सौंप दिया जाए तो अच्छी तरह इसका संचलन हो सकता है (शोर) दूसरे मिट्टी के तेल व डीजल के विषय में

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोला पाण्डेय—]

जिक्र किया गया कि इसके वितरण के लिए साधन सहकारी समितियां निश्चित हैं और इसके बारे में आमतौर पर यह शिकायत है जनता की कि यह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं पूरा कर पा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि साधन सहकारी समितियों द्वारा वितरण प्रणाली सही तौर पर चले इसके लिए स्पष्ट आदेश जारी करें इसी के साथ मैं जो आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

(शोर)

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, एक बात मैं केवल कहना चाहूँगा जैसाकि अभी माननीय भोला पाडेय्य ने हमारी एक बात का खण्डन किया कि जनपद बलिया से बिहार को कोई खाद्यान्न नहीं जाता है, तो मैं इनकी सूचना के लिए यह बताना चाहता हूँ कि अभी 15 दिन पहले वहाँ पर 400 बोरे बिहार को जाने वाले पकड़े गये हैं। (शोर) इसके लिए वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भोला पाडेय—

मान्यवर, एक मिनट। मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय काशी नाथ जी ने यह कहा कि 400 बोरा पकड़ा गया तो उसके लिये मेरा कहना यह है कि 400 बोरा गेहूँ जो पकड़ा गया है इसके माने हैं कि हमारा थाना इतना चुस्त है कि वह गेहूँ बिहार जाने नहीं पाया और पकड़ लिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। मैंने फखरे आलम साहेब को बुला लिया है।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैंने माननीय मोहन सिंह जी के भाषण को सुना और माननीय काशी नाथ मिश्रा जी के भाषण को भी बड़े गौर से सुना और मान्यवर, इस बख्त जो चीज सदन के संज्ञान में है वह डिस्ट्रीब्यूशन और हाई प्राईसेस की बात है। यह जो वितरण प्रणाली है वह मौजूदा सही है या उसमें कोई तरमीम होने की जरूरत है, मैं नहीं कहता और मैं उन लोगों मे नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि प्राईवेट ऐजेन्सियों को वितरण की प्रणाली दे दीजिये। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट दूकानदारों को दे देने से जो हालत पैदा होती रही है वह ऐसी थी कि कंज्यूमर को किसी तरीके से कोई चीज उपलब्ध नहीं हो रही थी। एसेन्शियल कमोडिटीज की वे प्राईवेट दूकानदार ब्लैक मारकेटिंग करते थे। मैं समझता हूँ कि यह तो सही हुआ कि उन लोगों से लेकर यह कोआपरेटिव सेक्टर्स में दे दी गयी थी। मैं इसी मत का हूँ कि एसेन्शियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कोआपरेटिव सेक्टर्स के जरिये से होना चाहिये।

अब कोआपरेटिव दूकानों के जरिये से अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। मैं कोआपरेटिव को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं कोआपरेटिव से बहुत अर्से से जुड़ा रहा हूँ और वहाँ पर बदायूँ सेन्ट्रल कंज्यूमर स्टोर का चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने इस चीज को देखा है कि किस तरीके से सेल्समैन गड़बड़ी करते हैं और वे आज भी यही गड़-बड़ी कर रहे हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी है, उनके ऊपर आप कन्ट्रोल कीजिये। चूँकि उनके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो पा रहा है।

चीजों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आउट पुट में कम और इन पुट में कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं और इससे किसानों को लाभ जो पहुँचना चाहिए, वह नहीं पहुँच रहा है। किसानों को लाभ पहुँचने की जगह बड़े-बड़े कारखानेदारों को, इजारेदारों को ब्लैक-मारकेटियरों को फायदा पहुँच रहा है।

माननीय, भोला पाण्डेय ने कहा कि 1977-80 तक बेईमानों के हाथ यह गिरवी हुआ था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि तब यह बेईमानों के हाथ गिरवी हुआ था या मारगेज था तो वह आज भी गिरवी ही है, उसे छुड़ाया नहीं गया है। आज तक उसका रिडेम्पशन नहीं हुआ है और आज भी वही हालत चल रही है।

माननीय मंत्री जी ने एक लाख टन गेहूँ केन्द्र सरकार से हासिल किया है। मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि आप केन्द्र सरकार पर असर डाल पाये और एक लाख टन गेहूँ ले लिया। लेकिन यह गेहूँ केन्द्र सरकार ने आपको कब दिया जब नया गेहूँ आने वाला है। अर्ज है कि—

आखिर शब दीद के काबिल थी विसमिल की तड़प।
सुबह दम कोई अगर बालाये वाम आया तो क्या,
मरने वाला मर गया उनका प्याम आया तो क्या ?

तो गेहूँ की कटाई शुरू होने वाली है और बाजार में गेहूँ नया आने वाला है। यदि यही गेहूँ आप एक महीना पहले पाते तो इसका असर व फायदा ज्यादा होता। मैं इस सिलसिले मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे जिले बदायूँ में सिर्फ 9000 टन गेहूँ माननीय मंत्री जी ने दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि बदायूँ के लिये ज्यादा से ज्यादा आप गेहूँ दीजिये। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से भी यही निवेदन करूँगा कि जिला बदायूँ के लिये वे ज्यादा से ज्यादा गेहूँ देने की कृपा करें।

इस वक्त जो सवाल है वह यह है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप कोई परिवर्तन लाते हैं तो इसे लेकर लोग डिजनरेट न कर दें और प्राईवेट दूकानदार जिन्होंने गोलमाल किया है, जिन्होंने ब्लैक मारकेटिंग की है, उत्तर प्रदेश की जनता की कमर पर लात मारी है जोकि फाकाकशी के कगार तक पहुँच गयी है, उन बेइमानों को लूट करने के लिए हरगिज दुकान न दें। हर गरीब को हर चीज मिलें, ऐसी आप व्यवस्था करें। इस समय जो मिट्टी के तेल की वितरण की प्रणाली चल रही है। वह डिफेक्टिव है इसको आप बदलें।

(6 बजकर 25 मिनट)

***श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मोहन सिंह जी ने जो बिन्दु उठाये, इसमें कोई शक नहीं है कि वह महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं चाहें इधर के बैठने वाले लोग हों चाहे उधर के बैठने वाले लोग हों कीमतों और वितरण प्रणाली की बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय मोहन सिंह जी ने एक के बाद एक बात कहीं परन्तु स्वयं भी अपनी बातों को काट दिया। जो भी कीमतों की दशा है वह इस बात पर निर्भर करती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

है कि हमारा उत्पादन क्या है, उसकी लागत क्या है ? और जो लाभ कमाने का इरादा है निजी क्षेत्र में उस पर अंकुश लगाया जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस तरफ के बैठने वाले लोगों का प्रश्न है एक बड़ी शिकायत होती थी कि निजी क्षेत्र के लोग वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सारी की सारी प्रक्रिया निजी मुनाफे की दृष्टि से होती थी। हमारे काँग्रेस सरकार ने मौजूदा स्थिति में सुदूर देहात में आवश्यक वस्तुओं को भेजने के लिये सार्वजनिक प्रणाली को चुस्त बनाया है और सरकार ने प्रयास किया है कि उसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से हो। माननीय मोहन सिंह जी को इसका स्वागत करना चाहिये था और उसके बाद जो इसमें कमियां हैं उनको दूर करने के लिये सुझाव देना चाहिये था। अगर वह ऐसा करते तो मैं प्रसन्न होता। उन्होंने एक तरफ उनकी ओर इशारा किया जो मुनाफा उठाते हैं और दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त बनाने और उसके कार्यान्वयन के बारे में कहा। जहाँ तक इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है जब तक हमारी वितरण प्रणाली में जो कमियाँ हैं वह दूर न हो जायें। हमें उनको दूर करने के लिये निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिये और सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि वह 30 हजार टन, 70 हजार टन और अब एक लाख टन खाद्यान्न भारत सरकार से लाये। यह उनका सराहनीय कदम है। जैसा कि मोहन सिंह जी ने इसकी आलोचना की तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खाद्यान्न हमें न मिला होता तो प्रदेश की जनता भुखमरी की स्थिति में आ जाती। हमारी सरकार बधाई की पात्र है कि वह अपने निरन्तर प्रयास से खाद्यान्न लाने में सफल हुई। कई माननीय सदस्यों ने किरोसिन तेल के वितरण की दोहरी नीति की आलोलना की। मान्यवर, यह दोहरी नीति हमारी आर्थिक व्यवस्था के कारण लागू करनी पड़ी है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि गरीबों और कमजोर व्यक्तियों के हित सुरक्षित रहें और मिट्टी का तेल उन तक अवश्य पहुँचे। किरोसिन का प्रश्न अन्तराष्ट्रीय फैक्चर है जो केन्द्रीय सरकार के हाथ में भी नहीं है लेकिन वितरण प्रणाली में जो कमियां है उनको सुधारने के लिये कारगर कदम उठाये जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज कीमतें बढ़ने की बात कही जा रही है। कीमतें बढ़ने का एक कारण यह भी है जिसमें उधर के बैठने वाले लोगों का भी सहयोग होता है। रोज हड़तालें हुआ करती हैं, तोड़-फोड़ की कार्यवाही होती है। यह प्रयास किया जाता है और कोशिश होती है कि किस तरह से वह स्थिति पैदा की जाय कि कीमतें आसमान को छुयें, जनसाधारण पीड़ित हो और कांग्रेस हुकूमत की बदनामी हो। यह विरोध पक्ष वालों का एक सुनिश्चित रवैया हो गया है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दृढ़ता के साथ यह निश्चय किया है कि ऐसे षडयंत्रों को नाकामयाब करके जनहित में कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अभी कुछ सदस्य लोग मुख्य मंत्री जी को देख कर इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश की कीमतें आज काबू में हैं...

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

मैं यहाँ रहूं तब भी आपको ऐतराज है और न भी रहूँ तब भी ऐतराज है।

श्री रेवती रमण सिंह—

आप खूब रहें। आपको नहीं बोल रहा हूँ। माननीय तिवारी जी और माननीय उपाध्याय जी को आप बता दें। मैंने नाम दे दिये। मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप 1 लाख टन गेहूँ लाये हैं। गेहूँ आज बाजार में तीन रुपये, सवा तीन रुपये और साढ़े तीन रुपये तक मिल रहा है।

एक सदस्य—

सवा दो रुपये किलो मिल रहा है।

श्री रेवती रमण सिंह—

आपको मिलता होगा। आप वितरण पर कन्ट्रोल कर रहे हैं। मिट्टी के तेल की कीमत जैसाकि तिवारी जी ने कहा वर्ल्ड मार्केट से गवर्न हो रहा है। वहाँ आधा कीमत हो गयी है पेट्रौलियम पदार्थ में। यहाँ किसान को मिट्टी का तेल और डीजल नहीं मिल रहा है। सुदूर अंचलों में मिट्टी का तेल 4 रुपये लीटर भी नहीं मिल रहा है। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। खाद्य मंत्री गेहूँ लाते हैं और वितरण होता है सहकारिता मंत्री द्वारा। उनका कोई कंट्रोल नहीं है। यह दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। यह क्या नीति है कि आधा कंट्रोल इनका है और आधा उनका है। 4 लाख टन मेहूँ का उत्पादन 1982-83 में कम हुआ था तो फिर आपने हिसाब क्यों नहीं लगाया था आपकी दूरदर्शिता उस समय कहाँ गयी थी और आपको पहले से ही इन्तजाम करना चाहिए था। जब मार्केट बढ़ा तो आप सेन्टर में जाने लगे। आपने 30, 40, 70 हजार और फिर 1 लाख टन तक गेहूँ मंगाया। गेहूँ की कटाई शुरू होने वाली है 15 दिन में, लेकिन ऐग्रीकल्चरल प्राइस कंट्रोल कमीशन ने भी अभी गेहूँ का मूल्य निर्धारित नहीं किया है। कहते हैं हम किसानों का हित कर रहे हैं कब आप करेंगे। किसानों का गेहूं जब पैदा होकर आ जायेगा तब गेहूँ 120 रुपये, 130 रुपये और 140 रुपये में बिकेगा। जैसा कि काशीनाथ जी ने कहा तब उसकी कीमतें बढ़ जायेंगी। आप इस दोहरी नीति के द्वारा प्राइस कंट्रोल रखने में बिल्कुल अक्षम हैं। आपकी प्राइस कंट्रोल में नहीं है। क्या आपने देखा है कि जो आपका गेहूँ आता है वह सुदूर अंचलों तक पहुँच पाता है अथवा नहीं। क्या यह धोखा नहीं है? आपने देखा भी है कि वितरण होता भी है या नहीं। गेहूँ इतना रद्दी आप वहाँ भेजते हैं जिसको कि जानवर तक नहीं खा सकते हैं। अगर डिमाण्ड है 2 हजार बोरियों की तो आप 500 बोरी भेजते हैं। गाँव में एक-एक परिवार में 15-15 और 20-20 आदमी हैं। वह उनके लिए कैसे पूरा होगा। कैसे डिमाण्ड और सप्लाई पूरी होगी। आपने पूरे हिन्दुस्तान में जोन बना दिये हैं।

जैसा सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बिहार को आपका गेहूँ धड़ल्ले से जा रहा है और यहाँ का साढ़े तीन रुपया किलो का गेहूँ वहाँ 5 रुपये में बिक रहा है। आपने जो बाहर से आने में रोक लगाई है वह क्यों लगाई है उसकी वजह से हमारे यहाँ गेहूँ आ नहीं पा रहा है और यहाँ का माल बाहर चला जा रहा है। यह जो जोन सिस्टम बनाया है यह क्यों बनाया है क्यों नहीं यहाँ आप पंजाब का गेहूँ आने देते हैं। वह जोन इसीलिए बनाये हैं कि उपभोक्ताओं को मँहगे दामों पर गेहूं मिले। किसान को आप सही मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, और उपभोक्ता को भी उचित दाम पर खाद्यान्न नहीं दे पा रहे हैं। किसान को बिजली मँहगी देते हैं, पानी मँहगा देते हैं, खाद मँहगा देते हैं जिसकी वजह से किसान अनाज पैदा नहीं कर पा रहा है। आप ऐसी नीति अपनाइये जिससे अधिक अन्न उपजाये लेकिन आपने ऐसी नीति अपनाई है कि उत्पादन 40 लाख टन

[श्री रेवती रमण सिंह--]

घट गया है और आगे घटता जा रहा है। तो किसान को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ उसे मिट्टी का तेल मिल नहीं पा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आपका कंट्रोल सहकारिता विभाग पर भी होना चाहिए जिससे आप देख सकें कि आपकी वस्तुओं का सही वितरण सहकारिता से हो रहा है या नहीं।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान --

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं इमानदारी के साथ बताना चाहता हूं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में जनवरी और फरवरी में इस बात का हो हल्ला हो रहा था और लखनऊ में भी अनाज की किल्लत हो रही थी तो उन दिनों हमारे मुख्य मंत्री जी दिल्ली में केन्द्र से गेहूँ लेने के लिए जूझ रहे थे और उसमें हमारी सरकार को सफलता मिली। माननीय मुख्य मंत्री के प्रयास से गेहूँ यहाँ आना शुरू हुआ। अभी माननीय सदस्य बदायूँ माननीय फखरे आलम साहब कह रहे थे कि अब एक लाख टन गेहूँ लेकर आये हैं अब उससे क्या होगा। उसी वक्त दूसरी तरफ मांग कर रहे थे कि हमारे बदायूँ को 9 हजार क्विंटल गेहूँ देने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम—

मैंने कहा कि यह पहले लाना चाहिए था। अभी किसान के घर गेहूँ पहुँचने में एक महीने से ज्यादा का समय है। 20-25 दिन बाद कटाई शुरू होगी और उसके बाद थ्रेसिंग में होते होते एक डेढ़ महीना लग जायगा तो तब गेहूं जाकर बाजार में आयेगा। इसलिए एक लाख टन जो सरकार केन्द्र से गेहूँ लाई है उसका सदुपयोग हम कर सकेंगे।

एक बात मैं वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहता हूं। सहकारिता के माध्यम से वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। मैं और जगह की नहीं जानता अपने अलीगढ़ की जानता हूँ कि हमारे जनपद में सहकारी समितियों द्वारा खाद्य पदार्थों का वितरण ठीक प्रकार से हो रहा है। उसमें हम जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग करना चाहिए और उसका निरीक्षण करना चाहिए। समितियों में अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना चाहिए। निजी क्षेत्र में जो खाद्य पदार्थों का वितरण हो रहा था उसमें बहुत गड़बड़ी हो रही थी। जिनके पास राशन की दुकानें थीं वे लोग राशन का कोटा शहरों में ही बेच जाते थे और देहात तक वह पहुँचता ही नहीं था। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि अगर आप सहकारी समितियों की दुकानें प्रत्येक गाँव में नहीं खोल सकते हैं तो न्याय पंचायत स्तर पर दुकानों के माध्यम से वितरण व्यवस्था अवश्य कर दें। हमें पूर्ण विश्वास है कि सहकारी माध्यम से वितरण ज्यादा अच्छा रहेगा बनिस्पत निजी व्यक्तियों द्वारा वितरण करने से।

एक बात और कहना चाहता हूं कि देहात में अभी राशनकार्ड नहीं बन पाये हैं जिसकी वजह से मिट्टी का तेल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार इस बात की तरफ निश्चित रूप से ध्यान दे कि राशनकार्ड सब को बँट सकें।

श्री अध्यक्ष—

अब केवल दो-दो मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात कहें।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जबसे वितरण की दोहरी नीति चल रही है तबसे वितरण की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है । मैं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सहकारी क्षेत्र में न रखें इसका विरोधी नहीं हूँ लेकिन प्राइवेट दुकानें भी रखें । मान्यवर, मिट्टी तेल की हालत है कि जब दोहरे मूल्य नहीं हुये थे, सहकारिता मन्त्री जी हमारे बस्ती जिले में किसी भी कोआपरेटिव दुकान में मिट्टी का तेल नहीं उठाया जा रहा था । लेकिन जबसे दोहरी कीमत की व्यवस्था शुरू हुई तबसे उठाने लगे हैं । मान्यवर, बस्ती से तेल और चीनी उठायी जाती है और बस्ती के ही दुकानदारों को बेच दी जाती है । मान्यवर हमारे क्षेत्र के न्याय पंचायत मेहदूहार, न्याय पंचायत गोख्यास, न्याय पंचायत साथा हैं जहां का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ । मान्यवर, मन्त्री जी जब चाहें वहां जाकर जांच करा सकते हैं कि वहां के किसानों को कोई चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है और तेल, चीनी सभी चीजें बाजार में बेच दी जाती हैं । मा० चौहान जी ने जो कहा है कि डेढ़ महीने बाद मार्केट में गेहूँ आयेगा, शायद वह अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 15 अप्रैल तक गेहूँ किसान दुकानों पर बेचने लगता है लेकिन आजतक आपने मूल्य गेहूँ का निर्धारित नहीं किया है । होता है कि जब देर से मूल्य निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले बेचने छोटा किसान जाता है, बड़ा किसान तो बाद में गेहूँ बेचता है । छोटे किसान से बिचौलिये कम मूल्य पर गेहूँ खरीद कर आपके केन्द्रों पर मंहगे दाम पर गेहूँ दे देते हैं नतीजा होता है कि छोटे किसान को जो आपके द्वारा मूल्य मिलना चाहिये वह उसको नहीं मिल पाता हैं । इसलिये इस पर पुनः विचार करके वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने की व्यवस्था करें ।

***श्री वृद्धि नारायण सिंह—**

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत से मा० सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये । मैं भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश के 44 जिलों में बाढ रही, 46 जिलों में सूखा का और 43 जिलों में ओले का असर रहा । इस प्रकार इन चीजों का हमारे उत्पादन पर असर पड़ा लेकिन इसके बावजूद भी अन्त में कुछ दिनों के लिये कठिनाई उत्पन्न हुई थी । लेकिन जैसा हमारी श्री तिवारी जी और श्री चौहान जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी ने सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक्ता देकर इस कठिनाई को दूर करने के लिये अपना अथक परिश्रम करके सामान उपलब्ध कराया ।

मान्यवर, जो वितरण व्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है, हमें मालूम है कि जब यह व्यवस्था प्राइवेट दुकानदारों के हाथ में थी तो एक समय 1979–80 में यह स्थिति आयी थी कि प्रत्येक प्राइवेट दुकानदार एक महीने के कोटे से एक मोटर साइकिल खरीदता था । उस समय श्री के०पी० तिवारी, भूतपूर्व विद्युत एवं सिंचाई मन्त्री थी, वह एक सभा में गये थे और उसमें कहा था कि हालत यह हो गयी है कि एक महीने में एक कोटेदार सामान उठाकर एक मोटर साइकिल खरीद रहा है एक एक कोटेदार ने जो उसी महीने में मोटर साइकिल खरीदा था वह यहीं बैठे हैं । इसलिये मान्यवर, परिस्थितियों को देखते हुये इस सरकार ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है उससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जहां साल भर में गांवों में गल्ला पहुंचता था वहां हर महीने उसका वितरण हो रहा है और सामान मिल रहा है ।

मान्यवर, दो-तीन कठिनाईयां कभी कभी हो जाती हैं जिनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत जो आर० एफ० सी०, सप्लाई और सहकारिता विभाग, तीनों से होता हुआ जो यह सस्ती दुकानों पर माल पहुंचता है तो कभी कभी कागज की खानापूरी में काफी विलम्ब हो जाता है जिससे तात्कालिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बुद्धि नारायण सिंह—]

लोगों को कठिनाई हो जाती है और जिनके पास खाना नहीं है यदि उनको 4 दिन राशन नहीं मिल पाता है तो उनको बाजार से सामान मंहगा लेना पड़ता है, इसलिये इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस सरकार की व्यवस्था जिस प्रकार की है, उसको और सुदृढ़ किया जाए। यहाँ से एक पत्र गया है कि कुछ प्राइवेट दुकानें वहां खोली जायं, जहां सहकारिता की व्यवस्था नहीं है। तो इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि आप पुनः ठेकेदारों को जो हर माह में एक मोटर साईकिल खरीदते हैं, पनपने का मौका न दें, बल्कि सहकारिता को ही मजबूत किया जाए, व्यवस्थित किया जाए और प्राइवेट दुकानदारों को बिलकुल खत्म किया जाय। सरकार अपने उस पत्र को वापस लेने की कृपा करे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और इसको सार्थक बनाया, के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मुझको केवल इस बात का खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों को, इस बात का भ्रम हो गया है कि मैंने सहकारिता क्षेत्र में वितरण दिये जाने का विरोध किया है। जिन माननीय सदस्यों ने मुझे ध्यान से सुना होगा, उन्हें याद होगा, मैंने कहा था कि यदि व्यापार से व्यापारियों का दखल हटाना है, तो सरकार को व्यापार पर, बाजार पर कब्जा करना पड़ेगा। यदि मैं निजीक्षेत्र की हिमायती होता तो ऐसा न कहता। कांग्रेस पार्टी ने ही कई बार प्रस्ताव पास किया कि स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिए। कहाँ है आपका वह प्रस्ताव, किसने उसको रोक रखा है? (व्यवधान) हम उसका विरोध करने वालों में से नहीं थे, हम तो उस गाँव के हैं, जिसके आप हैं, अपनी-2 सुविधा से घरौंदा यह बनाया है, वह अलग बात है। उपाध्याय जी ने कुछ बातें कहीं कि मैंने जनवरी में प्रश्न को क्यों नहीं उठाया है। तो मैंने जनवरी के मध्य में ही इसका नोटिस दिया था, लेकिन उनके पास समय नहीं था और आज का हमें समय दिया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने यह भी कहा कि चीनी के दाम भी बहुत गिर गये, इसके लिए आपने माननीय मुख्य मन्त्री की तारीफ क्यों नहीं की? खासकर उपाध्याय जी के मुँह से बात निकले कि मैं तारीफ कर दूं, क्योंकि वह बहुत दिन उस पार्टी में रहे हैं, जिसका नारा रहा है कि घट और बढ़ आना सेर के अन्दर हो। तो ज्यादा दाम बढ़ जाना और गिर जाना हमारे गिरावट की निशानी है। चीनी का दाम इतना गिर गया तो आपने स्टेट एक्सचेकर को दो सौ करोड़ से अधिक का घाटा कराया है। दो सौ करोड़ से अधिक का इससे घाटा होने वाला है। इसलिए व्यापार पर सन्तुलन रहना चाहिए। वह तभी रह सकता है जब बाजार पर निजी क्षेत्र का दखल खत्म होकर सरकार का नियन्त्रण हो जाए। यदि सहकारिता में निजी क्षेत्र की सारी खराबियां, सारे अवगुण आ जायेंगे, तो जनता आपकी सरकार को नमस्कार कर लेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब तक वह आदर्श स्थिति नहीं पैदा होती है दोनों क्षेत्रों में स्वस्थ स्पर्द्धा कायम रहे। हम दोनों में स्वस्थ स्पर्द्धा को बनाये रखना होगा और यह हमारी सबकी मजबूरी है। उसके लिए आप भले ही हमारी आलोचना करें। जहां एक लाख टन की आपने बड़ी तारीफ कर दी, जिनको जानकारी नहीं है, सभी तारीफ करेंगे लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारी शहरी आबादी है, वह दिल्ली की शहरी आबादी के ठीक ढ़ाई गुना है। लेकिन हमारी शहरी आबादी के खाने के लिए उतना ही गेहूँ वह देते हैं, जितना दिल्ली शहर को देते हैं। तो फिर क्यों हम इसके लिए आपकी तारीफ करें। कौशल तो आपका जब होता, जब आप दिल्ली से ढ़ाई गुना गेहूँ यहां के लिए लाकर देते, तब मैं भले ही सीधे न कहता दबी जबान से तारीफ कर देता। आपके यहां 45 लाख शहरी राशन कार्डस हैं और 8 किलो प्रति यूनिट आप बांटने की बात कहते हैं। एक लाख क्विंटल ही सही, इसमें हिसाब लगा लें, यह आपके हिसाब से नहीं आता है, किसी हालत में पूरा नहीं

पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी पीठ अपने आप भले पीट लें, क्योंकि आपकी मेजारिटी है, लेकिन मैं कैसे पीट सकता हूँ। आपके मुख्य मन्त्री और खाद्य मन्त्री बड़े ही चालाक हैं। शीषार्सन करके केन्द्र से 10 लाख टन ले आए, मैं तो चाहता हूँ कि आप इससे भी ज्यादा लाये। लेकिन अगर वितरण प्रणाली आपकी ठीक नहीं रहेगी तो उसमें से एक छटांक भी गरीब उपभोक्ता को नहीं मिलने वाला है। हमारी इस बात की शिकायत है और उसको कैसे ठीक किया जाय, इसके बारे में दोनों तरफ से विचार आये, समय कम है, आगे बात मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। माननीय खाद्य मन्त्री जी को भी बोलना है। मान्यवर, तथ्यों से यह सदन अवगत हुआ और बहुत से सुझाव आये, इसके लिए मैं अनुगृहीत हूँ।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये। माननीय मोहन सिंह, माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय मित्रसेन, माननीय श्याम सूरत उपाध्याय, माननीय भीखालाल, माननीय भोला पाण्डेय, माननीय फखरे आलम साहब और माननीय विमल प्रसाद तिवारी, माननीय सुरेन्द्र सिंह चौहान, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह, माननीय केदार नाथ सिंह, माननीय वृद्धि नारायण सिंह ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय मोहन सिंह ने दिल्ली की बराबरी करते हुए यहाँ की बात कही है कि ढाई करोड़ यहाँ की शहरी आबादी है और 70 लाख दिल्ली शहर की आबादी है। लेकिन मेरी पुरानी बात को स्मरण करके उन्होंने कहा कि दिल्ली शहर को 40 हजार मीट्रिक टन मिल रहा है। दिल्ली शहर से ढाई गुना ज्यादा हमको मिला है। यह पुरानी बात है। तो प्रश्न यह नहीं है कि कितनी को हम कर सकते हैं, प्रश्न यह है कि जितनी जरूरत हो, उतनी ही कार्यवाही हो, और फिर इस कार्यवाही में हम अन्तिम अधिकारी नहीं होते हैं। हम निरुद्ध करते हैं। तीन जज बैठते हैं, वह देखते हैं कि जो निरुद्धीकरण हुआ है, यह ठीक है अथवा नहीं और बहुत से छूट भी गये हैं। यह बात सही है कि इतना बड़ा प्रदेश है और ज्यादा संख्या में उनको निरुद्ध करना चाहिए। यह सामान्य सत्य है, लेकिन इस सत्य को देश और काल के भीतर रखकर ही देखना होगा। जो आपने अभी कहा, तो हमने जो चैक पोस्ट देवरिया और बलिया और गोरखपुर में चैक पोस्ट बढ़ा दिया। अभी हम गये थे, दो दिन के दौरे में देवरिया और गोरखपुर, मिट्टी के तेल को वह अपने ट्रक पर लादकर, जो दाम है, उस पर अधिकारी, सब लोग जो हैं, मिट्टी का तेल बांटें, 70 सैकड़ा तेल है, 30 सैकड़ा के बारे में जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है, उनकी जो भावना थी, उसकी और दिल्ली का भी अभिमत बन रहा है। जो हमारे तेल निर्माता हैं, उन्होंने 15 सैकड़ा कम भी किया है अपना दाम, तो कोई रास्ता निकालेंगे बहुत जल्दी। अभी मैं इसके बारे में तो कोई ऐलान नहीं करता, लेकिन पार्लियामेंट के सदस्य, विधान सभा के सदस्य जब एक राय के होते हैं, तो उस पर शासन केन्द्र का चाहे हो, या प्रदेश का हो और ध्यान देगा और देना चाहिए।

माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा कि जहाँ भ्रष्टाचार हो, तो हट जाना चाहिए। अगर वह समझते हैं कि किसी दल में भ्रष्टाचार है, तो वह उस दल से त्याग कर चले जायेंगे ? यह उनका भ्रम है। सफाई के साथ काँग्रेस की नीतियों को समझते हुये इस अपने संगठन और गौरव के अनुरूप काम करें। अगर यह भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है, तो यह राजनैतिक संगठन तो ऐच्छिक है। माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक बात कही कि उत्पादन, उपभोग और वितरण पर पूर्ण नियंत्रण कर दें। वितरण पर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण, हम लोकतांत्रीय हैं, हम समाजवादी देश के हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे जनमत उत्तेजित हो जाय।

श्री रियासत हुसैन—

यह विचारधारा आपकी कब से बदल गयी ।

श्री वासुदेव सिंह—

यह कम्युनिजम, समाजवाद के विचारधारा के अर्थ की निहित बात है, जिसको मैं कह रहा हूँ ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

रियासत साहब, यह समाजवादी विचारधारा के हैं ।

श्री वासुदेव सिंह—

वितरण और उपभोग पर नियंत्रण की बात कही गयी इसमें सबसे बड़ी बात उत्पादन पर नियंत्रण की कही गयी । यह सरकार उत्पादन पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, यह सरकार को स्वीकार नहीं है । माननीय भीखा लाल जी ने जो सुझाव दिये हैं, वह बहुत ही अच्छे सुझाव हैं मैं उनकी इच्छा और आज्ञा के अनुरूप वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास करूंगा । फखरे आलम साहब ने कहा कि वितरण स्थिति पर नियंत्रण आवश्यक है, मैं इसकी आवश्यकता को महसूस करता हूँ । गेहूँ के दाम की नीति के बारे में कहना चाहता हूँ, अभी काफी समय है, इसको भारत सरकार घोषित कर देगी । एक लाख या तीन लाख टन लेने से उसके दाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा शासन की यह नीति है कि इस साल पिछले साल से अधिक बिक्री केन्द्र खोले जायेंगे । 20 लाख टन गेहूँ खरीदने का लक्ष्य इस साल हमने रखा है, इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग होगा, तभी हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे । शासन की यह नीति हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर 2000 लोगों पर एक दुकान खोली जाय । इसमें जो सामान वितरण के लिए सस्ते गल्ले की दुकान पर आयेगा, वितरण के बाद उसका सत्यापन ग्राम प्रधान और सरपंच करेंगे ताकि नीचे तक अनाज सही तरीके से बंट जाय । इस साल गेहूँ भीगा हुआ हैं, वैसे इस समय हर जगह अच्छा चल रहा है, कहीं कहीं गेहूँ खराब है, जो गेहूँ देश में उपलब्ध होगा, उसी पर हम आप को संतुष्ट होना पड़ेगा । लेकिन इस साल का गेहूँ अच्छा होगा । दलहन और तिलहन के स्रोत्र को भी ठीक करने के लिए शासन ने कदम उठाया है । जहां पर सहकारी और सरकारी दुकानें नहीं होगी, वहां पर निजी दुकानों को वितरण का काम हम देंगे, जहां यह विवशता होगी । माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि फखरे आलम साहब ने कहा कि बदायूँ को 9 हजार 9 सौ 73 क्विंटल पहले दिया था । अब बाद में 12 हजार तीस कुन्तल दे दिया है, बढ़ा दिया है मैं समझता हूँ कि बदायूँ के लिए कठिनाई नहीं होनी चाहिए । इसी तरह से अन्य जिलों में भी बढ़ाया है ।....

श्री फखरे आलम—

मान्यवर इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप और उपलब्ध करते तो अच्छा होता ।

श्री मित्रसेन—

शहरों में जिस प्रकार से उपभोक्ता केन्द्रों को वितरण का कार्य दे दिया है, उसी प्रकार से आप देहाती क्षेत्रों में सोसाइटी के अतिरिक्त जो उपभोक्ता भंडार हैं, उनको वितरण का काम आप क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह —

जैसा हम उचित समझते हैं, देते हैं, यह कानून हर जगह लागू नहीं होता है। अब आज मैं कुछ सूचनायें माननीय सदस्यों को देना चाहता हूँ। दस लाख 2 हजार 27 कुन्तल गेहूँ जहां-2 जरूरत महसूस की गई है, आज भेजा है। इसके अलावा जितना चावल था वितरित कर दिया है। माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि किसी चीज की कमी नहीं होने दी जायेगी और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और निरापद तथा जन उपयोगी बनाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
17 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1542 पर)

अनशनकारियों की मांगें निम्न प्रकार थीं :—

(1) नगरपालिका में पाइप लाइन की खरीद में किये गये घोटाले की जांच करायी जाय ।

(2) भ्रष्ट अधिकारी का स्थानान्तरण किया जाय तथा उच्च स्तरीय तथा निष्पक्ष जांच करायी जाय ।

(3) नगर की पेयजल समस्याओं को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए समस्त पाइप लाइनों की सफाई कराई जावे तथा जल आपूर्ति को नियमित बनाये रखने के लिए एक शक्तिशाली जनरेटर की व्यवस्था की जाय ।

(4) शहर के समस्त विद्युत स्तम्भों पर बल्ब, टयूब लाइटों की व्यवस्था की जाय ताकि नगर में व्याप्त अन्धकार दूर हो सके ।

(5) शहर के नालों एवं जगह-जगह पर एकत्रित गंदगी की सफाई कराई जावे ।

(6) नगरपालिका में ट्रैक्टर के मशीनीकरण में काफी धन व्यय करने के बारे में जांच की जाय ।

(7) मकानों के नक्शों को शीघ्र पास किया जाय ।

(8) पालिका द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की जांच करायी जाय ।

(9) नालों की सफाई के ठेके न दिये जायें, यह कार्य सफाई कर्मचारियों द्वारा पहले की भांति कराया जाय ।

(10) विनियोजित क्षेत्र द्वारा अवैध रूप से चलाये जा रहे मुकदमों को वापिस लिया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1528 पर)

संलग्नक—1

मथुरा जनपद की ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनायें जिन पर कार्य वर्ष 82-83 में किया जा रहा है।

क्रमांक	योजना का नाम	योजनाओं पर 15 जनवरी 1983 तक हुई भौतिक प्रगति
1	2	3
1	शेरगढ़ पेयजल योजना	तृतीय नलकूप के पंपिंग प्लान्ट का अधिष्ठापन कार्य शेष है, अन्य समस्त कार्य पूर्ण हैं।
2	सीह पलसों पेयजल योजना	समस्त कार्य पूर्ण हैं।
3	अजनौंख पेयजल योजना	—तदैव।
4	सीस्ता पेयजल योजना	द्वितीय नलकूप की राइजिंग मेंन का डिलीवरी से सम्बन्धन कार्य प्रगति पर है, तथा अन्य कार्य पूर्ण हैं।
5	चौमुहां पेयजल योजना	समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
6	नौहझील पेयजल योजना	द्वितीय नलकूप विद्युत संयोजन प्राप्त न होने के कारण कार्य दिष्ट नहीं किया जा सका है। अन्य कार्य पूर्ण हैं।
7	सुरीर पेयजल योजना	—तदैव—
8	कारव पेयजल योजना	समस्त कार्य पूर्ण हैं।
9	कुरसंडा पेयजल योजना	—तदैव—
10	काटीमोरा पेयजल योजना	—तदैव—
11	जैत पेयजल योजना	—तदैव—
12	छटीकरा पेयजल योजना	—तदैव—
13	बाद पेयजल योजना	—तदैव—
14	नौगांव पेयजल योजना	द्वितीय नलकूप का विद्युत संयोजन प्राप्त न होने के कारण कार्यदिष्ट नहीं किया जा सका है, अन्य कार्य पूर्ण हैं।
15	पटलौनी पेयजल योजना	द्वितीय नलकूप में पीने योग्य पानी प्राप्त न होने के कारण इस नलकूप को त्याग कर दूसरा नलकूप बनाया जाना है, अन्य कार्य पूर्ण हैं।

1	2	3
16	बैठक पेयजल योजना	विद्युत संयोजन प्राप्त न होने के कारण द्वितीय नलकूप चालू नहीं किया जा सका। अन्य कार्य पूर्ण हैं।
17	बरौली पेयजल योजना	समस्त कार्य पूर्ण है।
18	जतीपुरा पेयजल योजना	एक नलकूप, तत्सम्बन्धित कार्य, उच्च जलाशय पूर्ण, वितरण प्रणाली का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर योजना को आंशिक रूप से 7/82 से चालू कर दिया गया है।
19	मगोरा पेयजल योजना	एक नलकूप से संबंधित कार्य एक उच्च जलाशय के 90 प्रतिशत कार्य दूसरे जलाशय के 80 प्रतिशत कार्य, वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
20	कमई पेयजल जोजना	एक नलकूप, पम्प हाउस, 300 मीटर राइजिंग मेन उच्च जलाशय के 80 प्रतिशत कार्य तथा 50 प्रतिशत वितरण प्रणाली पूर्ण है।
21	लोहवन पेयजल योजना	एक नलकूप पम्प हाउस, उच्च जलाशय के 90 प्रतिशत कार्य, वितरण प्रणाली के 60 प्रतिशत्त कार्य पूर्ण हैं।
22	कोटवन पेयजल योजना	एक नलकूप, पम्प हाउस वितरण प्रणाली का कार्य 50 प्रतिशत व उच्च जलाशय के 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं।
23	विसावली पेयजल योजना	एक नलकूप से संबंधित समस्त कार्य, वितरण प्रणाली 55 प्रतिशत व उच्च जलाशय के 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं।
24	पेगांव पेयजल योजना	एक नलकूप एवं संबंधित कार्य, वितरण प्रणाली 55 प्रतिशत व उच्च जलाशय के 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं।
25	फालैन पेयजल योजना	एक नलकूप एवं पम्प हाउस पूर्ण, वितरण प्रणाली 65 प्रतिशत पूर्ण। उच्च जलाशय का 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
26	नीमगांव पेयजल योजना	एक नलकूप एवं पम्प हाउस पूर्ण, वितरण प्रणाली-35 प्रतिशत व उच्च जलाशय 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
27	धनगांव पेयजल योजना	एक नलकूप एवं सम्बन्धित कार्य पूर्ण, द्वितीय नलकूप पूर्ण उच्च जलाशय 90 प्रतिशत पूर्ण, वितरण प्रणाली 60 प्रतिशत पूर्ण।

1	2	3
28	तरौली पेयजल योजना	एक नलकूप एवं संबंधित कार्य पूर्ण, उच्च जलाशय का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण, वितरण प्रणाली 55 प्रतिशत पूर्ण है।
29	रैंपुरा बाट पेयजल योजना	एक नलकूप एवं सम्बन्धित कार्य पूर्ण, उच्च जलाशय 85 प्रतिशत, वितरण प्रणाली 63 प्रतिशत पूर्ण।
30	पींगरी पेयजल योजना	एक नलकूप एवं सम्बन्धित कार्य पूर्ण, उच्च जलाशय 87 प्रतिशत, तथा वितरण प्रणाली का 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
31	विभिन्न योजनाओं के द्वारा त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्ड पम्पस् का लगाया जाना।	इस जनपद के 120 ग्रामों को हैण्ड पम्प द्वारा लाभान्वित किया जाना है, जिसमें से 107 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जाने कार्य का पूर्ण है।

नोट :—(1) क्रमांक 1 से 17 पर दर्शायी गयी समस्त योजनाओं के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है एवं योजनायें रखरखाव के अन्तर्गत हैं।

(2) क्रमांक 18 से 31 के अन्तर्गत दर्शायी गयी योजनाओं में से क्रमांक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 एवं 28 पर दर्शायी गयी योजनाओं पर पंपिंग प्लाण्ट के अधिष्ठान का कार्य पूर्ण हो चुका है, परन्तु विद्युत संयोजन प्राप्त न होने के कारण योजनायें चालू नहीं की जा सकी हैं।

उदय प्रकाश

मथुरा जनपद की शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन पेयजल योजनायें, जिन पर कार्य वर्ष 1982-83 में किया जा रहा है।

संलग्नक — 2

क्रमांक	योजना का नाम	योजनाओं पर 15 जनवरी, 1983 तक हुई भौतिक प्रगति
1	2	3
1	मथुरा में दो नलकूपों का निर्माण	समस्त कार्य पूर्ण कर नगरपालिका को हस्तांतरित किये जा चुके हैं।
2	मथुरा में दो पुराने नलकूपों की मरम्मत एवं उन पर नये पंपिंग प्लाण्टस का अधिष्ठापन	—तदैव—
3	मथुरा तुरन्त राहत पेयजल योजना द्वितीय चरण।	—तदैव—
4	वृन्दावन पेयजल पुनर्गठन योजना द्वितीय चरण	दो नलकूपों का निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण शेष है।
5	सादाबाद नलकूप नं० 3	समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
6	नन्दगाँव जल सम्पूर्ति योजना	—तदैव—
7	कोसीकलां पेयजल पुनर्गठन योजना	—तदैव—
8	बाजना जल सम्पूर्ति योजना	सीधे पंपिंग द्वारा पेयजल योजना इस योजना से दिया जा रहा है, क्योंकि उच्च जलाशय का कार्य अभी 80 प्रतिशत ही हुआ है।
9	गोकुल पेयजल पुर्नगठन योजना	इस योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं परन्तु विद्युत संयोजन प्राप्त न होने के कारण योजना चालू नहीं हो सकी है।
10	गोवर्धन पेयजल योजना	इस योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
11	सोंख पेयजल योजना	इस योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
12	सादाबाद पेयजल योजना	इस योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।
13	बल्देव पेयजल योजना	इस योजना के अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं।

अपना मंडल विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1562 पर)

जुलाई 76 से 31 दिसम्बर 1982 तक प्राप्त यात्री प्रवेश कर में से दिनांक 31 दिसम्बर 1982 तक किये गये व्यय का विवरण

क्र० सं०	व्यय मद	रकम
1	जौलाई 76 से मई 1980 तक बैरियरों की व्यवस्था होमगार्ड पुलिस का वेतन तथा समिति के कर्मचारियों के वेतन पर किये गये व्यय का योग	2,04,023-42
2	परिक्रमा मार्ग राधाकुण्ड में विद्युतीकरण हेतु व्यय का भुगतान	1,39,000-00
3	बिजली बिलों का भुगतान	50,755-03
4	बैरियरों की व्यवस्था पर व्यय	24,000-00
5	टाउन एरिया सोंख को ऋण	40,000-00
6	टाउन एरिया गोवर्धन का ऋण	30,000-00
7	परिक्रमा मार्ग की सड़कों का शुद्धिकरण पी० डब्लू० डी० द्वारा	3,60,342-47
8	बिजली बिलों का भुगतान	27,840-98
9	ठेकेदारों पर बकाया धनराशि	3,47,001-75
10	ठेकेदारों पर वसूली हेतु कोर्टफीस	22,646-05
11	यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा एवं मेलों पर व्यवस्था व्यय	1,31,752-00
12	समिति के कर्मचारी सफाई मजदूरों के वेतन पर व्यय	36,670-12
	कुल योग रुपया—	14,14,031-82 पै०

अविरल विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1565 पर)

वर्ष 1981 तथा 1982 में चीनी मिट्टी तेल की माहवार वितरित की गयी मात्रा का विवरण

माह का नाम	वर्ष 1981		वर्ष 1982	
	चीनी कुन्तल	मिट्टी तेल लीटर	चीनी कुन्तल	मिट्टी तेल लीटर
जनवरी	342	11600	308	11300
फरवरी	385	3600	295	12000
मार्च	255	2800	225	12800
अप्रैल	339	4600	195	12900
मई	225	5800	133	18200
जून	203	5600	79	16700
जुलाई	277	5500	354	19600
अगस्त	233	10300	205	23200
सितम्बर	246	11000	207	17200
अक्टूबर	334	15600	258	35000
नवम्बर	285	12000	285	36500
दिसम्बर	370	13200	105	44900

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०—वि० सभा—8-2-84—835—256